राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अंक 1] सप्तम् विधान सभा के प्रथम सत्र का 11वां दिवस [संख्या 7

सोमवार,

दिनांक 14 जुलाई, 1980

विधान सभा की बैठक म० पू० 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारंभ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री मानसिंह देवड़ा, श्री रामसिंह विश्नोई।

अणु बिजली घर के बार-बार बन्द होने से बिजली कटौती के कारण कृषि व औद्योगिक उत्पादन में हानि।

89. **श्री मानसिंह देवड़ा** (सरदारपुरा) **श्री रामसिंह विश्नोई** (लूणी) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1980 में अणु बिजली घर कई बार बन्द रहने से राज्य में बिजली कटौती की गई? यदि हां, तो बिजली कटौती का पूर्ण विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत किया जाये।

(2) क्या यह सही है कि जनवरी, फरवरी और मार्च 1980 की अवधि में जोधपुर शहर कई दिनों तक अंधेरे में डूबा रहा? क्या राज्य के अन्य किसी नगर में भी ऐसी स्थिति रही?

(3) जनवरी से मार्च, 80 की अवधि में जोधपुर, जयपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा जिलों को रोजाना कितने यूनिट बिजली उपलब्ध कराई गई? विवरण सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(4) क्या यह भी सही है कि बिजली कटौती तथा अनियमित विद्युत प्रवाह के कारण औद्योगिक उत्पादन पर बुरा असर पड़ा? यदि हां, तो कितनी क्षति हुई?

(5) क्या यह भी सही है कि इस अवधि में काश्तकारों की सैंकड़ों मोटरें खराब हो गईं? यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें इसका मुआवजा देगी? यदि हां, तो कब तक और कितना?

(6) क्या जोधपुर को 220 के० वी० लाइन से जोड़ने की योजना है? यदि हां, तो इस योजना को कब तक क्रियान्वित किया जायेगा?

उप-मंत्री विद्युत (श्री अब्दुल रहमान चौधरी) : (1) जी हां, विभिन्न विज्ञप्तियों व आदेशों द्वारा लागू की गई कटौतियों का विवरण परिशिष्ट "ए" में सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) इस अवधि में राज्य में बिजली उपलब्धि में अप्रत्याशित कमी के कारण जोधपुर तथा कुछ अन्य शहरों को रात को

Page No.2

(श्री अब्दुल रहमान चौधरी)

कुछ घन्टों के लिये कभी-कभी, विद्युत से वंचित रहना पड़ा।

(3) विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित ग्रिड स्टेशनों पर अतिरिक्त उच्च प्रसारण लाइनों के द्वारा विद्युत उपलब्ध कराई जाती है। इसका जिलेवार ब्योरा नहीं रखा जाता।

(4) विद्युत कटौती के कारण औद्योगिक उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। इससे औद्योगिक उत्पादन में कितनी क्षति हुई इसकी सूचना राजस्थान राज्य विद्युत मंडल के पास उपलब्ध नहीं है।

(5) विद्युत कटौती का बिजली की मोटर खराब होने से कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः इसके लिये मुआवजा देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(6) जी हाँ। वर्तमान अनुमानों के अनुसार इसका क्रियान्वयन वर्ष 1982–83 में सम्भावित है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री मानसिंह देवड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जोधपुर को बिजली सिर्फ राणा-प्रताप सागर से दी जाती है। भीलवाड़ा पर ही जोधपुर निर्भर है। भीलवाड़ा के विद्युत अधिकारीगण कभी भी बिना नोटिस दिये बिजली बन्द कर देते हैं, जिससे हमें बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जैसे अजमेर, जयपुर, बीकानेर को बदरपुर और भाखड़ा से जोड़ा गया है, क्या उसी प्रकार जब तक ताप बिजली घर का प्रावधान नहीं हो जाता तब तक जोधपुर को भाखड़ा और बदरपुर से जोड़ने का कोई प्रावधान है ?

श्री अध्यक्ष : एक बार में एक ही पूरक प्रश्न पूछें। माननीय सदस्य, इसका उत्तर आने दीजिये।

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : यह अचानक काट देते हैं, इसका तो कारण यह है कि बिजली का जो बटवारा है, वह ग्रिड स्टेशन पर यूनिट के आधार पर किया जाता है। जैसे ही यूनिट पूरे हो जाते हैं लाइन बन्द कर दी जाती है इसलिये अचानक काटने का कोई आधार नहीं है।

श्री रामसिंह बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, इनके कहने का तात्पर्य यह है कि बिजली तब बन्द होती है, जब अणु बिजली घर से भीलवाड़ा वाले जोधपुर को काट देते हैं। अतः क्या आप ऐसा प्रावधान करेंगे कि अनुपात से बिजली बन्द करने की कार्यवाही करेंगे ? जोधपुर शहर और जोधपुर का इलाका टेल पर आया हुआ है। इसलिये कृषि और उद्योग पर बहुत बुरा असर न पड़े, इसलिये समान दृष्टि से बिजली की कटौती करेंगे ?

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : इसकी जांच करेंगे, और संभव हुआ तो यथासम्भव कार्यवाही करेंगे ?

श्री मानसिंह देवड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय 1980 में अणु बिजली घर अचानक बन्द हो जाने से बिजली का काफी संकट आ गया था। व्यास परियोजना की मशीनें भी खराब हो गई थी। 1979 में बरसात के अभाव में चम्बल प्रोजेक्ट में पानी की कमी थी उससे भी काफी कठिनाइयां हुई। आइन्दा इनके लिये क्या विचार होगा, उस पर विचार हो रहा है।

Page No.3

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता !

श्री रामसिंह बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, हमारा प्रश्न पूछने का मकसद यह था कि बिजली का सबसे ज्यादा असर जोधपुर पर हुआ है। जोधपुर पश्चिमी राजस्थान के टेल पर आया हुआ है इसलिये बिजली बन्द हो जाती है तो उसका असर जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर में होता है। आप कृपया यह बतायें कि इसके बटवारे के लिये क्या योजना बना रहे हैं ? क्या इसके अलावा भाखड़ा से या और कहीं से जोड़ने की स्कीम बनायी है अगर नहीं तो 220 के.वी. लाइन कब तक आयेगी ?

श्री अब्दुल रहमान चोधरी : यह विचाराधीन है।

श्री भैरूलाल भारद्वाज (जमुआ रामगढ़): बिजली की कटौती के समय किसानों का ध्यान नहीं रखा जाता है कि उनको कितना संकट है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य; इस प्रश्न का सम्बन्ध जोधपुर से है।

श्री भैरूलाल भारद्वाज : कम से कम रात के समय किसान सर्दी के अन्दर धूजता हुआ रहता है, इसलिये कारखानों को रात को और किसानों को दिन में बिजली दें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर ! आर्डर ! श्री जनार्दनसिंह गहलोत !

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करोली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, खास तौर से अणु बिजली घर 1980 में बार-बार जिस तरह से बन्द होता रहा है ऐसी कोई बात राज्य सरकार की निगाह में नहीं है कि मजदूर संगठन, जो कि बी०एम०एस० से सम्बन्धित है, सेन्टर को खराब करने की कोशिश करता है ? माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के मुख्य मन्त्री इस सम्बन्ध में प्रधान मन्त्री जी से भी मिले थे। उन्होंने इस बात को कोशिश की थी कि अणु बिजली घर अच्छे ढंग से चले ताकि राजस्थान व्यापी संकट न हो बिजली का। क्या कोई ऐसी एजेन्सी तो नहीं है जो खास तौर से उसको खराब करने के लिये षड़यन्त्र कर रही है ?

मुख्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : श्रीमन् इस प्रकार की बात पहले हमारे ध्यान में लाई गई, इसकी हम जांच कर रहे हैं। इस बात का प्रयास करेंगे कि यथा सम्भव इस प्रकार की कठिनाई को दूर किया जा सके।

श्री भैरूलाल भारद्वाज : बिजली की कमी को पूरा करने के लिये क्या ताप बिजली घर बनाया जा रहा है ? जब अणु बिजली घर काम नहीं करता है और जब पानी वाली बिजली की कमी होती है तो ताप बिजली घर की कोई योजना सरकार के पास है ? यदि नहीं, तो रबी की फसल जिस प्रकार हर साल जल जाती है, उसी प्रकार आइन्दा भी जलेगी या रबी की फसल को बचाने के लिये सरकार कोई योजना बना रही है ?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : माननीय सदस्य, बजट पेश होने तक इंतजार करें आपके सामने आ जायेगा।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने जैसा कहा कि यह प्रश्न विचारा-

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

धीन है, बदरपुर और भाखड़ा से जोधपुर को जोड़ने का। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार के विचाराधीन है या राज्य सरकार के विचाराधीन है? मेरी जानकारी में तो किसी के भी विचाराधीन नहीं है।

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

श्री रामसिंह विश्नोई : अलग से प्रश्न नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हमारा केवल निवेदन यह है कि बिजली बन्द होती है तो सबसे ज्यादा असर बाड़मेर और जोधपुर के काश्तकारों पर पड़ता है, उनकी फसल को क्षति होती है, और उन की मोटरें जल जाती हैं। यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है, इससे हमारे पेट की पूर्ति नहीं होती है। जोधपुर टेल पर आ गया है बिजली बन्द हो जाती है तो यह आपकी ड्यूटी है कि वितरण की सुव्यवस्था करें। समान दृष्टि से वितरण हो, आपने इसके लिये क्या कदम उठाये हैं? बन्द करते समय जोधपुर में ही बन्द न करें बल्कि समान दृष्टि से इसका वितरण हो जोधपुर को काट दें, यह न्यायोचित नहीं है। आप स्पष्टीकरण दें कि जब अणु बिजली घर बन्द होगा तब समान दृष्टि से बिजली वितरण की व्यवस्था होगी, भाखड़ा से और बदरपुर से कब तक जोड़ने का प्रावधान है, यह बता दें।

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : मैंने आप से अर्ज किया जहां कहीं से बिजली ले सकते हैं, राजस्थान में बिजली की कमी होती है, तो ली जाती है। भाखड़ा से भी ली जाती है। जितने ग्रिड स्टेशन्स हैं उनको यूनिट के हिसाब से बांटी जाती है। जहां से ले सकते हैं, ली जाती है। ऐसा नहीं है किसी एक ग्रिड को दे दी जाये।

श्री अध्यक्ष : आपका प्रश्न यह है कि जब कभी बिजली बन्द होती है तो जोधपुर डिवीजन भुगतता है। जोधपुर टेल एण्ड पर है इसलिये सब वजन जोधपुर डिवीजन पर पड़ता है। क्या यह बात सही है या समान रूप से बिजली काटते हैं?

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : समान रूप से काटते हैं।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न!

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : राजस्थान में उद्योग बन्द हो जाते हैं....

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न! आर्डर प्लीज!

श्री नाथूसिंह : .... कोई भी मार्ग निकालिये....

श्री अध्यक्ष : श्री बुलाकीदास!

शिक्षा का राष्ट्रीयकरण व शिक्षण पाठ्यक्रमों में शिक्षण शुल्कों में व्याप्त विषमतायें

90. **श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या सरकार शिक्षा के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर विचार कर रही है? यदि हां, तो इस संबंध में कब तक निर्णय हो सकेगा?

(2) क्या सरकार यह स्वीकार करती है कि राज्य में शिक्षण पाठ्यक्रमों और

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

शिक्षण शुल्कों में अत्याधिक विषमतायें व्याप्त हैं? यदि हां, तो उन्हें दूर करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

शिक्षा मंत्री (श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर :

(1) जी नहीं, (2) जी नहीं।

श्री बुलाकी दास कल्ला : माननीय शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या निजी शिक्षण संस्थाओं में बिना सरकार की अनुमति के शिक्षण शुल्क में जो वृद्धि हो रही है, उसको रोकने के लिये सरकार कदम उठायेगी ?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : निजी शिक्षण संस्थाओं के ग्रांट इन एड के जो नियम हैं उनमें उनको अपनी फीस निर्धारित करने का अधिकार है। ऐसी स्थिति में जो शुल्क आता है, एड जब दी जाती है तो वह काट लिया जाता है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पर चर्चा हुई है लेकिन हम किसी निर्णयात्मक स्थिति पर नहीं पहुंचे हैं कि शुल्क के अन्दर किस तरह समानता आये। अलग–अलग आधार पर शिक्षण संस्थायें शुल्क लेती हैं। सभी शिक्षण संस्थाओं का स्तर एक समान नहीं है। यह विचार किया जा रहा है यह आधार एक कैसे हो सकता है।

श्री अध्यक्ष : नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य !

श्री गोविन्दसिंह (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं, मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि निजी शिक्षण संस्थाओं में जो कर्मचारियों का शोषण हो रहा है विशेष रूप से सरकार जिनको अनुदान देती है उनमें शोषण को कम करने का सरकार क्या उपाय कर रही है ?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : यह समस्या सरकार के ध्यान में लाई गई है इस पर विचार किया जायेगा।

श्री भैरूलाल भारद्वाज : निजी संस्थाओं को आर. एस. एस. के अखाड़े बनाने की योजना है ? विद्यार्थियों का जो इससे नुकसान हो रहा है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! श्री भंवरलाल !

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं क्या यह राजस्थान सरकार के ध्यान में है कि विभिन्न स्कूलों में छात्र कोष के अलावा अन्य किसी तरह की फीस ली जाती है ? यदि ली जाती है, तो उसके लिये आप क्या कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : सरकारी स्कूलों से आपका तात्पर्य है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : बिल्कुल।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : 8 वीं से 11 वीं तक जो ट्यूशन फीस है, जहां तक इसका सवाल है, क्लास 9 में इन्कम के आधार पर फीस आधारित है। 10 हजार तक अलग है, 15 हजार तक अलग है, 25 हजार तक अलग है और उसके ऊपर अलग है। अलग-अलग आर्थिक आधार

Page No.6

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

पर फीस का निर्धारण किया गया है। अलग-अलग आधार है। फीस एक मुश्त ली जाती है।

श्री भंवरलाल शर्मा : फीस किस तरह से ली जाती है। इससे तात्पर्य नहीं है। जो निर्धारित शुल्क लिया जाता है उसके अलावा भी कोई फीस ली जाती है ?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : ट्यूशन फीस में समानता है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(व्यवधान)

निजी शिक्षण संस्थाएं, जिनको सरकार 80 प्रतिशत मदद करती है, में एक विषय में पढ़ने के लिये 125 से 150 रुपये एक माह का शिक्षण शुल्क देना पड़ता है। क्या भविष्य में सरकार ऐसी संस्थायें, जिन्हें 80 प्रतिशत अनुदान सरकार देती है, उनका राष्ट्रीयकरण करने का विचार रखती है ?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : अभी कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : इसको रोकने के लिये सरकार के पास कोई उपाय है ?

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने जिस प्रकार का जवाब दिया, मैं पूछता हूं कि राजस्थान सरकार जिन–जिन संस्थाओं, स्कूलों में अनुदान देती है उन स्कूलों में फीस के रूप में पैसा न लेकर डोनेशन दिखाकर लोगों का शोषण किया जाता है ? जब रिकार्ड चैक करते हैं तो क्या इसकी जांच करते हैं कि डोनेशन को भी फीस के रूप में मानेंगे ? जितने विद्यार्थी पढ़ते हैं, उनसे फीस नहीं ली जाती है, उन विद्यार्थियों के नाम से उनके पेरेन्ट्स के नाम से डोनेशन की रसीद काट दी जाती है। जैसा नसीराबाद से आने वाले विधायक महोदय ने कहा, आप 80 प्रतिशत अनुदान देते हैं। चैक से पेमेन्ट नहीं किया जाता है, नकली रसीदें बना देते हैं।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : क्या राज्य सरकार इसकी रोकथाम के लिये विचार रखती है ?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : दो प्रश्न उठाये गये। एक तो यह कि विद्यार्थियों का शोषण होता है, उसे बन्द करने के सम्बन्ध में सरकार क्या योजना बना रही है। मैंने सदन में निवेदन किया था कि चैक से भुगतान करने का विचार किया जायेगा। यदि अग्रिम रसीद लेकर बाद में बैंक में चैक दिया जाता है, इस प्रकार के मामले यदि ध्यान में लाये जायेंगे, तो सरकार कार्यवाही करेगी। दूसरा, विकास के नाम से पैसा लिया जाता है। शुरू में मैंने निवेदन किया था जो प्रयोगात्मक संस्थाएं हैं, उनकी स्थिति भिन्न है, विज्ञान के स्कूलों की स्थिति भिन्न है। अलग–अलग आधार वाले स्कूलों की दृष्टि से आज की स्थिति में समानता लाना संभव नहीं है; फिर भी जो समान स्थिति वाले स्कूल हैं, उनमें समान शुल्क की दृष्टि से कोई विचार किया जा सकता है तो विचार किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न !

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज !

Page No.7

श्री रामसिंह बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा मन्त्री जी से एक बात पूछना चाहूंगा-राजस्थान के बड़े-बड़े शहरों में जो निजी शिक्षण संस्थायें चल रही हैं उनके छात्रों का स्तर इतना ऊंचा है कि उनके मुकाबले में गांवों के गरीब बच्चे कम्पीटीशन में खड़े नहीं हो सकते तो क्या सरकार यह उचित समझती है कि या तो उन्हें बन्द कर दिया जाय अथवा सरकारी शिक्षण संस्थाओं के स्तर को बढ़ाया जाय या फिर शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करें ?

दूसरा मेरा निवेदन है जो निजी शिक्षण संस्थाएं है उनका यदि राष्ट्रीयकरण करते हैं तो उनका सरकार पर कितना भार पड़ता है ?

श्री सी० एल० कंवरिया (डूडू) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं क्या यह जो इन्कम का आधार है वह शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड के ट्राइब्स लोगों के लिये भी है ? अगर है तो किस स्टेज तक ?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : अलग-अलग शिक्षण संस्थाओं का अलग–अलग स्तर होने के कारण यह बात आपने बताई है कि उनमें काफी अन्तर है किन्तु जैसा मैंने कहा शिक्षा को सार्वजनिक बनाने की स्थिति में यदि हम बढ़ेंगे तो काफी कठिनाइयां आयेंगी । जो प्रयोगात्मक संस्थाएं हैं उनमें भी शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के गरीब छात्रों को आनुपातिक रूप से प्रवेश मिले, यह कोशिश अवश्य की जायगी ।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न !

श्री नाथूसिंह : क्या सरकार जो पब्लिक स्कूल चलाती है उनमें जैसा कि इस प्रश्न में पूछा गया है कि पाठ्यक्रम अलग–अलग है, फीस वगैरह भी अलग-अलग है । जो मिशनरी स्कूल है उनमें प्रायः यह देखा गया है कि राष्ट्र विरोधी कई चीजें पढ़ाई जाती हैं जिनको अधिकांश बच्चे पढ़ना पसन्द नहीं करते हैं । मैं शिक्षा मन्त्री जी से पूछना चाहूंगा, शिक्षा के इस असमान स्तर को देखते हुए जो पब्लिक स्कूल चल रहे हैं उनको बन्द करने का सरकार का विचार है? और अगर नहीं है तो क्यों नहीं ?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : मैंने निवेदन किया, बन्द करने का विचार नहीं है । शिक्षा के क्षेत्र में रचनात्मक दृष्टि से विचार किया जाता है और प्रयोगात्मक स्थिति को भी बनाकर रखना चाहते हैं । यदि यह निर्णय लिया जाय कि सार्वजनिक संस्थाओं को बिलकुल साफ कर दिया जाय, तो यह संभव नहीं । यह सही है कि साम्प्रदायिकता के आधार पर, जातीयता के आधार पर यदि किन्हीं संस्थाओं का संचालन होता है तो उन्हें अनुदान नहीं दिया जाना चाहिये, इसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिये ।

श्री दिनेश राय डांगी (देसूरी) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मैं भी माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा । जिन संस्थाओं का जिक्र चल रहा है, उनको अनुदान मिलता है और छात्रों को छात्रवृत्तियां भी मिलती हैं । इसके बाद भी शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राईब्स के छात्रों को डबल फीस देनी पड़ती है । इसलिये या तो शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के छात्रों की फीस में कमी की जानी चाहिए और यदि आधी फीस उनसे नहीं लेते हैं तो फिर उनका अनुदान बन्द किया जाना चाहिये ।

Page No.8

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : जैसा कि मैंने बताया, अनुदान वाली एक बिलकुल अलग बात है। जहां तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के छात्रों के शुल्क में कमी करने की बात है, तो उसमें कमी करने का आधार क्या हो सकता है, इस पर विचार किया जा सकता है। सार्वजनिक संस्थाओं को जो अनुदान दिया जाता है, उनके नियम बने हुए हैं उन नियमों को किस स्थिति तक लागू किया जाय, इसके लिये एक ग्रान्ट-इन-एड कमेटी बनी हुई है। उस कमेटी में इस पर विचार किया जा रहा है। उसकी रिपोर्ट आने पर विचार किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज !

(व्यवधान)

श्री बाऊ दयाल जोशी : शिक्षा जगत में छूआछूत है, इसके लिए आप क्या करने जा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्रीमती विद्या पाठक !

जयपुर में विमंदित बालकों व महिलाओं के लिये आवास गृह

91. **श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) :** क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विमंदित बालकों व महिलाओं के लिये जयपुर में एक गृह खोलने की योजना है ? यदि हां, तो यह कब तक खोल दिया जायेगा और इसकी व्यवस्था किस ऐजेन्सी द्वारा किस प्रकार की जायगी ?

समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती कमला) : जी नहीं सरकार द्वारा जयपुर में विमन्दित बालकों व महिलाओं के लिये अलग–अलग गृह पूर्व से ही चलाये जा रहे हैं। इनकी व्यवस्था विभाग द्वारा की जाती है।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय मंत्री महोदया, क्या यह बताने की कृपा करेंगी कि यहां जो मानसिक अस्पताल है, उनके प्रेमीसेज में इस तरह का एक भवन बनाने की जिसमें विमंदित महिलाओं, बालकों के लिये, जिनको अलग–अलग सर्विसेज अवेलेबिल कराई जा सकें, तथा उनको ठीक प्रकार रिहेबिलिटेट किया जा सके, इस प्रकार का प्रशिक्षण देकर जिससे वे कमाई कर सकें और अपने जीवन जीने लायक गुजारा कर सकें, कोई योजना है ?

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने प्रश्न में यह पूछा है कि क्या एक और गृह खोलने की योजना है। भवन बनाने वाली एक अलग बात है लेकिन इस प्रकार का कोई यूनिट बनाने का कोई विचार नहीं है। गृह तो सरकार यथा सम्भव अपने साधनों के अनुसार बनाती ही रहती है

श्रीमती विद्या पाठक : क्या आपको इस बात की जानकारी दी गई है कि जो नया भवन बन रहा है वह एक संस्था-जाग्रति मण्डल, द्वारा चलाया जाना था। उसको शुरू से ही आरम्भ करना था। मेरा निवेदन है वह इन्स्टीट्यूशन ट्रान्सफर की जा सकती है या नहीं की जा सकती है?

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आता है कि राज्य सरकार को ऐसी संस्थाओं या ऐसे

(श्रीमती कमला)

गृहों को जो गैरसरकारी संस्थाएं हैं, उन को लेने की जरूरत पड़े। सरकार प्रबन्ध नहीं कर सकें या बिलकुल फेल हो जायं, तब कहीं जाकर कोई स्थिति था सकती है किन्तु अभी मेरे खयाल से ऐसा नहीं है।

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, क्या इससे हम लोग यह मानें कि सरकार की ऐसी मंशा नहीं है कि प्राइवेट संस्थाओं को भी इस काम के लिये इन्वोल्व किया जाय और उनको प्रोत्साहित किया जाय ? एक बात। दूसरी बात मैं यह जानना चाहूंगी, क्या सरकार द्वारा चलाई गई संस्थायें उतनी ही अच्छी चल सकती है ? मेरा अनुभव है, और मैं समझती हूं माननीय सदस्यों का भी यह अनुभव है कि सरकार द्वारा जो संस्थाएं चलाई जाती हैं, वे उतनी अच्छी नहीं चल सकती क्योंकि सरकारी अधिकारियों का वह दृष्टिकोण नहीं होता है। प्राइवेट संस्थाओं को सरकार अपना स्पेसिफिकेशन दे सकती है जिसके मुताबिक वे चलें। यदि चाहें तो सहयोग भी प्राप्त कर सकती हैं सरकार से। मेरा मानना है कि इस तरह की कई संस्थायें बहुत अच्छा काम कर रही हैं।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार कुछ गृह चला रही है और काफी अर्से से चला रही है। काफी व्यवस्थित ढंग से चला रही हैं। उन संस्थाओं को प्राइवेट संस्थाएं लेकर चलाना चाहें, यह तर्क मेरी समझ में नहीं आता है। यह बात अलग है कि यदि इस प्रकार की संस्थाओं को निजी संस्थाएं चलाना चाहती है तो सरकार उनको ऐड दे सकती है, लेकिन सरकार को संस्थाओं को प्राइवेट संस्थाओं को दे दिया जाय, न तो इस प्रकार की कोई सरकार की नीति है और न भविष्य में ही इस प्रकार की नीति होने वाली है। साथ ही मैं यह भी नहीं समझती हूं कि सरकारी संस्थाएं सब खराब ही चलेंगी और प्राइवेट संस्थाएं अच्छी ही चलेंगी। यह तो व्यक्तियों पर निर्भर करता है। सरकारी स्तर पर यदि अधिकारी सक्षम नहीं है तो खराब भी चल सकती है और यदि प्रशासक कुशल और सक्षम है, तो सरकारी संस्था अच्छी भी चल सकती है यही स्थिति प्राइवेट संस्थाओं के साथ भी रहती है। इसलिये इस प्रकार की नीति का निर्धारण नहीं हो सकता है। सरकार यह समझे कि हमारी संस्थाएं अच्छी चलेंगी ही नहीं तो सरकार का काम कैसे चलेगा ?

श्रीमती विद्या पाठक : क्या मंत्री महोदय ने इस बात की जानकारी की है कि यहां जयपुर में चलने वाले गृह किस प्रकार चल रहे हैं ? इनको देखकर ही जब मेरे पास यह विभाग था, इस प्रकार की योजना पर विचार प्रारम्भ किया था....

(व्यवधान)

श्री भैरूलाल भारद्वाज : जनता पार्टी, तो ऐसे ही व्यक्तियों को सरकार का लाभ पहुँचाना चाहती थी....

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कोई जरूरी नहीं है, कि जो सरकारी गृह चल रहे हैं उनमें कुछ कमी, नहीं हो। गैर सरकारी संस्थाओं में भी, कुछ न कुछ कमी होती है। उसका यह निदान नहीं है कि हम अच्छी चल रही संस्थाओं को गैर सरकारी संस्थाओं को दे दें। यह अवश्य है कि उसके प्रशासन में

(श्रीमती कमला)

सुधार किया जा सकता है। उसकी वित्तीय स्थिति को सुधारा जाय, कोई अधिकारी सक्षम नहीं है तो उसको बदला जाय, यह सब कुछ तो हो सकता है लेकिन यह मतलब नहीं है कि सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट संस्थाओं को दे दें और उसको कह दें कि तुम जांच करके क्या-क्या खराबी है, यह हमको बता दो। शुरू में कब प्रयोग किया और उसके क्या परिणाम रहे उसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, काफी पूरक प्रश्न पूछ लिए हैं, अब समाप्त करें।

श्रीमती विद्या पाठक : एक पूरक प्रश्न और, माननीय अध्यक्ष महोदय।

माननीय मंत्री महोदया, मैं यह संस्था चलाने की बात नहीं कर रही हूं और न मैं किसी संस्था की पैरवी कर रही हूं। मैं तो इतना निवेदन करना चाहती हूं कि जितनी विमंदित महिलायें और बच्चे हैं उनके लिए साइकोलोजिस्ट की जरूरत पड़ती है, मेडिकल डॉक्टर्स की जरूरत पड़ती है। इस तरह का काम्बीनेशन करके इस संस्था के मार्फत प्रयास किया गया था लेकिन उसको विभाग ने बदल दिया है, जिसकी जानकारी सम्बन्धित विभाग ने आपको नहीं दी है।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने कहा कि पहले ऐसी कोई व्यवस्था थी उसको विभाग ने बन्द कर दिया है....

श्रीमती विद्या पाठक : जी नहीं, योजना थी जिसको बदल दिया है।

श्रीमती कमला : मैं निवेदन करदूं कि अगर ऐसी कोई योजना थी तो उसकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और आवश्यकता पर गौर करते हुए इसको वापस जारी करने की जरूरत होगी, तो इसको वापस जारी करने पर विचार कर लिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : श्री जनार्दनसिंह गहलोत!

दूरसी घटा सिंचाई परियोजना

92. श्री जनार्दनसिंह गहलोत(करौली): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या दूरसी घटा सिंचाई परियोजना के सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो चुका है? यदि हां, तो कार्य कबसे शुरू होगा और इस योजना के पूरा होने में कितना समय लगेगा?

(2) इस योजना पर कितनी धनराशि होने का अनुमान है तथा इस योजना के अन्तर्गत करौली जिले का कितना क्षेत्र सिंचित हो सकेगा?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री अब्दुल रहमान चौधरी) : (1) जी हां, सर्वेक्षण पूरा हो चुका है तथा योजना का आंकलन बना लिया गया है। भारत सरकार के योजना आयोग एवं जल आयोग की स्वीकृति तथा राज्य सरकार की प्रशासनिक स्वीकृति के पश्चात् ही इस योजना का कार्य शुरू होगा।

(2) वर्तमान में योजना की अनुमानित लागत 390 लाख रुपये हैं। इस योजना के अन्तर्गत करौली व गंगापुर तहसीलों की 4336 हैक्टेयर कृषि योग्य भूमि सिंचित हो सकेगी।

Page No.11

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री महोदय से यह जानकारी चाही है कि योजना को पूरा करने में कितना समय लगेगा ? मैं पुनः मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि करौली क्षेत्र में, पानी बड़े पैमाने पर आता है लेकिन उसको रोकने के लिए प्रबन्ध नहीं होने के कारण से पानी बेकार चला जाता है, उस पानी को रोकने का प्रबन्ध हो जाने से आस-पास के काफी क्षेत्र में सिंचाई हो सकती है। आपने इस योजना की लागत 390 लाख रुपया बताई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस योजना को कब तक पूरा करने की सरकार की योजना है यह योजना आयोग को कब भेजी है ?

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : इसके एस्टीमेट्स अभी चीफ इंजीनियर के पास जांच के लिए पड़े हुए हैं। वहां से क्लियर होने के बाद योजना आयोग को भेजी जावेगी। वहां से आते ही यथा शीघ्र कार्य प्रारम्भ कर दिया जावेगा ?

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अब तक चीफ इंजीनियर इसकी जांच करते रहेंगे ?

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : टैक्निकल जांच करने में समय लगता है। टैक्निकल जांच होने के बाद योजना आयोग और जल आयोग को भेजी जायेगी।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह पूछा है कि कब तक पूरी हो जावेगी ? इसको पूरा होने में कितना समय लगेगा जब कि मंत्री महोदय बता रहे हैं कि योजना आयोग से आने के बाद कार्य शुरू होगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बता दिया है। अगला प्रश्न।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि इस योजना का नाम क्या है ? दूसरा इसका सर्वे कब शुरू हुआ था और कब पूर्ण हुआ ?

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : इसका सरकारी नाम दुर्गाजी घाटी योजना है और लोकल नाम दूरसी घटा है। इस योजना का सर्वे 1979–80 में हुआ था।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अगला प्रश्न !

प्रश्न संख्या 93

श्री जीतमल जैन !

(अनुपस्थित कृपया आगे देखें)

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न मैं पूछ लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : अथोरिटी नहीं है आपके पास। श्री बुलाकीदास !

बीकानेर डेयरी में दूध से उत्पन्न वस्तुओं का उत्पादन

94. **श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर)**: क्या डेयरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर स्थित डेयरी के संयंत्रों में खराबी के कारण दूध से उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं का उत्पादन नहीं हो रहा है ?

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

(2) क्या यह सही है कि संयंत्रों से काम नहीं लेने के कारण उनमें जंग लग रहा है और वे खराब होते जा रहे है ? यदि हां, तो सरकार बीकानेर डेयरी में उत्पन्न की जाने वाली वस्तुओं के उत्पादन की व्यवस्था कब तक कर देगी ?

डेयरी विकास मन्त्री (श्रीमती कमला): (1) जी नहीं। दुग्ध पदार्थों का उत्पादन हो रहा है।

(2) जी नहीं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदया से कहना चाहूंगा कि राजस्थान में डेयरी विकास के लिए 2 करोड़ 40 लाख रुपया निर्धारित था किन्तु पिछली सरकार खर्च नहीं कर पाई, क्या बीकानेर और जोधपुर प्लान्ट हेतु पोलिथिन निर्माण के लिए इस राशि का उपयोग किया जायेगा ?

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अलग प्रश्न है। उन्होंने प्रश्न यह पूछा है कि संयंत्रों में खराबी के कारण दुग्ध से उत्पादित वस्तुओं का उत्पादन बन्द है ....

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : बीकानेर में केवल दूध और घी का उत्पादन होता है दूध से बने हुए अन्य उत्पादन जैसे कि मिल्क पाउडर वगैरह का आज तक उत्पादन नहीं हुआ है। चिलिंग प्लांट भी बन्द है और भी मशीनें बन्द हैं, इनको कब तक शुरू किया जायेगा ?

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, मैंने भाग (1) में निवेदन किया है कि आपकी यह सूचना गलत है। मैं आपको वर्षवार बता सकती हूँ कि बीकानेर डेयरी के किन-किन संयंत्रों से कितनी-कितनी चीजों का उत्पादन, कितनी-कितनी मात्रा में किस किस वर्ष में उत्पादन हुआ है।

(व्यवधान)

श्री बाऊदयाल जोशी : इस डेयरी की मक्खन उत्पादन की कितनी क्षमता है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, मैंने आपको इजाजत नहीं दी है। नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री गोविन्दसिंह (नसीराबाद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में जो दुग्ध सहकारी उत्पादक समितियां या दुग्ध सहकारी उत्पादक मण्डल है ; ये निर्वाचित प्रतिनिधि....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है माननीय सदस्य। श्री रामसिंह !

श्री रामसिंह बिश्नोई(लूणी) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदया से यह पूछना चाहूंगा कि दूध बेचने से फेडरेशन को ज्यादा लाभ होता है या दूध से उत्पादित वस्तुओं को बेचने से अधिक लाभ होता है ?

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न पूछा गया है वह बीकानेर डेयरी के बारे में है जब कि माननीय सदस्य जनरल प्रश्न पूछ रहे हैं ....

श्री रामसिंह विश्नोई : जनरल प्रश्न नहीं है। बीकानेर के अन्दर अगर कोई दूध की चीजें बनती हैं जैसे कि रसगुल्ला है, रसमलाई हैं, वहां जो उद्योग चलाने वाले हैं वे डेयरी वालों से मिले हुए हैं। वे नहीं चाहते कि डेयरी वाले ये चीजें बनायें। इसीलिए सही स्थिति बताते नहीं है कि दूध बेचने से फायदा है या दूध से बनी चीजें बेचने से अधिक फायदा है। अगर दूध से बनी वस्तुओं को बनाने से फायदा है तो क्यों नहीं बनाई जाती हैं ?

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने शायद प्रश्न को पूरा पढ़ा नहीं है। माननीय सदस्य ने प्रश्न के भाग (1) में यह पूछा है कि बीकानेर डेयरी के संयंत्रों के खराब पड़े होने की वजह से दूध से उत्पादित दूसरी वस्तुयें नहीं बनती हैं। मैंने उत्तर दिया है कि यह सही नहीं है। अगर आप चाहें तो मैं पढ़कर सुना दूं....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय मंत्री महोदय, कृपया स्थान ग्रहण करें। उनका सवाल इसी से सम्बन्धित है, सवाल बीकानेर से ही सम्बन्धित है, उनका कहना यह है कि केवल दूध बेचने से ही अधिक लाभ होता है अथवा दूध से बनी हुई वस्तुएं, जैसी चीज, मक्खन, पाउडर है, ये सब फूड हैं, इनको बनाने से अधिक फायदा होता है।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बीकानेर डेयरी का जनरल प्रश्न है। सीधी बात यह है कि जो दूध पीने योग्य होता है उससे दूसरी चीजें नहीं बनाई जाती है। अगर मक्खन बनाना होता है तो दूध में कुछ पर्सेन्ट फैट छोड़कर उसका मक्खन बनाया जाता है। बाकी मक्खन बनाने के लिए दूध की मात्रा की कमी नहीं की जाती है। जो चीज पाउडर वगैरह बनाया जाता है वह उस दूध का बनाया जाता है जिसमें खटास आ जाती है। किसी कारण से किसी खराबी की वजह से कुछ परसेन्ट दूध ऐसा होता है कि देरी से आने के कारण खट्टा हो जाता है, उससे ये चीजें बनाई जाती है। जो दूध बीकानेर में सप्लाई होता है उसमें नुकसान नहीं होता।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जिनको इसकी जानकारी है वे ही माननीय सदस्य पूछें तो इससे कुछ लाभ होगा।

श्री रामसिंह विश्नोई !

श्री रामसिंह विश्नोई : मेरे प्रश्न का आप जवाब नहीं दे रही हैं। मैं अध्यक्ष महोदय, फिर से पूछता हूं कि दूध जो बीकानेर में होता है, मान लीजिए कि पचास हजार लीटर दूध इकट्ठा होता है और वहां पर खपत केवल बीस हजार लीटर की है, तो बाकी जो तीस हजार लीटर दूध बचता है उससे दूध उत्पादक वस्तुएं नहीं बनाकर उस दूध को दिल्ली भेजते हैं उसको लाने ले जाने के अन्दर खर्चा होता है, दूध खराब भी होता होता है। उससे जो नुकसान होता है उसको निकालने के बाद आपको क्या फायदा होता है? दूसरी चीजें हैं जैसे रसगुल्ले हैं, रसमलाई हैं या दूसरी प्रकार की चीजें हैं उनको बीकानेर के अन्दर बनाने से कितना फायदा होता है ? यह मैं पूछना चाहता हूं। मन्त्री महोदया इसका स्पष्ट उत्तर दें।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्षजी,

(श्रीमती कमला)

भेजने के बीच में दूध खराब नहीं होता है क्योंकि उसको तो हम ठण्डा करके ही भेजते हैं....

श्री अध्यक्ष : श्री दाऊ दयाल जोशी ।

श्री दाऊ दयाल जोशी (दीगोद): अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि बीकानेर डेयरी में 1979-80 में कितना उत्पादित हुआ और उसकी उत्पादन क्षमता कितनी है ? दूसरा मेरा प्रश्न है कि क्या यह सही है कि....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री रामसिंह विश्नोई : मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया, माननीय अध्यक्ष महोदय ।

श्री दाऊ दयाल जोशी : मेरे प्रश्न का जवाब ।

अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । उत्तर आने दीजिये ।

श्रीमती कमला : बीकानेर में जो डेयरी लगी हुई है उसकी प्रतिदिन क्षमता 1 लाख लीटर दूध की है ।

श्री दाऊ दयाल जोशी : मैं मक्खन की क्षमता पूछ रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : दूध में से ही मक्खन निकलता है । ज्यादा पूरक प्रश्न नहीं पूछे जायेंगे ।

श्रीमती कमला : मैं आपको निवेदन कर दूं कि 20 टन की क्षमता 1977-78 में थी । 1978-79 में 67 टन रही और 1979-80 में 78 टन रही ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं एक प्रश्न पूछने की अनुमति मांग रही हूं, अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : आपने प्रश्न पूछ लिया ।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से स्पष्ट करना चाहता हूं कि बीकानेर में जितने दूध का उत्पादन होता है या जो काश्तकार लेकर आते हैं मान लीजिये 50 हजार लीटर दूध होता है, उसमें से 20 हजार लीटर की मान लीजिये बीकानेर के लोगों की खपत है, तो बाकी जो दूध बचता है, उसका पाउडर बनाते हैं या मक्खन बनाते हैं या उसकी क्या चीज बनाते है? दूध से बनी चीजों से फायदा है या दूध बेचने से फायदा है ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं पूछना चाहूंगी, अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में जो घी के उत्पादन की क्षमता कम हुई है उसके क्या कारण है घी उपलब्ध नहीं हो रहा है उसके क्या कारण हैं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसका इस प्रश्न से कोई ताल्लुक नहीं है ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, घी दूध से सम्बन्धित है । घी क्यों नहीं मिल रहा है, यह बताने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! इससे संबंधित नहीं है ।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) : अध्यक्ष महोदय, बीकानेर में जितने दूध की खपत होती है उसके अलावा जो दिल्ली दूध भेजा जाता है वह दिल्ली भेजना बंद कर दिया जाय क्योंकि वहां से पूरा पैसा मिलता नहीं है । इस कारण दूध उत्पादकों

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

को पूरा पैसा दे नहीं सकते। तो क्या यह प्रोफिटेबल नहीं है कि उस दूध से रसगुल्ले; चीज या पाउडर बना कर भेजा जाय? वह ज्यादा प्रोफिटेबल हो सकता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब ज्यादा नहीं, आर्डर प्लीज! इसका उत्तर आने दीजिये।

श्रीमती कमला: अध्यक्ष महोदय, रेट्स के हिसाब से देखा गया है, दिल्ली दूध भेजने से डेयरी को ज्यादा फायदा बताया गया है और आप कह रहे हैं कि दूध वहां भेजा नहीं जाय तो यह तो भारत सरकार को और हमें भी देखना होगा। काफी अर्से से भेजा जाता रहा है। फिर दूध की आवश्यकता ह्यूमन बींग्स के न्यूट्रीशन के लिये मानी गई है, उसको बन्द कर सकते हैं या नहीं, यह भी सोचना होता है किसानों को फायदे के लिये, भारत सरकार को अब तक हम दूध देते रहे हैं, दिल्ली दूध डेयरी को, उसको बन्द करने के बारे में सारी बातों को सोच कर तय किया जा सकेगा। अभी जो आंकड़े रखे हैं उसके हिसाब से दिल्ली दूध भेजने में ही डेयरी को फायदा बताया गया है।

श्री रामसिंह विश्नोई: अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न....

श्री अध्यक्ष: उन्होंने उत्तर दे दिया है।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। स्थान ग्रहण कीजिये। आसन पैरों पर है।

माननीय मंत्री महोदय ने यह कह दिया है, फिर आपका बार-बार पूछना कि दूध जा कर बेचने में फायदा है अथवा रसगुल्ले बनाने से फायदा है अथवा दूसरी चीज बनाने में फायदा है या किसमें फायदा है, इस विस्तृत प्रश्न का एकदम तो उत्तर दिया नहीं जा सकता, इसलिये माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि इस पर सोच समझ कर जांच करके उसके बाद में निर्णय लेंगे। इस दौरान आप लोग उनके पास जा सकते हैं। यह एक बहुत बड़ी शिकायत है। इस प्रश्न को यहां पर एकदम हल नहीं किया जा सकता।

(व्यवधान)

अगला प्रश्न। श्री भगवान दास शास्त्री!

श्री हरभजनलाल, स्वतंत्रता सेनानी का पेंशन प्रकरण

95. **श्री भगवानदास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम): क्या राजनैतिक (सामान्य प्रशासन विभाग) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि अजमेर क्षेत्र में श्री हरभजनलाल स्वतंत्रता सैनानी है? यदि हां, तो क्या उनकी पेंशन रोकी गई है?

(2) क्या यह सही है कि श्री हरभजन लाल स्वतंत्रता सैनानी को 1972 में ही तत्कालीन प्रधान मंत्री ने ताम्र पत्र दिया था? यदि हां, तो किस आधार पर?

(3) क्या यह सही है कि उनकी पेंशन रुके हुए 8 वर्ष का समय बीत गया है? यदि हां, तो पेंशन बन्द करने के क्या कारण हैं?

Page No.16

उप मंत्री, राजनैतिक (सामान्य प्रशासन) (श्री रामपाल उपाध्याय) : (1) 1972 में भारत सरकार ने श्री हरभजनलाल को स्वतंत्रता सेनानी मान कर पेंशन स्वीकृत की थी। जी हां।

(2) ताम्र पत्र पेंशन स्वीकृति के आधार पर भारत सरकार द्वारा वर्ष 1972 में नहीं वरन 1973 में दिया गया था।

(3) जी नहीं, श्री हरभजनलाल की पेंशन रुके हुए करीब 5 वर्ष 6 माह हुए है। इनकी पेंशन इनके विरुद्ध प्राप्त शिकायत पर पुलिस अधीक्षक, अजमेर द्वारा की गई जांच रिपोर्ट के आधार पर जिलाधीश अजमेर द्वारा बन्द की गई है।

श्री भगवानदास शास्त्री : जिलाधीश व पुलिस अधीक्षक, अजमेर ने उनके बारे में क्या रिपोर्ट दी है जिसके आधार पर पेन्शन बंद की गई ?

श्री रामपाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय मैं उस रिपोर्ट का सारा विवरण देना तो जनहित में उचित नहीं समझूंगा, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब श्री हरभजनलाल पंजाब में रहे थे तो उनकी गतिविधियां राष्ट्रविरोधी थी। राष्ट्र विरोधी गतिविधियां होने के कारण संपूर्ण जांच की गई। उस जांच के जो निष्कर्ष निकले हैं उसके आधार पर उनको पेन्शन अस्वीकृत हुई है। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पेन्शन स्वीकार की जाती है भारत सरकार द्वारा, उसमें यह दर्शाया जाता है कि अगर आवश्यकता हुई और किसी प्रकार की संभावना हुई तो पेन्शन को बन्द भी की जा सकती है।

इस निर्देश के आधार पर जिलाधीश अजमेर और एस. पी., अजमेर की रिपोर्ट के आधार पर पेन्शन बन्द की गई है।

श्री भगवानदास शास्त्री : क्या यह सही है कि ताम्रपत्र देने के बाद भी प्रति वर्ष सी. आई. डी. के द्वारा इनकी इन्क्वायरी होती रही ? वह कौन-कौन सी इन्क्वायरी हुई, इसका आप उत्तर दें ?

श्री रामपाल उपाध्याय : कौन-कौन सी इन्क्वायरी हुई, यह अलग से प्रश्न है, ताम्रपत्र देने के समय उनके चरित्र का पता नहीं था। पंजाब जो पाकिस्तान में है, के क्षेत्र में उनका चरित्र संदेहास्पद होने के बाद में रिपोर्ट सामने आई, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य भी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि पेन्शन तत्काल बन्द कर दी जाय।

श्री भगवान दास शास्त्री : वह पंजाब गये ही नहीं हैं, पंजाब में रहे नहीं हैं। उनकी 90 वर्ष की आयु है। जो रिपोर्ट आपके पास आई है वह बिल्कुल गलत है। बात यह है कि उनका ब्याही-सम्बन्धियों का झगड़ा है उनकी बेटी वहां ब्याही गई थी उसको अपने पास रखा....

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : जब आपके पास इन्क्वायरी रिपोर्ट आई, तो क्या आपने सम्बन्धित व्यक्तियों को भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया ?

श्री रामपाल उपाध्याय : जिलाधीश और पुलिस अधीक्षक, अजमेर ने इस बारे में विस्तार से छानबीन की है। पाकिस्तान गवर्नमेन्ट से भी इस बारे में जानकारी की गई। और भी कई स्रोतों से पता किया गया है। साथ ही मैं निवेदन कर दूं कि मैं सदन के सामने तथ्यों को उजागर नहीं करना चाहता था, लेकिन माननीय प्रश्न-

(श्री रामपाल उपाध्याय)

कर्ता महोदय कह रहे हैं तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सज्जन हरभजन लालजी आर. एस. एस. के सक्रिय कार्य कर्ता थे। कांग्रेस कर्मियों और राष्ट्र के अहित में आम जनता के सामने कहा है। मैं विस्तार से इस बारे में प्रकाश नहीं डालना चाहूंगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा): इस प्रकार की जो इन्क्वायरी की है वह गलत है। दुबारा इन्क्वायरी होनी चाहिये। क्या आरोप पत्र है ? इस आरोप पत्र के आधार पर क्या पेन्शन बन्द कर दी जायेगी ?

श्री भगवान दास शास्त्री : क्या यह सही है कि वहां के कांग्रेसजनों के दवाब से इसकी पेन्शन बन्द की गई ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री भगवान दास शास्त्री : यह तो आपका ही मेम्बर है इसको आर. एस. एस. का कह कर टालना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! यह विवाद का विषय नहीं है।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। आसन पैरों पर हैं।

(व्यवधान)

श्री अहमद बक्श सिन्धी (जोधपुर) आर. एस. एस. को सपोर्ट करने वाले देशद्रोही हैं।

(व्यवधान)

इन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की है। इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है।

श्री दिनेश राय डांगी : अध्यक्ष महोदय मैं आपको मार्फत विपक्ष के नेता महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इन्होंने अपने 28 महीने के शासन काल में इस केस का क्यों नहीं निपटाया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, इतना गुस्से में आना आवश्यक नहीं है। यह पेन्शन आठ साल पहले बन्द हुई थी। कृपया स्थान ग्रहण करें। इस अवधि में कई सरकारें आ गई हैं। इसलिए इस मामले को लेकर इतना गुस्सा करना उचित नहीं है। कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री दिनेश राय डांगी : यहां पर भूतपूर्व मुख्य मंत्री बैठे हैं अगर यह वाजिब केस है तो इन्होंने पेन्शन क्यों नहीं दी ?

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) : अध्यक्ष महोदय, ये सदन का समय खराब कर रहे हैं। इनको ताड़ना दी जाए।

(व्यवधान)

श्री दिनेश राय डांगी : ऐसे हाउस का कार्य कैसे होगा ? इनको सदन से बाहर भेजा जाए।

(व्यवधान)

Page No.18

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें।

आर्डर प्लीज !

प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप यह बतायेंगे कि जो देशद्रोही थे या राष्ट्रद्रोही थे, उनको पहले कांग्रेस के लोगों ने फायदा दिया ? आप लोग यह बात कहते हैं कि यह देशद्रोही थे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री अहमद बक्श सिंधी : आर० एस० एस० वालों ने गांधी जी की हत्या की।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक स्पष्टीकरण के लिए पूछना चाहता हूं। मैं प्रश्न का उत्तर समझ नहीं सका, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति की पेन्शन बन्द की गई, बन्द होने का कारण देशद्रोह या राष्ट्रद्रोह था। सरकार द्वारा जो जांच हुई है उसमें इस बात का उल्लेख है कि आर० एस० एस० में भाग लिया, इसलिये उसने राष्ट्रद्रोह का काम किया ? इसका स्पष्टीकरण करें।

श्री भैरूलाल भारद्वाज : एक व्यवस्था का प्रश्न है, माननीय अध्यक्ष जी।

श्री अध्यक्ष : कृपया शांत रहें। प्रश्न काल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता।

श्री रामपाल उपाध्याय : विरोधी दल के नेता ने जो स्पष्टीकरण चाहा है मेरा निवेदन है कि पहले वाले प्रश्न के उत्तर में जैसा मैंने निवेदन किया, इसके दो कारण हो सकते हैं। कारण उस समय में बताना भूल गया। पहला कारण यह है कि पेन्शन उस व्यक्ति को मिलती है जिसको 5 हजार रुपये साल से कम आमदनी हो। रिपोर्ट से ऐसा ज्ञात हुआ है कि वह सम्मिलित परिवार में रहता है। उसके दो लड़के और लड़के को बहु तीनों की कुल मिला कर आमदनी 12 सौ रुपये आंक कर उस व्यक्ति की पेन्शन बन्द की।

नम्बर दो, मैं समझता हूं पहले वाले मामले में माननीय सदस्य कह रहे हैं, मेरी मंशा ऐसी नहीं थी। मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अन्दर इस प्रकार की बात कहीं कही गई है कि उस समय में इस प्रकार ऐन्टीनेशनल एक्टीविटीज का शक माना गया था। इस प्रकार की बात है, आप इसको अन्यथा न लें। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो मूल प्रश्न है वह है सम्मिलित परिवार को आमदनी ज्यादा है, दूसरी बात गौण है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : दूसरी बात गौण नहीं है। मैं एक सवाल करना चाहता हूं। प्रश्न का उत्तर देते हुए माननीय मंत्री महोदय, ने कहा था कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियां, राष्ट्रद्रोही एक्टीविटीज के कारण....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें। आपस में वाद-विवाद न करें। एक माननीय सदस्य बोल रहे हैं, उन्हें बोलने दीजिये।

Page No.19

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : एक माननीय सदस्य प्रश्न पूछें और पीछे से 20 खड़े होकर हल्ला करने की कोशिश करें, यह गलत परम्परा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री भैरोंसिह शेखावत : जांच रिपोर्ट का उल्लेख किया गया है, उससे भ्रान्ति हो रही है कि उसके राष्ट्रद्रोही होने के कारण पेन्शन बन्द की गई। जहां तक यह प्रश्न है जो व्यक्ति राष्ट्रद्रोही एक्टीविटीज में भाग लेता है, मेरी मान्यता है कि उसको किसी प्रकार के पेन्शन नहीं मिलनी चाहिए। मैं एक स्पष्टीकरण चाहूंगा कि क्या आर०एस० एस० में भाग लेना ही राष्ट्रद्रोही कार्यवाही मानी गयी है ?

श्री अहमद बक्ष सिंधी : यह बिल्कुल सही है, गांधी जी के हत्यारे राष्ट्रद्रोही हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय को बोलने दें।

श्री रामपाल उपाध्याय : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय विरोधी पक्ष के नेता महोदय के सवाल का उत्तर बहुत स्पष्ट रूप से निवेदन किया है। आमदनी के कारण उसकी पेन्शन बन्द हुई, व्यक्तिगत जो शंका थी केवल यह कारण नहीं था।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय....

(व्यवधान)

मैं, अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि स्वतन्त्रता सेनानी को पेन्शन 8 वर्ष पहले बन्द की गई थी। बीच में जनता पार्टी की सरकार आई। जो माननीय सदस्य आर० एस० एस० के नाम पर चिल्लाते हैं और नाराज होते हैं, आर० एस० एस० की सरकार बीच में आई थी, उसने वापस उसको पेन्शन क्यों नहीं दी ? इसका मतलब.......

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं अवसर दूंगा, लेकिन प्रश्न का उत्तर देने दीजिये।

श्री रामपाल उपाध्याय : माननीय सदस्य, आप प्रश्न फिर से कहें।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : श्री हरभजन लाल, जो स्वतन्त्रता सेनानी है, को 8 वर्ष पहले पेन्शन देना बन्द कर दिया था। बीच में जनता पार्टी का शासन आया, जो आर० एस० एस० की हामी थी। जो यहां पर माननीय सदस्य बोल रहे हैं, जब उनका शासन आया, अगर वह इसे वाजिब मानते थे तो उसको पेन्शन फिर से क्यों नहीं दी गई ?

श्री अध्यक्ष : उत्तर आने दीजिये।

श्री रामपाल उपाध्याय : उसका जवाब माननीय भूतपूर्व मुख्य मंत्री दे सकते हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं केवल एक जानकारी देना चाहता हूं। कोई आवश्यक नहीं है कि सारी बातें सरकार के ध्यान में आयें। आज यह प्रश्न आया है, उससे पहले नहीं आया.......

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यह निवेदन करूं कि आज भी कई चीजें ऐसी हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे जनता पार्टी की सरकार हो, उसके नोटिस में नहीं आई, लेकिन माननीय सदस्य को इस अधिकार से वंचित नहीं कर सकते कि आज कोई बात नोटिस में आई तो वह इस प्रकार का प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री दिनेश राय डांगी : अध्यक्ष महोदय एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। आर्डर, आर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य श्री प्रद्युम्नसिंह !

(व्यवधान)

श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल) : यह जनसंघ वाले हमेशा से गलत बात कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य आपस में बातचीत नहीं करें।

श्री दिनेश राय डांगी : अध्यक्ष महोदय, एक सप्लीमेन्ट्री प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण है। पूछने की इजाजत दें मुझे।

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। श्री प्रद्युम्नसिंह !

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि जब उनकी पेन्शन बन्द की गई तो उन्होंने पिछले तीन साल में कोई रिप्रजेन्टेशन तो दिये होंगे और उनको सरकार ने टर्न डाउन [illegible]

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मन्त्री महोदय ने स्पष्ट उत्तर दे दिया।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, उनकी पेन्शन बन्द क्यों की गई ? उनकी क्या एक्टीविटीज ऐसी थी जिसके कारण उनकी पेन्शन बन्द की गयी ? मन्त्री महोदय यह बतायें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, कृपया शान्त रहें। माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है।

जब मन्त्री महोदय ने स्पष्ट उत्तर, जो भी देना था दे दिया। जो कुछ आर० एस० एस० के नाम से कहा गया है वह तो एक पासिंग रेफरेन्स में कहा।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, आर०एस०एस० वालों की गड़बड़ी होगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। प्रश्न काल समाप्त हुआ। माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। कृपया, माननीय सदस्य, बैठ जायें आसन पैरों पर है।

एक माननीय सदस्य : यह कैसे कहा कि देशद्रोही थे ?

श्री अध्यक्ष : कृपया शान्त रहें। आसन पैरों पर है कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री सूरजपालसिंह : आसन पैरों पर है, [illegible]

Page No.21

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, आर्डर प्लीज !

(व्यवधान)

माननीय सदस्य कृपया शान्त रहें। आर्डर प्लीज !

श्री सूरजपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह सदन है या आर०एस० एस० का अखाड़ा?

(व्यवधान)

श्री अहमद बक्श सिन्धी : अध्यक्ष महोदय, इनके ऐसे ही कारनामों के कारण तो इनको जनता द्वारा दुतकारा गया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष ; माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। भीनमाल से आने वाले माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें।

श्री सूरजपालसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन्होंने यहां पर आर. एस. एस. का अखाड़ा बना रखा था। यही कारण था कि जनता ने इनको सत्ता से 28 महीनों में ही उखाड़ फेंका।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, बहुत ही खेद के साथ कहना पड़ता है जिसने देश के लिये अपनी जिन्दगी होम कर दी उसको इस तरह से अपमानित किया जाय। यह कहां तक उचित है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। आर्डर प्लीज। इस प्रश्न को यहीं समाप्त किया जाता है। प्रश्न काल समाप्त होता है। जहां तक इस प्रश्न का संबंध है, जैसा कि मन्त्री महोदय ने पहले अपना उत्तर दिया था वह स्पष्ट ही पासिंग रेफरेन्स में कही गई है। अब पेन्शन बन्द की गई मैं समझता हूं कि अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है; और इसके सम्बन्ध में अगर माननीय सदस्य कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो सदन में और किसी प्रश्न के रूप में उठाया जा सकता है। नयी सरकार को बने हुए थोड़े ही दिन हुए हैं।

(व्यवधान)

थोड़ी माननीय सदस्य मेरी भी सुनें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप रिपोर्ट मंगाकर देख लें। क्या इसमें कोई आर. एस. एस. के नाम का कोई उल्लेख है ?

श्री अध्यक्ष : मैं रिपोर्ट मंगा कर देख लूंगा।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य कृपया शान्त रहें। प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

स्कूटर फैक्ट्री, अलवर

93. **श्री जीतमल जैन** (अलवर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) अलवर स्थित स्कूटर फैक्ट्री में 30 जून, 1980 तक कितना घाटा हो गया ?

Page No.22

(श्री जीतमल जैन)

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त फैक्ट्री को निजी उद्योग पतियों को बेचने का प्रयत्न किया गया है ?

(3) अगर हां, तो किन उद्योगपतियों से बातचीत हुई है ? विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) अलवर स्थित स्कूटर फैक्ट्री में 30 जून, 1980 तक लगभग 190 लाख रुपये की हानि का अनुमान है।

(2) सरकार द्वारा उक्त फैक्ट्री को निजी उद्योगपतियों को बेचने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया है।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

बाड़मेर जिले की गडरा रोड जैसिधर नलकूप-योजना

56. श्री अमीन खां (शिव) : क्या जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बाड़मेर जिले के गड़रारोड ग्राम में इस वक्त कितने नलकूप चालू है और कितने नलकूप नये तैयार किये जा रहे हैं और ये कब तक काम करने लगेंगे ?

(2) गडरारोड़-जैसिधर योजना कब स्वीकृत हुई थी और उस पर लाइन व होदियां कब बनकर तैयार हुए हैं ?

(3) जैसिधर योजना का कार्य प्रारम्भ होने में देरी का क्या कारण है और अब कब तक यह योजना शुरू हो जायेगी ?

उत्तर

(1) गडरा रोड़ ग्राम में इस समय एक नलकूप चालू है। यह नलकूप मार्च, 1980 में दो नये बनाये गये नलकूपों में से एक है। दूसरे नलकूप को भी रिडवलपमेंट कराकर चालू करने की कार्यवाही की जा रही है।

(2) जल योजना गडरारोड़-जैसिधर 1978 में स्वीकृत हुई थी। इस योजना की लाइनें एवं होदियां मार्च, 80 तक बन कर तैयार हो गई हैं।

(3) अभी गडरारोड (स्रोत ग्राम) में एक ही नलकूप चालू है जिससे गडरारोड ग्राम की जल आवश्यकताओं को पूर्ण किया जा रहा है। दूसरा नलकूप चालू होने के पश्चात् ही क्षेत्रीय योजना को चालू किया जाना सम्भव होगा। यह नलकूप शीघ्र ही चालू किया जा रहा है। जैसिधर योजना के अन्य सभी कार्य पूर्ण हो चुके हैं।

विभिन्न सड़क निर्माण कार्यों की स्वीकृति

58. श्री भालू खां (चूरू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) घंटेल से पोथीसर तक सड़क निर्माण की स्वीकृति कब तक दी जावेगी ?

(2) दूधवाखारा से रामपुरा सड़क निर्माण की स्वीकृति कब तक दी जावेगी ?

(3) दूधवाखारा रेलवे स्टेशन टमकोर सड़क निर्माण की स्वीकृति कब तक दी जावेगी ?

(श्री भालूखां)

(4) रतननगर से महणसर सड़क निर्माण की स्वीकृति कब तक दी जावेगी ?

(5) सैनाली से ढांढण सड़क निर्माण की स्वीकृति कब तक दी जावेगी ?

(6) सोमासी से झारिया सड़क निर्माण की स्वीकृति कब तक दी जावेगी ?

(7) चूरू से भामासी सड़क निर्माण की स्वीकृति कब तक दी जावेगी ?

(8) राणासर से चूरू को बीसाऊ सड़क से जोड़ने की स्वीकृति कब तक दी जावेगी ?

उत्तर

(1) घंटेल गांव से पीथीसर गांव सड़क की लम्बाई 10 कि० मी० है। इस सड़क का निकट भविष्य में बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(2) दूधवाखारा से रामपुरा सड़क वाया राजपुरा अकाल राहत कार्यों के दौरान समय-समय पर निर्मित होती रही हैं। इसकी लम्बाई 14 कि० मी० है। 6 कि० मी० लम्बाई में पिछले सालों में अकाल राहत मद से घांधला कुटाई का कार्य अधूरा हुआ है। निकट भविष्य में इसके बनाने का प्रस्ताव नहीं है।

(3) दूधवाखारा रेल्वे स्टेशन से टमकोर (झुंझुनू) सड़क की कुल लम्बाई लगभग 13 कि० मी० है। चूरू जिले में लगभग 10 कि० मी० एवं झुंझुनू जिले में लगभग 3 कि० मी० है। इस सड़क पर पिछले अकाल राहत कार्यों के तहत काम शुरू करवाया गया था। इस वर्ष भी पंचायतों के माध्यम से चूरू जिले में 3 कि० मी० लम्बाई में घांधला पत्थर बिछा दिया गया है। अभी इस सड़क को बनाना निकट भविष्य में संभव नहीं है।

(4) रतननगर से महणसर (झुंझुनू) सड़क की लम्बाई लगभग 8 कि० मी० है निकट भविष्य में इस सड़क को बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(5) सैनानी से ढांढण (सीकर) सड़क की लम्बाई लगभग 15 कि० मी० हैं। निकट भविष्य में इस सड़क को बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(6) सोमाती से झरिया सड़क की लम्बाई 5 कि० मी० है। इस सड़क का निकट भविष्य में बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(7) चूरू से भामासी वाया बंटिया सड़क की दूरी लगभग 15 कि० मी० है। चूरू से भामाती वाया बंटिया एलाईन्टमेन्ट पर स्तमिट्टी एवं घांधला पत्थर का कार्य 1969 के अकाल राहत कार्य में शुरू करवाया गया था। निकट भविष्य में गांवों की आबादी कम होने के कारण एवं सड़क बनाना संभव नहीं है।

(8) राणासर को चूरू बिसाऊ सड़क से जोड़ने के लिये 5 कि० मी० सड़क की आवश्यकता है। परन्तु राणासर की आबादी कम होने के कारण इस सड़क को बनाना अभी संभव नहीं है।

चूरू तहसील के गांवों को बिजली

59. श्री भालू खां (चूरू) :-क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री भालू खां)

चूरू तहसील के निम्नलिखित गांवों को कब तक बिजली दी जावेगी:–

1. शोदानपुरा
2. वासजेसेका
3. ढाणी लछमणसिंह
4. खींवासर
5. कोटवादताल
6. रामपुरा पट्टा झारिया
7. आसलखेरी
8. डाणी चांदेला
9. खंडवा
10. पोथीसर
11. बालरासर आथूणी
12. कुणसीसर
13. रिबिया
14. नाकरासर
15. जासासर
16. रायपुरिया
17. ढाढरिया बणीरोतान
18. डाढरिया चारणान
19. महाराणसर
20. दुधवामीठा
21. खारिया
22. रामपुरा बास जसरासर
23. गिनड़ी पट्टा लोहसरमा
24. भैरूसर
25. बीकासी
26. चारणावासी
27. करणीसर

उत्तर

ग्राम रामपुरा बास जसरासर जिसको इस वर्ष मरू विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्युतीकृत किया जा रहा है के अतिरिक्त कोई भी उल्लेखित ग्राम विद्युतीकरण के लिये किसी भी योजना में सम्मिलित नहीं है। अतः उनमें कब तक बिजली दी जा सकेगी अभी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।

तहसील चूरू के गांवों को पीने का पानी

60. श्री भालू खां (चूरू): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

चूरू तहसील के निम्नलिखित गांवों में पीने का पानी कब तक उपलब्ध कराये जाने की योजना है:—

1. कड़वासर
2. सहजूसर
3. झारिया
4. सीमासी
5. आसलखेरी
6. ढाणी चांदेला
7. रामपुरा पट्टा झारिया
8. बीकासी
9. चारणवासी
10. करणीसर
11. खंडवा
12. रिबिया
13. महारावलसर
14. रिड़खला
15. कोटवादताल
16. कोटवाद टीबा
17. कोटवाद नाथोतान
18. जोजी
19. चलकोई
20. खींवासर
21. भैरूसर
22. घमेरी
23. सैलानी छोटी
24. सैलानी बड़ी
25. मोलीसर बड़ा
26. सुरतपुरा

(जन स्वास्थ्य मंत्री)

उत्तर

चूरू तहसील के प्रश्नांकित गांवों में पेय जल की स्थिति निम्न प्रकार है:–

(1) ग्राम कड़वासर, सरजूसर व भारिया को परम्परागत स्रोत योजनाओं द्वारा पेयजल उपलब्ध हो रहा है। यह योजनायें पंचायतों द्वारा चलाई जा रही है।

(2) ग्राम सोमासी में वहां स्थित कुएं से योजना चालू की जाकर माह अप्रेल 80 से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

(3) क्रम संख्या 6 से 22 तक के गांवों को साहवा योजना पूर्ण होने पर जल उपलब्ध हो सकेगा। साहवा योजना का प्रथम चरण अभी प्रगति में है।

(4) ग्राम सैनाली बड़ी व छोटी में सन् 1980-81 के अन्त तक पेयजल उपलब्ध होने की सम्भावना है। इसी योजना में लिये गये ग्राम मोलीसर एवं सूरतपुरा हेतु अगले वर्ष बजट प्रावधान होने पर पेयजल उपलब्ध कराया जा सकेगा।

(5) आसलखेरो योजना को साहवा योजना से अभी जोड़ने का प्रस्ताव नहीं है।

साहवा जलप्रदाय योजना

61. श्री भालू खां (चूरू): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) साहवा जल प्रदाय योजना की लागत क्या है? यह कब चालू की गई और कब तक पूरा करने का कार्यक्रम था? इसमें देरी होने का क्या कारण है? इसके लिये कौन जिम्मेदार है?

(2) अब इसकी संशोधित लागत क्या है? यह योजना कब तक पूरी हो जावेगी।

(3) क्या इस योजना में चूरू व सरदार शहर तहसीलों के खारे पानी वाले गांवों को शामिल किया जावेगा?

(4) क्या यह सही है कि इस योजना की कार्यान्विति के लिए स्टाफ की कमी है?

उत्तर

(1) साहवा जल प्रदाय योजना के प्रथम चरण के स्वीकृत प्रथम भाग की लागत 212.79 लाख रुपये है। इस योजना का निर्माण कार्य वर्ष 1975-76 में प्रारम्भ किया गया। योजना के निर्माण में चाहे गये पाइपों का एवं अन्य सामग्री का समय पर उपलब्ध न होने के कारण योजना के निर्माण में देरी हुई है। जिसके लिए फर्म के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। योजना का कार्य 4–5 साल की अवधि में धन राशि एवं आवश्यक सामग्री की उपलब्धि पर पूर्ण किया जाना था।

(2) अभी योजना संशोधित नहीं की गई है, योजना का कार्य दिसम्बर, 1982 तक पूर्ण किये जाने की सम्भावना है।

(3) स्वीकृत परियोजना में चूरू व सरदारशहर के ग्रामों को शामिल नहीं किया गया है।

(4) जी नहीं।

तहसील शिव के गावों की सीमा सम्बन्धी विवाद

31. श्री अमीन खां (शिव): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या बाड़मेर जिले की तहसील शिव के ग्राम बन्दासर व राणासर की

(श्री अमीन खां)

सीमा सम्बन्धी कोई विवाद विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका निर्णय कब तक हो जायेगा।

(2) राणासर के जिन-जिन काश्तकारों की खातेदारी की भूमि बान्दासर के काश्तकार दबा कर बैठे हैं उन्हें कब तक हटा दिया जायगा ? इसमें विलम्ब का क्या कारण है ?

उत्तर

(1) जी हां, तहसील शिव के ग्राम बन्दासर एवं राणासर का सीमा संबंधी विवाद तहसीलदार, शिव के पास विचाराधीन है। दोनों ग्रामों की सरहद पर एक गांव की भूमि दूसरे गांव में ओवर-लैपिंग होती है। बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियों से शीघ्र पैमाईश कराके ओवर-लैपिंग के मामले पर निर्णय लिया जायगा।

(2) यह मामला दो गांवों में सीमा पर भूमि ओवर-लैपिंग का है। इसमें किसी गांव के खातेदारों द्वारा दूसरे ग्राम के खातेदारों की भूमि पर कब्जा करने का प्रश्न नहीं हैं। दोनों ग्रामों में पैमाईश करने के बाद सीमा सम्बन्धी मामला तय होने पर खातेदारान की भूमि पैमाईश अनुसार दोनों ग्रामों में से किसी ग्राम में पकड में आ जावेगी और तदनुसार निर्णय लिया जा सकेगा।

बाड़मेर जिले के थानों में दर्ज मुकदमों की संख्या

63. श्री अमीन खां (शिव) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बाड़मेर जिले के पुलिस थाना गिराब-गडरारोड़, रामसर, बिजड़ीभार, चौहटन, सेड़वा बारवासर और शिव में सन् 1972 से आज तक कुल कितने मुकदमें दर्ज हुये हैं ? थानावार आंकड़े बताने की कृपा करें।

(2) उक्त दर्ज मुकदमों में पाकिस्तान से आये शरणार्थियों की संख्या कितनी है और स्थानीय लोगों की कितनी ? थानावार पृथक्-पृथक् संख्या बताने की कृपा करें।

उत्तर

(1) सूची संलग्न हैं।

(2) सूची संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

अन्त्योदय योजना

64. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : क्या अन्त्योदय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत अन्त्योदय परिवारों का चयन कितने चरणों में किया गया और कब-कब तिथि सहित सूची सदन के पटल पर रखने का श्रम करें।

(2) अन्त्योदय परिवारों में चयनित परिवारों को जनता सरकार द्वारा क्या-क्या सुविधाएं दी गई ? पूर्ण जानकारी सदन के पटल पर रखने का श्रम करें।

(3) प्रदेश में अन्त्योदय परिवारों की कितनी संख्या है जिनको योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया जा सका है तथा शेष कितने चयनित परिवार हैं जिनको लाभान्वित करना है ? इनके बारे में सरकार का क्या विचार है ?

(अन्त्योदय मंत्री)

उत्तर

(1) अन्त्योदय योजनान्तर्गत परिवारों का चयन राज्य में दो चरणों में किया गया है। प्रथम चरण 2 अक्टूबर, 1977 से एवं द्वितीय 15 नवम्बर, 1978 को प्रारम्भ हुआ था।

(2) अन्त्योदय परिवारों को वृद्धावस्था पेन्शन कृषि भूमि आवंटन, नियोजन, विभिन्न स्वीकृत आइटमों के क्रय हेतु ऋण उपलब्ध करवा करके लाभान्वित किया गया है। इसके अलावा जो अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। उनकी सूची संलग्न की जा रही है।

(3) प्रदेश में दोनों चरणों में 2,75,-421 परिवार चयनित किये थे। जिनमें से 13491 परिवारों का चयन निरस्त कर दिया गया है। शेष 228288 परिवारों को दिनांक 31.5.80 तक लाभान्वित किया जा चुका है। अब शेष 33642 परिवारों को लाभान्वित किया जाना शेष है। शेष परिवारों को राज्य सरकार यथाशीघ्र लाभान्वित करने का विचार रखती है।

[सुविधाओं एवं विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें]

ग्राम बिजोवा जिला पाली में हुआ कत्ल का प्रकरण

65. श्री माधवसिंह दीवान (सोजत): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जनवरी, 80 के पहले हफ्ते में ग्राम बिजोवा जिला पाली में कुछ व्यक्तियों का कत्ल हुआ था? यदि हां, तो कब-कब व किस-किस का तथा इनकी क्या-क्या आयु थी? क्या इस बाबत कोई गिरफ्तारी हुई है? यदि हां, तो कृपया कातिलों की सूची पेश करें। क्या कोई व्यक्ति फरार भी है? यदि हां, तो उसे पकड़ने के लिये सरकार ने क्या-क्या कदम उठाये हैं।

(2) क्या यह भी सही है कि फरवरी, 80 में रानी में तथा मार्च, 80 में पाली में विशाल प्रदर्शन हुये तथा सरकार को ज्ञापन भी पेश किये गये? क्या ज्ञापन में चर्चित फरार मुल्जिम को कहीं से संरक्षण तो प्राप्त नहीं है?

(3) क्या सरकार मुल्जिम को जल्दी गिरफ्तार करने के लिये प्रयत्नशील है?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 3-1-80 को श्रीमती कुक्कू उम्र 70 वर्ष, श्रीमती एस्की उम्र 30 वर्ष, बालक पवनाराम उम्र 13 वर्ष, अमरराम उम्र 7 वर्ष, दरगा उम्र 5 वर्ष एवं ताखिया उम्र 3 वर्ष की हत्या की गई थी। अभियुक्त धन्नाराम, दरगाराम, पोयाराम को गिरफ्तार किया जा चुका है। अभियुक्त नारायणसिंह अभी फरार है, उसके पकड़ने हेतु नियमानुसार हर प्रयत्न किये जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा भी इसकी गिरफ्तारी हेतु 2000/- रुपया इनाम घोषित किया जा चुका है।

(2) जी हां। मुलजिम को किसी प्रकार के संरक्षण प्राप्त होने की जानकारी नहीं है।

(3) जी हां।

Page No.28

आयुर्वेद एवं चिकित्सा विभाग द्वारा गॉज व पी. ओ. पी. बेन्डेज की खरीद

66. श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान हैण्डलूम प्रोजेक्ट बोर्ड जयपुर द्वारा दिनांक 1 अप्रेल, 1978 से 31 मार्च, 1979 तथा 1 अप्रेल, 1979 से 31 मार्च 1980 तक चिकित्सा एवं आयुर्वेदिक विभाग को गाज बैण्डेज व पी. ओ. पी. बैण्डेज की कितने मूल्य की एवं कितनी मात्रा प्रदान की गई ?

(2) हैण्डलूम बोर्ड के पास गॉज बैण्डेज के उत्पादन के कार्य में कितने करघे लगे हुए हैं ? प्रति करघे की क्षमता प्रति दिन कितने मीटर है ?

Page No.29

(उद्योग मंत्री) उत्तर

(1) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का दिनांक 1–4–78 से 31–3–79 तक प्रदाय की गई सामग्री

साधारण बैण्डेज (दर्जनों में)		पी० ओ० पी० बैण्डेज (दर्जनों में)		गाज (मीटर में)		पैकिंग राशि (रुपयों में)
मात्रा	मूल्य (रु०)	मात्रा	मूल्य (रु०)	मात्रा	मूल्य (रु०)	
80901.5	740079.63	11973	188687.16	515025	535626	8512

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को 1–4–79 से 31–3–80 तक प्रदाय की गई सामग्री

70981	690504.88	15890	249418	387360	402854.40	12556

आयुर्वेदिक विभाग को 1–4–78 से 31–3–79 तक प्रदाय की गई सामग्री

कुछ नहीं इस अवधि में कोई माल प्रदाय नहीं किया गया —

आयुर्वेदिक विभाग को 1–4–79 से 31–3–80 तक प्रदाय की गई सामग्री

13739	123186.99	—	—	—	—	1875

(2) वर्तमान में 624 करघों पर बैन्डेज गाज का उत्पादन किया जाता है। प्रति करघा क्षमता 40–50 मीटर प्रतिदिन है।

जालोर जिले की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

67. श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जालौर जिले की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना सायला की वर्ष 1979-80 की योजना रिपोर्ट में ग्राम पोसाणां (नं. 4), उनडी (नं. 5), विशाला (नं. 6), मांडकुणा (नं. 7), देताखुर्द (नं.8), देताकला (नं. 9), पुनराउ (न. 10) कोमता (न. 11) सम्मिलित है ?

(2) क्या यह भी सही है कि आर.ई. सी. सायला का ही ग्राम बाकरा का स्कीम रिपोर्ट में नं. 39 है ? क्या यह भी सही है कि योजना रिपोर्ट में अंकित प्राथमिकता के विपरीत पहले बाकरा ग्राम के विद्युतीकरण का कार्य शुरू किया गया है ? अगर हां तो क्यों ? क्या यह भी सही है कि बाकरा ग्राम के विद्युतीकरण हेतु जो सुझाव काम में लिया गया है यह योजना रिपोर्ट में उल्लिखित ग्रामों उनडी, विसाला, देता, कोमता, फीडर के नाम से उठाया गया और कोमरा फीडर का काम पोसाणा तक ही कर के अधूरा छोड़ दिया गया ? अगर हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां । जलदाय योजना के लिये बिजली की अधिक आवश्यकता थी इसलिये ग्राम बाकरा का उल्लेखित प्राथमिकता से हट कर पहले विद्युतिकरण किया गया है । इसके लिये 11 के०वी० की लाइन ग्राम उनडी बिसाला आदि के लिये खेचीं जा रही । कोमता 11 के०वी० फीडर से खेचीं गई है तथा कोमता फीडर का पोसाणा से आगे का कार्य रोका नहीं गया है बल्कि प्रगति पर है ।

जोधपुर डेयरी के संयन्त्र

68. श्री मानसिंह देवड़ा (सरदारपुरा) श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) :-क्या डेयरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर डेयरी में अप्रेल, 79 से मार्च, 80 की अवधि में 6.50 लिटर वसा रहित दुग्ध को कैसीन में परिवर्तित करने से संस्थान को 4.50 लाख रुपये का अतिरिक्त घाटा हुआ है जिसे बचाया जा सकता था ?

(2) क्या यह सही है कि अप्रेल, 79 से मार्च, 80 की अवधि में 50 लाख रुपये की लागत से बना मुख्य चूर्ण संयंत्र लगभग बन्द रहा ? क्या उपरोक्त अवधि में प्रोसेसिंग प्लांट एवं सम्बन्धित उपकरण भी प्रायः खराब एवं अस्त-व्यस्त स्थिति में रहे ।

(3) क्या यह सही है कि अप्रेल, 79 से मार्च, 80 की अवधि में केवल मात्र 70 टन चूर्ण तैयार किया गया जबकि पिछले वर्ष इतने समय में 250 टन से भी अधिक चूर्ण तैयार किया गया था ?

(4) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त अवधि में कल पूर्जों के अभाव में रेफ्रीजेशन संभाग प्रायः बन्द रहा और देख रेख के अभाव में मुख्य संभाग भी आमतौर पर बन्द रहे ?

उत्तर

(1) अप्रेल, 79 से मार्च, 80 तक की अवधि में 6.50 लाख लीटर वसा रहित दुग्ध को कैसीन में परिवर्तित किया गया । यह खट्टा दुग्ध, था जिसका किसी अन्य

(डेयरी विकास मन्त्री)

कार्य में उपयोग नहीं हो सकता था। अतः इसे फेंक देने के बजाय केसीन में परिवर्तित करके संभावित नुकसान को यथा सम्भव बचाया गया।

(2) इस अवधि में चूर्ण संयन्त्र पूर्ण रूप से बन्द नहीं रहा उक्त अवधि में सूखे की वजह से दूध का उत्पादन कम हुआ। दूध की मात्रा कम उपलब्ध होने के कारण पूर्ण-रूप से उपयोग नहीं हो सका। उक्त अवधि में प्रोसेसिंग प्लान्ट एवं सम्बन्धित उपकरण संतोषजनक रूप से कार्य करते रहे हैं।

(3) जी हां। अप्रेल, 79 से मार्च, 80 की अवधि में सूखे के कारण दूध वर्ष (1978-79) की अपेक्षा उत्पादन कम होने की वजह से डेयरी में कम प्राप्त हुआ व जोधपुर शहर में बेचने व दिल्ली भेजने के उपरान्त दूध की चूर्ण में परिवर्तित करने के लिए कम मात्रा बाकी बची। बाकी बचे दूध का ही चूर्ण बनाया जाता है जो बनाया गया।

(4) जी नहीं। इस अवधि में लगभग पूरे समय प्लान्ट चलता रहा।

ग्राम कागदीवाड़ा में वन विभाग की जमीन पर सार्वजनिक पार्क

69. श्रीमती उजला अरोड़ा : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) जयपुर में ब्रह्मपुरी के पास ग्राम कागदीवाड़ा में गढ़ा के पीछे ओदी में तीन तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई वन विभाग की कितनी जमीन खाली पड़ी है ?

(2) क्या यह सही है कि इस जमीन में ग्राम निवासियों ने नर्सरी लगवाने या एक सार्वजनिक पार्क बनवाने का बार-बार निवेदन किया है ? यदि हां, तो क्या सरकार यहां नर्सरी या पार्क की व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) ब्रह्मपुरी के निकट ग्राम कागदीवाड़ा में गढ़ी के पीछे तीन तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई लगभग 15 एकड़ भूमि वन विभाग के अधीन है, जो विभाग द्वारा विकास योजना के अन्तर्गत कायम किये गये क्लोजर में सम्मिलित है।

(2) जी हां। प्रस्ताव विचाराधीन है।

टोड़ारायसिंह कृषि उपज मण्डी

श्री चतुरभुज (टोडाराय सिंह) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

टोडारायसिंह कृषि मण्डी, मालपुरा मण्डी से अलग होने पर गत वर्ष का वित्तीय हिस्सा टोडारायसिंह को दे दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

जी नहीं। टोडारायसिंह मण्डी समिति की स्थापना दिनांक 11-2-1980 को ही हुई है तथा उसके बाद जब वह अपना नियमन कार्य प्रारम्भ करने में सक्षम हुई है तब से उसकी स्वयं की आय प्राप्त होने लगी है। उसके पूर्व की एकत्रित मण्डी शुल्क की आय रुपये 95,735-00 कृषि उपज मण्डी समिति मालपुरा द्वारा इस मण्डी समिति को स्थानान्तरित करने के आदेश दिनांक 17-4-80 को जारी कर दिये गये हैं।

Page No.32

बाड़मेर जिले के विस्थापितों हेतु आवासीय शिविर

71. श्री अमीन खां (शिव): क्या पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) बाड़मेर जिले में सन् 1971 के भारत–पाक युद्ध के समय कितने परिवार पाकिस्तान से आकर शिविरों में बसे हैं? तहसील व पंचायत वार संख्या बताने की कृपा करें।

(2) पाकिस्तान से आए शरणार्थियों में से कितने परिवारों को सरकार अब तक बाड़मेर जिले में कृषि भूमि आवंटित कर चुकी है? पंचायतवार आंकड़े बताने की कृपा करें।

(3) जिन शरणार्थियों को अभी तक जमीन नहीं मिली है क्या उन सबको जबरन बाड़मेर में ही बसाया जायगा या अन्य जिलों में भी भेजा जायगा? यदि हां, तो कब तक?

(4) क्या यह सही है कि सन् 1965 से आज तक पाकिस्तान से जो शरणार्थी आये हैं, उन सबको केवल बाड़मेर जिले में ही बसाया गया है? यदि हां, तो ऐसा करना क्या इस जिले की जनता के साथ अन्याय नहीं है? राज्य सरकार अब इस बारे में क्या निर्णय लेना उचित समझती है?

उत्तर

(1) 11099 विस्थापित परिवार पाकिस्तान से आकर बसे थे। ग्रामवार सूची संलग्न है।

(2) 4163 परिवारों को बाड़मेर में कृषि भूमि आवंटन की जा चुकी है। पंचायत समितिवार आंकड़े नीचे दिये जा रहे हैं–

बाड़मेर	420 परिवार
शिव	1901 ,,
चोहटन	1842 ,,
योग····	4163

(3) जी नहीं, परिवारों को उनके विकल्प पत्र के आधार पर ही जिला बाड़मेर, जैसलमेर व जालोर में बसाये जा रहे हैं।

(4) जी नहीं, जालोर व जैसलमेर में भी बसाये गये हैं एवं बसाये जा रहे हैं। जबरन का प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

काम के बदले अनाज योजना में हुई अनियमितताएं

72. श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली): क्या राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) प्रान्त में काम के बदले अनाज योजना पर अब तक कितना अनाज व कितनी राशि नकद व्यय की जा चुकी है? इसके बदले में कितनी राशि का कार्य हुआ?

(2) सवाई माधोपुर जिले में इस योजना के अन्तर्गत किन-किन क्षेत्रों में किन-किन कार्यों पर कितना-कितना अनाज व राशि व्यय हुई है?

(3) क्या यह भी सही है कि इस कार्य में बड़े पैमाने पर बिना कार्य कराये अनाज और धनराशि उठायी गयी है?

(4) क्या करौली क्षेत्र में भी ऐसा हुआ है? यदि हां, तो कौन-कौनसी पंचायत

(श्री जनार्दनसिंह गेहलोत)

समितियों में ? ऐसी अनियमितताओं से सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिलाधीशों से सूचना प्राप्त की जा रही है। प्राप्ति पर उपलब्ध करा दी जाएगी।

(2) सवाईमाधोपुर जिले में इस योजना के तहत 11 पंचायत समितियों के 4793 कार्यों पर करीब 11.500 मै० टन अनाज व करीब 50-51 लाख रुपया व्यय हुआ है। पूर्ण मानचित्र परिशिष्ट 'क' पर उपलब्ध है।

(3) जी नहीं। यह सही नहीं है जिला प्रशासन के ध्यान मे ऐसा कोई मामला नहीं लाया गया है। जिससे बिना काम कराये अनाज व धनराशि उठाली गई हो।

(4) जी नहीं। ऐसा कोई मामला जिला प्रशासन के ध्यान में नहीं आया है कि बिना कार्य कराये अनाज व धनराशि उठा ली गई हो।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

पाली जिले में डेयरी विकास हेतु योजना

73. श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

पाली जिले में डेयरी विकास हेतु क्या कोई योजना विचारणीय है? यदि हां, तो इस संदर्भ में क्या सोजत क्षेत्र के विकास सोजत रोड में कोई दुग्ध अवशीतन संयन्त्र खोलने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक इसे कार्यरूप दे दिया जायेगा?

उत्तर

पाली जिले में डेयरी विकास योजना चल रही है, सोजत क्षेत्र के गांवों से दूध संकलन कर पाली अवशीतन केन्द्र पर लाया जा रहा है, अभी सोजत रोड में कोई दूध अवशीतन संयंत्र बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

नई व्यवहारिक शिक्षा नीति

74. श्री भैरूलाल भारद्वाज (जमवा रामगढ़) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: -

(1) राजस्थान में प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय शिक्षा के विभिन्न चरणों में कितने-कितने छात्र एवं अध्यापक क्रमश: अध्ययन एवं अध्यापन कार्य में जुटे हुए हैं ? शिक्षा बजट की कितनी-कितनी राशि इन चरणों पर अलग-अलग व्यय की जा रही है ?

(2) प्रति अध्यापक छात्रों का अनुपात और विभिन्न चरणों में प्रत्येक छात्र पर कितनी-कितनी राशि व्यय की जा रही है।

(3) क्या प्राथमिक शिक्षा जो शिक्षा जगत का सबसे महत्त्वपूर्ण प्रारंभिक सोपान है, के प्रति सरकार के उदासीन रवैयें के कारण सम्पूर्ण शिक्षा क्षेत्र में रिक्तता, अक्षमता तथा गिरावट आई है ? यदि हां, तो शिक्षा व्यवस्था के बने हुए इस उल्टे पिरामिड को तोड़ कर क्या कोई अच्छी नई व्यवहारिक शिक्षा योजना बनाने का सरकार का विचार है ?

(शिक्षा मंत्री)

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) सूची संलग्न है।

(3) राज्य सरकार प्राथमिक शिक्षा के प्रति उदासीन नहीं है। उसका यह निरन्तर प्रयास होगा कि सुदूरवर्ती स्थानों में भी प्राथमिक शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध हों तथा प्राथमिक शिक्षा सार्वजनिक व समाज की आशा के अनुरूप हो।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–7 देखें)।

तहसील डेगाना में स्वीकृत राहत कार्य

75. श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना): क्या अकाल राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वर्ष 1979–80 व 80–81 में तहसील डेगाना जिला नागौर में अकाल सहायता के अन्तर्गत कुल कितने कार्य किस-किस प्रकार के, किन-किन तरीखों को सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) डेगाना तहसील में अतिवृष्टि से हुए नुकसान के तहत किन-किन सड़कों को सुधारने के लिए कितनी धनराशि की स्वीकृति दी गई? इन सड़कों के सुधार कार्य की क्या प्रगति है तथा कार्य कब तक पूरा कर दिया जावेगा?

(3) डेगाना जं० से डेगाना गांव भेरून्दा सेक्टर सड़क पर कितनी धनराशि की स्वीकृति कब दी गई व कितना कार्य इस पर किया गया एवं कब तक कार्य पूरा हो जावेगा?

उत्तर

(1) वर्ष 1979–80 व 80–81 में तहसील डेगाना जिला, नागौर में स्वीकृत किये गये कार्यों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) डेगाना तहसील में अतिवृष्टि से हुए नुकसान के तहत निम्न सड़कों को सुधारने के लिए उनके सामने अंकित धनराशि की स्वीकृति दी गई?

क्र.सं.	कार्य का विवरण	स्वीकृत राशि (लाखों में) 79–80	80–81
1.	भेरून्दा से हरसौर सड़क	1.00	—
2.	डेगाना से हरसौर सड़क	1.00	—
3.	डेगाना से भेरून्दा सड़क	2.00	—

उपरोक्त कार्यों में डेगाना से हरसौर सड़क का कार्य दस कि० मी० (जावा रिवर) में पुलियों का कार्य प्रस्तावित सड़क निर्माण कार्य करीब-करीब पूरा हो चुका है डामर का कार्य प्रगति पर है।

भेरून्दा से हरसौर सड़क— कि० मी० 27 में पुलियों को नीवों की चुनाई का कार्य करीब-करीब पूरा हो चुका है एवं अन्य कार्य प्रगति पर है। चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक पूरा हो जावेगा।

डेगाना से भेरून्दा सड़क— सड़क के कार्य का ठेका ठेकेदार को दिया जाकर तीनसौ डामर के ढोल बुक किये गये

Page No.35

(अकाल राहत मंत्री)

हैं। ठेकेदार कार्य शीघ्र शुरू कर देगा। कार्य चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक पूर्ण हो जावेगा।

(3) डेगाना गांव मैरून्दा सैक्टर सड़क के लिये अतिवृष्टि के अन्तर्गत सुधार हेतु दो लाख रुपये की स्वीकृति दी गई थी इसकी स्वीकृति दि० 12-3-80 को हुई। पूर्ण स्थिति के भाग-2 के उत्तर क्रमांक (3) में अंकित की जा चुकी है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

ग्राम बडोडा (जैसलमेर) के लिए बस सेवा प्रारम्भ करना

76. श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बडोडा गांव जैसलमेर, पोकरण-जैसलमेर मुख्य मार्ग का सबसे बड़ा गांव है और मुख्य सड़क से केवल 7 किलो मीटर की दूरी पर है जिसमें माध्यमिक शाला भी है ?

(2) क्या यह सही है कि इतना बड़ा गांव होते हुए भी राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की कोई बस इस गांव में नहीं जाती है जबकि डामर की सड़क भी बनी हुई है ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस संदर्भ में पूर्व में भी मांग की गयी थी एवं सर्वे दल भी भेजा गया था ? अगर हां, तो उसकी रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी जावे।

(4) इस गांव तक निगम की बस अब तक शुरू कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। बडोडा गांव पोकरण-जैसलमेर राष्ट्रीयकृत मार्ग से 8 कि०मी० अन्दर की तरफ है जो कि राष्ट्रीयकृत नहीं हैं। जी हां इस गांव में माध्यमिक शाला है।

(2) जी हां। उक्त गांव तक 7 किलोमीटर पक्का व 1 किलोमीटर कच्चा होने की वजह से व उक्त गांव तक जैसलमेर से निजी वाहनों चलने के कारण निगम वाहनों को पर्याप्त यात्रीभार मिलने सम्भावना नहीं हैं। साथ ही यदि उक्त गांव होकर निगम वाहन चलाई जावे तो जैसलमेर जाने वाले सीधे यात्रियों को 16 किलोमीटर का 1-20 पैसा अधिक किराया राशि वहन करनी पड़ेगी जो उचित नहीं हैं।

(3) जी हां, निगम द्वारा इस मार्ग का सर्वे कराया गया, सर्वे की प्रति सदन की पटल पर रखदी गई हैं।

(4) इस सम्बन्ध में उक्त गांव तक वाहन चलाने की कोई योजना नहीं हैं।

(प्रतिवेदन के लिए कृपया परिशिष्ट, 9 देखें)

जयपुर से भीनमाल बस सेवा प्रारम्भ करना

77. श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर से जालोर रात्रि बस पहले जयपुर से भीनमाल तक चलती थी ? क्या गत अढ़ाई वर्षों से इस बस सेवा को केवल जयपुर से जालौर तक ही कर दिया गया है ?

Page No.36

(श्री सूरजपाल सिंह)

(2) क्या यह भी सही है कि बस सेवा को न केवल भीनमाल तक बल्कि सांचौर तक बढ़ाने की मांग निरन्तर विधान सभा में की जाती रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार जयपुर जालौर बस सेवा को सांचौर तक बढ़ाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर से भीनमाल वाया जालौर बस सेवा माह अक्टूबर, 1976 से जून, 1977 तक संचालित रही थी जिसे कम आय प्राप्त होने के कारण माह जुलाई, 1977 से बन्द कर दिया गया है। माह अप्रेल, मई, जून, 77 में (जो कि यात्री भार की दृष्टि से "पीक सीजन" होता है) उक्त वाहन सेवा की आयु प्रति कि०मी० क्रमशः 1.10, 1.18 एवं 1.27 रही थी। जयपुर से जालौर रात्रि वाहन सेवा वर्तमान में भी संचालित की जा रही है। जिसका जालौर से आगमन समय 7-00 बजे है। जालौर से सांचौर हेतु 8-00 बजे एवं भीनमाल-रानीवाड़ा हेतु 9-00 बजे लिंक सेवाएँ यात्रियों के लिये उपलब्ध हैं।

(2) जी नहीं। लेकिन जोधपुर से सांचौर वाली रात्रि वाहन सेवा को चलाने की ऐसी मांग की गई थी जिसे प्रारम्भ कर दिया गया था लेकिन रेल सेवा पुनः प्रारम्भ होने से इस सेवा को पर्याप्त यात्री भार न मिलने व इसकी आय कम आने की वजह से पुनः बन्द कर दिया गया है। लेकिन जोधपुर से सांचौर वाली दिन की सेवाएँ यथावत् चल रही हैं। वर्तमान में जयपुर से जालौर रात्रि वाहन सेवा को सांचौर तक बढ़ाने की कोई योजना निगम के विचाराधीन नहीं है। क्योंकि इस हेतु सीधा यात्री-भार उपलब्ध नहीं होता है। जिससे इस सेवा की आय में लास होता है।

सवाई माधोपुर जिले में भेड़ चराई समस्या

78. श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली): क्या भेड़-ऊन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सवाई माधोपुर जिले के करौली और सपोटरा क्षेत्र में जिले के बाहर की भेड़ें चरने आती हैं ?

(2) क्या इससे वहां कानून एवं व्यवस्था की समस्या भी उत्पन्न हुई है ? क्या पूर्व में इस समस्या को लेकर आन्दोलन भी हुआ है ? यदि हां, तो कृपया यह बतायें कि उस अवधि में कितने जनधन की हानि हुई ?

(3) क्या इस वर्ष राज्य सरकार इस समस्या के उठने से पूर्व ही प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही करने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

पूर्व में कुछ स्थानों पर तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। जन-धन की हानि की सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(3) राज्य सरकार इस समस्या का समाधान करना चाहती है। प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही नहीं।

पंचायत समिति सुल्तानपुर व सांगोद में अन्त्योदय योजना के तहत सहायता

79. श्री बाऊदयाल जोशी (दीगोद): क्या अन्त्योदय योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटा जिले की पंचायत समिति सुल्तानपुर व सांगोद में गत दो वर्षों में

(श्री दाऊदयाल जोशी)

कितने व्यक्तियों का चयन अन्त्योदय योजना में किन-किन ग्रामों से किया था ? उनमें से किन-किन को कितनी-कितनी सहायता किस-किस रूप में दी गई है ?

(2) क्या यह सही है कि उनमें से अनेक लोगों को कुछ भी सहायता नहीं मिल पायी है ? ऐसे लोगों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या अब राज्य सरकार उन गरीबों की मदद करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो इस विषय में राज्य सरकार की क्या योजना है ?

(4) क्या सरकार अन्त्योदय योजना के तहत इस वर्ष भी लोगों का चयन करेगी ?

उत्तर

(1) कोटा जिले की पंचायत समिति सांगोद में 185 गांवों में गत दो वर्षों में 1283 परिवार अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत चयन किये गये थे। इसमें से 76 ऐसे हैं जिनमें से कुछ गांव छोड़ कर चले गये कुछ का स्वर्गवास हो गया तथा कुछ का गलत चयन पाया गया। शेष 1207 में से निम्न को निम्न प्रकार सहायता दी गई है:–

वृद्धावस्था/अपाहिज पेन्शन	233
भू-आवंटन	371
रोजगार	10
खादी बोर्ड के माध्यम से ऋण	24
उद्योग विभाग से ऋण	3
बैंकों से ऋण	317
कुल लाभान्वित	958
शेष	249

कोटा जिले की पंचायत समिति सुल्तानपुर में गत दो वर्षों में 163 गांवों में 1311 व्यक्तियों का अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत चयन किया गया था। इसमें से 47 व्यक्ति ऐसे हैं जो गांव छोड़कर चले गये कुछ का स्वर्गवास हो गया तथा कुछ का गलत चयन हो गया। शेष 1264 में से निम्न को निम्न प्रकार सहायता दी गई:—

वृद्धावस्था/अपाहिज पेन्शन	252
भू-आवंटन	477
रोजगार	17
खादी बोर्ड के माध्यम से ऋण	10
उद्योग विभाग से ऋण	2
बैंकों से ऋण	133
कुल लाभान्वित	891
शेष	373

(2) पंचायत समिति सांगोद में 249 व्यक्ति शेष रहे जिनको कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई है। उनका विवरण इस प्रकार है—

1. कोई भी सहायता लेने से इन्कार	82
2. जिन पर अवधिपार ऋण बाकी है	21
3. केवल भूमि ही चाहते हैं लेकिन भूमि उपलब्ध नहीं है।	103
4. बैंक से ऋण स्वीकृत हो गया लेकिन वितरण नहीं हुआ	36
5. पेन्शन चाहते हैं लेकिन प्राप्त नहीं हुई है	5
6. नौकरी चाहते हैं लेकिन अभी मिली नहीं	2
	249

(अन्त्योदय योजना मंत्री)

पंचायत समिति सुल्तानपुर में 373 व्यक्ति शेष रहे। जिनको कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई है उनका विवरण निम्न प्रकार है

1. कोई भी सहायता लेने से इन्कार	35
2. जिन पर अवधि पार ऋण बकाया	5
3. केवल भूमि ही चाहते हैं लेकिन भूमि उपलब्ध नहीं है	287
4. बैंक से ऋण स्वीकृत हो गया लेकिन वितरण नहीं हुआ	46
	373

(3) जी हां। राज्य सरकार की चालू योजनान्तर्गत ही लाभान्वित किया जायगा।

(4) यह बिन्दु राज्य सरकार के विचाराधीन है।

पंचायत समिति सुल्तानपुर व सांगोद में काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत हुए कार्य

80. श्री दाऊ दयाल जोशी (दीगोद): क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कोटा जिले की पंचायत समिति सुल्तानपुर एवं सांगोद की किन-किन ग्राम पंचायतों के किन-किन ग्रामों में काम के बदले अनाज योजना के तहत क्या-क्या कार्य स्वीकृत किये थे? उनमें कितना-कितना कार्य कितने अनाज एवं रुपयों का पूर्ण हुआ? किन-किन पंचायतों में कौन-कौन सा कार्य अधूरा पड़ा हुआ है व क्यों?

(2) क्या राज्य सरकार अब उन अधूरे कार्यों को पूरा करवाने के लिये विचार कर रही है। क्या उन पंचायत को धनराशि या अनाज प्रदान करेगी, नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) कोटा जिले के पंचायत समिति सुल्तानपुर एवं पंचायत समिति सांगोद को ग्राम पंचायतों के ग्रामों में काम के बदले अनाज योजना के तहत किये गये कार्यों की स्वीकृति एवं उनमें कितना कितना कार्य कितने अनाज व रुपयों का पूर्ण हुआ, पंचायतों में कौन सा कार्य अधूरा पड़ा है, की सूची संलग्न है।

अधूरे कार्यों के संबंध में निवेदन है कि पंचायत समिति सुल्तानपुर के कुछ ग्राम अभावग्रस्त घोषित न होने से पुराने अधूरे कार्य अकाल राहत के अन्तर्गत स्वीकृति नहीं किये जाने एवं अभावग्रस्त घोषित ग्रामों में अधूरे कार्यों को पुनः अकाल राहत के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त न करने के कारण अधूरे रहे। वैसे अभावग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्यों में 25% मेटेरियल कम्पोनेन्ट देय था परन्तु किसी पंचायत द्वारा मांग नहीं की गई पंचायत समिति सांगोद में सम्बन्धित ग्राम पंचायत के पास मेटेरियल कम्पोनेन्ट की राशि के अभाव में कार्य अपूर्ण रहे।

(2) ऐसे अधूरे कार्य जिन्हें काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत उपलब्ध होने वाले साधनों के द्वारा पूरा किया जा सकेगा, अवश्य पूरा किया जा सकेगा। शेष कार्यों को सेफ लेवल तक छोड़ा जाना आवश्यक होगा। जहां तक संभव हो सकेगा ऐसे कार्यों को अन्य विभाग की योजना

(सहायता मंत्री)

के अन्तर्गत लेने का भी प्रयत्न किया जायगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पंचायत समिति इटावा में काम के बदले अनाज योजना के तहत हुए कार्य

81. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा): क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

पंचायत समिति इटावा में विभिन्न ग्राम पंचायतों में क्या-क्या कार्य "काम के बदले अनाज" योजना में कराया गया है? प्रत्येक कार्य की विस्तृत जनकारी, कार्य पूर्ण हो गया या अपूर्ण, कुल खर्चा रुपये तथा अनाज दोनों में अलग-अलग सहित; सूची ग्राम पंचायत वार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें?

उत्तर

पंचायत समिति इटावा में विभिन्न ग्राम पंचायतों में काम के बदले अनाज योजना में कराये गये प्रत्येक कार्य की जानकारी कार्य पूर्ण या अपूर्ण, कुल खर्चा रुपये तथा अनाज दोनों की ग्राम पंचायत वार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

कोटा जिले में घटित अपराध

82. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटा जिले में गत माह मार्च से 25 जून, 1980 तक कुल कितनी हत्याएं कहां-कहां हुई, उन हत्याओं में पुलिस ने क्या क्या कार्यवाही की व किन-किन हत्याओं का पता चला, कितनों के केस रजिस्टर है व कौन-कौन सी तारीखों में किन-किन केसों के चालान अदालत में पेश किए गये?

(2) क्या यह सही है कि हत्याओं के मामलों में राजस्थान में कोटा अग्रणी हो गया है? यदि हां, तो ऐसा क्यों है? इस विषय में यह राज्य सरकार क्या सोचती है व भविष्य में हत्याओं को रोकने के लिये क्या कारगर उपाय करने जा रही है? विस्तृत जानकारी सदन में प्रस्तुत करने की कृपा करें।

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं। जहां कहीं हत्या करने की योजना के बारे में पूर्व सूचना मिलेगी कार्यवाही अवश्य की जावेगी।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

भीनमाल से फालना सीधी बस सेवा

83. श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि भीनमाल से फालना वाया सिरोही के लिए कोई सीधी बस सेवा नहीं है?

(2) क्या यह सही है कि पिछली सरकार के परिवहन मंत्री ने इस मार्ग पर बस सेवा शुरू करने के आदेश प्रसारित किये थे मगर निगम के अधिकारियों ने भीनमाल फालना वाया सिरोही के बदले भीनमाल जालोर बस को ही फालना तक बढ़ा दिया?

(श्री सूरजपालसिंह)

(3) भीनमाल फालना वाया सिरोही बस सेवा अब कब तक शुरू कर दी जायेगी?

उत्तर

(1) जी हां।

(1) पिछली सरकार के परिवहन मंत्री महोदय द्वारा दिये गये आदेश उपलब्ध नहीं है। यह स्वीकार है कि भीनमाल-जालौर वाली बस को माह अक्टूबर, नवम्बर, 1976 से फालना तक बढ़ा दिया गया है।

(3) इस मार्ग पर पर्याप्त यात्रीभार मिलने की सम्भावना न होने की वजह से योजना निगम के विचाराधीन नहीं है।

जोधपुर शहर में चलने वाली सिटी बसेज

84. श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल) : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर शहर में चलने वाली सिटी बसेज में यात्रियों से वसूल किये जाने वाले किराये के बदले टिकट नहीं दिये जाते। यदि हां, तो टिकिट न दिये जाने के कारण सरकार को प्राप्त होने वाले कर की चोरी होती है जिससे राजकीय कोष को भारी हानी होती है ?

(2) क्या सरकार इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही अविलम्ब करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। बसों की नियमित चैकिंग की जाती हैं। इस प्रकार की यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसकी विशेष चैकिंग की जाती है एवं अपराधियों का चालान कर दण्डित किया जाता है। वाहनों का कर निर्धारण इस प्रकार किये गये चालानों एवं बसों को ट्रिप्स को ध्यान में रखकर उचित दर पर किया जाता है जिससे राज्य सरकार को कर की हानि न हो।

(2) बसों की चैकिंग एवं चालान की व्यवस्था हुई है।

सिकराय तहसील के स्कूल

85. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सिकराय तहसील में कुल कितने प्राथमिक, मिडिल, सैकण्डरी व हायर सैकण्डरी स्कूल हैं तथा ये किन-किन वर्षों में प्रारम्भ हुए ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) एक अध्यापक सामान्यतः कितने छात्रों पर लगाया जाता है ?

(3) क्या इस क्षेत्र में छात्र संख्या की दृष्टि में अध्यापकों की कमी नहीं है ? यदि है, तो किस-किस शाला में कितने-कितने अध्यापकों की कमी है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) सिकराय तहसील में 81 प्राथमिक विद्यालय, 25 उच्च प्राथमिक विद्यालय, 8 माध्यमिक विद्यालय एवं 1 उच्च माध्यमिक विद्यालय है। इनकी वांछित सूचना संलग्न है।

(शिक्षा मन्त्री)

(2) छात्र संख्या 1 से 49 पर एक अध्यापक संख्या फिर 40–40 पर एक अध्यापक और लगाया जाता है।

(3) उक्त मानदण्ड के आधार पर शालावार अध्यापकों की कमी की सूचना संलग्न है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

उच्च माध्यमिक विद्यालय बिलाड़ा में कृषि विषय खोलना

86. श्री माधवसिंह दीवान (सोजत): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि बिलाड़ा कस्बे में स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय जोधपुर जिले में सबसे पुराना है? क्या यह भी सही है कि इस स्कूल के निकट कई वर्षों से एक कृषि फार्म भी अवस्थित है? यदि हां, तो इसका क्षेत्रफल क्या है?

(2) क्या बिलाड़ा कस्बा व आस-पास का पूरा क्षेत्र दो फसली क्षेत्र है? यदि हां, तो क्या इस विद्यालय में कृषि का ऐच्छिक विषय खोलने का सरकार विचार रखती है? यदि हां, तो क्या इस वर्ष यह विषय खोल दिया जायेगा?

उत्तर

(1) यह विद्यालय 1969 से उच्च माध्यमिक स्तर का है। इसके निकट 20 बीघा का एक कृषि फार्म है।

(2) जी हां। कृषि विषय खोलने के लिये अन्य ऐसे सभी प्रस्तावों के साथ गुणावगुण के आधार पर विचार किया जायेगा।

सोजत में महाविद्यालय खोलना

87. श्री माधवसिंह दीवान (सोजत): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) किसी स्थान पर महाविद्यालय खोलने का क्या मापदण्ड है? गत पांच वर्षों में वर्षवार कहां-कहां महाविद्यालय खोले गये?

(2) क्या सोजत भी इस मापदण्ड में आता था? यदि हां, तो वहां कॉलेज नहीं खोलने के क्या कारण हैं?

(3) इस शैक्षिक वर्ष में सरकार की नये कालेज खोलने बाबत क्या योजना है?

उत्तर

(1) राज्य सरकार स्थान विशेष की जनसंख्या, परिस्थिति, दुर्गम स्थल, पिछड़ा हुआ क्षेत्र, अन्य कालेजों की दूरी आदि सभी बिन्दुओं पर विचार कर इस बारे में निर्णय लेती है। गत पांच वर्षों में खोले गये महाविद्यालयों की सूची संलग्न है।

(2) पाली जिले में पहले से ही चार महाविद्यालय हैं

(3) इस शैक्षिक वर्ष में कोई नया राजकीय महाविद्यालय खोले जाने का प्रावधान नहीं है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 12 देखें।)

बिलाड़ा हायर सैकण्डरी स्कूल में विज्ञान विषय खोलना

88. श्री माधवसिंह दीवान (सोजत): श्री रामसिंह बिश्नोई (लूणी):—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बिलाड़ा जिला जोधपुर में हाई स्कूल कब खोली गई तथा इसे हायर सैकण्डरी में कब क्रमोन्नत किया गया?

Page No.42

(श्री माधवसिंह दीवान)

(2) क्या यह सही है कि काफी संख्या में यहां के छात्रों को जीव विज्ञान विषय न होने के कारण अन्य जगह भर्ती होने जाना पड़ता है जिसका गरीब परिवार पर आर्थिक बोझ पड़ता है ? क्या सरकार इस स्कूल में इस वर्ष जीव विज्ञान विषय खोलने पर विचार करेगी ।

उत्तर

(1) बिलाड़ा जिला जोधपुर में हाई स्कूल 1953 में खोली गई तथा हायर सेकेन्डरी 1969 में क्रमोन्नत की गई ।

(2) प्रत्येक स्थान पर सभी वैकल्पिक विषय खोला जाना वित्तीय साधन की कमी से संभव नहीं हैं । नए वैकल्पिक विषय खोलते समय राज्य सरकार अन्य ऐसे सभी प्रस्तावों पर गुणावगुण के आधार पर व विचार करेगी ।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था ।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

(1) सर्व श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी, भंवरलाल शर्मा डाक्टर उजला अरोड़ा, रामकिशोर मीना व दाऊदयाल जोशी, सदस्य विधानसभा की ओर से इस वर्ष पी०एम०टी० की परीक्षा में अंग्रेजी का पेपर अनिवार्य कर दिये जाने के विषय में ।

(2) श्री बंशीलाल पटवा, सदस्य विधान सभा, की ओर से गत माह माण्डल ग्राम में जगदीशचन्द्र डडेल नामक व्यक्ति की हत्या होने के पश्चात प्रदर्शनकारियों पर गत 8 जुलाई को किये गये लाठी चार्ज के विषय में ।

(3) श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य विधान सभा, की ओर से सीकर जिले के लोसल कस्बे में एक हरिजन को जिन्दा जला दिये जाने व पीपराली कस्बे के पास एक हरिजन को जान से मारकर सड़क पर फेंक दिये जाने की घटना के विषय में ।

(4) श्री गुलाबचन्द कटारिया, सदस्य विधान सभा, की ओर से दिनांक 11-12 जुलाई को उदयपुर में अशांति व झगड़ों का वातावरण होने के विषय में तथा डाक्टर श्रीमती उजला अरोड़ा, सदस्य विधान सभा की ओर से उदयपुर नगर में पुलिस द्वारा छात्रों पर किये गये लाठी चार्ज के विषय में ।

(5) श्री राम रघुनाथ चौधरी, सदस्य विधानसभा की ओर से बाड़मेर जिले की तहसील चोहटन, शिव व बाड़मेर के सीमावर्ती क्षेत्रों में भीलों व मेघवालों की जमीन से उनको बेदखल करके शरणार्थियों को देने के विषय में ।

(6) श्रीमती विद्या पाठक, सदस्य विधान सभा की ओर से सांगानेर कस्बे में में गत तीन दिन से असामाजिक तत्वों द्वारा किये जा रहे उपद्रवों के विषय में ।

(7) सर्व श्री गोपाल पचेरवाल, फतेसिंह व शिवसिंह रावत, सदस्य विधान सभा, की ओर से ग्राम वघाल, जिला, थाना रेनवाल, जिला जयपुर में, मेहतर समाज द्वारा चलाये जा रहे आन्दोलन के दौरान गत 8 जुलाई को प्रकाश नामक एक युवक की गोली मारकर की गई हत्या के विषय में।

Page No.43

(श्री अध्यक्ष)

इन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

(8) दिनांक 10 जुलाई, 1980 को श्री घनश्याम तिवाड़ी व 10 अन्य माननीय सदस्यों की ओर से राज्य में भारी संख्या में हो रही बलात्कार व अपहरण की घटनाओं संबंध को में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी गई थी। मैं चाहता हूँ कि आज माननीय मुख्य मन्त्रीजी जब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की बहस का उत्तर दें तो इस विषय में भी प्रकाश डालें।

(9) श्री गोपाल पचेरवाल व 7 अन्य माननीय सदस्यों की ओर से गत 10 जुलाई को कोटा में पुलिस द्वारा छात्रों पर किये लाठी चार्ज के विषय में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी गई थी। इस विषय में मैं चाहूंगा कि सरकार की ओर से एक संक्षिप्त वक्तव्य दिया जावे।

इसके अलावा मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि अलवर के पास जो बस पानी में डूबी थी उसके बारे में राज्य सरकार की ओर से एक वक्तव्य भी दिया जावेगा।

दलीय स्थिति
प्रगति विधायक दल

इसके साथ-साथ मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि निम्नांकित विधान सभा सदस्यों ने प्रगतिशील विधायक दल नाम से एक नया दल बनाया है :–

(1) श्री मोहनलाल मोदी
(2) श्री बाबूलाल बैरवा
(3) श्री शोदानसिंह (पिड़ावा)
(4) श्री सुन्दरलाल
(5) श्री भंवरलाल (सुजानगढ़)
(6) श्री रतनलाल ताम्बी
(7) श्री कनकराज मेहता
(8) श्री भरतलाल
(9) श्री शिवसिंह

श्री मोहनलाल मोदी इस दल के नेता हैं। इस दल को एक ग्रुप के तौर पर मान्यता प्रदान की गई है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था के वे प्रस्ताव जिन पर व्यवस्था नहीं दी जा रही है

(1) **श्री दाऊदयाल जोशी** : सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर क्षेत्र के रामजी लाल महाजन के यहां डाकुओं द्वारा की गई फिरौती की मांग के विषय में :

माननीय सदस्य एक अन्य स्थगन प्रस्ताव व्यवस्था में शामिल होने से अस्वीकार।

यह प्रस्ताव सरकार को सूचनार्थ भेजा जा रहा है।

(2) **श्री गोपाल पचेरवाल** : केशोरायपाटन के कस्बा लाखेरी में मजदूरों को पीने का पानी उपलब्ध न होने के विषय में।

माननीय सदस्य का एक अन्य प्रस्ताव आज व्यवस्था में शामिल है यह विषय अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है।

(3) **श्री गुलाब चन्द कटारिया** : उदयपुर में बेरोजगार युवकों द्वारा प्रारम्भ किये गये लघु उद्योगों की डिफाल्ट की वसूली करने में वित्त विभाग द्वारा की गई कठोरता।

Page No.44

(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्य का एक अन्य प्रस्ताव आज व्यवस्था में शामिल है। यह प्रस्ताव सरकार को सूचनार्थ भेजा जा रहा है।

(4) **श्री नाथूसिंह** : राज्य में पिछले कुछ महीनों से कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब होने के विषय में :

यह प्रश्न अविलम्बनीय लोक महत्व की किसी घटना विशेष से संबंधित नहीं है; साथ ही माननीय सदस्य ने पहले भी इस विषय में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक विनम्र निवेदन है।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर सर, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिनांक 9–7–80 को तेल के संबंध में आपको प्रस्तुत किया था वह बहुत ही अहम और अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न था। काश्त हो रही है और बिजली उपलब्ध नहीं है। उसके बारे में कोई व्यवस्था नहीं दी। मैं कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार अपना उत्तर दे। तो जो किसानों को तेल प्राप्त नहीं हो रहा है और काश्त से महरूम हो रहे हैं उसके लिए कुछ हो सकता है।

श्री अध्यक्ष : यह पहले ही अस्वीकृत कर दिया गया है, लेकिन उसके सम्बन्ध में आप बोलना चाहेंगे तो अवसर आपको आज ही दे दूंगा, मंत्री महोदय का वक्तव्य आ जाये। माननीय सदस्य जिनके स्थगन प्रस्ताव अस्वीकृत हुए हैं उनको दो-दो मिनट का समय दिया जा सकता है

यातायात मंत्री महोदय !

शासकीय वक्तव्य

अलवर के निकट दिनांक 11-7-80 को हुई बस दुर्घटना

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर (यातायात मंत्री) : दिनांक 11 जुलाई, 1980 को अलवर के निकट हुई बस दुर्घटना पर हम सबको बहुत ही दुःख है एवं मैं अपनी ओर से एवं आप सब माननीय सदस्यों की ओर से शोक सन्तप्त परिवारों को हार्दिक संवेदना प्रकट करना चाहूंगा। अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्न तथ्य प्रकट हुए हैं।

अलवर आगार की वाहन संख्या आर.आर.जी. 9056 जो कि दिनांक 11 जुलाई को 4-45 बजे प्रातः अलवर से जयपुर के लिये रवाना होने वाली थी वह रात्रि में भारी वर्षा के कारण करीब 5-15 बजे प्रातः बस स्टेण्ड से रवाना हुई; बस में करीब 40 यात्री अलावा ड्राइवर व कन्डक्टर के थे। इनमें से 19 यत्रियों के टिकट अलवर बस स्टेण्ड से वितरित किये गये एवं शेष के टिकट सम्भवतः परिचालक द्वारा दिये गये। यह वाहन करीब 5-45 बजे प्रातः अलवर से लगभग 24 कि. मी. दूर नलदेश्वर के पास बनी पुलिया के पास पहुंची। उस वक्त पुलिया पर से बहते पानी को देख कर ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी और पानी में उतर कर पानी की गहराई एवं वेग को देखने पानी के अन्दर गया। उस समय घुटनों तक ही पानी था। इसके पश्चात् गाड़ी में बैठे निगम के एक अन्य चालक श्री ज्ञानचन्द ने वाहन स्टार्ट कर पुलिया के ऊपर से निकालने की चेष्टा की।

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

करीब 15 फीट आगे जा कर वाहन पुलिया पर ही बंद हो गई। इस दौरान नदी में पानी का स्तर और अधिक बढ़कर वेग से आने लगा जिस पर अधिकांश यात्री बस की छत पर चढ़ गये। वाहन कुछ समय पश्चात् पुलिया पर लगी गार्डर के टूट जाने से नदी में बह गई। वाहन का चालक जो पुलिया पर पानी देखने गया था वह भी तेज बहाव के कारण पानी में बह गया जो करीब आधा किलो मीटर दूर जाकर किनारे पर आया। बस नदी में गिरने के पश्चात बहती हुई करीब एक फर्लांग दूर जाकर रुक गई। अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार बस में बैठे 14 यात्री चालक सहित बचकर बाहर आगये।

दुर्घटना की सूचना मिलते ही जिलाधीश, पुलिस अधीक्षक, संभाग प्रबंधक संभाग यांत्रिक अभियन्ता मय डाक्टरों के एवं अन्य आवश्यक सामग्री के साथ घटनास्थल पर पहुंचे तथा बचाव कार्य प्रारम्भ किया। घायलों की चिकित्सा हेतु समुचित व्यवस्था की गई एवं निगम द्वारा यात्रियों के परिवार के सदस्यों को अलवर से मौके पर लाने हेतु निःशुल्क वाहन व्यवस्था उपलब्ध कराई गई। पुलिस एवं नागरिकों के प्रयासों से 12 यात्रियों के शव पानी से बरामद किये। जयपुर में इस दुखद घटना की सूचना मिलते ही चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जी को घटनास्थल पर पहुंचकर अपनी देखरेख में बचाव कार्य कराने एवं स्थिति का जायजा लेने हेतु भेजा गया। निगम के प्रधान प्रबंधक, मुख्य यांत्रिक अभियन्ता, कार्य व्यवस्थापक (संचालन) भी मौके पर पहुंच गये और प्राथमिक जानकारी प्राप्त की।

बचाव कार्य हेतु एवं बस को निकालने में सेना की भी सहायता ली गयी। जयपुर से खोजी कुत्ते एवं गोताखोर भी भिजवाये गये हैं। दिनांक 12 को दूरस्थ स्थानों से 7 शव जिनमें एक बालक का शव भी था, एवं दिनांक 13 जुलाई को 7 अन्य लाशें प्राप्त की गई। इस प्रकार अब तक कुल 27 व्यक्तियों के शव निकाले जा चुके हैं जिनमें से 21 शवों की शिनाख्त हो जाने पर उनके परिवारजनों को सौंप दिये गये। एक मृत बालक का शव क्षत-विक्षप्त हो जाने के कारण ग्रामवासियों ने उनका दाह संस्कार वहीं कर दिया। 4 शवों की अभी तक शनाख्त नहीं हो पाई है जिन्हें अलवर अस्पताल में सुरक्षित रखा गया है।

इस दुखद घटना में राज्य सरकार की ओरसे प्रत्येक मृत व्यक्ति के परिवार को दो हजार रुपये एवं घायल व्यक्ति को 500 रुपये सहायता दी जा रही है एवं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से भी प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को एक हजार रुपये की तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई है।

राज्य सरकार द्वारा बस दुर्घटना की जांच राजस्व मण्डल के सदस्य द्वारा कराई जाने का निर्णय लिया है।

श्री अमीन खां (शिव) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं बाड़मेर जिले की बॉर्डर....

श्री अध्यक्ष : उसके बारे में सरकार से जानकारी चाही गयी है, माननीय सदस्य।

श्री अमीन खां : हमारी अर्ज है कि कई पीढ़ियों से झगड़ा है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज् ! उस पर जानकारी मांगी गई है।

श्री बाऊदयाल जोशी !

श्री ईश्वरलाल सैनी (लक्ष्मणगढ़) : अध्यक्ष महोदय, अभी जो सरकार ने वक्तव्य दिया है उसके संबंध में निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष : किस के बारे में ?

श्री ईश्वरलाल सैनी : जो अभी वक्तव्य दिया है।

मेरा निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, यह रुपारेली नदी जब बरसात होती है तब बहुत तेज बहाव से बहती है। पुल जो बने हुए हैं वह स्टेट टाइम के बने हुए हैं। जहां से बन गयी है वह सड़क भी स्टेट के समय 40-50 साल पूर्व की बनी है आज भी जयपुर, अलवर का वही मुख्य मार्ग है। उसके बाद में कोई भी ऐसी पुलिया नहीं है जिसका निर्माण हुआ हो। जब भी तेज बरसात होती है तब रूपारेली नदी बहुत तेज बहाव से बहती है....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में माननीय सदस्य!

श्री ईश्वरलाल सैनी : यही नहीं अध्यक्ष महोदय, 2 जुलाई 77 को शाम को 7 बजे सोनपुर गांव के पास भी बस बही है। यह वही नदी है। आगे जायेंगे तो रामगढ़ क्षेत्र में भी यही नदी है। वहां भी ऐसी घटनायें घटी हैं। मैं सरकार को आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि अलवर में तीन पुल हैं, यदि सरकार इनको बनवाने का आश्वासन दे दें तो मैं समझता हूं कि जो दुर्घटनायें बारबार इस नदी के कारण होती हैं वह नहीं होंगी और जान और माल की हिफाजत होगी। राजगढ़ रोड पर सोनपुर नदी में घटना हुई थी....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में माननीय सदस्य। आप विषयान्तर हो रहे हैं।

श्री ईश्वरलाल सैनी : सरकार ने वक्तव्य दिया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार इन पुलों को बनवाने के लिए आश्वासन दे तो बेहतर होगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज् ! श्री रामसिंह विश्नोई !

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, आपने अभी वक्तव्य दिया उसमें बताया कि बस चालक जो था वह पानी को टोह लेने के लिये उतरा। वह कोई अलवर और भरतपुर तो गया नहीं था, चार, पांच, दस कदम गया होगा, क्या उसने मना नहीं किया कि मैं देख कर आ रहा हूं बस मत चलाना? पानी कितना है यह उसको बाहर निकलते ही मालूम पड़ गया होगा, तो चालक ने उसको मना क्यों नहीं किया ? उस चालक के खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की है ?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : मैंने प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट बताया था कि जब ड्राईवर उतर कर पानी की टोह ले रहा था, दूसरे चालक ने बस चलाई किन्तु गाड़ी पानी में आकर रुक गई। इसी बीच पानी का बहाव आया और गाड़ी बह गई। जांच का प्रश्न यह था कि गाड़ी क्यों रुक गई, इसके क्या कारण थे ? जैसा राज्य सरकार ने कहा है, राजस्व मण्डल के सदस्य द्वारा सारी जांच करवाई जा रही है। जो तथ्य आपके सामने आवे, वे आप उनको दे दें। जांच से पूर्व जो तथ्य हमारे पास थे, हमने सदन के सामने रख दिये इसके अलावा जो भी प्रश्न हैं, मेरा निवेदन यह है कि राजस्व

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

मण्डल का जो जांच कमीशन बैठेगा उसके सामने रखेंगे तो उसकी भी सुविधा होगी, आपको भी सुविधा होगी।

श्री जयकृष्ण शर्मा (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय यह बहुत बड़ी दुखांत दुर्घटना है। घटना के बाद यह पता लगा कि मुख्य मंत्री जी ने चिकित्सा मंत्री जी को वहां भेजा। आप ही देख लीजिये कि 11, 12 बजे के करीब चिकित्सा मंत्री जो रवाना हुए होंगे और दो, तीन बजे के करीब वहां पहुंचे होंगे उस समय वहां कलेक्टर मौजूद था। जब उनसे दरियाफ्त किया गया कि शव निकालने की कार्यवाही करने के लिए कितने लोग काम कर रहे हैं तो कहा 18 आदमी। 9 आदमी इस तरफ और 9 आदमी दूसरी तरफ। एक व्यक्ति जो चिकित्सा मंत्री के साथ था उसे मैंने कहा कि इतनी बड़ी दुर्घटना हुई और केवल 18 आदमी शव निकालने के काम को कर रहे हैं यह अफसोस जनक बात है। जब मैंने यह बात कही तब चिकित्सा मंत्री जी ने कहा कि व्यवस्था होनी चाहिये। उसके बाद करीब 5 बजे कुछ लोग और पहुंचे। परन्तु जो स्वयं सेवी संस्थाएं थीं, वह काफी संख्या में वहां पहुंच चुकी थी। शव निकालने का काम देख रहे थे। इस विषय में जैसा कहा गया है, मिलिट्री की सहायता ली गई। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं यह दुखांत बात है। इसको राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिये। अगर प्रशासन की शिथिलता रही है तो किसी भी दुखांत घटना के सम्बन्ध में तो बर्दाश्त करने की बात नहीं है। इसलिये मैं बहुत दुखी हूं। आपने इसका उत्तर दिया कि मिलिट्री का सहयोग लिया, मिलिट्री का कोई सहयोग नहीं लिया गया। मैंने खेतों के किनारे किनारे दूर-दूर तक शवों को देखने का प्रयास किया है। वहां कोई 20 घर ऐसे हैं जिनमें शाम का खाने के लिए खाना मुहैय्या नहीं हुआ। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो 50 साल से ज्यादा उम्र का हो। पुलिस ने जरूर सहयोग दिया। मैं कहता हूं वहां का जो कलेक्टर है, प्रशासन है, उसकी शिथिलता रही। इसी के कारण यह घटना हुई। जब अलवर से आते हैं तो दाहिने हाथ की तरफ आज के तीन महीने पहले एक ट्रक के गिरने से रेलिंग टूट गई थी वह अब तक नहीं लगी है। अगर रेलिंग लगी हुई होती तो कुछ लोग रेलिंग को पकड़कर बच कर आ सकते थे। परन्तु बड़ा अफसोस है कि पकड़ने के लिये कुछ नहीं था। आठ महीने पहले ट्रक के गिरने से टूटी रेलिंग नहीं लगी। आठ महीने में तो बहुत कुछ हो सकता था। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इसकी जांच की जाये। मैंने पहले भी अर्ज किया था और अब भी कहना चाहता हूं कि आज से 10, 11 साल पहले एक दुर्घटना हुई थी। चार-पांच साल पहले जब राजस्थान के मुख्य मंत्री पद पर श्री बरकतुल्ला खां थे उन्होंने स्वयं मौका देखा था। इसी नदी का पानी ऊपर होने से टूटा था और 50 आदमी खत्म हुए थे। दस बारह साल में चार घटनाएं हो चुकी है। काफी लोगों की जानें जा चुकी हैं। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि.........

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री जयकृष्ण शर्मा : जिन लोगों ने जल्दी से जल्दी एक्शन लेने की कार्यवाही नहीं की है उनके खिलाफ कार्यवाही की

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

जाये। साथ ही पुल जल्दी से जल्दी ऊंचा उठाने की कार्यवाही की जाये ताकि भविष्य में कोई दुर्घटना न हो।

श्री राजबहादुर (भरतपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रिविलेज का क्वश्चन रेज करना चाहता हूं........

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर: उच्च अधिकारी ने जांच शुरू कर दी है सरकार इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करेगी।

श्री अध्यक्ष: श्री राजबहादुर।

श्री राजबहादुर: अध्यक्ष महोदय, अभी वक्तव्य दिया गया कि मिलिट्री वहां मौजूद थी, और माननीय सदस्य ने कहा कि मिलिट्री वहां मौजूद नहीं थी। रूल 157 के अन्तर्गत मैं प्रिविलेज का प्रश्न उठाता हूं। Breach of privilege against the House.

श्री अध्यक्ष: आप लिखकर दीजिये।

श्री राजबहादुर: लिखकर अलग से दूंगा.. ....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य कौन सी जगह गये हैं, मिलिट्री कहां है, कहां नहीं है, तथ्यों की जानकारी आपको स्वयं को नहीं है, आप स्वयं जानकारी कर लें।

श्री राजबहादुर: मैं निवेदन कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय ने फर्माया पहले जांच कर लूं। फैक्ट तो यह है कि वक्तव्य में कहा गया साईट पर मिलिट्री काम कर रही थी और माननीय सदस्य ने कहा कि मिलिट्री वहां साईट पर नहीं थी। क्या जांच करेंगे? फैक्ट्स सदन में मौजूद हैं। ब्रीच आफ प्रिविलेज राइटिंग में अलग से दे दूंगा। 'A member may, with the consent of the speaker, raise a question involving a breach of privilege either of a member or of the House or of a committee thereof."

श्री अध्यक्ष: आप नियमानुसार नोटिस दीजिये। इसके तथ्यों की जानकारी कर लें, माननीय सदस्य किस वक्त गये थे।

श्री रामरघुनाथ चौधरी!

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना): यह बड़ी दुखांत दुर्घटना है। राज्य सरकार ने मृतकों के परिवारों को दो-दो हजार रुपया दिया है और रोडवेज वाले भी दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं मुख्य मंत्री जी से कि उन्होंने सुसाइड नहीं किया, उनके मरने की कोई इच्छा नहीं थी, बहुत जवान लोग भी थे, जैसा अलवर से आने वाले माननीय सदस्य भी कह रहे थे ऐसे परिवार भी हो सकते हैं जिनका सहारा नहीं है, उन लोगों के परिवारों को दो-दो हजार रुपया देकर आप संतोष कर रहे हैं। यह बहुत ही हास्यास्पद बात है। मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहुत ही दुखांत घटना है, क्या मुआवजे के रूप में और रकम देने की कृपा करेंगे? आईन्दा उनके कमाने खाने की व्यवस्था करेंगे? ऐसी कोई व्यवस्था करने का भी सरकार का विचार है?

श्री सम्पतराम (खैरथल): माननीय अध्यक्ष जी, एक दर्दनाक दुर्घटना हुई, इसको सब लोगों ने महसूस किया जांच कर लीजिये कि किसकी गलती हुई, किसकी गलती नहीं हुई, जैसा रामगढ़ से आने वाले माननीय

(श्री सम्पतराम)

सदस्य ने कहा प्रशासन की शिथिलता के बारे में रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर जांच कर लेंगे। जो मूलभूत बात है वह तो यह है कि इतनी बार दुर्घटना हुई है, उसके बाद भी वहां पुल नहीं बनाया गया, पुल का बनना आवश्यक है। इसके बाद फिर कोई दुर्घटना होगी। यह तो सारा एक अनिवार्य क्रम है लेकिन इसको कहां तक प्रशासन रोक सकता है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अब कोई कहे, 50 नहीं मरे और कोई कहे पचास से अधिक मरे हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि यहां पुल बनना बहुत आवश्यक था।

इस स्थान पर, मेरा मानना है पहले पानी निकलने का रास्ता ज्यादा था और अब कम हो गया। अब पहाड़ों का पानी आ रहा है। दूसरी बात यह है कि पहले ट्रैफिक इतना नहीं था अब ट्रैफिक भी ज्यादा चलता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं जांच करनी है तो जांच करिये। जो कुछ करना है वह करिये। यह प्रशासन के देखने की एक बात है, इसमें मुझे कुछ नहीं कहना है लेकिन यह निवेदन अवश्य करना है कि इस स्थान पर प्राथमिकता के आधार पर पुल का निर्माण शीघ्र कराया जाना चाहिए। यह निर्माण सरकार को तुरन्त ही हाथ में लेना चाहिए। इस समस्या को मानव समस्या मान कर कोई निश्चित कमिटमेंट करें तो अच्छा है।

श्री धाराराम (सिवाना) : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने यह कहा कि अलवर के पास जो बस दुर्घटना घटी है, उसमें मृत व्यक्तियों के परिवारों के लिए सरकार ने दो-दो हजार देने की घोषणा की है। साथ ही माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि उन्होंने कोई सुसाइड नहीं किया है। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि गत वर्ष लूनी नदी में भयंकर बाढ़ आई थी और सैकड़ों परिवार उस फ्लड में मर गये थे, बह गये थे। उस समय की सरकार ने उन परिवारों को केवल एक-एक हजार रुपये की सहायता दी थी। मैं यह पूछना चाहता हूं, क्या उस समय उन्होंने सुसाइड किया था? अभी तो दो-दो हजार दिलवा रहे हैं किन्तु उस समय की सरकार ने एक-एक हजार ही दिये थे।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, एक 14 वर्ष के बच्चे ने इस दुखान्तिका में मौत से संघर्ष किया, उसने सारी वस्तु स्थिति बताई। उस रोहिताष बालक को केवल 500 रुपये का अनुदान दिया है जो वास्तव में ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। रोहिताष की बहादुरी के लिए तो आपको चाहिए था कि उसका नाम राष्ट्रपति पुरस्कार के लिये भेजा जाय। 15 अगस्त को जो राष्ट्रपति पुरस्कार वितरण करते हैं, उसमें इस बालक का नाम भी जोड़ा जाना चाहिये जिसने मौत से संघर्ष करते हुये जीवन जिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि उसके लिये 500 रुपये की सहायता बहुत कम है।

इसी तरह माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य बीमा विभाग के श्री किशनलाल की मौत का समाचार जब उनकी माता ने सुना तब वह मन्दिर में पूजा कर रही थी। इस दुःखद समाचार को सुनते ही उसका भी देहावसान हो गया। इस तरह एक परिवार में दो दुःखद मृत्यु हुई है। मेरा

(श्री दाउदयाल जोशी)

निवेदन है कि श्री किशनलाल को मिलने वाले अनुदान की राशि में भी बढ़ोतरी की जाय। राज्य बीमा विभाग के कर्मचारी श्री किशनलाल और रोहिताश को अध्यक्ष महोदय, विशेष रूप से अनुदान प्रदान करने की मांग आपके माध्यम से श्रीमन मंत्री महोदय तक पहुंचा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनलाल मोदी।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : अध्यक्ष महोदय, अलवर में जो बहुत बड़ी बस दुर्घटना हुई है, इस तरह की दुर्घटना आम तौर से पहाड़ी एरिया में होती रहती है। मेरा निवेदन है कि जो इस प्रकार की दुर्घटनाएँ होती हैं राज्य सरकार को उनके कारणों में जाना चाहिए कि दुर्घटना का मेन कारण क्या है। इस जगह पर पहाड़ों से काफी पानी आता है और वह पानी पुलिया के नीचे से पास न होकर ऊपर से निकलने लगता है। जब बस या ट्रक इस स्थान से निकलते हैं तो यह ध्यान में नहीं रहता है कि कितना पानी है। वे अपने ट्रक व बसें उस पानी में उतार देते हैं। नतीजा यह होता है, पानी का इतना बहाव होता है कि वे उनके साथ ही बह जाते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को निवेदन करना चाहता हूं इस सदन में कि जिन-जिन स्थानों पर इस प्रकार की दुर्घटनाएं हो चुकी हैं उन पुलियाओं को और ऊंचा बनाने की राज्य सरकार घोषणा करे ताकि आगे तो दुर्घटनाओं से बचा जा सके।

श्री माधवसिंह दीवान (भोजत) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यही निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की पचासों जगह दुर्घटनाएँ होती आई हैं। बरसात में सड़कों का पूरी तरह पता नहीं चल सकता है इसलिये ड्राइवर किसी के दबाव में नहीं आये। चाहे कोई पैसेन्जर कहे या कोई भी कुछ कहे उसको बस को नदी में नहीं उतारना चाहिये, क्या इस प्रकार के आदेश आप इश्यू करेंगे ?

श्री विष्णु प्रकाश बजारी (ब्यावर) : अध्यक्ष महोदय, 12 तारीख को अलवर में बड़ी भारी चर्चा थी इस घटना की। अब हम यह मान कर चलते भी हैं कि जो गई सो हो गई, लेकिन आप कलेक्टर की लापरवाही का अन्दाजा लगा सकते हैं कि जो लाशें मिल गई सो मिल गई और जो नहीं मिलीं उनको दूर-दूर स्थानों तक देखा गया किन्तु कलेक्टर की शिथिलता के कारण वे लाशें 12 को नहीं मिली, 13 को नहीं मिली और कुछ लाशें तो 14 तारीख को मिली हैं। इसके लिए हमें बहुत खेद है। इसकी जांच कराई जानी चाहिए।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, अगर जांच के आदेश हो गये हैं तो मैं पूछना चाहता हूँ कि उनके टर्म्स आफ रेफरेन्स क्या हैं ?

श्री रामधन (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इतने आदमी मौत के घाट उतर गये, और बस नदी में गिर गई तो मेरे ख्याल से इसके दो कारण हैं, एक तो यह जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने बताया कि कलेक्टर, जिसने मौके पर किसी तरह की तत्काल जो चेष्टा करनी चाहिये थी वह नहीं की। हो सकता है

Page No.51

(श्री रामधन)

वे अधिक सक्रिय होते तो जानें और बच सकती थीं। दूसरी बात यह है कि 8 महीने पहले ही इसी स्थान पर एक दुर्घटना घटी थी। तो मेरा निवेदन है कि उस पुल को अभी तक ठीक क्यों नहीं कराया गया? अगर प्रशासन ध्यान देता तो 8 महीने के पीरियड में उसे ठीक कराया जा सकता था जिससे कम से कम आगे कोई दुर्घटना होने की सम्भावना नहीं रहती। तो मैं सरकार को आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि एक तो चालक की गलतियां बहुत होती हैं, उसको जबरदस्ती करके कहा जाता है ....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, संक्षेप में।

श्री रामधन : कि पानी में ही ले चलो और दूसरा पहलू यह है कि सरकार की तरफ से उचित समय पर उचित कार्यवाही नहीं होती है जिससे बार-बार एक ही जगह पर दुर्घटनाएं हो जाती हैं। मैं भी, अध्यक्ष महोदय, जहां वह पुल है, उधर से एक बार आया था और मुझे याद है सबको एक किलोमीटर पैदल चलना पड़ा था, क्योंकि पुल पर नदी का बहाव अधिक था। इसलिये मेरा निवेदन है कि ऐसे मामलों पर सरकार को तत्काल ध्यान देना चाहिये, क्योंकि बरसात में ही अधिक दुर्घटनाएं होती हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री मन्त्री महोदय उत्तर देंगे।

(व्यवधान)

अब ज्यादा नहीं, माननीय सदस्य!

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। मन्त्री महोदय ने जो अनुदान की घोषणा की है उसके लिये यह कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि अनुदान के साथ-साथ जिन व्यक्तियों की इस दुर्घटना में मृत्यु हुई है, उनके परिवार में से एक-एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी अवश्य दी जाय। यह मैं माननीय मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं।

श्री हंसराज (सवाई माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी ने जो वक्तव्य दिया है उसमें कहीं इस बात का उल्लेख नहीं है कि पुलिया पहले से टूटी हुई थी और टूटने के कारण ही दुघटना घटी है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इसकी जांच कराई जाय दूसरा निवेदन यह है कि तत्काल सहायता नहीं पहुंचाई गई। माननीय सदस्य जो वहां से पधारे हैं, उन्होंने बताया है कि तत्काल सहायता नहीं पहुंची। तो साथ ही इसकी भी जांच कराई जाय। इसके साथ ही, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जिन ऐसे व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, जिनके पीछे कोई सहारा नहीं है, जिन के जवान बेटों की मृत्यु हो गई है, उनके माता-पिता यदि वृद्ध हों, तो राज्य सरकार से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जीवन पर्यन्त उन महिलाओं को इस प्रकार से सरकार से सहारा दिया जावे....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री हंसराज : उन्हें पेंशन दी जाय।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज! बहुत ज्यादा लम्बा हो गया है, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री केशरीचन्द चौधरी!

श्री केशरीचन्द चौधरी (किशनगढ़) : अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय यातायात मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जिस तरह से प्राइवेट बसेज के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करना आवश्यक है क्या राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम पर भी यह नियम लागू है, मैं इसकी जानकारी चाहूंगा।

श्री राधेश्याम (गंगानगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा हाऊस से यह निवेदन है, और माननीय मन्त्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन है कि दुर्घटना होने का मूल कारण क्या है, इस चीज का क्या कारण है ? जहां तक मेरा दृष्टिकोण है, इसका कारण यह है कि लगभग साठ प्रतिशत बसेज ऐसी राजस्थान रोडवेज की बसें हैं जो फिटनेस के काबिल नहीं हैं। उनको चलना ही नहीं चाहिए। क्योंकि जैसा अभी मन्त्री महोदय फरमा रहे थे कि बस चली और अपने आप बन्द हो गई, न जाने किस कारण हुआ। इसका कारण तो जब जांच होगी तब पता चल जायगा लेकिन माननीय सदस्यों और आम जनता को मालूम है कि रोडवेज की बसे साठ पर्सेन्ट खराब रहती हैं। इसका कारण मैं समझता हूं..........

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य समाप्त करें।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया (मुख्य मंत्री): श्रीमान, यह ऐसी प्राकृतिक और दुखद दुर्घटना है कि जिसके बारे में कहना बहुत कठिन है। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जितनी संवेदना आपको है उससे ज्यादा सरकार को भी है और इसलिए मैंने तत्काल स्वास्थ्य मन्त्री जी को मौके पर भेज दिया था। मैं और आप सब मिल करके भी कोशिश करें तो जो बातें आपने कही हैं हम उनके लिए जरूर प्रयास करेंगे। चाहे तो उनको सहायता देने का सवाल हो, चाहे पुलों के जो कि रियासत के समय के बहुत पुराने पुल हैं, को सुधारने का सवाल हो, चाहे और कोई सवाल है, उनके अन्दर आप और हम मिल कर प्रयास करेंगे। लेकिन जिस काम को कोई नहीं कर सकते वह यह है कि जो भाई-बहिन अपनी जान खो बैठे हैं उनको वापस नहीं ला सकते। उनके आश्रितों के लिए हम क्या कर सकते हैं वह हम करने की कोशिश करें। इसलिए हमने यह तय किया है कि जो भी आश्रित बच्चे हैं और जो काम करने योग्य हैं, जो नौकरी में आ सकते हों, उनको नौकरी में लिया जावे। और जो भाई बहिन ऐसे हों जो कि बहुत वृद्ध हैं, इसके लिए तो सरकार के नियम वृद्धावस्था पेंशन के बने हुए हैं। उसमें भी अगर इनकी आवश्यकता महसूस हुई कि वे किसी कारण से नियम में नहीं आते हैं तो नियमों में संशोधन करने की बात भी सोच लेंगे। दूसरी बात इसी प्रकार से पुलों के निर्माण के लिए कही गई। श्रीमान, इसी पुल का सवाल नहीं है, बहुत सारे राजस्थान में ऐसे पुल हैं जो पुराने जमाने के बने हुए हैं, उनके सुधार की बात भी हो सकती है। और नदी में जो पानी बहुत बहने लगा है उससे भी हो सकते हैं और दूसरे कारण भी हो सकते हैं, जिनके रख-रखाव की जानकारी नहीं है, उनके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि न केवल इस पुल की बल्कि इस प्रकार के जितने भी पुल हैं उनकी जानकारी करने का प्रयत्न करेंगे और इस बात की कोशिश

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

करेंगे कि जितना सुधार उसमें हो सकता हो, वह किया जाय।

एक बात प्रशासन के बारे में कही है कि फौरन मिलिट्री की सहायता नहीं ली गई। उसके बारे में इतना ही निवेदन करना है कि उसी दिन जिलाधीश महोदय ने स्थानीय जो मिलिट्री के आफिसर हैं, उनसे कोन्टेक्ट किया था। उनकी कठिनाई यह थी कि उनको ऊपर के आदेश चाहिए थे, इसलिए यहां से हमने उनके सदर कमाण्ड जो पूना में है, से सम्पर्क स्थापित किया और 13 तारीख को स्थानीय अधिकारियों को आर्डर मिल गया कि इस बारे में सहायता कार्य कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने सहायता प्रारम्भ की 13 तारीख को, 11 तारीख को स्थानीय प्रशासन को क्रेन की आवश्यकता थी बस निकालने के लिए वह 11 तारीख को ही उपलब्ध हो गई थी।

मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसी घटनाओं के सम्बन्ध में हमें बहुत भावुक होने की आवश्यकता नहीं है। भगवान की करणी में किसी का वश नहीं चलता है। हम सब मिल करके जो विकास के काम करना चाहते हैं, करें। उनके आश्रितों को सहायता देने के बारे में बहुत कुछ कहा गया है फिर भी कुछ सुझाव रह गए हों तो मेहरबानी करके हम को दे दें। प्रशासन से जो कुछ भी हो सकेगा, हम करने का प्रयास करेंगे।

श्री गोपाल पचेरवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय....

(व्यवधान)

व्यवस्था

धन्यवाद प्रस्ताव पर हुए वाद-विवाद के उत्तर का समय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है। आज चार बजे सरकार की ओर से उत्तर पूरा हो जाएगा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर। अभी जिन माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्तावों को मैंने अस्वीकार कर दिया है उनमें से चार माननीय सदस्य अभी संक्षेप में दो-दो मिनट में अपनी बात कह दें। माननीय श्री दाऊदयाल जोशी, श्री गोपाल पचेरवाल, इनका केशोराय पाटन के कस्बा लाखेरी में मजदूरों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं होने के सम्बन्ध में, मा० श्री गुलाबचन्द कटारिया उदयपुर में बेरोजगार युवकों के सम्बन्ध में, श्री नाथूसिंह कानून और व्यवस्था की स्थिति के सम्बन्ध में, दो-दो चार-चार मिनट में बोल लें।

स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था

पी. एम. टी. परीक्षा में अंग्रेजी अनिवार्य कर दी गई है, इसके बारे में स्थगन प्रस्ताव के लिए मैं जानकारी ले रहा हूं सरकार से। इसके बारे में इससे पहले मेरे चेम्बर में कुछ माननीय सदस्य मिले थे और वे चाहते थे कि इसका स्पष्टीकरण दें ताकि सरकार के उत्तर देने में सुविधा हो। तो उसमें जिन माननीय सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव रखा है उनमें से कोई एक-दो-चार मिनट में उस पर कुछ बोल लें।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज!

व्यवस्था का प्रश्न

प्रश्न के उत्तर का पूर्व प्रकाशन

Page No.54

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने केशोरायपाटन नगरपालिका के सम्बन्ध में कुछ नए प्रश्न दिए थे और जब यहां से विधान सभा की तरफ से उत्तर मांगा गया है ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न को यहां नहीं उठा सकते। माननीय सदस्य मेरे चेम्बर में मिल लें।

श्री गोपाल पचेरवाल : इन प्रश्नों को पब्लिकली आउट कर दिया गया है अधिकारी वर्ग द्वारा। 12 तारीख को राजनैतिक कार्यकर्ताओं को बुला कर कहा गया है कि जनता पार्टी के चेयरमैन ऐसा कर रहे हैं। नियमानुसार उनको प्रकाशित नहीं किया जा सकता है। नियम 47 के अन्तर्गत....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इसका नियमानुसार नोटिस दे दीजिए यदि उल्लंघन हुआ है तो।

श्री गोपाल पचेरवाल : मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं अधिकारियों के द्वारा इस प्रकार से....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

सदन में आर. एस. एस. का उल्लेख कर सदन की कार्यवाही में व्यवधान

श्री भैरूलाल भारद्वाज (जमवा रामगढ़) : एक व्यवस्था का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की व्यवस्था के सम्बन्ध में एक व्यवस्था का प्रश्न रखना चाहता हूं आपके सामने। जिस तरह से सदन में व्यवस्था के नियम बता रहे हैं कि छड़ियां नहीं ला सकते, छाता नहीं ला सकते, कुछ बैग वगैरह नहीं ला सकते, उसी प्रकार से कुछ माननीय सदस्यगण, यहां व्यवधान करने के लिए एक अदृश्य चश्मा आर. एस. एस. का लगा करके आते हैं। उसके कारण से, आर.एस. एस. का नाम लेते ही सारी व्यवस्था को भंग कर देते हैं और आर. एस. एस. के नाम से सदन का समय बर्बाद करते हैं....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज ! श्री रामरघुनाथ चौधरी !

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री रामरघुनाथ चौधरी : मेरा एक स्थगन प्रस्ताव बाड़मेर के काश्तकारों को जो....

श्री अध्यक्ष : उसकी सूचना मंगवाई जा रही है।

श्री रामरघुनाथ चौधरी: मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने सूचना मंगाई है, वह तो मैंने सुन लिया था, लेकिन वहां पर पुलिस की चौकी लगा दी। और बाली और मेघवालों को पीटा जा रहा है....

श्री अध्यक्ष : यह सब जानकारी आ जाएगी उसमें। जिस समय इसको लेंगे आपको अवसर दिया जाएगा।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक सरकार से उसकी जानकारी प्राप्त करके मुझे अवसर प्रदान करेंगे तब तक मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो पुलिस वाले मारपीट कर रहे हैं, वहां से निकाल रहे हैं उनकी यह कार्यवाही बन्द करने के लिए यहां से मुख्य मंत्री आदेश भेज दें....

(व्यवधान)

Page No.55

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, राज्य सरकार से जानकारी मंगाई जा रही है। इस सम्बन्ध में अभी चर्चा नहीं होगी।

श्री रामरघुनाथ : जब तक जानकारी आप मंगवायेंगे तब तक तो वे मारपीट कर उनका कचूमर निकाल देंगे। इसलिये मुख्य मंत्री जी को कहिये कि यहां से संदेश भेज कर....

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, पी. एम. टी. में एक अंग्रेजी का पर्चा अनिवार्य करने का तय किया गया है।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री परसराम !

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बाड़मेर की भूमि आवंटन के सम्बन्ध में मेरा ऐसा मानना है, बहुत बड़ा घोटाला जनता सरकार ने किया है। हमने एक-एक व्यक्ति को कृषि भूमि अलॉट की थी और वैलिड कारणों पर की थी। उस पर कमीशन आफ इंक्वायरी की धारा 8 (बी) के अन्तर्गत कार्यवाही की गई। लोग कमीशन और घर के बीच में आठ-आठ महीनों से चक्कर लगा रहे हैं। कानून को ताक में रख कर जनता सरकार ने जिस तरह से कार्यवाही की है उसके लिए हमने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है मैं चाहता हूं कि इनके फैक्ट्स के बारे में कल सदन की कार्यवाही एडजोर्न हो जावे उसके पहले विचार हो। एक माननीय सदस्य पर कातिलाना हमला किया गया उस पर हमने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था, लेकिन अभी तक व्यवस्था नहीं हुई....

श्री अध्यक्ष : निर्णय दे दिया गया है 11 तारीख को कातिलाना हमले के बारे में। आप शायद उस वक्त उपस्थित नहीं थे जब व्यवस्था दी।

श्री परसराम मदेरणा : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बारे में जो एडजोर्नमेंट मोशन दिया है उससे पहले हमने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है उसको ले लिया जाय।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने उदयपुर के अन्दर छात्रों के....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। इसको हम कल उठवा रहे हैं।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : माननीय मुख्य मन्त्रीजी बिराजमान है उनको ज्ञात होना चाहिए। इस तरह से निर्दयतापूर्वक पिटाई की जा रही है, खेतों से निकाला जा रहा है जो कानून व विलह हो, क्या ऐसी व्यवस्था मुख्य मंत्री नहीं कर सकते हैं ? यहां पर चर्चा न हो, राज्य सरकार का उत्तर नहीं आये, उनकी पिटाई हो। अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। सरकार से क्या आशा की जा सकती है ? क्या सरकार इस कार्यवाही को कराने में लिप्त है ? अगर इस तरह की कार्यवाही हो रही है तो इसको बन्द करवाया जावे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्रीमती उजला अरोड़ा !

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो छात्र दलों में झगड़े हुए हैं, उदयपुर के अन्दर, और जिनको थाने में गिरफ्तार किया गया है उनकी पिटाई हो रही है, इस सम्बन्ध में यह स्थगन प्रस्ताव रखा गया है। इसलिए मेरी ओर से....

श्री अध्यक्ष : सरकार से जानकारी चाही है, माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : लेकिन जानकारी कब तक मंगवाई जायगी।

श्री अध्यक्ष : शीघ्र मंगाई जायेगी। सरकार से जानकारी मंगवाई है, माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, परीक्षा चालू है, इस तरह से छात्रों पर की गई....

श्री अध्यक्ष : वह सब कुछ सोच कर सरकार से तथ्यों पर टिप्पणी मंगवाई है, वह जल्दी आ जायेगी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : छात्रों को सम्भालने के लिये क्या कदम उठाये जायेंगे उससे हमको अवगत करा दिया जाये। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे विषयों पर चर्चा नहीं होगी तो....

श्री अध्यक्ष : जिन माननीय सदस्यों का नाम पुकारूं। माननीय सदस्या, जानकारी चाही है उससे ज्यादा अलाऊ नहीं करूंगा।

श्री गोपाल पचेरवाल : पाइन्ट आफ आर्डर !

श्री अध्यक्ष : कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं होगा। इस पर चर्चा आगे नहीं होगी। दाऊदयाल जोशी। सवाई माधोपुर के....

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, मेहतर का मर्डर हुआ, मैं उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं। मेहतर का परिवार यहां आकर बैठा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, यह मेहतर का सवाल है। राज्य सरकार ने....

श्री अध्यक्ष : कौनसा सवाल उठा रहे हैं आप ? इस पर कोई चर्चा नहीं होगी।

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, उस मेहतर के बेटे की जान गई है।

श्री अध्यक्ष : मैंने उस पर व्यवस्था दे दी। आज उस पर कुछ नहीं होगा। आर्डर प्लीज।

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री गोपाल पचेरवाल : XXX

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने उस पर व्यवस्था दे दी है। उस पर आज कुछ भी नहीं होगा। आर्डर प्लीज।

श्री गोपाल पचेरवाल : XXX

श्री मेघराज : XXX

XXX अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह । XXX

श्री अध्यक्ष : आप आसन के आदेशों की स्पष्ट अवहेलना कर रहे हैं। मैंने व्यवस्था दे दी कि शीघ्रातिशीघ्र सरकार से जानकारी ली जायेगी। उसके बाद आपको बोलने का अवसर दिया जायेगा। आज कोई उपयुक्त अवसर नहीं है।

श्री गोपाल पचेरवाल : XXX

श्री अध्यक्ष : नहीं सुनूंगा। आप थोपना चाहते हैं, वो नहीं होगा। आसन अपने पैरों पर है। अंकित न हो। कृपया स्थान ग्रहण करें। आर्डर प्लीज। आज इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। मैं कुछ नहीं सुनुंगा सरकार आज कुछ भी नहीं कहेगी।

(व्यवधान)

श्री गोपाल पचेरवाल :XXX

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आप व्यर्थ में समय खराब कर रहे हैं। कृपया स्थान ग्रहण करें। इस पर डिबेट थोपी नहीं जायेगी। माननीय सदस्य, श्री दाऊ दयाल जोशी।

श्री मेघराज :XXX

श्री गोपाल पचेरवाल :XXX

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, रिजेक्ट करेंगे या स्टेटमेन्ट दिलायेंगे तब आपको अवसर मिलेगा। मैं अंकित नहीं होने दे रहा हूं। सदन का समय व्यर्थ जा रहा है। उससे क्या लाभ होगा? आर्डर प्लीज। अंकित न हो।

श्री गोपाल पचेरवाल·XXX

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप आसन के आदेशों की स्पष्ट अवहेलना कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को जिस बात का संदेह है उस परिवार के साथ इस तरह की दुर्घटना न हो, इस सम्बन्ध में मुख्यमंत्री अधिकारियों को आदेश दें।

श्री अध्यक्ष : उसके तरीके होते हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अगर इनकी ऐसी शिकायत है, तो यह आकर मुख्यमंत्री जी से मिल लें।

(व्यवधान)

श्री गोपाल पचेरवाल : हम केवल आश्वासन चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : जब सदन के पास सभी फैक्ट्स आ जायेंगे।

(व्यवधान)

श्री गोपाल पचेरवाल : सरकार मौन बैठी रहे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मेहतर समाज का, सारे समाज का ठेका आप का नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

XXX अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

कृपया सदन की कार्यवाही चलाने में सहयोग करें। माननीय सदस्य। श्री दाऊ-दयाल जोशी। आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री अहमद बक्श सिंधी : इनको बाहर निकाला जाय। मानते नहीं हैं। शोर-गुल मचाते हैं। सदन का वक्त खराब करते हैं। (सर्वश्री गोपाल पचेरवाल, मेघराज, वीरेन्द्र-प्रतापसिंह एवं उम्मेदसिंह द्वारा बहिर्गमन)

श्री दाऊ दयाल जोशी: अध्यक्ष महोदय, पिछले सालों में राजस्थान में बाढ़ आई थी। अब फिर राजस्थान में बाढ़ आ गई है लेकिन इन्द्र भगवान् के कोप के कारण नहीं। यह दूसरी बाढ़ लूट हत्या, डकैती, चोरी और बलात्कार की बाढ़ आई है और यह बाढ़ राजस्थान भर को खाये जा रही है वर्तमान शासन की व्यवस्था के कारण....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : गंगापुर सिटी के पास ही के गांव खेड़ा बाढ़ रामगढ़ के रामजीलाल महाजन को चंबल घाटी मध्य-प्रदेश के डाकू रायसिंह और डाकू राधेश्याम द्वारा साठ पैसे के बैरंग लिफाफे में धमकी भरा पत्र भेजा गया कि बन्धे कूए के पास 15 दिन में पचास हजार रुपये की राशि पहुंचा देना वर्ना तुम और तुम्हारे सारे परिवार को नष्ट कर देंगे। श्रीमान मेरा निवेदन है, इस काम रोको प्रस्ताव के मा-ध्यम से, जो इस प्रकार की फिर धमकी उसको दी गई है, वह सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं। अब फिर धमकी से और पचास हजार रुपये की मांग उससे की गई है। रामजीलाल के पुत्र जगमोहन ने जयपुर में आकर आतुर पुकार प्रशासन के सामने और प्रेस के सामने की है कि मेरा जीवन और मेरे परिवार का जीवन निश्चित रूप से असुरक्षित है। 15 दिन के अन्दर-अन्दर किसी भी प्रकार सारी संपति बेच कर या तो मैं पैसा पहुंचाऊं वर्ना मेरे प्राण असुरक्षित हैं। मुझे कहा गया है कि अगर प्रशासन को खबर दी या अखबार को खबर देने की गलती की तो मानकर चलो कि तुम्हारा और तुम्हारे सारे परिवार का नाश कर दिया जायेगा। श्रीमान् उसे यह धमकी चार तारीख को मिली है और चार तारीख के बाद 15 दिन बीतने में 6-7 दिन हैं। 'राष्ट्र-दूत' और 'नव ज्योति' ने यह खबर 9 तारीख को प्रकाशित की है। इसलिये इस रामजी-लाल के परिवार को निश्चित रूप से आप प्राणों की सुरक्षा प्रदान करेंगे और माननीय मुख्य मन्त्रीजी मेरे इस प्रस्ताव पर इस सदन को विश्वास प्रदान करें कि उनके प्राणों के साथ, उनकी सुरक्षा के साथ, कोई खिलवाड़ नहीं होगी, उसके प्राण निश्चित् रूप से बचाये जायेंगे। मुझे आशा है माननीय मुख्य मन्त्री जी इस गरीब के परि-वार को सुरक्षा प्रदान कर सदन को सूचित करने की अनुकम्पा करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री गोपाल पचेरवाल !

(अनुपस्थित)

श्री गुलाबचन्द कटारिया !

श्री गुलाबचन्द कटारिया : (उदयपुर) अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की गरीबी मिटाने के लिये एक ही रास्ता हो सकता है जिसके लिये पिछले कई वर्षों से हमारी सरकार प्रयत्नशील है। इस देश में इतनी बड़ी जनसंख्या को काम दिलाने के लिये

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

छोटे उद्योग इसके माध्यम हो सकते हैं और इसका प्रयोग उदयपुर में पिछले वर्षों में काफी सफलतापूर्वक किया गया है। उदयपुर में 267 नये उद्योग लगाये गये जिनमें किसी में 10, किसी में 15 मजदूर काम करते हैं लेकिन हमारे यहां इन छोटे उद्योगों पर काम करने वाले बेरोजगार इंजीनियर हैं जिन्होंने ये उद्योग प्रारम्भ किये हैं और राजस्थान के औद्योगिक विकास में अपना सहयोग दिया है। उनके लिये वित्त निगम का तरफ से अड़चनें पैदा की जा रही है। जहां और जगह रकम अदायगी की 5 साल की छूट रहती है वहां हमारे यहां केवल 2 साल की छूट है और उसके बाद पिछली जनवरी से लेकर आज तक हमारे यहां पावर का जो कट हुआ है, उससे उद्योगों की जो दुर्दशा हुई है, उसके कारण समय पर फीस जमा कराने को पैसा नहीं होता है। यदि और उद्योगों की तरह ही उनके साथ भी एक सा ही बर्ताव किया जाता तो दुःख नहीं होता लेकिन एक ओर तो 10-10 किश्तें बकाया रहती है, उनकी वसूली के लिये सख्ती नहीं की जाती और दूसरी ओर जिन्होंने 1.84 लाख का लोन लिया उन पर आपके अधिकारी जाते हैं और ताला लगा देते हैं क्योंकि वे लार्ज स्केल इन्डस्ट्री एसोसियेशन के मेम्बर नहीं है। और इसके कारण उनका रा-मेटेरियल बेकार जा रहा है। वह लाखों रुपये का रा-मेटेरियल है। हिन्दुस्तान के अलग-अलग राज्यों में उनका प्रोडक्ट जाता है। ऐसे उद्योगों के साथ मैं एक ही आग्रह बार-बार कर रहा हूं कि उनके साथ एक सा बर्ताव किया जावे। ऐसा न हो कि एक को लाक कर दिया जावे और दूसरे को लाखों रुपये बकाया है उनकी ओर आंख उठा कर भी न देखें, यह जो वित्त निगम ने ज्यादती की है उसकी आप जांच करें और उन बेरोजगार युवकों का सहयोग करें। उनके साथ थोड़ा सहयोग करें तो निश्चित रूप से हमारे देश की और हमारे प्रान्त की प्रगति में सहयोगी बनेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूसिंह !

श्री नाथू सिंह (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, जब से सरकार सत्ता में आई है तब से समाचार पत्रों में रोज कानून व्यवस्था की बिगड़ी स्थिति के बारे में कुछ न कुछ रोज पढ़ने को मिलता है। कहीं लूट, कहीं हत्या, कहीं चोरी डकैती और बलात्कार। मैं एक उदाहरण नहीं देना चाहता हूं। सैकड़ों उदाहरण हैं मेरे पास अध्यक्ष महोदय, एक-एक घटना के बारे में बताना शुरू करूं तो सदन का समय खराब होगा। जब से सरकार सत्ता में आई, सरकार ने वादा किया था कि हम कानून और व्यवस्था की स्थिति को सुधारेंगे....

श्री रामसिंह बिश्नोई : आप एम. पी. बने तब से ही है यह।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपस में बात नहीं करें।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने जनता से यह वादा किया था कि वह कानून और व्यवस्था की स्थिति को ठीक करेगी। हमारे ऊपर यह आरोप लगाया गया था कि हम कानून और व्यवस्था को ठीक नहीं कर पाये हैं। परन्तु आज जयपुर जिले में एक के बाद एक डकैती हो रही है, आज यह डकैतियां खुले आम हो रही है

(श्री नाथूसिंह)

और पुलिस इन डकैतों को पकड़ने में सफल नहीं हुई है। स्थान-स्थान पर चोरियां हो रही है। महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है, उनकी चेनें छीन ली जाती हैं। आए दिन समाचार पत्रों में बलात्कार के समाचार छप रहे हैं। यह बलात्कार समाज के अवांछनीय गुण्डों द्वारा ही नहीं अपितु सरकारी नौकरों, पुलिस अधिकारियों द्वारा भी किए जा रहे हैं और ये लोग सरेआम बलात्कार करते हैं। यह तो आपकी कानून और व्यवस्था की स्थिति का नमूना है। अध्यक्ष महोदय, जो सरकार नागरिकों की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकती है उस सरकार को सत्ता में, शासन में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अगर कोई सरकार होती तो वह कानून और व्यवस्था की स्थिति को ठीक करती। सांगानेर का उदाहरण लीजिए। नागरिकों का अपहरण हुआ। गुण्डों को पकड़ने के लिए आज लोगों को नागरिकों को वहां पर आम सभाओं का सहारा लेना पड़ रहा है। उदयपुर में क्या हो रहा है? विद्यार्थियों को झगड़े में घसीटा जा रहा है और पुलिस निष्क्रिय है। चारों तरफ जयपुर शहर में चोरियां हो रही हैं। बच्चों का अपहरण हो रहा है। इस प्रकार कानून और व्यवस्था की स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। यह दैनिक "नवज्योति" का एक एडीटोरियल 9 जुलाई का छपा है। यह वह पत्र है जिसके कार्यालय मे श्रीमती इन्दिरा गांधी 15 जनवरी 78 को गई थीं। जिस पत्र ने श्रीमती इन्दिरा गांधी को अपने कार्यालय में बुलाया था, सम्मान किया था। इसी पत्र ने पिछले तीन साल से कांग्रेस (आई) को सत्ता में लाने के लिए सहयोग दिया था। हो सकता है तीन साल की वह गलती इस बार इसने सुधार ली हो। इस प्रकार से लेख लिख कर अपनी गलती में इसने सुधार किया है. यह कहा है: "सरकार कहां है?" सरकार आज नहीं है। दूसरा पत्र 'राजस्थान पत्रिका' है, जिसने मुख्य मन्त्री के परिवार का परिचय छापा था। मुख्य मन्त्री की तस्वीर छापी थी इसने लिखा है "हो चुका विकास"। सरकार का यह प्रथम कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों के जीवन की रक्षा करे, उनकी सम्पत्ति की रक्षा करे। यह सरकार नागरिकों के जीवन और सम्पत्ति की रक्षा नहीं कर सकती तो राजस्थान का विकास भी नहीं कर सकती। यह सरकार की अकर्मण्यता का जीता जागता सबूत है।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह सरकार नागरिकों के जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा नहीं कर सकती है तो वह अकर्मण्य है और इस प्रकार वह अपने संविधान का उल्लंघन कर रही है, कर्तव्य का निर्वाह न कर सके। अध्यक्ष महोदय आज हालत यह है कि राजस्थान में कानून और व्यवस्था की स्थिति इतनी बिगड़ी हुई है जितनी पहले कभी नहीं बिगड़ी थी। आज सरकार का चेहरा जनता के सामने चोरी, डकैती के रूप में, बलात्कारियों के रूप में सामने आ रहा है। स्थान-स्थान पर जिस तरह के अन्याय हो रहे हैं, पुलिस की जो निष्क्रियता है; गुण्डे पुलिस के साथ मिलकर जनता के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि वह जनता की रक्षा करे, सुरक्षा करें। और उनकी रक्षा की व्यवस्था

(श्री नाथूसिंह)

नहीं कर पाती है, तो अच्छा होगा कि जनता इस सरकार को हटावे उसके पहले ही यह सरकार त्यागपत्र देकर सम्मान के साथ हट जाए ताकि हमारे शासन में पहले जैसी व्यवस्था को हम कायम कर सकें। हम वापिस शासन द्वारा जनता की सेवा कर सकें उनके जीवन की, जान माल की रक्षा कर सकें। अध्यक्ष महोदय यही मुझे निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष : श्री राम रघुनाथ !

श्री राम रघुनाथ चौधरी (डेगाना) : अध्यक्ष महोदय, आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में डीजल तेल की कमी है। राजस्थान में कमी है तो निश्चय ही राज्य के जिलों में उसी अनुपात में कमी होना आवश्यक है। परन्तु यह कमी वास्तव में नहीं है ! यह आर्टिफिशियल की जा रही है। इसकी वितरण की व्यवस्था ठीक नहीं हो पा रही है और इसके लिए प्रशासन और राज्य सरकार पर बोझ आता है कि वह इस व्यवस्था को किस रूप में सुधारे। अव्यवस्थित रूप से इसका वितरण हो रहा है। डीजल कालाबाजार में बेचा जा रहा है और काश्तकार के पास नहीं पहुंच रहा है।

यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। राज्य सरकार और प्रशासन के लिये सोचने की बात है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा जिलाधीश महोदय का यह आदेश है कि जितना डीजल मिलेगा उसका 80 प्रतिशत काश्तकारों को काश्त के लिए मिलेगा। वर्षा होने के बाद तो काश्तकार को डीजल की अत्यधिक आवश्यकता होती है। लेकिन जो वितरण व्यवस्था है उसके अनुसार सब-डिविजनल आफिसर इसका नियन्त्रण करता है। वे क्या करते हैं ? जितना भी तेल मिलता है उसमें से 1000 लीटर डीजल इमरजैन्सी के लिए रिजर्व कर दिया जाता है। जैसे 9000 लीटर डीजल आता है, तो उसमें से 2400 लीटर डीजल रिजर्व कर लेते हैं और उसके बाद बीस परसेन्ट बस और ट्रक को चला जाता है और इसके बाद जो डीजल बचता है उसका 80 परसेन्ट काश्त के लिए दिया जाता है और इसमें से 20 परसेंट इमरजैन्सी के लिए रख लिया जाता है। इस प्रकार काश्तकारों को 40/50 प्रतिशत डीजल ही मिल पाता है और बाकी का सारा डीजल ब्लेक में चला जाता है। जो डीजल एस. डी. ओ. रिजर्व में रखता है उस तेल का वह अपनी मर्जी के अनुसार वितरण करता है और जिसको चाहे उसको बांट देता है। इसलिये यह जो व्यवस्था है इसको समाप्त किया जाए, क्योंकि यह वितरण की व्यवस्था जो एस. डी. ओ. ने की है वह उसने अपनी मर्जी के अनुसार कर रखी है और इस प्रकार जान बूझकर डीजल की कमी बनाई जा रही है। इसलिए इस व्यवस्था को सुचारु रूप से व्यवस्थित करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: संक्षेप में माननीय सदस्य।

श्री राम रघुनाथ चौधरी: अध्यक्ष महोदय मैं यह निवेदन कर रहा था कि मैं जिलाधीश महोदय से मिला और उनसे यह निवेदन किया कि आप इस व्यवस्था को ठीक कीजिए। उन्होंने विश्वास भी दिलाया। पम्पिंग स्टेशन को डीजल अलाट होता है वे कहते हैं हमारे पास ट्रक नहीं है। डिपो के पास ट्रक नहीं हैं। डीजल के यातायात की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी काश्तकार की नहीं है। यह प्रशासन की जिम्मेवारी है। ट्रक कहां से आते हैं यह देखने की बात है।

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)

जितना डीजल जिस पेट्रोल पम्प को अलाट होता है उतना तेल उस पम्प पर समय पर पहुंच जाना चाहिए। इसकी व्यवस्था सुचारू रूप से प्रशासन को करनी चाहिए। यह स्थगन प्रस्ताव मैंने 9 तारीख को दिया था और इस पर अनुमति मुझे आज दी गई है और इस प्रकार काश्त के दिन निकलते जा रहे है और कोई समुचित व्यवस्था नहीं हुई है इस अवसर पर मैं राज्य सरकार और मुख्य मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे यह आश्वासन दें कि जहां पर तेल की कमी है वहां पर तेल पहुंचाये जाने की व्यवस्था शीघ्र कर दी जाएगी। परन्तु मुझे उनसे कोई उम्मीद नजर नहीं आती है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि इसकी व्यवस्था में सुधार करावें। आपसे विनम्र शब्दों में यही निवेदन करना चाहता हूं कि इस डीजल की व्यवस्था को ठीक करें। चार, पांच रोज डीजल मिलता है और उसके बाद किसानों को मजबूर होकर काला बाजार से तेल खरीदना पड़ता है। आपके डीपो, पेट्रोल पम्प ही काला बाजार में इस तेल को बेच रहे हैं। सरकार को इसकी रोकथाम करनी चाहिए। परन्तु सरकार के जितने भी अधिकारी है वे भी इसमें शामिल हैं और वे इन व्यापारियों के साथ मिलकर अपना हिस्सा नियमित रूप से ले रहे हैं। इस व्यवस्था को अध्यक्ष महोदय, आप ही ठीक करवा सकते हैं। वरना किसानों को एक दिन यहां आना पड़ेगा और मन्त्री महोदय और मुख्य मंत्री महोदय का घेराव करना पड़ेगा, और जब तक उचित रूप से डीजल की व्यवस्था नहीं होगी इनको घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। अगर इनको किसान की उन्नति में थोड़ा भी विश्वास है, उसके प्रति स्नेह है तो इस की तत्काल व्यवस्था करनी चाहिए, इसमें सुधार करना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी।

मेडिकल कालेज में अंग्रेजी विषय के के संबन्ध में दो मिनट बोलेंगे।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जो पांच मेडिकल कॉलिज हैं उनमें प्रवेश के लिये पी. एम. टी. की परीक्षा कई वर्षों से हमारे यहां चली आ रही है। पी. एम. टी. की परीक्षा से पूर्व हमारे यहां इस प्रकार की व्यवस्था चली आ रही थी कि फर्स्ट ईयर टी.डी. सी. साइन्स के विद्यार्थियों.......

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! कृपया शान्त रहें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : इस प्रकार की व्यवस्था थी कि फर्स्ट इयर साइन्स के विद्यार्थी को जो अंक प्राप्त होते थे केमेस्ट्री फिजिक्स, बाइलोजी इन तीनों के अंक जोड़कर उनकी उससे मेरिट लिस्ट बनाली जाती थी और उस मेरिट लिस्ट के आधार पर विद्यार्थी को मेडिकल कालेज में प्रवेश दे दिया जाता था। राजस्थान में 3 विश्वविद्यालय है, और उनका स्टेन्डर्ड अलग-अलग होने के कारण राजस्थान सरकार ने उस समय यह व्यवस्था की थी कि पी. एम. टी. की परीक्षा प्रारम्भ की जाय और उस

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

पी. एम. टी. की परीक्षा मे जो अंक प्राप्त होंगे उन अंकों को जोड़ कर के जिसमें कि फिजिक्स केमेस्ट्री और बायलोजी थे, उसके आधार पर मेरिट लिस्ट का निर्माण किया जाय। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि पी. एम. टी. की परीक्षा देने के लिये भी विद्यार्थी फर्स्ट-ईयर साइन्स की परीक्षा पास करता है, उस परीक्षा में अंग्रेजी विषय भी है और अंग्रेजी विषय होने के कारण सामान्य प्रोफीसियन्सी की छूट थी और मेडिकल कालेज में प्रवेश के लिये केवल फिजिक्स, केमेस्ट्री और बायलोजी ऐसे सबजेक्ट हैं जिनके अंकों को जोड़ कर मेरिट लिस्ट आज तक तय करते आये हैं। किन्तु शायद बीच में राष्ट्रपति शासन के समय पता नहीं ऐसी कौनसी बात हो गयी जिसके कारण सरकार ने यह निर्णय कर दिया कि 3 विषयों के साथ अंग्रेजी भी एक विषय कम्पलसरी रखेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि अब 4 विषय होंगे और अगर 100-100 अंक एक विषय के हैं तो 4 विषयों को इस तरह जो मेरिट लिस्ट बनेगी वह चारसो अंकों की बनेगी। अध्यक्ष महोदय, जो धनाढ्य घर का व्यक्ति है, सम्पन्न व्यक्ति हैं, जो अपने लड़के को पब्लिक स्कूल में पढ़ा सकता है, जो अपने लड़के को अच्छे स्कूल में पढ़ाता है, जहां मिडियम अंग्रेजी हो। उसको अधिक अवसर मिलेंगे, मेडिकल कालेज में पी. एम. टी. के द्वारा प्रवेश के और गरीब व्यक्ति को, शिड्यूल्ड कास्ट शिड्यूल्ड ट्राईब्ज के व्यक्ति, हरिजन व्यक्ति जो कि गरीब वातावरण में पला हैं, जिसके घर में इस प्रकार की स्थिति है कि वह इन स्कूलों में नहीं पढ़ सकता है। वह रह जायगा केमेस्ट्री, फिजिक्स, और बायलोजी तो वह पढ़ लेता है परन्तु अंग्रेजी तो एक पूरा विषय है और विषय भी ऐसा है जिसका हमारी भूमि से कोई संबंध नहीं, कोई सम्पर्क नहीं और कम में कम राजस्थान जैसे हिन्दी प्रदेश से तो इसका कोई संबंध नहीं है ....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि अंग्रेजी विषय इस साल से प्रारम्भ किया गया है जो राजस्थान के कमजोर लोगों के साथ धोखा है, गरीब हरिजन के साथ यह बहुत बड़ा धोखा है और जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर हैं उनके साथ तो यह बहुत ही बड़ा धोखा है, सेकिंड जनरेशन तो फिर भी कर सकती है, लेकिन फर्स्ट जनरेशन नहीं कर सकती है यह तो उसके साथ बहुत बड़ा धोखा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह कहा जा रहा है जब मैने जानकारी ली जानकार लोगों से, राजस्थान सरकार से और विश्वविद्यालय से तो मुझे जानकारी दी गयी कि मेडिकल काउंसिल ने इस प्रकार का रिजोल्यूशन भेजा है, मैं यह जानकारी इस लिये देना चाहता हूं कि शायद सरकार इसके लिये वक्तव्य दे और आज ही दे क्योंकि हो सकता है कल से विधान सभा की बैठक न हो जिसकी बड़ी भारी सम्भावना इसमें दिख रही है बच्चे कैसे पढ़ें शायद 28 तक पेपर्स सेट हो चुके होंगे इसलिये नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप ध्यान करके देखें कि मेडिकल कौंसिल का निर्णय कैसे हुआ, इसलिये कहना चाहता हूं कि जब आपकी बातचीत हो और जब

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

अधिकारी जवाब दें तो उस वक्त यह बात ध्यान में रहे। मेडिकल कौंसिल ने यह बात बहुत साल पहले भेजी थी। किन्तु आज तक राजस्थान की सरकार ने इसको नहीं माना. कह जा रहा हूँ मेन्डेटरी है किन्तु यह मेन्डेटरी नहीं है। जनता पार्टी की सरकार थी उस समय शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज की भरती के लिये जो 50% के अंकों की अनिवार्यता थी वह ज्यादा है, इस बात की चर्चा की थी मेडिकल कौंसिल से। लेकिन यहां के मेडिकल कालेजों ने मना कर दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हमारे भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री भैरोंसिंह शेखावत ने प्रधान मंत्री मोरारजी देसाई से बात की। मैं तथ्यों की जानकारी रखना चाहता हूं, राज्य के अधिकारी आपसे कहेंगे। इसलिये मैं आपको बता दूं कि मोरारजी देसाई के कहने से मेडिकल कौंसिल ने यह तय किया कि 50% के बजाय 40% ठीक है। वह 40% 36% करने पर राज्य सरकार विचार कर रही है वह अलग बात है। मेडिकल कौंसिल ने जो पत्र भेजा 40% करने का उसमें उसने उस बात का भी जिक्र कर दिया जिसे यूनिवर्सिटी वाले मेंडेटरी बता रहे हैं। वे अंग्रेजी थोपने की कोशिश कर रहे हैं. यह गलत है मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश ने नहीं माना मध्य प्रदेश ने नहीं माना और इंडियन मेडिकल कौंसिल की नाक के नीचे दिल्ली ने नहीं माना। राज्य सरकार को क्या हुआ जो यह निर्णय किया यह बड़े शर्म की बात है। इस बात पर विचार करें। शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के हित के लिये और हिन्दी भाषी क्षेत्र होने के कारण मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आज वह घोषणा करें, आज ही करें तो बहुत अच्छा है। अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है, इसलिये केवल तीन ही विषय फिजिक्स, केमेस्ट्री और बायलोजी ही आप मेरिट के लिये तय कर दें . . . .

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! भाषण समाप्त हुआ।

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन।

राजस्थान निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक, 1980

राजस्थान निवारक निरोध अधिनियम, 1970 को संशोधित करने के लिये विधेयक को पुनः स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव। माननीय मुख्य मंत्री महोदय !

श्री जगन्नाथ पहाड़िया (मुख्य मंत्री) : मैं राजस्थान निवारक निरोध अधिनियम 1970 को संशोधित करने के लिये विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान निवारक निरोध अधिनियम, 1970 को संशोधित करने के लिये विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गयी।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : मैं राजस्थान निवारक निरोध अधिनियम, 1970 को संशोधित करने के लिये विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : विधेयक पुरः स्थापित किया गया।

Page No.65

राजस्थान मालयान अधिग्रहण (संशोधन), विधेयक, 1980

राजस्थान माल-यान अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक, 1980 को पुरःस्थापित करने के लिए प्रस्ताव मंत्री, श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर (यातायात मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान माल-यान अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक, 1980 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान करने के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान माल-यान अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक, 1980 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये।

(स्वीकृति)

पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

एक माननीय सदस्य : बाहर कच्ची बस्ती का प्रदर्शन है. वह चाहते हैं कि चीफ मिनिस्टर उनसे मिलें। उनके डेलिगेशन से चीफ मिनिस्टर मिलें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

व्यवस्था का प्रश्न

अध्यादेश को जारी करने के कारणों का सदस्यों को विवरण।

श्री परसराम मदेरणा: माननीय अध्यक्ष महोदय, 11 जुलाई को जब यहां पर सदन के अन्दर प्रभारी मंत्री ने राजस्थान कृषि उपज विपणन (संशोधन, विधेयक को पुरःस्थापित किया था तो उसके साथ ही साथ उन्होंने प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम 63 के अन्तर्गत अध्यादेश को जारी किये जाने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर प्रस्तुत किया था। वह अभी तक सदन के सदस्यों को वितरित नहीं किये गये हैं और उसके अभाव में, अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि बराबर हम वंचित रहे हैं। कोई भी माननीय सदस्य आर्टिकल 213 के नीचे यदि स्टेटुटरी मोशन देना चाहे तो, क्योंकि आज एक बजे का समय निकल चुका है, इसलिए यह नहीं दे सकते। स्टेटुटरी मोशन उसी हालत में दिया जा सकता है जबकि माननीय सदस्य सेटिस्फाइड हो जायें कि आर्डिनेन्स को प्रोमलगेट करने के लिए वैलिड और उचित रीजन्स नहीं थे। अगर थे तो स्टेटुटरी मोशन नहीं देगा। लेकिन जब तक माननीय सदस्य उसे अच्छी तरह पढ़ नहीं लें कि वह क्या कारण है, जिनकी वजह से आर्डिनेंस को प्रोमलगेट किया गया, तब तक वह स्टेटुटरी मोशन नहीं दे सकते।

मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अपने इस अधिकार से वंचित रहे हैं। हमें अभी तक जो कार्य सूची मिली है उसके साथ–साथ जो कागजात मिले हैं उनमें इसका कोई उल्लेख नहीं है। यह हमें नहीं मिला है मैं समझता हूं कि यह गलत है यह लेप्स है। इनका दोष किस पार्टी पर है इसकी मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर यह परम्परा रही है कि आर्डिनेन्स को जारी करने के कारणों की प्रति सदस्यों को वितरित की जाती है उसी दिन, कि कल यह विधेयक लिया जाने वाला है। इसके अभाव में स्टेटुटरी मोशन देने की अवधि निकल चुकी है, और हम

(श्री परसराम मदेरणा)

अपने अधिकार से वंचित रहे हैं। मैं समझता हूं कि मुझे वह नहीं मिली है, दूसरे माननीय सदस्यों को मिली है या नहीं इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन वह मिलनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : अभी मालूम किये देते हैं कि किस कारण से वितरित नहीं हुए।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले राज्य के मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहता हूं कि उनको राजस्थान की ढाई करोड़ जनता तथा राजस्थान के विकास का अवसर मिला है। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को मैंने बड़े गौर से सुना है और इसको बहुत ही गम्भीरतापूर्वक पढ़ा। सदन के माननीय सदस्य मेरी इस बात से सहमत होंगे कि अभिभाषण के 25 पृष्ठों में केवल 17 पंक्तियां ऐसी हैं जिन 17 पंक्तियों को अगर यहां पर जनता पार्टी की सरकार होती, तो वह नहीं लिख पाते। सारे अभिभाषण में इन्हीं बातों का उल्लेख होता। जनता पार्टी के शासन काल में जो अच्छी चीजें शुरू हुई जो चल रही हैं केवल उन्हीं बातों का उल्लेख किया गया है। इस भाषण में 20 सूत्री कार्यक्रम, 12 सूत्री कार्यक्रम और 5 सूत्री कार्यक्रम और स्वर्गीय श्री संजय गांधी का कथन कि, 'बातें कम, काम ज्यादा" इसके अलावा आप जो कुछ गम्भीरता से पढ़ लें, कोई एक बात नजर नहीं आती जो बात इस सरकार की उपज हो।

अध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा खेद इस बात का है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के संबंध में हम क्या धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करें। उस प्रस्ताव को पारित करवाने की मांग कर रहे हैं। राज्यपाल महोदय राजनीति का एक तूल बन गये हैं। इस अभिभाषण में जहां तक सरकार के लिए लिखा है कि —

"गत तीन वर्षों के दिशाहीन शासन को राज्य की जनता ने जिस लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण तरीके से विदा किया है इसके लिए यह सरकार मतदाताओं के अपूर्व साहस एवं विवेक की प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकती।"

मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि मतदाताओं का निर्णय हम सबको स्वीकार करना चाहिए। हमने इसको किया है लेकिन किसी सरकार को दिशाहीन कहना और उसी सरकार के कार्यों का अभिभाषण में उल्लेख करना यह इस बात का संकेत है कि गत सरकार दिशाहीन नहीं थी। जिन्होंने यह अभिभाषण तैयार किया है वह निश्चित रूप से दिशाहीन थे।

अध्यक्ष महोदय, आगे लिखा है. "राष्ट्र के आर्थिक उत्थान के लिए जिन सर्वमान्य सिद्धान्तों और नीतियों को पिछले दिनों तिलांजलि दे दी गई थी उनकी समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के आधार पर पुनः स्थापना के लिए दृढ संकल्प से नये प्रयत्न किये जायेंगे।"

मैं नहीं समझता कि राज्यपाल को राजनीति का इस प्रकार से एक केन्द्र बिन्दु बनाया जाये। राज्यपाल महोदय ने 1977 में जिस प्रकार का अभिभाषण दिया था, इस सदन में कई माननीय सदस्य हैं उनको जानकारी के लिए उसके कुछ और अंश पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। . . . . .

श्री खेतसिंह राठौड़ : पूरे अंश पढ़कर सुनाइये ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं निवेदन कर रहा हूं अगर आप मुझे पूरा समय दें, मुझे पूरे अंश और पूरा भाषण सुनाने में कोई आपत्ति नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर-आर्डर !

श्री भैरोंसिंह शेखावत : विगत मार्च में हुए लोक सभा के चुनाव तथा जून में हुए विधान सभा के चुनाव ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यन्त ही महत्वपूर्ण एवं निर्णायक चुनाव रहे हैं । लोकसभा के चुनाव के समय जनता ने शांतिपूर्ण परिवर्तन से तानाशाही को जड़ से उखाड़ने का जो संकल्प किया था, वह विधान सभा के चुनावों के साथ पूरा हुआ । प्रदेश तथा देश की जनता ने इन चुनावों में यह सिद्ध कर दिया कि देश में लोकतंत्र की जड़ें कितनी गहरी हैं। आपातकालीन स्थिति के भंयकर संकट में भी जनता की आस्था प्रजातान्त्रिक मूल्यों से नहीं डिगी । यह हर्ष का विषय है कि अधिनायकवाद स्थापित करने के सभी प्रयास जनता के सामूहिक मनोबल के कारण सफल न हो सके तथा तानाशाहों को अपने ही बुने जाल में फसकर भारी पराजय का सामना करना पड़ा । पूर्ण अधिनायकवाद के कगार पर पहुंचकर देश की जनता पुनः अपनी खोई स्वतन्त्रता प्राप्त करने में सफल हुई है । देश की जनता के साथ हम सब दूसरी बार स्वतन्त्रता प्राप्ति के इस महा-यज्ञ के दृष्टा व सृष्टा हैं ।''

इस तरह से अभिभाषण में और उसके बाद जो अभिभाषण यहां पर राज्यपाल महोदय ने दिया उसमें सरकार की नीतियों की, सरकार के कार्यक्रमों की, सरकार के लक्ष्यों की और सरकार ने जिन तीन विषयों में अचीवमेन्ट किया है, उस अचीवमेन्ट की बात, मैं कहना चाहता हूं, राज्यपाल महोदय के मुंह से कहलवाने की सरकार ने कोशिश की है, वह लोकतान्त्रिक ढंग से उचित नहीं है ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : राज्यपाल तो वही बोलते हैं जो सरकार बुलवाती है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं मुख्य सचेतक से पूछना चाहता हूं कि यदि उन्होंने इन्ट्रक्शन्स करने का तय कर रखा है तो मैं उस ढंग से बोलना शुरू कर दूं ।

श्री दिनेशराय डांगी : आप हमको धमकी दे रहे हैं क्या ? हम भी बहुत ज्यादा हैं, आप धमकी न दें ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो होशियार आदमी हैं, आपको धमकी देने का सवाल ही पैदा नहीं होता । प्रतापसिंह कैरो भी आपकी होशियारी से परिचित थे ।

श्री दिनेश राय डांगी : मुझे मालूम है कि हजारों रुपये आपके मंत्रियों ने खाये हैं, भैरोंसिंह जी मैं आपकी नस–नस को जानता हूं, आप कितने इमानदार हैं, मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूं, मौका मिलेगा तो बोलूंगा ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जब आपको मौका मिले तो बोलना ।

श्री दिनेश राय डांगी : मैं आपकी नस नस जानता हूं, आप ×××....

×××अभिव्यक्ति अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री दिनेश राय डांगी : मैंने कैरो को मारा नहीं, कैरो को मारने वालों को पकड़ नहीं सके लेकिन आपने किस तरह से हाऊस को गुमराह किया, पैसे लिये थे ....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : राज्यपाल के अभिभाषण में हमें इस बात की सावधानी बरतनी पड़ेगी ताकि उस पद की गरिमा को किसी प्रकार की आंच न आये। इस प्रकार की स्थिति वेस्ट बंगाल में उत्पन्न हुई। जब वेस्ट बंगाल में संयुक्त दल की सरकार बनी राज्यपाल महोदय, श्री धर्मवीर से पुरानी सरकार की आलोचना कराने का प्रयत्न किया गया। अभिभाषण उसी प्रकार का लिखा गया। राज्यपाल महोदय उस अभिभाषण को पढ़ना नहीं चाहते थे। जब वह सदन में आए और अभिभाषण उनके सामने रखा गया तो उन अंशों के पढ़ने के बजाय वह अपने साथ जो लिखकर लाए थे वह सदन में पढ़कर सुनाया। शायद हिन्दुस्तान के इतिहास में यह पहला अवसर होगा जब ट्रेजरी बेंचेज ने वाक आउट किया। आज तक विरोधी पक्ष वाक आउट करता आया है लेकिन वहां ट्रेजरी बेंचेज ने वाक आउट किया। वेस्ट बंगाल में इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक संभव हो, इस प्रकार की भाषा कि सरकार दिशाहीन है सरकार ने सारी मान्यताओं को तिलांजलि दे दी, ठीक नहीं है। यह मुख्यमंत्री अपने वाद-विवाद के उत्तर में अपने भाषण में भी कह सकते थे। अन्य मन्त्री भी बोल सकते थे। लेकिन राज्यपाल के मुंह से इस तरह बात कहलवा कर उनको टूल बनाकर उसके पद की गरिमा को कम किया जाए तो मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस प्रश्न पर गंभीरता से चिंतन करें ताकि भविष्य में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए हम सब मिलकर सावधान रहें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आपने जब राज्यपाल से भाषण पढ़वाया उस समय इन आदेशों को भूल गए थे क्या ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य।

श्री भगवान दास शास्त्री : कोई बंनियों की पंचायत है क्या ?

श्री श्रीराम गोटेवाला: हम विधान सभा में बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप आसन की अवहेलना करना चाहते हैं, उधर मुंह कर बोलते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस अभिभाषण में शांतिपूर्वक चुनावों का उल्लेख किया गया। इन चुनावों का ज्यादा विश्लेषण नहीं करना चाहता लेकिन इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि गत विधान सभा चुनावों में जिस तरह देश में 90 व्यक्तियों की हत्यायें हुई हैं, इस देश में आज तक इस प्रकार की हत्यायें नहीं हुई। इस चुनाव को शांति का चुनाव कहें, इस चुनाव को अहिंसा के वातावरण में हुए चुनाव की संज्ञा दें, वह स्थिति किसी प्रकार उचित नहीं

Page No.69

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

होगी। अब यह कहा जाय कि राजस्थान की जनता ने भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी को जिताया है, यहां 133 विधायक कांग्रेस के चुनकर आये हैं....

कई माननीय सदस्य: 134।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 134। लेकिन इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि राजस्थान के कुल मतदाताओं में से केवल 22 प्रतिशत मत कांग्रेस पार्टी को मिले हैं

(व्यवधान)

22 प्रतिशत मत कांग्रेस पार्टी को मिले हैं....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

कई माननीय सदस्य : आप अपना प्रतिशत बता दीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हमको कितने मिले, आप बता दें। मैं इसलिए निवेदन कर रहा था कि कोई यह समझ ले कि राजस्थान की सारी जनता ने मिलकर आपको शासन सम्भलाया, यह बात नहीं। मतदाताओं के केवल 22 प्रतिशत मत आपके पक्ष में पड़े हैं।

(1.55 म० प०)

(श्री प्रद्युम्नसिंह, सभापति, पीठासीन)

और उससे सत्ता में आए हैं। इसलिए जनता की दुहाई देना आवश्यक नहीं है। आप कह सकते हैं कि आपकी संख्या 134 है ...

श्री श्रीराम गोटेवाला : आपके निक्कमेपन की दुहाई दें ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको शासन मिला है, यह स्वीकार करने में मुझे आपत्ति नहीं।

सभापति महोदय, मुख्य मंत्री बहुत अनुभवी हैं, यहां आने से पहले केन्द्रीय सरकार में राज्य मंत्री और उप-मंत्री के रूप में काम किया है। हम विश्वास करते थे कि इस अनुभव के आधार पर इनके आते ही सरकार चलने लगेगी, सरकार चलायमान होगी लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ेगा कि डेढ महीने का समय निकल गया जैसा सत्तापक्ष के माननीय सदस्य कह रहे हैं, सरकार स्थिर है। मुझे स्वीकार करने में आपत्ति नहीं है। खुद सत्तापक्ष के लोग भी महसूस करते हैं कि सरकार स्थिर है....

श्री दिनेशराय डांगी :-बहुत स्ट्रांग है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य !

एक माननीय सदस्य : XXX मत बोलो।

श्री बुलाराम : सभापतिजी, गलत कह गए।

श्री सभापति : स्थान ग्रहण करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापतिजी, जैसे शब्दों का प्रयोग किया कि 'XXX मत बोलो", तो मैं समझता हूं, मुझे बैठ जाना चाहिए। अगर मुख्य मंत्री चाहें और मुख्य सचेतक चाहें कि इस प्रकार से इन्टरप्शन्स चलते रहें और बैठे-बैठे बोलते रहें तो माफ करें मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा और मुख्य मंत्री का भाषण सुन लूंगा। मुझे समझ में नहीं आता कि 22 प्रतिशत मत मिले हैं कुल मतदाताओं के और मुझको कह रहे हैं कि

XXX शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

झूठ बोल रहे हो। मेरे पास आंकड़े हैं, आंकड़े मेरे बनाए नहीं हैं, इलेक्शन डिपार्टमेंट के बनाए हुए आंकड़े हैं, उन आंकड़ों का मैं उल्लेख कर रहा हूं। उस पर माननीय सदस्यों को आपत्ति हो रही है तो मैं इस सम्बन्ध में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं।

मैं निवेदन करना चाहूंगा 6 जून को राजस्थान के मंत्रिमंडल का गठन हुआ....

श्री रामसिंह बिश्नोई : आंकड़े बताइये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 6 जून को गठन हुआ उसके बाद 18 जून को मंत्रिमण्डल का विस्तार हुआ। 18 जून तक राजस्थान की सरकार बिना मंत्रिमण्डल के चली। यह देश में मुख्य मन्त्री ने नया कीर्तिमान कायम किया है। मैंने सारे राज्यों में इस प्रकार की स्थिति को देखा। मुख्य मन्त्री के शपथ ग्रहण करने के बाद जितने दिनों तक नए मंत्री शामिल नहीं हुए। अभी तक मेरी जानकारी के अनुसार ज्यादा से ज्यादा हिन्दुस्तान में यदि कहीं समय लगा है तो केवल 7 दिन का समय लगा है। 7 दिन में मंत्रिमंडल का गठन हुआ, यहां मुख्य मंत्री ने 13 दिन का समय लिया। उन्होंने एक कीर्तिमान कायम किया है। मैं समझता हूं, कीर्तिमान एक ही कायम नहीं किया, दूसरा कीर्तिमान यह भी कायम किया कि उन्होंने अपने सचिवों को मंत्रियों के अधिकार दे दिए। एक सर्क्यूलर मुख्य मंत्री ने जारी किया जो सदन में पढ़ कर सुनाया, उसी सर्क्यूलर का पार्ट एक है।

"All cases, which used to be submitted to the Ministers-in-charge before the proclamation of President's Rule was issued shall now be disposed of by the Secretaries concerned."

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि मुख्य मन्त्री जी ने जहां पर यह कीर्तिमान स्थापित किया है वहां एक कीर्तिमान यह भी स्थापित किया है कि उन्होंने आज तक किसी भी उप मन्त्री को कोई भी अधिकार नहीं दिया है। सभापति महोदय, हिन्दुस्तान में इस प्रकार का कीर्तिमान आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। यह कीर्तिमान हमारे मुख्य मन्त्री जी ने स्थापित किया है।

सभापति महोदय, तीसरा कीर्तिमान जो हमारे मुख्य मन्त्री जी ने स्थापित किया है वह यह है कि उन्होंने उप मन्त्री तो ले लिये पर उनके काम का आज तक कोई बंटवारा नहीं किया गया है। आज तक यह भी फैसला नहीं किया गया है कि उनका क्या काम होगा, क्या उनके अधिकार होंगे, किस प्रकार के मामलों में किस स्तर तक वह लोग निर्णय ले सकेंगे, और किस प्रकार के मामलों में वह निर्णय नहीं ले सकेंगे। सभापति महोदय, मुख्य मन्त्री जी के द्वारा इन्हीं कीर्तिमानों के कायम करने से आज परिणाम यह हुआ कि राजस्थान का प्रशासन बिलकुल ठप्प पड़ा हुआ है। सभापति महोदय, मैं अच्छी तरह से मानता हूं कि जब राजस्थान विधान सभा का अधिवेशन चल रहा हो उस वक्त केवल तीन मन्त्री अधिवेशन के काम को सुचारु रूप से नहीं कर सकते हैं। अब आगे किस प्रकार मुख्य मन्त्री जी अपने मन्त्रिमण्डल का विस्तार करेंगे किस प्रकार

Page No.71

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

के लोगों को अपने मन्त्रिमण्डल में लेने चाहिये, अपने मन्त्रिमण्डल में मन्त्री नियुक्त करेंगे यह तो मैं नहीं जानता । यह मेरा विषय भी नहीं है और न ही मैं नियुक्त करने के बारे में कोई सिफारिश करूंगा। और सिफारिश करूंगा भी तो वह मेरी सिफारिश मानेगें नहीं। उन्होंने यह कहा कि मैं विधान सभा के अन्दर सदस्यों का परफोमेंन्स देख कर मन्त्री बनाऊंगा । मैं समझता हूं कि पिछले तीन चार दिनों से जिस तरह से बोलने वालों ने अपना परफोर्मेन्स दिया उससे अच्छा तो उनका परफोर्मेन्स रहा जो नहीं बोले ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। बीच में व्यवधान न करें ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसलिये सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार का कीर्तिमान हिन्दुस्तान में आज तक किसी भी मुख्य मन्त्री ने कायम नहीं किया है जो हमारे मुख्य मन्त्री जी ने किया है और इस तरह के कीर्तिमान कायम करने के लिये मैं हमारे मुख्य मन्त्रीजी को निश्चित रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा ।

सभापति महोदय, इस सदन के पिछले तीन दिन की जो कार्यवाही हुई जो चर्चा चली, उसमें जो मुख्य मुद्दे माननीय सदस्यों द्वारा बनाये गये थे उसमें खास तौर से कुम्भलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य और दूसरे मांडलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, उन्होंने जो भाषण दिया उनको मैंने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना था। उन दोनों माननीय सदस्यों ने सदन में कुछ ऐसी बातें कही थी जिनका कोई सिर पैर ही नहीं था। उनके भाषण का मूल मुद्दा यह था कि राजस्थान में पिछले तीस वर्षों की सरकार ने कोई भी, किसी भी प्रकार का विकास काम नहीं किया। विकास का काम नहीं किया और राजस्थान में विकास की गति रुक गयी और राजस्थान में इस प्रकार का शासन उस वक्त में हो गया कि उस शासन को शासन नहीं कहा जा सकता। सभापति महोदय, मैं उनके इस भाषण का उत्तर इस बात से देना चाहूंगा कि हमारे यहां पर एक Economic & Political Weekly नाम का पेपर निकलता है, उस वीकली पेपर को हमारे सदन के माननीय सदस्य पढ़ते हैं और कई माननीय सदस्य ऐसे हैं जो कि 10 रुपये खर्च कर वह खरीदते भी हैं। इसकी जानकारी मुझे है। उस Economic & Political Weekly पेपर में हमारे देश के अच्छे से अच्छे विद्वानों के लेख आते हैं। उसका अभी एनुअल नम्बर 1980 जो आया है उसके अन्दर पृष्ठ 213 में लिखा है, वह मैं आपकी जानकारी के लिये पढ़ कर सुनाना चाहूंगा। इसमें कई स्टेट्स का उल्लेख किया है, मगर जिस सन्दर्भ में मैं सुनाना चाहूंगा उस आर्टिकल में कर्नाटक में देवराज अर्स की सरकार ने क्या काम किया उस संदर्भ में लिखा है:—

"But for the moment, this writer holds that Karnataka is not as eccentric as all that. The Shekhawat Government in Rajasthan–surely one of the last places one might

Page No.72

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

have expected a reformist Government to appear, let alone succeed–suggest that conditions at large may soon be right for the emergence of pragmatic progressives at the State level."

इससे आप अन्दाज लगा सकते है।

एक माननीय सदस्य : इसके लिये कितने पैसे दिये ?

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया व्यवधान नहीं करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय सदस्य मुझे इस बात की खुशी है कि उनको यह भी जानकारी है कि ऐसे आर्टिकल पैसे देकर लिखाये जा सकते हैं। इस बात के लिये तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। सभापति महोदय, जिस इकोनोमिक एण्ड पोलिटिकल वीकली में अच्छे से अच्छे राइटर के लेख आते हैं उनके लिये यह कहते हैं कि यह लोग पैसे लेकर अपनी कलम चलाते हैं। मैं समझता हूं सभापति महोदय, कि यह बहुत ही शर्म की बात हैं अच्छे से अच्छे राईटरों के लिये माननीय सदस्य इस प्रकार का लांछन लगाते हैं। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के लांछन लगाना न आपके लिये शोभा की बात हैं न मेरे लिये शोभा की बात है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय अब मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिस वक्त जनता पार्टी ने राजस्थान सरकार का शासन सम्भाला था, उस समय यहां की हालत क्या थी। मैं उसके बारे में भी, सभापति महोदय, यहां कुछ कहना चाहूंगा। सभापति महोदय, उन दिनों तक राजस्थान में कोई काम नहीं हुआ। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में प्रति व्यक्ति पर कैपिटा इनकम 831 रुपये थी और इसके कम्पेरिजन में आल इण्डिया स्तर पर कैपिटा इनकम 963 रुपया थी। शिक्षा में भी हम बाकी सभी स्टेट्स से पिछड़े हुए थे। इरीगेशन हमारे यहां पर 17 प्रतिशत थी और आल इण्डिया लेवल पर दूसरी जगह 28 प्रतिशत थी। इन्फ्रा-स्ट्रक्चर फेसिलिटीज में हमारे राजस्थान की आल इण्डिया बेसिस पर 14 वां स्थान था दूसरे राज्यों की तुलना में एग्रीकल्चर प्रोडेक्शन राजस्थान में 940 रुपये प्रति हैक्टेयर था।

श्री भैरूंसिंह गूजर : आॅन ए पाइन्ट आफ आर्डर सभापति महोदय। 11 जुलाई को जब मैं यहां पढ़ कर भाषण दे रहा था तो माननीय सदस्यों ने मुझे रोका था। अब यह पढ़कर कैसे बोल रहे हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आंकड़े दे रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री दिनेश राय डांगी : दोनों ही तरफ भैरोंसिंह हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इसको अफ्रीका भेजो।

श्री भैरोंसिंह गूजर : तुम भी साथ चलोगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय; एक लाख की पापूलेशन पर अस्पताल थे उनमें हमारे यहां पर बैड की संख्या 66 थी और आल इण्डिया लेवल पर जो 100 थी। बिजली की स्थिति आल इण्डिया के हिसाब से दूसरी जगह 119 किलोवाट थी वहां पर हमारे यहां हर 83 किलोवाट ही थी। ग्रामीण विद्युतीकरण का जहां तक सम्बन्ध है, तीसरी पंचवर्षीय योजना तक हमारे राजस्थान में कुछ नहीं हुआ। हम सबसे पिछड़े हुए थे। जहां तक सड़कों का संबंध है, आल इण्डिया लेवल पर प्रति 100किलो मीटर के एवरेज से जहां आल इण्डिया की दूसरी स्टेट्स में 36 किलोमीटर रोड्स थी वहां हमारे राजस्थान में 13 किलोमीटर रोड्स ही थीं। इसके अलावा 25 हजार गांव ऐसे थे जहां पर पीने के पानी की समस्या थी। इसका मतलब यह कि राजस्थान आल इण्डिया स्तर पर हर जगह कम था। और उसके बाद में क्या जनता पार्टी की सरकार ने काम पिछले तीन साल में किया वह माननीय सदस्य खुद देख लें।

सभापति महोदय, मैं अब उन माननीय सदस्यों को उत्तर देना चाहूंगा जिन्होंने सदन में यह कहा कि राजस्थान में जो फुड फोर वर्क का काम शुरु किया गया था उस से हमारे यहां अनाज की भूख हो गई। इस तरह के आरोपों से मुझे सभापति महोदय ऐसा लगता है कि हमारे यहां पर एक वेस्टेड लोबी क्रियेट की जा रही है जो यह चाहती है कि हमारे यहां पर गांवों का विकास न हो और किसी प्रकार गांवों का विकास रुके। सभापति महोदय, पिछले तीस वर्षों में कांग्रेस के शासन काल में हमेशा गांवों की उपेक्षा की गयी। गांवों में न सड़कें थी, न बिजली थी न गांवों में पानी था, न गांवों में बच्चों के पढ़ने को शालायें थीं, और अगर शालायें थीं तो वहां पर अध्यापक नहीं थे। और अगर शालायें थीं तो टूटी फूटी थीं, उनकी कोई मरम्मत ही नहीं हुई थी। वहां पर मान्डलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य श्री शिवचरणजी माथुर ने अपने भाषण में यह कहा कि फुड फोर वर्क को अगर प्लान की स्कीम्स के अन्तर्गत करते तो ठीक रहता। सभापति महोदय शिवचरण जी माथुर तो योजना मन्त्री रह चुके हैं, उन्होंने ऐसे कैसे कहा? यदि फुड फोर वर्क की स्कीम को प्लान में रखते तो 100 करोड़ का अनाज जो भारत सरकार से लिया उतने पैसे की कटौती हमारे प्लान में होती और हमारे राजस्थान के गांवों का विकास भी नहीं होता।

अब मैं नहीं समझ पाया हूं कि उनको किस प्रकार की जलन हुई है। आखिर सौ करोड़ रुपये की एडीशनल ऐड राजस्थान को मिली है इससे राजस्थान को खुश होना चाहिए। राजस्थान में जितने काम हुए उनका विवरण मैं दे रहा हूं। 7849 शाला भवन बनाये गये मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को इससे एतराज नहीं है, 784 औषधालय भवन बनाये गये, पंचायत घर 1864 बनाये गये, 10635 पंचायत क्षेत्रों में छोटे तालाबों और सिंचाई के तालाब 11483 तैयार किये गये। गांवों में सड़कें 17638 कि. मी. तैयार की गयी और अन्य कार्य लगभग 30141 हुए। इस तरह कुल मिलाकर 79503 काम हुए गांवों में हुआ। आज लोगों को जलन है कि यह पैसा गांवों में क्यों गया।

श्री विष्णुप्रकाश बजारी : फिर हार क्यों गये ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय कई माननीय सदस्यों ने यह कहा कि को-आपरेटिव सोसाइटीज के चुनाव नहीं हुए, नगरपालिकाओं के चुनाव नहीं हुए।

एक माननीय सदस्य : किसी के भी चुनाव नहीं कराये, माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरे बाद में मुख्यमंत्री जी बोलेंगे इतनी सी सावधानी रखना।

एक माननीय सदस्य : डरा रहे हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : डरा नहीं रहा हूं। मैं तो मेरे अधिकारों की बात कर रहा हूं।

श्री सभापति : बैठे-बैठे माननीय सदस्य बात नहीं करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो माननीय सदस्यों को यह जानकारी होनी चाहिए कि राजस्थान में कांग्रेस के राज्य में 13 वर्षों तक पंचायतों के चुनाव नहीं हुए। कई सरपंच मर गए, कई पंचायतों के ताला लगाकर चले गए पंचायतों के रेकार्ड दीमक खा गयी–यह कांग्रेस पार्टी का शासन था जिसने 13 वर्षों तक चुनाव नहीं कराये पंचायतों के। हमने पंचायतों के चुनाव कराये और केवल मात्र चुनाव ही नहीं कराये सभापति महोदय, हमने ग्राम पंचायतों को 4 आना आदमी के हिसाब से जो अनुदान मिलता था उस अनुदान को बढ़ाकर ढाई रुपया किया। पहले 40 लाख रुपया अनुदान के रूप में इनको मिलता था, उसको बढ़ाकर 5.60 करोड़ देना शुरु किया। पहले पंचायतों को एक पैसा भी खर्च करने का अधिकार नहीं था पहले हमने 5 हजार रुपये तक खर्च करने का अधिकार दिया और फिर उसको बढ़ाकर 7 हजार रुपयों तक किया। और यह सभी अच्छी तरह जानते हैं कि भारत सरकार के इकानामिस्ट, जो कि योजनाओं में पारंगत हैं, व एक ही बात कहा करते रहे हैं, कि हिन्दुस्तान में योजनाएं तभी सफल होगी जब कि ग्रास रूट प्लानिंग हो और कम्युनिटी का कन्ट्रीब्युशन होगा, कम्युनिटी उसमें इन्वाल्व होगी। मैं आपसे जानकारी करना चाहता हूं कि हमने पंचायतों को अधिकार दिये, काम के सलेक्शन का अधिकार हमने पंचायतों को दिया। गांव वाले जो उचित समझें वह काम करायें। और उसके कारण से केपिटल असेट्स राजस्थान में निर्मित हुए। उसमें किसी को आपत्ति है ? किसी को आपत्ति होनी चाहिए ? मैं ऐसा समझता हूं कि किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

मैं तो आपसे एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आप फूड फोर वर्क को एक आब्जेक्शनेबल मैटर मानकर चलते हैं, तो अभी केन्द्रीय बजट में रूरल री-कन्सट्रक्शन के नाम पर फूड फोर वर्क में काम चलेगा, और यदि आपका विरोध है तो भारत सरकार भी आपके इस विरोध का लाभ उठाकर राजस्थान को कम अलाट करेगी और उससे राजस्थान को बहुत बड़ी हानि होगी। इसके ऊपर भी आपको चिन्तन करना चाहिए।

मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि लगभग 110 करोड़ रुपये के असेट्स गांवों में बना दिए जो कि पिछले तीस वर्षों में नहीं बने। क्या यह हमने आगे कदम

Page No.75

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

नहीं लिया ? क्या आप यह कहना चाहेंगे कि गांवों में किसी प्रकार का काम नहीं हुआ क्या स्कूलों के भवन, दवाखाने, पंचायत घर और सड़कें आप अपनी जुबान से कुछ भी कहें लेकिन गांवों में जाकर देखिए वह अपने आप में बोलते हैं। जनता पार्टी के ढाई वर्ष के शासनकाल में गांवों में काम हुआ, एक क्रांति आई। और उससे माननीय सदस्य आप नाराज हैं, तो मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। सभापति महोदय मैं फूड फोर वर्क की स्वयं प्रशंसा नहीं करता हमारी अदम मौजूदगी में हमारी सरकार के खतम होने के बाद यहां पर भारत सरकार की एक स्टेडी टीम आई और उसने फूड फोर वर्क का जायजा लिया और वह टीम लिखती है :

'Food for work programme is being effectively utilised by the State for supporting employment generation programmes. A provision of Rs. 10 Crores was made last year to provide for material component to the maximum extent of 25 per cent of the total cost of the work. Grant-in-aid available with the Panchayats as will as publio contribution has been added to these funds. This approach has resulted in a very healthy impact on the quality of food for work programmes resulting in creation of worthwhile durable assets. The State Government has concentrated on imaginative works under the programme."

जो मैंने आपको संख्या बताई है कि कितने पंचायत घर बने, कितनी शालाएं बनीं और कितने औषधालय भवन बने और सब कुछ हुआ, इसके बाद, सभापति महोदय, भारत सरकार के ज्वाइन्ट सैक्रेटरी ने जो राजस्थान सरकार को पत्र लिखा है उस पत्र से फूड फोर वर्क क्या है और उसकी राजस्थान को क्या देन रही है इसका अपने आप ही अन्दाजा हो जायेगा :—

"The Study has observed that 42 per cent of the beneficiaries of the programme belonged to scheduled castes, 13 per cent to scheduled tribes and 45 per cent were others. 80 per cent of the beneficiaries were male and 20 per cent female. The objective of creating additional gainful employment has been achieved in all the districts under Study. Where adequate attention has been paid to the planning of works, the additional employment generated is sizeable. It has also been found that the programme has been able to generate additional employment during 1978–79 over the previous year per selected household in all the districts in the State. The overall percentage increase in income for all the households in the selected districts works out to 17.7 per cent."

मैं माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूं कि आप मुझे कोई कार्यक्रम बता दीजिए जो कि पिछले 30 वर्षों में कांग्रेस की

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हुकूमत ने हाथ में लिया हो और जिसने रूरल इकानामी को 17.7 परसेन्ट का डवलपमेंट किया हो ? आपका कोई कार्यक्रम नहीं है। उस सर्वे मे लिखा है।

"The Survey has indicated that by and large, the objective of creating durable community assets has been achieved."

"The Study Team has found that in most of the districts the food for work programme did have a significant effect on the market wages. It has been reported that in two districts, the market wage rates of agricultural labour have gone up. By and large, the programme had stabilising effects on the market wages. The programme had the positive impact of keeping the local wheat/rice prices stabilised at a time when these would otherwise have gone up. Besides, drought conditions prevalent in the current year would also have pushed the prices further, but for the fact that the programme has ensured easy availability of foodgrains to the rural poor. There is a clear cut finding to the effect that the programme has made considerable impact on the life and living conditions of the village community."

मैं कांग्रेस के सारे बन्धुओं को चुनौती देकर कहता हूं कि आलोचना करने का सवाल नहीं है, मुझे आप तीस वर्षों का एक भी कार्यक्रम बता दें जिस कार्यक्रम से गांवों की रूरल इकानामी में इस प्रकार का रेवोल्यूशनरी चेन्ज लाया गया हो।

श्री जयकृष्ण शर्मा : इससे बड़ा भ्रष्टाचार और किसी में नहीं हुआ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं उस पर भी आ रहा हूं, आप चिन्ता नहीं करें। जो आपने बोला है सबका जवाब देने की स्थिति में हूं। एक कार्यक्रम बनाया है कि सरपंचों के इनीशियेटिव को किस प्रकार से कर्ब किया जाये। मैं भ्रष्टाचार की चर्चा करने से पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जिस हथियार से आप सरपंचों के खिलाफ कार्यवाही करना चाहते हैं, यदि उस हथियार को इमानदारी से नहीं चलाया तो आप निश्चित रूप से मानकर चलिये कि रूरल कम्युनिटी में जो एक प्रकार की चेतना पैदा हुई है, काम करने की जो लगन पैदा हुई हैं कम्युनिटी का इनवाल्वमेंट क्रियेट हुआ हैं, उसको आप खत्म कर देंगे। किसी भी सरपंच ने यदि कोई चोरी की है तो मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप यह ध्यान रखकर चलें कि वह न आपका सगा है और न मेरा है, न आपकी पार्टी का सदस्य है और न मेरी पार्टी का सदस्य है, वह अपने स्वार्थों के कारण बैठा हुआ है और यदि ऐसे के खिलाफ कोई कार्यवाही सरकार करेगी तो कोई विरोध नहीं होगा बल्कि मेरा समर्थन होगा। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं इस हथियार से राजनैतिक विद्वेष से काम नहीं करें। मेरे पास कई उदाहरण आये है। सरपंच के खिलाफ इन्क्वायरी करने के लिये एस. डी. ओ. को नियुक्त किया गया था और

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

माननीय मंत्री महोदय उसके सस्पेन्शन के आदेश जारी कर रहे हैं। मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं।

एक माननीय सदस्य : भैरोंसिंह शेखावत द्वारा इन्क्वायरी कराई गई है....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय सदस्य की अपनी समझ में नहीं आ रहा है। एस. डी. ओ. से इन्क्वायरी कराइये, मुझे कहां आपत्ति है ?

श्री बुलाराम : सभापति महोदय, विरोधी पक्ष के नेता जब बोलें, आसन की तरफ मुंह करके बोलें....

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, इस आधार पर मैं निवेदन कर रहा था कि किसी भी रूप में सरपंच का इनीशियेटिव खत्म न हो। चोरी की आप जांच करें, एस. डी. ओ. से कराना चाहें, एस. डी. ओ. से करायें, कलेक्टर से कराना चाहें, कलेक्टर से जांच करायें। आपके हाथ में कानून है, सजा दें, लेकिन इस आधार पर सरपंच को टारगेट न बनायें कि फलां सरपंच ने चुनाव में हमारे विरुद्ध काम किया। यदि इस दुर्भावना से कार्यवाही की तो आपको निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आप जनता पार्टी का नुकसान नहीं कर रहे हैं पूरे राजस्थान के अन्दर रेवेल्यूशन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं केवल यही आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, एक बात यहां उठाई गई महंगाई की। बड़े जोर शोर से चर्चा की गई कि जनता पार्टी के शासन में बहुत महंगाई बढ़ी है। मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता हूं कि क्यों बढ़ी क्यों नहीं बढ़ी आपके कांग्रेस राज के भारत सरकार के वित्त मंत्री जी ने अभी जो पार्लियामेंट में एकनामिक सर्वे, गवर्नमेंट आफ इन्डिया, 1979-80 प्रस्तुत किया है, उसके पेज 23 पर ले जाना चाहता हूं और पेज 23 को पढ़कर सुनाना चाहता हूं जिससे माननीय सदस्यों को जानकारी मिल जाये कि जनता पार्टी के शासन में भाव नहीं बढ़े भाव अब बढ़े हैं।

"After two years of remarkable price stability, the economy Witnessed a sharp increase in prices during 1979-80. The increase of wholesale prices (1970-71 = 100) which had reached 182.9 in March 1977, recorded only minor fluctuations for the next 23 months and stood at 184.7 in February, 1979. prices began to rise sharply thereafter and continued on an up trend through the rest of the year. Between 31 st March, 1979 and 29th March, 1980, the General index increased by 19.9 per cent."

(2.25 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष पदासीन)

यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह आपकी सरकार ने लोकसभा में रिपोर्ट प्रस्तुत की है। मैं इसलिये निवेदन कर रहा था प्राईसेज के बारे में यह बात कहने से काम नहीं चलेगा। आज के राजस्थान पत्रिका में छपा है, भाव देख लीजिये....

एक माननीय सदस्य : राजस्थान पत्रिका आपका है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बीच-बीच में बात न करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इनके खिलाफ जो बात कर दें, वह अखबार हमारा हो गया। भगवान करे, अखबार इनके खिलाफ लिखते रहें और अखबार हमारे हो जायें। कल एक माननीय सदस्य बोल रहे थे हिन्दुस्तान में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन गिर गया, इण्डस्ट्रीयल प्रोडक्शन गिर गया। मैं उसी रिपोर्ट को पढ़ कर सुनाना चाहता हूं जिसको पढ़कर आपको मालूम होगा कि जनता शासन में क्या हुआ।

'There was a sharp turn in the economic situation in the country in 1979-80 as compared to the previous years.''

These two years were of Janta Raj.

''Severe drought gripped large parts of the country and rainfall was erratic in other parts with the result that agricultural production declined by about 10 per cent in sharp contrast to the record harvest in 1978-79. The industrial production declined marginally, again in contrast to the increase of 7.6 percent in 1978-79. Owing to the poor performance of power, coal, rail transport, infrastructure has suffered bottlenecks on production after two years of reasonable economic growth, 1979-80 witnessed a decline of about 3 per cent in real G.N.P.''

इससे आपको अन्दाजा लग जायेगा, अध्यक्ष महोदय, कि जनता पार्टी के शासन में चीजों के भाव बढ़े या कांग्रेस के शासन में आने के बाद चीजों के भाव बढ़े। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में उल्लेख किया है कि हमने इतने हजार आदमियों को गिरफ्तार किया, इतना माल जब्त किया। क्या यह सारी कार्यवाही 30 अप्रेल, 1980 के बाद की है? यदि 30 अप्रेल, 1980 के बाद की हो तो इस सारी कार्यवाही के लिये आप श्रेय लीजिये जितनी गिरफ्तारियां हुई, माल जब्त हुआ, 30 अप्रेल 1980 से पहले हुआ जिसका राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उल्लेख किया गया है। मुझे इस बात की खुशी है कि राज्यपाल महोदय के मुंह से जनता पार्टी की सरकार की तारीफ कराई है। आपकी सरकार ने कुछ काम नहीं किया। 30 अप्रेल से पहले इतने चालान किये, इतनी गिरफ्तारियां की, इतना माल जब्त किया गया। आंकड़े तो जनता पार्टी के और वाहवाही लेना चाहती है कांग्रेस सरकार। काम हम करते जायें, वाहवाही आप लूटते जायें? पर राजस्थान का विकास होता जाये, तो हमें किसी बात की चिन्ता नहीं है।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि उस सारी स्थिति में राजस्थान सरकार एक हथियार लेकर चलती है, और हथियार किस बात का, कि व्यापारियों को जिस मीसा में गिरफ्तार किया गया था फिर मीसा में गिरफ्तार किया जाये। उस हथियार से भाव कम कराना चाहते हैं। मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हथियार हिन्दुस्तान की धरती पर नहीं चलने देंगे। 100 व्यापारियों को मीसा में गिरफ्तार कर के भाव कम हो जायेंगे, यह आपकी धारणा गलत है। आज शक्कर के भावों की चिन्ता की जा रही है। सदन को यह जानकारी होगी कि अंग्रेजों के राज में हिन्दुस्तान से गन्ने का एक्सपोर्ट होता था। अंग्रेजों के जाने के बाद हिन्दुस्तान से शक्कर का एक्सपोर्ट हुआ होगा। हिन्दुस्तान से और चीजों का एक्सपोर्ट हुआ होगा लेकिन गन्ने के रूप में रा-मैटीरियल एक्सपोर्ट नहीं हुआ होगा। यह कांग्रेस का राज है शक्कर के एक्सपोर्ट के साथ गन्ने के एक्सपोर्ट का लाइसेन्स जारी किया है ....

(व्यवधान)

श्री जयकिशन शर्मा : आपने किसानों का गन्ना जलवाया है, उपयोग ही नहीं किया।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

भारत सरकार का यह नोटिफीकेशन है दिनांक 8 मई, 1980 का जिसमें लिखा है

"This order may be called the Exports (Contorl) (9th Amendment) Order, 1980.

2. In the Export (Control) Order, 1977, in part 'B, Schedule I, the existing entry appearing against S. No. 33 shall be substituted by the following,—

33 (i) Sugar,

(ii) Sugarcane.

मैं समझता हूं हिन्दुस्तान में जो आज नहीं हुआ वह कांग्रेस की हकूमत ने करके चीनी को महंगा कर दिया।

आप इसके लिए दोष देना चाहते हो तो भले ही दें लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि व्यापारी हो, चाहे कोई राजनैतिक हो चाहे किसान हो, कोई भी दोष करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही करें। लेकिन आज किसी को ब्लेक मैलिंग करने के लिए एक तलवार लटकाकर लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया गया, तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि हम इसका विरोध करेंगे। मैं मुख्य मंत्री जी से भी पूछना चाहूंगा कि इसको लागू करने के बाद कितने लोगों को गिरफ्तार किया और कितने लोगों को धमकियां दीं गिरफ्तार करने की, और धमकियां देने के बाद कितने लोगों को गिरफ्तार किया और कितनों को गिरफ्तार नहीं किया। यह धमकियां देने का क्रम एक अजीब राजनैतिक धन्धा है और इस कानून के सहारे राजनैतिक धन्धा करने की चेष्टा की गई, तो हम उसका निश्चित रूप से विरोध करेंगे, इसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की भी बड़ी वेदना हुई जब माननीय सदस्य श्री शिवचरणजी माथुर ने ....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण करें। व्यवधान उपस्थित नहीं करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, अन्त्योदय योजना को लेकर यहां पर चर्चा की गई और अगर अन्य कोई माननीय सदस्य कहता तो मुझे कोई आपत्ति नहीं थी लेकिन मांडलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य श्री शिवचरणजी माथुर जब यह कह रहे थे कि यह योजना इसलिए शुरु

Page No.80

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

की गई कि गांव-गांव में आर. एस. एस. पहुंच जाय तो अध्यक्ष महोदय इस बीमारी का इलाज मेरे पास नहीं है कि शिवचरण जी माथुर को हर चीज में आर. एस. एस. दिखाई देता है। कल को श्री पहाड़िया जी को केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में वापस नहीं लिया तो कहेंगे कि ये तो भूतपूर्व आर. एस. एस. के सदस्य हैं। मुझे डर है कि कहीं इस प्रकार की स्थिति बन गई कि कल को इस सदन के कई माननीय सदस्यों को कहेंगे कि तुम आर. एस. एस. की शाखाओं में गए हो। आपके पुत्र आर. एस. एस. की शाखाओं में जाते हैं, आप खुद शाखाओं में गए हैं। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार का प्रसंग नहीं खड़ा किया जाय। मैं ईमानदारी से कहता हूं कि गांव-गांव में आर. एस. एस. पहुंचा या नहीं पहुंचा, गांव गांव में आर. एस. एस. का प्रचार पहुंचा या नहीं पहुंचा, लेकिन यह मेरी तमन्ना रही है कि गरीब के घर में सरकार का धन पहुंचा। गरीब को दो दिन की रोटी का इन्तजाम करके बिठा दिया और इस तमन्ना को कार्यान्वित करके चले हैं दुर्भाग्य से अन्त्योदय योजना के कार्यक्रम को किसने जन्म दिया जयप्रकाश बाबू ने, और जनता पार्टी के हाथों में पला इस का यदि दोष है तो यही है। और यदि इसी कारण से अन्त्योदय योजना कार्यक्रम की हत्या की जाय तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सदन के माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि इस अन्त्योदय योजना के कार्यक्रम का यू. पी. में जो नई सरकार बनी है, उसने इस अन्त्योदय कार्यक्रम को उसी रूप में स्वीकार किया है जिस रूप में वह राजस्थान में चला। उसी अन्त्योदय कार्यक्रम के नाम को बदल कर उड़ीसा में उसी रूप में चालू किया है जिस रूप में कि वह राजस्थान में था। यदि इस प्रकार के कार्यक्रम में कोई कमियां है तो इसको मानने में कोई दर्द नहीं है। कोई भी स्कीम में कमियां है तो ज्यों-ज्यों योजना लागू होगी कमियां सामने आएगी और उन कमियों का निराकरण करना होगा। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि सारे कार्यक्रम में दो लाख साठ हजार परिवारों का चयन हुआ और दो लाख मे से दस हजार परिवारों को 26 करोड़ रुपयों का कर्जा दो वर्षों मे दिया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों को कहना चाहूंगा कि पिछले तीस वर्षों में कुल मिलाकर उस गरीब को जिसको दो टाइम की रोटी नहीं मिलती थी, 26 करोड़ रुपये का कर्जा दो साल में मिला है। गरीब ने कभी बैंक का दरवाजा नहीं देखा और बैंक वालों ने कभी गरीब व्यक्ति की शक्ल नहीं देखी थी। कल माननीय माथुर साहब कह रहे थे कि अन्त्योदय परिवारों के लोग ब्याज की दर के बोझ से दब गए। मुझे अफसोस है भूतपूर्व योजना मंत्री शायद आपको यह ध्यान नहीं होगा कि अन्त्योदय परिवार को जो कर्जा मिलता है वह रियायती दर पर मिलता है। आपको शायद यह भी ध्यान नहीं होगा....

श्री शिवचरण माथुर : ब्याज की दर ज्यादा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब आपके हाथ में हकूमत है। हमने चार परसेंट ब्याज के ऊपर कर्जा दिलाया मैं आशा करता हूं कि आप और मुख्यमंत्री जी मिल कर यह चार परसेंट का जो ब्याज है उसको भी आप निश्चित रूप से माफ कर देंगे। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि भारत

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सरकार से जो डिफरेंशियल रेट आफ इंट्रेस्ट से केवल राजस्थान में ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान में जितने भी बैंक है, उनसे दो परसेंट बैंक से कर्जा गरीबों को दिलाया जाता था, लेकिन आपको यह जानकारी होगी कि हमारी सरकार के प्रयत्न से यह दो पर्सेंट बढ़कर तीन पर्सेंट हो गया और आपको इस बात की भी जानकारी होगी, भूतपूर्व योजना मंत्री जी, बैंक से पहले कर्जा लेते तो कर्ज की रखवाली, कर्ज की जमानत देने वाला कोई नहीं मिलता था। यह जनता पार्टी की हुकूमत थी कि जिस हुकूमत ने यह निर्णय किया कि हजार रुपये तक का कर्जा लिया जाता है तो किसी प्रकार की किसी गारण्टी की आवश्यकता नहीं है और पांच हजार रुपये तक का कर्जा लिया जाता है तो उस कर्जे के लिए जो सामान खरीदा जा रहा है वह सामान गारण्टी के लिए पर्याप्त होगा। यह सब व्यवस्था हमने की। इस व्यवस्था के बारे में दो पेराग्राफ आपकी इजाजत से पढ़ कर सुनाना चाहूंगा। भारत का शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स कमीशन है उसने इस अन्त्योदय प्रोग्राम की जांच की और जांच करने के बाद में उन्होंने बहुत लम्बी चौड़ी रिपोर्ट दी है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इस योजना की आलोचना करने से पहले इस रिपोर्ट को पढ़ें। इस रिपोर्ट के पेज 27 में लिखा है:—

"In view of the positive tilt in favour of poorest of the poor in the rural areas that the programme has given, the programme is a great step forward in alleviating sufferings of the rural poor and the Team feels that it would be advantageous if the other States also study this programme and consider implementing it in their States."

अब इससे अंदाजा लगा लें। यह मेरा नहीं है। यह जो माननीय सदस्य कहते हैं कि पैसों से पत्रकारों को खरीद कर लिखवा लिया यह पत्रकार नहीं है, देश के जाने माने नेता हैं और शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन के चेयरमेन हैं। उन्होंने अपनी यह रिपोर्ट दी है उस रिपोर्ट में और भी कई बातें लिखी हैं लेकिन मैं सदन का समय इन बातों को लेकर नहीं लेना चाहता हूं....

श्री दिनेशराय डांगी : ये कौन से चेयरमेन हैं? इनका नाम बता दें?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : भोला पासवान शास्त्री। आप यह कहें कि यह तो पोलिटिशियन के नाते उन्होंने लिखा है लेकिन अन्त्योदय योजना के ऊपर प्लानिंग कमीशन ने जांच की और इसकी स्टडी कराई थी। जांच करने के बाद में जो रिपोर्ट दी उस रिपोर्ट का भी एक पैराग्राफ पढ़ना चाहता हूं। इसमें यों तो और भी बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन एक पैराग्राफ मैं पढ़ कर सुनाना चाहूंगा जिससे आपको पता लग जायेगा :—

"Recently, at the instance of the State Government the Reserve Bank has simplified the loaning procedure by the co-operatives."

लेकिन राजस्थान के बारे में क्या लिखा है उन्होंने;

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

The Rajasthan Government has undoubtedly created general awareness amongst the poor in the villages regarding the basic concept of the Antyodaya Programme and they look forward to a wide range of employment opportunities through which means of livelihood would be available. Apart from providing gainful employment or economic activity to the beneficiar of this programme, it had also helped in raising their status and credit worthiness in the villages.

इससे, अध्यक्ष महोदय, सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि राजस्थान के इस अन्त्योदय कार्यक्रम के सम्बन्ध में अपने प्रदेश में ही नहीं, बल्कि केन्द्र सरकार की और बाकी लोगों की किस प्रकार की राय बनती है।

श्री अहमद बख्श सिंधी : तारीख तो बताइये, महोदय, इन रिपोर्टों की। यह तो अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं और कुछ नहीं है। यह आपकी ही सरकार की लिखी हुई है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री भैरोंसिह शेखावत : आज तो हालत यह हो गई कि है जो हमारी तारीफ करेंगे वह सरकार का वफादार नहीं और जो इनकी प्रशंसा करेगा वही सरकार का वफादार है। लेकिन माननीय पहाड़िया जी जानते हैं कि जिन राजकृष्णन ने स्टडी की है वे किस प्रकार के व्यक्ति हैं। वे मेरे प्रभाव में किसी प्रकार से नहीं आ सकते यह आप स्वयं अच्छी तरह से जानते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज !

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। आपको शायद पता होगा कि हिन्दुस्तान के बहुत बड़े जर्नलिस्ट जो मशहूर जर्नलिस्ट हैं, जिनका नाम हिन्दुस्तान में ही नहीं विदेशों में भी है, प्राण चोपड़ा ने वह आर्टिकल लिखा है और वह आर्टिकल समाचार पत्रों में आया। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने अपने खर्चे से बुकलैट तैयार करा कर हिन्दुस्तान में जगह जगह पर जो भी पढ़े लिखे आदमी हैं उनके पास भेजी है। मुझे आशा है कि अहमद बख्श जी के पास भी आयी होगी। अगर प्राण चोपड़ा के पास उनका नाम पढ़े लिखे लोगों के नामों में लिखा हुआ होगा, तो आपके पास भी भेजी होगी। उन सब लोगों के पास जानकारी भेजी गई है और उस जानकारी के अन्दर ज्यादा कोट करके मैं सदन का समय नहीं लूंगा। लेकिन प्राण चोपड़ा ने डिटेल में स्टडी करने के बाद लिखा है कि राजस्थान के गरीब के लिए एक रिवोल्यूशन है और उस रिवोल्यूशन में कमियां है तो, मैं मानता हूं कि आज अन्त्यो-

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

दय प्रोग्राम चालू किया तो हण्ड्रेड पर्सेन्ट फुलप्रूफ होगा, यह मान कर चलें तो गलती होगी। उनमें कमियां हैं तो आपस में मिल कर दूर कर सकते हैं। सुधार किस प्रकार से किया जाय इस सम्बन्ध में हम चिंतन कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे, मुख्य मन्त्री जी, यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजनैतिक आधार पर इस अन्त्योदय प्रोग्राम को खतम करने की कोशिश नहीं करें। पिछले तीस वर्षों में चाहे भारत सरकार ने पैसा खर्च किया हो, चाहे राजस्थान सरकार ने पैसा खर्च किया हो, गरीब के पास वह नहीं पहुंचा। इस अन्त्योदय कार्यक्रम से सीधे गरीब की जेब में, गरीब के घर में साधन पहुंचाये हैं। आप इसे राजनैतिक आधार पर किसी प्रकार से रोकने की चेष्टा न करें। यदि आप कमियां महसूस करते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि उन कमियों को दूर करने के बारे में आप विचार करें। हिन्दुस्तान और राजस्थान के अर्थ शास्त्रियों से बात करें, योजना बनवा लें, उनसे बात करें। यदि उचित समझें तो राजनीतिज्ञों से भी चर्चा कर लें लेकिन इस प्रोग्राम को खत्म करके, गरीब के साथ उसके हितों पर किसी प्रकार का कुठाराघात नहीं करें।

इस आशा से मैं आपसे पुनः आग्रह करना चाहूंगा। इस बात पर विचार कर लें; गरीबों के लिये इस प्रकार का और कोई कार्यक्रम नहीं है। यदि आप चाहें, और, अध्यक्ष महोदय, यदि आप समय देंगे तो राजस्थान में जिस प्रकार की स्थिति रही तथा जो कुछ राजस्थान में पिछले तीन वर्षों में हुआ, उसका मैं संक्षिप्त विवरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा।

राजस्थान में पिछले तीन वर्षों में 12 हजार लघु औद्योगिक इकाइयां पंजीकृत हुई हैं। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है। पिछले वर्षों का एवरेज है 750, और जनता पार्टी का एवरेज है 4000। 45 करोड़ के नये इनवेस्टमेंट हुए हैं। मैं मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें कमी नहीं होनी चाहिये। चार हजार का एवरेज कम नहीं होना चाहिये, चार हजार का एवरेज बढ़ना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, आर.आई.एम.डी.सी. ने पिछले वर्षों में 18 करोड़ के जोइन्ट सेक्टर में एग्रीमेन्ट किये हैं और 3 वर्षों में इसी आर.आई.एम.डी.सी. ने 24 करोड़ के एग्रीमेन्ट शुरू किये हैं। इससे पता चलता है कि राजस्थान में पिछले वर्षों में इण्डस्ट्रियल क्लाइमेट किस प्रकार का रहा है। 100 करोड़ की लागत के सीमेन्ट के कारखाने चल रहे हैं, 25 करोड़ रुपये के 5 कागज के कारखाने राजस्थान में लगे हैं। अशोक लेलेण्ड कारखाने का जिक्र आया है तो वह भी राजस्थान में लगेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है।

17 फरवरी को राजस्थान की सरकार भंग की गई। मुझे याद है 7 मार्च को अलवर में इस कारखाने का शिलान्यास होने वाला था, लेकिन सरकार भंग हो गई और उसी कारण अलवर में कारखाने का शिलान्यास नहीं हुआ। मैं समझता हूं मुख्य मन्त्री जी राजस्थान से बाहर इस कारखाने को नहीं जाने देंगे। मेरा अपना अनुभव है जो देरी हो रही है, पिछले 30 सालों में राजस्थान का इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट नहीं हुआ, इसका

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

विशेष कारण है कि हम विशेष स्थान के लिये जिद करते है कि यह चित्तौड़ में लगेगा या भीलवाड़ा मे लगेगा या उदयपुर में लगेगा और चितौड़, भीलवाड़ा या उदयपुर में नहीं लगेगा तो कहीं भी नहीं लगेगा। मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि कारखाना राजस्थान में लगे, यह पहला कार्य है। अलवर के बारे में सारी घोषणाएं हो चुकी हैं, भरतपुर के बारे में मुझे कोई विरोध नहीं है, मेरी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन लैन्लेण्ड कारखाना आप अलवर में लेते हैं तो जल्दी से जल्दी अपने कर कमलों से शिलान्यास करें। यह प्रेस्टीज प्रोजेक्ट राजस्थान से बाहर न चला जाये इस बात की निश्चित कोशिश करें।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, राजस्थान में पिछले तीन वर्षों में 2,863 प्राइमरी स्कूल खोले गये। 908 उच्च प्राथमिक शालाएं खोली गयीं, 788 माध्यमिक स्कूल खोले और 16 महाविद्यालय स्नातक स्तर की शिक्षा के खोले गये तथा 18 महाविद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया। कालेजों में नये विषयों को इन्ट्रोड्यूस किया गया। मैं इस सरकार के मुख्य मंत्री जी और शिक्षा मंत्री से कहना चाहता हूं कि यदि आप इनका एवरेज लगायें तो 1,000 प्राइमेरी स्कूल, मिडिल स्कूल और उच्च प्राथमिक शालाओं का आता है। आप घोषणा कर दें कि राजस्थान में जनता पार्टी का स्कूल और कालेज खुलने का एवरेज 1,000 का था, 1,000 से कम इस कांग्रेस की हुकूमत में नहीं होगा। मुझे दुःख हुआ, जिस समय शिक्षा मंत्री ने घोषणा की कि आपने स्कूल राजनैतिक आधार पर खोले। राजनीति स्कूल खोलने में कैसे आती है? पढ़ते बच्चे हैं, मास्टर पढ़ाते हैं, स्कूल खुलते हैं इसमें राजनीति किस बात की आ गई? राजनीति अगर आयी तो केवल यह कि मेरी अपनी कान्स्टीट्यूएन्सी में खुलवा लिया, लेकिन डांगीजी शिकायत करेंगे कि मेरी कान्स्टीट्यूएंसी में नहीं खुलवाया।

श्री अहमद बख्श सिंधी : नहीं, नहीं....

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुख्य मंत्री जी बड़ी गम्भीरता से आपकी परफोर्मेंस देख रहे हैं। आप इस तरह से बोले तो आपका नम्बर कट जायेगा। मैं निवेदन कर रहा था आपकी समझ में यह बात आने वाली नहीं है। मैं निवेदन करूं आप उसी प्रकार का एवरेज निश्चित कर दें। सरकार घोषणा कर दे। सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि न इस बार प्राइमरी स्कूल खुलने वाले हैं न इस बार प्राइमरी स्कूलों को क्रमोन्नत किया जाने वाला है न हायर सैकण्डरी स्कूल खुलने वाले हैं, न सैकण्ड्री स्कूल खुलने वाले है, न कॉलेज खुलने वाले हैं और न कुछ और खुलने वाला है। यदि आप यह चाहें कि राजस्थान में जनता पार्टी सब कुछ करके गई, अब हमें नहीं खोलना है, तो इससे काम नहीं चलेगा। आपको भी इसी प्रकार स्कूल और कॉलेज खोलने पड़ेंगे, तब आपको पता लगेगा कि आपने कितनी प्रगति की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले तीस वर्षों में पानी के लिये 7 करोड़ रुपया खर्च किया गया। पिछले तीस वर्षों में 7 करोड़ रुपया और जनता पार्टी के तीन वर्ष के शासन ने 60 करोड़ रुपया खर्च किया गया। इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि जनता पार्टी के शासन में कितने काम हुए हैं।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में हमने रेवेन्यू कम्पेन चालू किया। रेवेन्यू कम्पेन की जानकारी, मैं समझता हूं, माननीय परसराम जी मदेरणा भूतपूर्व राजस्व मंत्री हैं, उनको है। यह कोई इन्कार नहीं कर सकता कि इन कम्पेन में गांव के 15 लाख मामलों का निपटारा हुआ है। वह कम्पेन क्यों बन्द कर दी गयी ? उस कम्पेन के बारे में शिकायतें हैं तो शिकायतों का निराकरण करें, मुझे आपत्ति नहीं है। वह कम्पेन आपने बन्द कर दिया। गांवों में जो मुकदमें छोटे-छोटे किसानों के पड़े हैं वे चक्कर काटते-काटते बरबाद हो जायेंगे। रेवेन्यू कम्पेन वापस चालू किये जायें।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं, जब मैं विरोधी पक्ष में था, मैं समझता था कि सरकार में नौकरशाही काम नहीं करने देती। यह मेरी मान्यता थी, और अब मुझे यह स्वीकार करने में आपत्ति नहीं होगी कि शासन में जाने के बाद मेरी मान्यता सही नहीं रही। मैं मुख्य मंत्रीजी से कह सकता हूं कि राजस्थान की सर्विसेज हिन्दुस्तान के मुकाबले में कहीं ऊंची है। 30 वर्षों में राजनीतिज्ञों ने अपने चारों तरफ किलेबंदी तैयार नहीं की लेकिन सेवाओं ने चारों तरफ ऐसी जबरदस्त किले बंदी तैयार की है कि उसको तीन मन से, चार मन से तोड़ नहीं सकते हैं और एक मन ये होने नहीं देंगे। वह किलेबंदी टूटेगी। आपने यदि उनको ज्यादा प्यार दिया तो उससे भी बिगड़ने वाले हैं। मैंने अपने दोनों अनुभव किये। मैं उन अनुभवों के आधार पर कहना चाहता हूं, आप उनको मोटीवेट करें। मोटीवेट करने के बाद राजस्थान की सेवा में, राजस्थान के विकास में अपनी जिन्दगी लगाने की स्थिति में हैं। आज मैं कह सकता हूं, अन्त्योदय कार्यक्रम हो, चाहे रेवेन्यू कम्पेन हो, चाहे फूड फार वर्क हो, इनको जो सर्विसेज हैं, वह राजस्थान में एक मिसाल हैं, और खासतौर से इनमें जो यंगर आफिसर्स हैं वे राजस्थान में एक मिसाल है और उनको मैं इस मौके पर धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता। उन्होंने राजस्थान के विकास में इस प्रकार की स्थिति की है, लाइफ पुट इन की है। सारे सोने के नहीं हो सकते, करप्ट को करप्ट के ढंग से डील करना पड़ेगा, लेकिन ईमानदार को उसको ईमानदारी के लिये पेट (Pat) करना पड़ेगा। पिछले पांच महीनों में राजस्थान का शासन ठप्प हुआ। मैं नहीं कहना चाहता कि पहाड़िया जी का उसमें भी कन्ट्रीब्यूशन है। लेकिन हमारे यहां एडवाइजर आये, श्री खुराना जी, उसने राजस्थान का सत्यानाश किया पिछले 4 महीनों में राजस्थान की मशीनरीज को ठप्प किया। जिस समय वह मुख्य सचिव थे, उन्होंने सर्विसेज के गुट बना रखे थे, एक गुट को उनका पेट्रोनेज था, दूसरे गुट के विरोधी थे। एडवाइजर बन कर आने के बाद पहला काम उन्होंने यह किया, चाहे पुलिस हो, चाहे आई. पी. एस. हो, चाहे आर. पी. एस. हो, चाहे आर. ए. एस. हो, चाहे आई. ए. एस. हो, जो उनके गुट के विरोधी थे, उन सबको निकाल-निकाल कर अच्छी-अच्छी जगह भेजा। उसके विपरीत मैंने यह किया था कि जो ईमानदार अफसर थे, ईमानदारी से काम करके सजा भोग रहे थे, उनको जिम्मेदार पदों पर लगाया। मुझे विश्वास है, मुझे कहने में गर्व है कि

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

उन्होंने मेरे विश्वास को कभी झुठलाया नहीं।

माननीय सदस्य लॉ एण्ड आर्डर की चर्चा करते हैं। आज मैं मानता हूं लॉ एण्ड आर्डर की समस्या का समाधान आंकड़ों से नहीं हो सकता है। आप जितने आंकड़े बताओगे, मैं भी बता दूंगा, मेरे आंकड़ों का खण्डन आप अपने आंकड़ों से कर देंगे और आपके आंकड़ों का खण्डन मैं अपने आंकड़ों से कर दूंगा। लेकिन लॉ एण्ड आर्डर की समस्या का समाधान आंकड़ों से नहीं होगा। लॉ एण्ड आर्डर के मूल्यांकन के लिये आप शहरों और गांवों में लोग क्या महसूस करते हैं, क्या लोगों में आज सुरक्षा की भावना है ? हमारे मुख्य समाचार पत्र जो हैं, वे लॉ एण्ड आर्डर के बारे में क्या कहते हैं, आम जनता की भावनाएं और धारणाएं किस प्रकार की हैं, उससे मूल्यांकन करना पड़ेगा। पिछले चार महीनों में हवा बदली है, उसका मूल कारण है पुलिस के ढांचे के अन्दर उन्होंने अपने पैदा किये, एक आदमी दूसरे आदमी को नीचा किस प्रकार दिखाये, उसके आधार पर उन्होंने नियुक्तियां कीं। आई. जी. कहते हैं डी. आई. जी. मेरे कहने में नहीं है। डी. आई. जी. कहते हैं एस. पी. मेरे कहने में नहीं है। एस. पी. कहते हैं, यह काम एडिशनल एस. पी. का है। डी. एस. पी. कहते हैं यह सब इंस्पेक्टर जाने–पुलिस को जिम्मेदार बनाना है तो इस प्रकार से करना पड़ेगा कि आई. जी. को रेस्पांसिबल बनायें कि इतनी घटनाएं चोरी की हुई, इतनी डकैती की हुई इन सब के लिये आप जिम्मेदार हैं। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की स्थिति राजस्थान में नहीं है। मैं आशा करता हूं कि मुख्य मन्त्री जी इस प्रकार की स्थिति राजस्थान में पैदा करेंगे जिससे लॉ एण्ड आर्डर की समस्या का समाधान हो सके। यह समाधान आंकड़े देने से और भाषण देने से नहीं होगा। इसके लिये कांफीडेंस क्रियेट करना पड़ेगा, व्यवस्था करनी पड़ेगी। दोषी अधिकारियों को दण्ड देना पड़ेगा। बाकी अपने आप यह होने वाला नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : विरोधी दल के नेता जो भाषण दे रहे हैं। आपने उनमें कांफीडेंस पैदा किया क्या ?

(व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : इन्होंने एम. एल. मेहता को बना रखा था सर्वेसर्वा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : किसी अधिकारी का इस प्रकार नाम लेकर चर्चा करना...

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपने खुराना का नाम क्यों लिया ?

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं केवल एक निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय,....

श्री शिवदानसिंह : गांव की जनता क्या चाहती है, आप तो पता भी नहीं कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य !

श्री भैरोंसिंह शेखावत : गांव की जनता चाहती है कि आप यहां बिल्कुल समाप्त हो जायं। मैं केवल कुछ मामलों में मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा। एम. एल. मेहता का स्थानान्तरण किया गया था। सरकारी अधिकारी का कहीं भी स्थानान्तरण हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं लेकिन, मुख्य मन्त्री जी, मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से निवेदन करना चाहता हूं, मुख्य मन्त्री का सचिव कोई रहे उसके लिए उसे सजा दी जाय यह किसी प्रकार से न्याय संगत नहीं है। आज आपका कोई फेथफुल, कांफीडेंट व्यक्ति होगा, अगर आपके बाद हरिदेव जोशी मुख्य मन्त्री बनते हैं वे पहाड़ियाजी के कुछ कह कि सचिव को सजा देने की कोशिश करते हैं तो यह कोशिश बिल्कुल गलत है।

श्री दिनेशराय डांगी : यही आर. के. धवन के समय किया गया था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जब मैं मुख्य मन्त्री बना उस समय गृह आयुक्त एल. एन. मेहता और उद्योग सचिव डी. आर. मेहता थे, ये दोनों ही अधिकारी हरिदेव जोशी के समय थे और सुखाड़िया के समय से सेक्रेटरी रहे हैं लेकिन मैंने इनके लिये कुछ नहीं किया। मैंने ढाई वर्ष के काल में इनको इन पदों से नहीं हटाया। इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं। डी. आर. मेहता हरिदेवजी के सेक्रेटरी रहे। तो चाहे वह किसी के सेक्रेटरी रहे हों, यह मेरे स्वभाव में नहीं है। यह सदन अच्छी तरह जानता है, खेतसिंहजी अच्छी तरह जानते हैं कि आदर्शकुमार सक्सेना के विरुद्ध मेरी पार्टी का कितना दबाव था कि आदर्शकुमार सक्सेना का चालान हो, लेकिन मैं समझता हूं कि ऊपर के निर्देश से उन्होंने काम किया इसके लिये उनको बलि का बकरा नहीं बनाया जा सकता। मैं अगर चालान कर देता तो उस अधिकारी का करेक्टर बिल्कुल समाप्त कर देता। मैंने नहीं किया, इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं मेरी सरकार ने विंडिक्टिव वे में कोई काम नहीं किया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। चीफ व्हिप महोदय, शांत रहें। आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : शिक्षा के कामों में भी राजनीति के आरोप लगाये गये। मैं माननीय खेतसिंह जी के ही भाषण का उद्धरण देना चाहूंगा। उन्होंने यह कहा है कि बिना किसी भेदभाव के बिना राजनैतिक भेदभाव के स्कूल खोले हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैंने यह कहा था कि आपने पापुलेशन के बेसिस पर स्कूल खोले एक साल में। उस साल मैंने कहा था कि जहां 3 हजार की आबादी है वहां स्कूल खोले हैं लेकिन उसके बाद...

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने इतना तो माना।

श्री खेतसिंह राठौड़ : लेकिन बाद में जो हुआ उसी के कारण आपका बंटाढार हुआ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर !

Page No.88

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप मंत्री और जिला प्रमुख रहे हैं, शिक्षा मंत्री भी रहे हैं लेकिन शेरगढ़ में उतने स्कूल 30 वर्षों में नहीं खुलवा सके जितने जनता पार्टी ने ढाई वर्ष में खुलवाये हैं। गांवों में राजनैतिक आधार पर स्कूल खोल कर मैं बच्चों के साथ किसी प्रकार की राजनीति करूंगा तो मैं इंसानियत से गिरूंगा।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में 1977 से लेकर 1980 तक तीन वार्षिक योजनाओं में हमने 712 करोड़ खर्च किये जो एक पूरी पंचवर्षीय योजना से ज्यादा हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना से ज्यादा हमने पिछले तीन वर्षों में 1977 से लेकर 1980 तक 712 करोड़ खर्च किये। 1966 से लेकर आज तक सदन अच्छी तरह जानता होगा कि आल इंडिया प्लान इन्वेस्टमेंट बना उसमें यह पहला मौका था, 1978 से लेकर 83 तक हमने 1750 करोड़ की योजना रखी और वह 127 प्रति श० ज्यादा थी। जिस योजना को कांग्रेस की सरकार के बाद स्क्रेप किया गया उसके बाद आप मान कर चलें, हम आल इंडिया एवरेज से ऊपर आये हैं। 1966 से नीचे गये थे लेकिन 80 में ऊपर आये हैं, अध्यक्ष महोदय, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

राजस्थान में इण्डस्ट्रीयल क्लाइमेट के बारे में उद्धरण करना चाहूंगा। फाइनेंशियल कार्पोरेशन के द्वारा पिछले 30 वर्षों में केवल 35 करोड़ रुपये का कर्जा उद्यमियों को दिया गया, 30 वर्षों में 35 करोड़ का और तीन वर्षों में राजस्थान के उद्यमियों को 54 करोड़ का कर्जा देकर राजस्थान की सरकार ने हिन्दुस्तान में पहला नम्बर रखा। आज हमारे से बंगाल, महाराष्ट्र और गुजरात पीछे हैं। राजस्थान में हमने इस प्रकार का क्लाइमेट बनाया है। इस वर्ष जैसा बजट राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में था, 31-32 करोड़ का टार्गेट बनाया है। मैं इसलिये निवेदन कर रहा था आपको पता लग जावे कि राजस्थान ने किस प्रकार से प्रगति की है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसलिये कई माननीय सदस्य....

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जनता पार्टी की सरकार को प्रशंसा अपने मुंह से नहीं करना चाहता, जो अन्य लोगों ने खेतसिंह जी ने की है, वह आपके सामने रखना चाहता हूं।

सिंचाई के साधनों के विकास के बारे में भूतपूर्व सिंचाई मन्त्री ने काफी आंकड़े देकर सिद्ध किया कि राजस्थान में जितने सिंचाई के साधन, इरिगेशन पोटेंशियल विकसित किये उतने सिंचाई के साधन पिछले कई वर्षों में विकसित नहीं हो पाये।

बिजली के मामले में हिन्दुस्तान रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन की दिसम्बर 79 की बुलेटिन में राजस्थान के बारे में लिखा है, यह मैं आपके सामने 79 का प्रकाशन रख रहा हूं 'पिछले वित्त वर्ष 78 79 के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान सबसे आगे रहा।" यह मैं नहीं कह रहा हूं। "नये गांवों को बिजली देने तथा पारेषण लाइन

Page No.89

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

पहुँचाने में राजस्थान ने उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। राजस्थान में ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं के अन्तर्गत 1259 नये गांवों को बिजली दी गई।"

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जो आप भूल कर गये थे, माथुर साहब, उसको भी मैंने सुधारा है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री शिवचरण माथुर (मांडलगढ़) : कई बार सरकार को पुराने फैसलों को भी एक्जीक्यूट करना होता है। आपके शासन ने जो भूल की है वह तो अब हमें देखने को मिलेगी। हमारी भूल जनहित में थी।

यह बुलेटिन कब निकला ? आपके शासन काल में निकला होगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह बुलेटिन निकला उस समय हिन्दुस्तान में जनता पार्टी का शासन समाप्त हो गया था।

माथुर साहब, आप मुझे पुरानी गलतियां याद दिला रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माथुर साहब जब विद्युत मन्त्री थे इनके कार्यकाल में डी. सी. एम. से एक समझौता किया गया था। यह सभी जानते थे कि भाखरा मैनेजमेन्ट बोर्ड से हमारा एक एग्रीमेन्ट हुआ था। उसके हिसाब से 25 मेगावाट बिजली जनरेटिंग कास्ट पर फर्टीलाइजर प्लान्ट के लिए मिलनी चाहिए थी। उस समय की सरकार में विद्युत मन्त्री श्री माथुर साहब थे। इन्होंने डी. सी. एम. से जो समझौता किया उसमें 35 मेगावाट बिजली प्राइवेटली जनरेट करने की इजाजत दी। इस प्रकार 25 मेगावाट बिजली से हम को हाथ धोना पड़ा। आप जो बिजली भाखड़ा में छोड़ कर आये थे वह जनता पार्टी की सरकार ने वापस ली है और इस प्रकार 1 करोड़ 80 लाख का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को फायदा हुआ है। यह आपकी जानकारी के लिए निवेदन कर रहा हूं।

श्री शिवचरण माथुर : हमारी बहुत सी विद्युतीकरण की योजनाएं थीं जो आपके शासन काल में एक्जीक्यूट हुई है। उनका क्रेडिट आप ले रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आर. ई. सी. की जो स्कीम्स थीं उनका पूरा चार्ट मेरे पास में है। आपके जमाने की कोई स्कीम्स का क्रेडिट मैं नहीं ले रहा हूं जैसे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में हमारे कार्यों का क्रेडिट आपने लिया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत राजस्थान में 1259 गांवों का विद्युतीकरण किया गया है। इस प्रकार राजस्थान का नम्बर हिन्दुस्तान में पहला है दूसरा नम्बर मध्य प्रदेश का है और इसके बाद उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का तीसरा नम्बर है। अध्यक्ष महोदय, 1978–79 में 1300 गांवों में विद्युत कनेक्शन से जोड़ने का प्रस्ताव था परन्तु अतिरिक्त साधन जुटाने पर हमने 1800 गांवों को विद्युतीकृत किया है। अध्यक्ष महोदय, पहले हर साल केवल 794 गांवों को विद्युतीकृत किया जाता था परन्तु पिछले दो सालों में यह औसत दर बढ़ कर 1982 तक पहुंची है। यानि 1982 गांवों को प्रति वर्ष विद्युत से

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

जोड़ा गया है। यह औसत किसी प्रकार से कम नहीं है।

इसी प्रकार, अध्यक्ष महोदय, तीन, चार केसेज के बारे में और निवेदन करना चाहता हूं। ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूं। यह बुलेटिन मैं सदन की मेज पर रखना चाहता हूं ताकि सदन के माननीय सदस्यों को यह जानकारी मिल जाए कि हमारे शासन काल के दौरान क्या-क्या कार्यवाही हुई है। पम्प का कनेक्शन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, विद्युतीकरण, नयी ट्रांसमीशन लाइन, हरिजन बस्ती में बिजली देने में राजस्थान का हिन्दुस्तान में प्रथम स्थान रहा है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की इस बुलेटिन द्वारा आपको यह सारी जानकारी प्राप्त हो जायेगी इन कामों में राजस्थान हिन्दुस्तान में सब से आगे रहा है। इसको झुठलाया नहीं जा सकता है। मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा, माननीय सदस्यों को भी निवेदन करना चाहूंगा कि यह गंभीर समाचार, समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है। पिछले कुछ वर्षों से यह षड़यन्त्र किया जा रहा है की देश के अन्दर 400 के. वी. के जितने भी जनरेशन सेन्टर है वह भारत सरकार एक सेन्ट्रल आथोरिटी के नीचे ले ले, कब्जा ले ले। इसका अर्थ यह होगा कि बिजली के जनरेशन, ट्रांसमीशन, डिस्ट्रिब्यूशन पर केन्द्रीय सरकार का कब्जा हो जाएगा। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के नाम पर, कुओं को बिजली देने के सम्बन्ध में सब कुछ कन्ट्रोल आर. एस. ई. बी. का है। फिर इस आर. एस. ई. बी. पर कन्ट्रोल भारत सरकार का होगा। भारत सरकार यह देखती हैं कि आज राज्यों में हमारे चहेते मुख्य मंत्री हैं और वे अपनी तरफ से कोई विरोध नहीं करेंगे। इस प्रकार राज्य सरकारों के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पर कब्जा कर नेशनल ग्रिड की स्थापना कर बिजली को भारत सरकार के अन्तर्गत ले जायेंगे। मैं मुख्य मन्त्री महोदय को यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप भारत सरकार के दबाव में नहीं आवें। हम सब इस विषय में आपके साथ हैं। यह सदन आपके साथ है। इस सदन की कांग्रेस पार्टी के सदस्य आपके साथ हैं। विरोधी पक्ष की ओर से मैं आपको यह आश्वासन देता हूं कि जो आप चाहेंगे उसको करने के लिए हमारी पार्टी तैयार है। आप दिल्ली सरकार के आगे घुटने न टेकें। नेशनल ग्रिड के नाम पर भारत सरकार इस पर कब्जा करना चाहती है, इस चीज को हम सहन नहीं करेंगे। मैं आपको आगाह कर देना चाहता हूं कि इस विषय में आप सतर्क रहें। अध्यक्ष महोदय, मैं जब पार्लियामेन्ट का सदस्य था यह प्रश्न उस समय भी उठा था। इस पर काफी झगड़ा हुआ था। आप उस समय राज्य मन्त्री थे। मेरी बातचीत भी हुई थी। मैंने उस समय भी यही कहा था कि सब को मिल कर इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि राजस्थान स्टेट के अधिकार पर भारत सरकार किसी प्रकार भी कब्जा न करे।

अध्यक्ष महोदय, एक छोटी सी बात निवेदन करना चाहता हूं। राजस्थान में बिजली की काफी मांग है। इसलिये जब तक हम बिजली का उत्पादन नहीं करेंगे, थरमल बिजली उत्पादित नहीं करेंगे, तब तक इसकी पूर्ति नहीं कर पायेंगे। इस वर्ष की योजना में आप इसके लिये प्रावधान नहीं कर रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि पलाना में काम शुरू नहीं होगा और भारत सरकार की नीति से हम एक वर्ष पीछे हो जाएंगे। पलाना

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

के लिये आप थोड़ा प्राविजन रखें तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इस प्रोजेक्ट को फाइनेन्स मिल सकता है। इसका इकोनामिक सर्वे हो चुका है। अगर इसका प्रावधान प्लान में नहीं रखा गया तो एक साल हम पीछे हो जायेंगे। आपकी जानकारी के लिये मुख्य मन्त्री महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, अभी-अभी मुझे सूचना मिली है कि मेड़ता के पास कोयले का इतना भंडार मिला है कि वहां पर भी एक पावर हाउस लगाया जा सकता है। इसलिए वहां पर भी थरमल प्लान्ट लगाने का प्राविजन प्लान में रखा जाए।

अन्त में मैं मुख्य मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि तीन-चार विषय ऐसे हैं जिनके बारे में मेरे और उनके बीच में कोई मतभेद नहीं है। 15 वर्ष पहले 1956-57 में राजस्थान सरकार और पंजाब सरकार के बीच में भारत सरकार के माध्यम से नदियों के पानी का बटवारा हुआ था। उस समझौते के अनुसार एक मिलियन एकड़ फीट पानी राजस्थान को मिलना था। उसके आधार पर भाखरा, व्यास, सतलज नदी का पानी हम ले रहे हैं। उनके पानी से हम बिजली का उत्पादन भी कर रहे हैं और उसके आधार पर बिजली भी हम को मिल रही है। लेकिन पिछले 6–7 वर्षों से विवाद चल रहा है। थीन डेम के बारे में पंजाब सरकार ने एक सेन्सेटिव ऐटिट्यूड कर रखा है। पंजाब सरकार यह कहती है कि थीन डेम से जो बिजली पैदा होगी उस में राजस्थान का कोई हिस्सा नहीं होगा। तत्कालीन प्रधान मंत्री मोरारजी देसाई को इस विषय में मैंने कहा था। सारी स्टेट्स के मुख्य मंत्री इकट्ठे हुए। इस पर काफी चर्चा हुई। इसके बाद एटार्नी जनरल के पास यह केस भेजा गया उनकी ओपीनियन जानने के लिये। उन्होंने क्या ओपीनियन दी है यह तो मैं अधिकृत रूप से नहीं कह सकता परन्तु विश्वस्त सूत्रों से मुझे यह ज्ञात हुआ है कि वे राइट के बारे में कोई ओपीनियन नहीं देना चाहते है परन्तु जो स्टेब्लिस्ड प्रोविजन्स हैं, उनमें राजस्थान का बिजली में हिस्सा है। थीन डेम से राजस्थान को बिजली मिलनी चाहिये। मुख्य मंत्रीजी, आप श्रीमती इन्दिराजी के विश्वास पात्र हैं। उनकी आप पर कृपा है। दिल्ली में बुला कर आपको मुख्य मंत्री बनाया है इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इन्दिराजी के प्रभाव का उपयोग कर के इस बात को पूरी कोशिश करें कि थीन डेम से राजस्थान को बिजली मिल जाए। पंजाब राजस्थान स्टेट्स के मातहत इरिगेशन के चार हैड वर्क्स पंजाब सरकार के पास है, रोजड़, परियापुर, हैराज और माधोपुर। इन चारों इरिगेशन हैड वर्क्स के ऊपर एक्ट के अनुसार व्यास मैनेजमेण्ट बोर्ड का अधिकार होना चाहिये। इसके लिये पहले की सरकार ने भी कोशिश की। इसके बाद मैंने भी कोशिश की परन्तु अभी तक इसका परिणाम कुछ नहीं निकला है। प्रधान मंत्री ने अवश्य ही पंजाब सरकार को कहा कि आप तुरन्त ही ये हैड वर्क्स एक्ट के अनुसार व्यास मैनेजमेन्ट बोर्ड को ट्रान्सफर कर दें परन्तु उस समय पंजाब सरकार में अस्थिरता थी इसलिये इस को हम एक्जीक्यूट नहीं करा पाये। मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि इन पर कब्जा नहीं किया गया, इनको बोर्ड को ट्रान्सफर नहीं कराया गया तो

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हमारे यहां की जो नहरें है वे बिना पानी के सूख जायेंगी। यदि ये 4 हैड वर्क्स व्यास मैनेजमेंट बोर्ड को ट्रान्सफर नहीं करा पाये तो फिर निश्चित रूप से यह मान कर चलें कि आप न तो गंगा-नहर को बचा पायेंगे और न राजस्थान नहर को बचा पायेंगे।....

श्री अध्यक्ष : भाषण जल्दी समाप्त करें डेढ़ घंटे से ऊपर हो गया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बस 10 मिनट में समाप्त करता हूं; अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : 10 मिनट में नहीं पांच मिनट में।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 5 मिनट में ही समाप्त कर रहा हूं। इसी प्रकार से एक बात और निवेदन करना चाहता हूं पावर के सम्बन्ध में। माननीय सदस्य पावर कट की बड़ी वकालत कर रहे थे। खुराना साहब ने यह कर दिया कि नये कनेक्शन काश्तकारों को नहीं देंगे। नयी सरकार आयी इसने नया नोटिफिकेशन निकाला उसके अनुसार इंडस्ट्रीज के लिये तो नये कनेक्शन देंगे लेकिन काश्तकार को नया कनेक्शन नहीं मिल सकता है। आप सभी लोग चाहेंगे कि काश्तकारों को नये कनेक्शन मिलें 15 तारीख को जो नोटिफिकेशन निकला उसमें हैं।

"New connections would be released for all categories such as commercial establishments, offices etc."

किसान का इसमें नाम नहीं है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से चाहूंगा कि वे एक नया नोटिफिकेशन निकालें जिसमें किसानों को भी नये कनेक्शन देने की बात हो,

अन्त में मैं अध्यक्ष महोदय से 3 बातें कह कर समाप्त करता हूं। एक तो मैं यह कहना चाहूंगा कि भारत सरकार ने एक बात की सिफारिश की थी। बोम्बे हाई बोम्बे साउथ और बोम्बे नार्थ में कितनी गैस पैदा होती है मुझे साफ तौर पर तो आंकड़े पता नहीं हैं मैं इतना ही कह सकता हूं कि 22 मिलीयन क्यूसेक गैस का प्रोडक्शन होता है, जो एक राष्ट्रीय सम्पत्ति है, किसी एक स्टेट की सम्पत्ति नहीं है। इसमें से 6 मिलीयन क्यूसेक गैस राजस्थान को मिलनी चाहिये। राजस्थान में आज फर्टीलाइजर की खपत होती है। पेट्रोलियम की खपत होती है। उस समय के भारत सरकार के पेट्रोलियम मिनिस्टर श्री बहुगुणा साहब ने इस बात को स्वीकार किया था कि बोम्बे हाई, ताप्ती, गुजरात में जो गैस मिली है वह राष्ट्रीय सम्पत्ति है किसी एक राज्य की सम्पत्ति नहीं बन सकती है। मैंने उनको पत्र लिखा था उसके उत्तर में उन्होंने स्वीकार किया था कि राजस्थान में गैस बेस्ड के दो फर्टीलाइजर प्लांट लगने चाहिये। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस काम के लिये जिस प्रकार से जो भी आप कर सकते हैं वह करने की कोशिश करें। इस आधार पर आप राजस्थान का बहुत विकास कर सकते हैं। राजस्थान में चार चांद लगा सकते हैं। राजस्थान का विकास आपके हाथों से हो तो हम बहुत खुश होंगे। यहां पर गैस बेस्ड कारखाने लगें।

इसी प्रकार मैं कहना चाहूंगा कि उदयपुर में राक फास्फेट मिला, सीकर में राक-

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

फास्फेट मिला इस प्रकार की रिपोर्ट आये कई वर्ष हो गये हैं लेकिन विवाद यह है कि फैक्ट्री अलवर में लगे या भरतपुर में लगे, उदयपुर में लगे या सीकर में लगे। इस विवाद के कारण राक फास्फेट की फैक्ट्री वहां नहीं लग पायी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सीकर में लगे या रींगस में, सांभर में या नागौर में, आप एक धारणा बनायें कि राजस्थान में फर्टीलाइजर का कारखाना जरूर लगना चाहिये। जहां कहीं भी, किसी भी क्षेत्र में लगे यह मुख्य मंत्री की चिन्ता का विषय नहीं है। मुख्य मंत्री जी की चिन्ता का विषय केवल इतना होना चाहिये कि यह कारखाना राजस्थान में लगे।

इसके अलावा मैं आपसे अन्त में एक बात निवेदन करना चाहता हूं जिसमें इस सरकार का टेस्ट होने वाला है, इसकी निष्ठा का टेस्ट होने वाला है, इस सरकार की मजबूती का टेस्ट होने वाला है। यह सदन अच्छी तरह से जानता है कि जयपुर उद्योग में हमारे शेयर थे। यह भी सदन अच्छी तरह से जानता है कि जयपुर उद्योग को हमने कर्जा दिया। 1971 के बाद कुछ समय तक यह फैक्ट्री चली, लेकिन उसके बाद से इसका उत्पादन गिरता गया। इस कम्पनी के मालिक श्री आलोक जैन ने डी० ओ० पी० एल० नामक एक संस्था बनायी और उस संस्था के नाम से सेलस एजेन्ट नियुक्त किये, स्टाकिस्ट मुकर्रर किये। आलोक जैन ने उस सारे पैसे को इकट्ठा तो कर लिया पर कम्पनी में जमा नहीं कराया और जनता के सारे पैसे को हजम करके कम्पनी की आर्थिक स्थिति को गिरा दिया। इस डी० ओ० पी० एल० के खिलाफ तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हो गयी है। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि इस डी० ओ० पी० एल० के खिलाफ जितने भी केस आये, चाहे आलोक जैन आये या और कोई बड़ा उद्योगपति आये जो जनता का पैसा खा गये, इस कम्पनी के लोग खा गये, वह पैसा निकलवायें। इसमें आपका बड़ा टेस्ट होने वाला है।

मैंने इस सम्बन्ध में भारत सरकार को लिखा था, जब आलोक जैन ने रेजिग्नेशन दिया तो हमने एक आज्ञा निकाली और के0 एल0 वरांया को इसका चेयरमैन बनाया और इसकी जांच करायी। जांच रिपोर्ट में बताया कि इस कम्पनी को 10 करोड़ का कम्पेनसेशन देकर भारत सरकार इसको टेक ओवर कर ले। हमने जो पत्र लिखा था उस में यह लिखा था कि इस उद्योग को सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया को देने की आवश्यकता नहीं। सीमेंट कारपोरेशन के अधिकारियों के उसमें बयान हैं जिसमें उन्होंने यह कहा है कि अभी हमारे पास जितना काम है, हम उसके अलावा और कोई काम नहीं ले सकते हैं। इस सम्बन्ध में पार्लियामेंट में एक बिल पेश हुआ। इस बिल के द्वारा भारत सरकार जयपुर उद्योग को अपने कब्जे में लेना चाहती है। मैंने मुख्य मंत्री के रूप में भारत सरकार के प्रधान मंत्री श्री मोरार जी देसाई से बात की। उन्होंने यह स्वीकार कर लिया कि इसको भारत सरकार न ले और यह राजस्थान सरकार को मिल जाये। मैंने उद्योग मंत्री श्री जार्ज से भी बात की और यह तय करवा लिया कि जयपुर उद्योग को भारत सरकार न ले और राजस्थान सरकार को मिल जाये। मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि 10 करोड़ रुपये का कम्पेनसेशन देना है, उसमें से 3.50 करोड रुपया हमारा है और 6.50 करोड़ रुपया और देना है। आज अगर एस्टीमेट लगाया

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

जाय तो यह उद्योग 60 करोड की सम्पत्ति है। यह सम्पत्ति, पहाड़िया जी, आपके हाथ से निकल न जाये। अगर आपने इस पर कब्जा कर लिया तो मैं यह समझूंगा कि दिल्ली में आपका प्रभाव है। अगर आप उस पर कब्जा नहीं कर सके तो माफ करना, मुख्य मंत्री जी, मैं यह समझूंगा कि आपका न तो दिल्ली में प्रभाव है और न राजस्थान में प्रभाव है। आप यह मत समझिये कि आपके पीछे आपका साथ देने वाले बैठे हैं, या ये तालियां पीटने वाले आपके साथ ही है। ये बहुत तेज हैं और वक्त के इन्तजार में हैं। ये आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। आपके पीछे मगरमच्छ बैठे हैं, इन्तजार में वक्त मिलते ही आपको खा जायेंगे। आपको ये छोड़ने वाले नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि राजस्थान का विकास हो और आपके हाथों हो, जिससे राजस्थान का नाम हो जाये और आपका नाम हो जाये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री अध्यक्ष : भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया था कि राजस्थान कृषि उपज विपणन (संशोधन) अध्यादेश, 1980 को जारी करने के कारणों को जो सदन की मेज पर रखा गया था वह माननीय सदस्यों को वितरित नहीं किया गया है। माननीय सदस्य की यह आपत्ति सही है। यह विवरण सदस्यों को वितरित कर दिया गया है, जो माननीय सदस्य इस अध्यादेश को अस्वीकार करने के विषय में परिनियत संकल्प प्रस्तुत करना चाहें, आज सायंकाल 4.15 बजे तक सूचना दे सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, शान्त रहें। श्री जनार्दन सिंह गहलोत।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो सदन में अभिभाषण दिया है उसका समर्थन करते हुए मैं कुछ मुद्दों पर अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा।

सर्वप्रथम, अध्यक्ष महोदय, खास तौर से हमारे विरोधी दल के नेता महोदय श्री भैरोंसिंह शेखावत ने कुछ विषय और मुद्दे उठाये हैं, आज ऐसा लगता है कि उन्होंने बडी होशियारी के साथ कुछ ऐसे मुद्दे उठाये हैं, जो आंकड़ों के सहारे से गलतफहमी पैदा करते हैं। इन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस को 80 के चुनाव में केवल मात्र 22 प्रतिशत मत मिले हैं। अध्यक्ष महोदय, इनको कितने परसेंट वोट मिले हैं ? सही बात तो यह है कि जनता पार्टी को केवल मात्र इन चुनावों के अन्दर 18.70 प्रतिशत मत मिले हैं, जब कि कांग्रेस पार्टी को 42.97 प्रतिशत वोट मिले हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि पिछली जनता पार्टी ने अपने शासन के अन्दर जिस प्रकार से इस देश में कठिनाइयां पैदा कर दी थीं, जो उस शासन में पैदा हो गयी थी उससे देश की जनता यह समझ गई कि जनता पार्टी का शासन हिन्दुस्तान में सफल नहीं होगा। जिन आशाओं के साथ जनता ने उनको वोट दिया था, वह सही नहीं हो पाई। इसका नतीजा यह हुआ कि इनको वापस लौटना पड़ा। जनता पार्टी

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

यह समझ रही थी कि हमको राज परमानेंट मिल गया। जनता की आशाएं लगी हुई थीं। जनता पार्टी ने बड़ी-बड़ी घोषणाएं अपने घोषणा पत्र के द्वारा की थीं। उसका नतीजा यह हुआ कि 28 महीने के शासन के बाद इनको अपनी जगह पर वापस जाना पड़ा। राजस्थान में पुनः कांग्रेस शासन लौटा इसका कारण यह है कि जनता के शासन से लोग निराश हुए हैं।

अभी विरोधी पार्टी के नेता महोदय महंगाई की बात कह रहे थे। महंगाई के आंकड़े हैं। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पूछना चाहता हूं कि वह आंकड़ों से बात करना चाहते हैं। यहां पर जो चीज 12 हजार में थी, वह 18 हजार से ऊपर पहुँची है। सीमेंट का कट्टा 18 रुपये में मिलता था आज 35-40 में नहीं मिल रहा है। जिस चीनी की बात कर रहे हैं, जनता शासन में पूरे देश में चीनी कम पैदा हुई है। इसकी मूल जड़ में क्या है? इसकी जड़ में अगर कोई पार्टी है तो वह जनता पार्टी है जो सही मायने में चीनी के जो कारखाने हैं, उनसे मिली हुई रही है। जो लेवी वसूल होनी चाहिए थी, वह नहीं हुई है। लेवी वसूली को छोड़ा। जो किसान गन्ना पैदा करता था उसने गन्ना पैदा करना बन्द कर दिया। मुझे याद है मेरठ के अन्दर किसान जुलूस बना कर गये। उन्होंने चौधरी चरणसिंह से कहा, आप किसानों के मसीहा बनते हैं। ये गन्ने के खेत खड़े हुए हैं। लोग आग लगाने को तैयार हैं। इसलिए चीनी का उत्पादन कम हुआ। दूसरी तरफ चीनी के उद्योगपतियों से मिल गये। उनसे मिल कर चीनी की लेवी वसूल नहीं की। जब चुनाव का समय आया तो लेवी वसूल नहीं करने से चन्दा वसूल किया। इसलिए आज यह स्थिति आई।

काम के बदले अनाज योजना के नाम पर जो अनाज हिन्दुस्तान में पिछली सरकार ने इकट्ठा किया था, उसको निकाला गया। राजस्थान के मन्त्री, जो वित्त मन्त्रालय में बैठे थे, ने भारत सरकार का जो सोना था, वह बेच दिया। सोना हमारे बीच से निकल गया। इसी कारण महंगाई बढ़ गई।

(3.23 म. प.)

(श्री प्रद्युम्नसिंह, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री ने राजस्थान में क्या करवा दिया। आज राजस्थान के भू० पू० मुख्य मन्त्री इस प्रकार की बात करते हैं। आज वह कहते हैं, हमारे राज में यह हुआ। आपके राज में यह हुआ कि रेलवे के वैगन तक उपलब्ध नहीं हुए। हिन्दुस्तान में एक जगह से दूसरी जगह माल नहीं पहुंच सका। बड़े-बड़े व्यापारियों का विरोधी दल के नेता जिक्र कर रहे थे। उन्होंने मुनाफाखोरों के खिलाफ क्या कार्यवाही की? सभापति महोदय, इस प्रकार से उन्होंने उनको संरक्षण दिया है। इसी का कारण है कि हमारा आर्थिक ढांचा बिगड़ गया है। लोगों ने अपने-अपने गोदामों में अपना सामान बन्द करके रख लिया और भाव बढ़ा दिये। आज हम चाहते हैं, जो यहां पिछली सरकार ने किया है, उसमें यह सरकार परिवर्तन लाये ताकि आगे आने वाले समय में भाव नहीं बढ़ें।

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

माननीय सभापति महोदय, मैं जिक्र करना चाहता हूं, जनता पार्टी के प्रधान मन्त्री ने घोषणा की थी कि हिन्दुस्तान के अन्दर से बेरोजगारी समाप्त कर देंगे। आज आप देख रहे हैं कि बेरोजगारी कितनी समाप्त हुई है। उनके राज में बेरोजगारी बढ़ी है घटी नहीं है। बेरोजगारी को दूर करने की जो बात कही थी वह बेकार थी। एम्प्लायमेन्ट एक्सचेंज के माध्यम से जो भर्ती होती थी उसको उन्होंने जरूर समाप्त कर दिया था। इसके अलावा राजस्थान के मुख्य मंत्री ने आर. एस. एस. के लोगों की भर्ती करने की जरूर कोशिश की। उनको भर्ती करके जरूर भर्ती करने में कमी पूरी की है।

प्रोडक्शन की बात कर रहे थे लेकिन उत्पादन नहीं बढ़ाया। इस देश में जिन मजदूरों के हितों की बात करते थे; उन मजदूरों के हितों की कितनी रक्षा की है। कहते हैं कि हमारी फैक्ट्रियों में उत्पादन बहुत हुआ है। मैं समझता हूं, इनकी कथनी और करनी में बहुत अन्तर लगता है।

वह कह रहे थे, आगे आने वाली सरकार भ्रष्टाचार को पनपाना नहीं चाहेगी। मैं, सभापति महोदय, सदन को बताना चाहता हूं, फूड फार वर्क के नाम से पिछली सरकार ने सरपंचों के ऊपर एक तलवार लटका रखी थी। उनसे यह कहा गया कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो हम सस्पेण्ड कर देंगे। यह रिकार्ड उठा कर देख लें। राजस्थान सरकार ने जितने सरपंचों को पिछले तीन सालों में सस्पेण्ड किया है, उतने पूरे हिन्दुस्तान में नहीं हुए हैं। जनता पार्टी की सरकार ने सरपंचों को चोर बनाने की साजिश की ताकि वह उसके साथ में जुड़े रहें। भ्रष्टाचार को इसलिए नहीं हटा पाये कि कहीं इनकी पोल नहीं खुल जाये। खास तौर से मन्त्री महोदय बैठे हैं, जिनके साथ में अन्याय हुआ है। लोगों को सस्पेण्ड किया और इस आधार पर किया कि तुम पकड़े कैसे गये हो इस आधार पर उनको निकाला है।

बड़ी-बड़ी बातें विरोधी दल के नेता महोदय ने कही हैं। सदन के माननीय सदस्यों को मालूम है, जब भैरोंसिंह जी मुख्य मन्त्री बने थे तो उन्होंने दो घोषणाएं की थीं। एक तो यह थी कि राजस्थान के गांव-गांव में पानी पहुंचा देंगे। दूसरी यह थी कि भ्रष्टाचार समाप्त कर देंगे। दो घोषणायें की थीं। पहली घोषणा उनकी थी पानी पहुँचाने की यह सदन अच्छी तरह जानता है कि पानी राजस्थान में कितने गांवों में पहुंचाया गया। माननीय मुख्य मन्त्री जो इस बात पर विशेष तौर से ध्यान देंगे कि 2 करोड़ रुपया सैंक्शन किया गया था और इस जनता पार्टी ने केवल 10 जिलों में पानी पहुंचाने की बात की जब कि इन्होंने 2 हजार गांवों में पानी पहुंचाने की बात स्वीकार की थी। 2 हजार गांवों की बात छोड़ कर इन्होंने केवल 10 जिलों में पानी पहुंचाने की बात की। इन्होंने सीकर, झुंझुनूं, छोटा भरतपुर, जोधपुर आदि जिलों में पानी पहुंचाने की बात को क्या, जैसलमेर और बाड़मेर में पानी की आवश्यकता नहीं थी जो सबसे ज्यादा पिछड़े हुए हैं? सवाई माधोपुर आदि जैसे जिलों में पानी पहुंचाने की बात की। केवल 10 जिलों के अन्दर पानी पहुंचाने की बात की।

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

माननीय सभापति महोदय, सरकार खास तौर से इस बात की ओर ध्यान देगी कि जिन 2 हजार गांवों के अन्दर पानी पहुंचाने की बात कही तथा जिन गांवों के अन्दर पानी नहीं पहुंचा, जो सबसे ज्यादा पिछड़े हुए हैं उनमें पानी नहीं पहुंचा उन दो हजार गांवों में पानी पहुंचाने की व्यवस्था करनी होगी। उन दो हजार गांवों में पानी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिये न कि 10 जिलों के अन्दर। 154 करोड़ का बजट जो आया है उसमें 10 जिलों का बजट था।

माननीय सभापति महोदय, एक तो इन्होंने घोषणा की पानी पहुंचाने की, इसके अलावा दूसरी बात इन्होंने कही राजस्थान में भ्रष्टाचार समाप्त करने की। विरोधी दल के माननीय नेता अभी-अभी बड़ी वकालत अधिकारियों की कर रहे थे। अगर अच्छे अधिकारियों की वकालत करते तो हमें खुशी होती। हमें उसे स्वीकार करने में कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन, माननीय सभापति महोदय, इन्होंने कहा था कांग्रेस के 30 सालों का भ्रष्टाचार समाप्त करने के बारे में। सदन के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या राजस्थान के अन्दर भ्रष्टाचार समाप्त हो गया ? जो सामने बैंचेज पर बैठे हैं, वे कहते थे कि कांग्रेस के लोगों ने भ्रष्टाचार किया। लेकिन भैरोंसिंहजी की नियत साफ हो गयी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन्होंने भ्रष्टाचार मिटाने की जो घोषणा की इसका नतीजा क्या हुआ। इन्होंने राजस्थान से भ्रष्टाचार निकाल कर हरियाणा भेज दिया या मध्य प्रदेश भेज दिया, जहां से भैरोंसिंह जी राज्य सभा में गये थे ? हो सकता है इन्होंने उत्तर प्रदेश भेज दिया हो। या राजस्थान के चारों तरफ जो बोर्डर पर है, जहां जनता पार्टी का राज था, एक तरफ पाकिस्तान का बोर्डर है वहां भेज दिया ? नतीजा यह हुआ कि राजस्थान के सारे बोर्डर पर भ्रष्टाचार फैल गया। यहां पर जनता पार्टी के मुख्य मंत्री बैठे हुए हैं वे भ्रष्टाचार में लगे हुए थे। मुख्य मन्त्रीजी, सभी लोग भ्रष्टाचार में लगे हुए थे। नतीजा यह हुआ कि राजस्थान के अन्दर भ्रष्टाचार सेक्रेटरियेट तक ही सीमित नहीं रहा हर तहसील, थाने-थाने और जिला हैडक्वार्टर पर पहुंच गया जब कि भ्रष्टाचार खतम करने की बात मुख्य मन्त्री जी, भूतपूर्व मुख्य मन्त्रीजी कहते थे। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इनकी कथनी और करनी में बड़ा अन्तर है।

राजस्थान के अन्दर माननीय मुख्य मन्त्री जो और नई सरकार बनी है, हो सकता है समय जरूर कम मिला हो, आगे आने वाले समय में जो इनकी योजना है जो इन्होंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में रखी है उन सारी बातों को रखने में राज्य सरकार निश्चित तौर से सक्षम है।

20 सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिए अभिभाषण में कहा गया है। भूतपूर्व सरकार, हरिदेव जोशी जी की सरकार ने भी 20 सूत्री कार्यक्रम को बड़ी तेजी से राजस्थान में चालू किया था। भैरोंसिंह की सरकार अन्त्योदय की बात का ढिंढोरा पूरे हिन्दुस्तान में पीटती रही पर उसका नतीजा क्या हुआ यह सदन अच्छी तरह से जानता है। मैं सोचता हूं कि आगे

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

आने वाले समय में जो 5 सूत्री कार्यक्रम श्री संजय गांधी का है, संजय गांधी हिन्दुस्तान में उन लोगों में से हैं जिनकी कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं रहा। जैसे अन्दर थे, वैसे ही वह बाहर थे। मुझे विश्वास है कि उन कामों को पूरा करेंगे जो संजय की भावना से जुड़े हुए थे। जैसा कि माननीय मुख्य मन्त्री जी कहते हैं, उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि मैं 1 करोड़ पेड़ जीवित देखना चाहता हूं। एक करोड़ पेड़ राजस्थान के अन्दर जीवित रखे जा सकें तो मैं सोचता हूं कि संजय जी के कार्य की सही क्रियान्विति होगी। ऐसा सरकार कर सके तो मैं सोचता हूं कि यह बड़ा अच्छा काम होगा।

आज विरोधी दल के नेता भी लॉ एण्ड आर्डर की बात कर रहे थे। लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन पिछले 28 महीनों में जितनी बिगड़ी है शायद इतनी पहले कभी नहीं बिगड़ी। जयपुर के बाजार में हमारी महिलाओं की इज्जत खुले आम लूटी गई, बच्चे उठा लिये गये। चारों तरफ की यही हालत है। दूसरी बात इस अवसर पर सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस लॉ एण्ड आर्डर की समस्या का आमूल-चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है और इसे तेजी से करने की आवश्यकता है ताकि राजस्थान के अन्दर लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन ठीक हो सके। पिछले दिनों में राजस्थान में काफी डकैतियां हुई। मैं सोचता हूं कि राजस्थान के अन्दर भूतपूर्व होम मिनिस्टर श्री रामकिशोर व्यास के समय डकैतियों की समस्याओं को समाप्त किया गया था। मैं सोचता हूं कि राजस्थान में पुनः इस काम को मुस्तैदी से किया जायगा और इस समस्या को समाप्त किया जायगा। खास तौर से इस बारे में मैं, माननीय सभापति महोदय, आपसे शिकायत नहीं करना चाहता लेकिन जो काम हैं उनकी योजनाएं हाथ में लिये जाने की आवश्यकता है....

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : माननीय सभापति महोदय, कोआपरेटिव सोसायटीज और सहकारिता के माध्यम से राजस्थान के अन्दर और खास तौर से जयपुर के अन्दर अच्छे काम हुए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो कहा गया है उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं। हरिदेव जोशी सन् 75 के अन्दर जब मुख्य मन्त्री थे उस समय एक नया हास्पिटल बना। लेकिन जब राजस्थान के अन्दर भैरोंसिह जी मुख्य मन्त्री बन कर आये तो उन्होंने उस हास्पिटल का नाम बदल कर रख दिया। उनको आशा थी कि दुबारा आयेंगे इसलिये नाम लगा कर, बोर्ड लगा कर चले गए और आज दुहाई देते हैं कि राजस्थान का बहुत बड़ा विकास किया।

मैं खास तौर से राजस्थान में जिस शिक्षा नीति की बात वे कर रहे हैं उसके बारे में कहना चाहता हूं। श्री ललित किशोर चतुर्वेदी व श्री भैरोंसिह शेखावत ने आंकड़े दिये कि इतने स्कूल खोले। स्कूलों के आंकड़े सही हैं लेकिन मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि सितम्बर तक स्कूल खोले। एक स्कूल का मास्टर उठा कर दूसरी जगह भेज दिया। स्कूलों की संख्या बढ़ाई गई लेकिन बजट में प्रावधान

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

नहीं। स्कूल बढ़ाने के कम्पीटीशन में आगे निकल गए लेकिन बजट नहीं बढ़ाया। हालत यह है कि एक नया स्कूल खोला दूसरा पुराना काट दिया। मैं समझता हूं नई सरकार नीति की दृष्टि से परिवर्तन लायगी। इन्होंने स्कूलों में आर० एस० एस० का गढ़ बना रखा है, शिक्षा केन्द्रों में आर० एस० एस० के माध्यम से सेन्टर चला कर जगह-जगह शिक्षा नीति को बिगाड़ दिया, छोटे छोटे बच्चों को गलत रास्ते पर ले जाने की नीति पर ये चल रहे थे, मैं समझता हूं सरकार इस संबंध में कोई महत्वपूर्ण बात रखेगी।

सभापति जी, मैं सोचता हूं कि मुझे अपनी बात समाप्त करनी है इसलिये अन्त में बात कहूंगा। राज्यपाल के अभिभाषण में, मुझे अफसोस है, जयपुर शहर की कच्ची बस्तियों का जिक्र नहीं किया गया। सारे राजस्थान में हो कच्ची बस्तियों की समस्या बनी हुई है। मैं सोचता हूं इसका स्थाई हल निकालने की आवश्यकता है। योजना बद्ध तरीके से जो कि हमारा 20 सूत्री कार्यक्रम का एक अंग है, उसका क्रियान्वयन करें। मुख्य मन्त्री ने इस बात को स्वीकार किया है कि 20 सूत्री कार्यक्रम और 5 सूत्री कार्यक्रम को अमली जामा पहनायेंगे। शायद इसलिये जिक्र नहीं किया है। मेरा निवेदन है कि 20 सूत्री कार्यक्रम को लेकर इस समस्या का हल योजना बद्ध तरीके से करें।

खास तौर से अंत में मैं एक बात कहूंगा। पिछली जनता पार्टी की सरकार ने और खास तौर से भैरोंसिंहजी ने अधिकारियों की बात कही है उनके एप्रीसिएशन की बात कही, अधिकारी उनकी इस बात से वाकिफ हैं। लोग सेक्रेटरियट में जाते थे तो मीठालाल के बजाय स्वीटलाल का नाम लेते थे, स्वीटलाल की जिस पर कृपा हो जाए उसका काम हो जाए। उसके आदेश चलते थे। राजस्थान के आई० ए० एस० और आई० पी० एस० अधिकारी इस बात को जानते हैं, वे झूठी वाहवाही चाहते थे। मैं समझता हूं राज्य सरकार और कांग्रेस सरकार के किसी भी मुख्य मंत्री ने कभी भी भेदभाव की नीति नहीं चलाई। मैं समझता हूं आगे आने वाले समय में मुख्य मंत्री श्री पहाड़िया नीति में परिवर्तन लायेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री सभापति : श्री घासीराम यादव !

श्री घासीराम यादव (मंडावर) : सभापतिजी, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। केवल एक ही विषय पर अपने विचार रखना चाहता हूं। नशाबंदी के बारे में अपने विचार सदन में रखना चाहता हूं। मैं कहना चाहूंगा कि शराब नहीं पीनी चाहिए, यह सब लोग जानते हैं। डाक्टरों की भी यह राय है कि इससे स्वास्थ्य खराब होता है। पीने वाले लोग भी कहते हैं कि इससे स्वास्थ्य खराब होता है। ज्यादा शराब नहीं पीनी चाहिए। इस बारे में कोई विवाद नहीं कि नशाबंदी होनी चाहिए। शराब राजस्थान में आए नहीं, बिके नहीं और लोग पीयें नहीं। नशाबंदी कानून से होनी चाहिए या नहीं, इस बारे में विवाद है। कुछ लोग कहते हैं कि फ्री सोसायटी है, प्रजातंत्र है, इसमें खाने पीने और घूमने की एक तरह से सबको आजादी रहती है और रहनी

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि जहां प्रजातंत्र नहीं, कम्युनिस्ट राज है वहां भी शराब चलती है। कुछ लोग कहते हैं कि शराबबन्दी होनी चाहिए, कुछ लोग कहते है कि नहीं होनी चाहिए....

श्री सभापति : आप क्या चाहते है?

श्री घासीलाल यादव : मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं।

राजस्थान में पूर्ण नशाबंदी हुई है, सफल हुई या नहीं, इस बारे में सदन में कहना चाहूंगा। मेरे खयाल से पूर्ण शराब बंदी पूरी तरह से असफल रही है। मकसद यह था कि लोग शराब न पीयें क्योंकि गरीब लोगों के परिवार दुःख पाते हैं और मुलाजिमों को छोटी तनख्वाह मिलती है। अमीर लोगों से तो ताल्लूक नहीं; वे पीयें या नहीं। शराब पीने वालों की कानून बनने के बाद कमी नहीं हुई है। मेरा विचार है कि गरीब लोग जो शराब पीने वाले थे, वे शराब पी रहे हैं लेकिन उनको शराब खराब मिलती है, 3-4 रुपये वाली बोतल 10 रुपये में मिलती है। खराब तरीके से बनी मिलती है। भट्टियां बनी हुई हैं, उनकी बनी हुई शराब मिलती है। डिस्टलरी से जो 10 रुपये में मिलती है वह भट्टी से बनी हुई 10 रुपये में मिलती है। खराब शराब पीने से शराब पीने वाले की तन्दुरुस्ती खराब होती है, हमारा इलाका हरियाणा से लगा हुआ है, वहां हर गांव में भट्टियां चल रही है। जितनी पहले भट्टियां थीं उससे 10 गुना, 20 गुना हो गई और उनसे ज्यादा शराब निकल रही है सरकार को किसी तरह से फायदा नहीं है।

इसके अलावा जिन पुलिस के लोगों के द्वारा कानून की पालना करना चाहते हैं वे पुलिस वाले उन भट्टियों से पैसा लेते हैं 50-50 रुपये प्रति भट्टी से लेते हैं। जो चाहते हैं कि शराब बन्दी हो, वे जाकर देखें, उन भट्टियों से 50-50 रुपये लेते हैं और ज्यादा भी लेते हैं लेकिन अलवर जिले में 50-50 रुपये शराब की भट्टी वाले से लेते हैं। आपने क्या कानून बना रखा है? कोई ऐसा थाना नहीं है जहां शराब नहीं चलती है, थानेदार शराब पीते हैं, सिपाही शराब पीते हैं, मंगवाते हैं, जिन लोगों के जिम्मे आपने यह काम कर रखा है....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ! व्यवधान न डालें।

श्री घासीराम यादव : जिन लोगों के जिम्मे यह काम कर रखा है कि शराबबन्दी लागू करें वे नाजायज भट्टियों से शराब मंगाते हैं; पीते हैं, कोई ऐसा थाना नहीं है जहां शराब का प्रयोग नहीं होता है। कानून की पालना करने वाले ही शराब पीते हैं। इसके अलावा और आफिसर्स हैं, मैं किसी आफिसर विशेष का नाम नहीं लेता, पुलिस के अलावा और आफिसर्स भी पीते हैं। गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स ही पीते हैं। उनको डर ही नहीं। कानून का एक तरह से कन्टेम्प्ट हो रहा है। जयपुर शहर में शराब बनाने, शराब पीने, और बेचने की मनाही है लेकिन कितने शराब पी रहे हैं। आपने किसका चालान किया है, आप कार्यवाही नहीं कर सकते, असंभव बात है। इसलिए सदन के माननीय सदस्य जो कहते हैं कि शराबबन्दी होनी चाहिए, उनकी कमेटी

(श्री घासीराम यादव)

बना दें आफिसर्स की कमेटी बना दें। वह देखे कि राजस्थान का शराबबन्दी कानून ठीक है या गलत, सफल या असफल। मैं मानता हूं कि बिल्कुल असफल रहा है, कोई फायदा नहीं हुआ है। 42 करोड़ हमको आबकारी कर से मिल रहे थे। अब कहते हैं कि शराबबन्दी न हो तो 50-60 करोड़ की आमदनी हो। उस आमदनी के सोर्स का यूज होना चाहिए, वह बेकार हो रहा है। नान-टैक्स रेवेन्यू 50 करोड़ और मिलती है उसका हम लाभ उठायें। शराबबन्दी से गरीब लोगों का फायदा नहीं हुआ, जो भट्टी चलाते हैं उनको फायदा हुआ है या पुलिस वालों को फायदा हुआ है। इसलिए केवल भावनाओं में न बह कर इस कानून को स्क्रैप करना चाहिए। यू.पी. ने पहले ही मिसाल कायम कर दी। वहां शराबबन्दी कामयाब नहीं गई। सरकार विकास के काम करे। मैं अपने इलाके में गया था लोग कहते हैं कि स्कूल खोलें, सड़कें बनायें, अस्पताल खोलें। आप कहते हैं पैसा नहीं है। मेरा सुझाव है कि पैसा कीमती है, कम से कम इस नान-टैक्स रेवेन्यू का फायदा उठायें और शराबबन्दी का कानून हटायें।

दूसरी बात मैं, सभापति महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा कि....

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला: दुलारामजी आपके पास बैठे हैं उनका असर आ गया है क्या?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया बात नहीं करें

श्री घासीराम यादव: आज यह दलील दी जाती है कि अगर हमें नशाबन्दी को सफल बनाना है तो हमारे यहां पर पुलिस की कमी है उस कमी को पूरा करने के लिये हमें अभी ढाई करोड़ रुपये की जरूरत है। सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि चाहे आप ढाई करोड़ रुपये के बदले दस करोड़ रुपये या बीस करोड़ रुपये का प्रावधान पुलिस के लिये रख लीजिये फिर भी यह शराबबन्दी का अभियान सफल नहीं होगा। जिसका पीने का मन है वह पीयेगा। जिसका जो खाने का मन होगा वह खायेगा। आप किसी के खाने पीने को कैसे बन्द कर सकते हैं? शराबबन्दी के बारे में हमारे मुख्य मन्त्रीजी श्री पहाड़िया जी ने यह कहा था कि हम एक ड्राई बेल्ट बनायेंगे पर मैं समझता हूं कि चाहें आप कोई बेल्ट बना लें वह सफल नहीं हो सकेगी।

सभापति महोदय, हमें यह पता चला कि केन्द्र ने शराबबन्दी के लिये अभी पांच करोड़ रुपये की राजस्थान को सब्सीडी दी है लेकिन, सभापति महोदय, यह पांच करोड़ हमारे राजस्थान को मिला है उस पचास करोड़ के बदले जो कि हमें इस शराब से आय होती थी। पांच करोड़ रुपया अगर हमें मिला है तो कोई पाकिस्तान से या दूसरे देशों से थोड़े ही मिला है। आखिर पैसा तो हमारे देश की सरकार से ही मिला है। अगर वह पैसा हमें मिलता और हमारे पचास करोड़ रुपये की कमी नहीं होती तो वह रुपया हमारे देश की किसी योजना में ही तो काम आता।

तो, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह शराबबन्दी की नीति बिल्कुल ही असफल रही है और रहेगी। शराबबन्दी की भावना तो मोरारजी भाई की जिद थी। हमें उनकी जिद की भावना में बह कर यह काम नहीं करना चाहिए।

(श्री घासीराम यादव)

आज हमारे गांव में जब हम जाते हैं तो लोग अपने गांवों का विकास चाहते हैं, लोग गांवों में सड़कें चाहते हैं, गांवों में स्कूलें चाहते हैं गांवों में अस्पताल चाहते हैं जिनकी कि हमारे यहां पर कमी है; गांवों में बिजली चाहते हैं। उन्हें शराबबन्दी से कोई मतलब नहीं। अभी मैं एक गांव में गया था तो लोगों ने मुझे कहा, हमारे यहां पर गांवों में सड़कें बनाइये, स्कूल खोलिये, अस्पताल बनाइये। सभापति महोदय, मेरा इलाका एक ऐसी जगह है जो कि हरियाणा से जुड़ा हुआ है। आज हमारे राजस्थान के एरिया और हरियाणा में विकास की गति में बहुत कमी है। उस फर्क को दूर करने की हमें जरूरत है। इसलिये मैं मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस ओर ध्यान दें।

सभापति महोदय, इसके अलावा एक बात और मैं निवेदन करना चाहूंगा, वह यह है कि आज हमारे यहां पर हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। खास तौर से मैं आपको तहसीलों के बारे में कहना चाहूंगा कि तहसीलों में आज भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा फैला हुआ है। उस भ्रष्टाचार को मिटाने की आवश्यकता है। सभापति महोदय, जब जनता पार्टी का शासन आया तो भैरोंसिहजी ने मुख्य मन्त्री बनते ही बड़े जोर शोर से घोषणा की थी कि मैं भ्रष्टाचार को मिटा के रहूंगा। पर भ्रष्टाचार को वह मिटा नहीं सके। सभापति महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण में, मुझे खेद है, कहीं भी भ्रष्टाचार के बारे में कोई भी जिक्र नहीं आया। सभापति महोदय, आज तहसीलों में यह हालत है कि तहसीलदार बिना पैसे लिये किसी की रजिस्ट्री नहीं करता है। आज बिजली की जरूरत है, बिजली का कनेक्शन लेना है तो आपको पैसा देना पड़ेगा। भ्रष्टाचार को मिटाने के लिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि कोई मशीनरी आपको रखनी चाहिये जो यह पता लगाये कि कहां-कहां पर भ्रष्टाचार हो रहा है। नहीं तो आज कलेक्टर और एस. पी. किसी को कुछ भी पता नहीं रहता कि कहां पर उनके नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है। इसलिये मैं चाहता हूं कि वह मशीनरी जिला स्तर पर और दूसरी जगह जाकर लोगों से पूछे कि तुमसे किसी ने रिश्वत मांगी क्या? ऐसा करने से लोगों में भय पैदा हो जायेगा। मैं भैरोंसिह जी की तरह तो बढ़ा-चढ़ा कर नहीं कहता कि भ्रष्टाचार मिट जायेगा पर इतना जरूर है कि इसमें कमी तो जरूर आयेगी। इसलिये मैं चाहूंगा कि आज जो जनता भ्रष्टाचार से गांवों में परेशान है, लोग गांवों में कहते हैं कि हमें हमारी गाढ़ी कमाई लोगों को हमारे काम कराने के लिये देनी पड़ती है इसको रोका जाना चाहिये। हमारे यहां पर विकास का काम होना चाहिये।

सभापति महोदय, अब मैं एक बात और कह कर अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। वह यह है कि यहां पर भैरोंसिह जी ने जब अपना भाषण दिया तो यह कहा था कि मैंने बड़े-बड़े अधिकारियों और दूसरे लोगों के साथ जनता पार्टी के शासन काल में कोई विन्डिक्टिव तरीके से काम नहीं किया। यह तो सही होगा कि इन्होंने बड़े बड़े अधिकारियों को अच्छी तरह से रखा होगा और इन्होंने उनका कोई बुरा नहीं किया होगा। इसकी तो मुझे शिकायत नहीं है लेकिन इन्होंने इतना तो जरूर किया कि बदले की भावना से हजारों टीचर्स के ट्रान्सफर एक जगह से दूसरी जगह कर दिये। मैं तो अल-

(श्री घासीराम यादव)

वर जिले का उदाहरण देना चाहता हूं। उन्होंने अलवर में कई कर्मचारियों के ट्रान्सफर दूर-दूर यह कह कर कर दिये कि यह कांग्रेसी है या फलां कांग्रेसी का रिश्तेदार है। एक राजस्व कानूनगो को इन्होंने सिरोही बदल दिया। मैंने इनसे जाकर कहा तो डेढ़ साल तक यही कहते रहे कि मैं इसको ठीक कर दूंगा पर इन्होंने ठीक नहीं किया।

यहां पर भैरोंसिंह जी ने अपने शासन काल को अन्त्योदय योजना के बारे में काफी चर्चा की, पर और दूसरा क्या काम किया कुछ भी नहीं बताया। बस इतना कह कर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव सदन में आया है उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री सभापति : श्री मेघराज।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा): सभापति महोदय; सबसे पहली बात तो मैं यह कहना चाहूंगा कि राज्यपाल महोदय ने रूल नम्बर तीन के तहत हाउस को आहूत किया तो उसके अनुसार 14 दिन का नोटिस माननीय सदस्यों को होना चाहिये पर वह 14 दिन का सम्मन हमें नहीं मिला। उसके बाद में जब 26 तारीख को हाउस को आहूत कराने की बात तय थी तो उसके बीच में ही घटना घट जाने से हाउस आगे बढ़ाया गया।

सभापति महोदय, हमारे यहां राजस्थान में जो मन्त्रिमण्डल का गठन हुआ वह गठन बहुत बाद में किया गया। गठन होने के बाद में जिस तरह के हालात देखने में आते हैं उससे तो मुझे एक शेर कहना पड़ता है "इब्तदाये इश्क होता है क्या, आगे आगे देखिये होता है क्या।"

एक माननीय सदस्य : एक बार और।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। बीच में व्यवधान नहीं करें।

श्री मेघराज तावड़ : तो, सभापति महोदय, राजस्थान सरकार के बनने के बाद जब पहाड़िया जी मुख्य मन्त्री बने तो उन्होंने सातवीं विधान सभा आहूत कराई। पहाड़ियाजी संजय गांधी के कारण मुख्य मन्त्री बने थे। संजय गांधी के पांच सूत्री कार्यक्रम में एक सूत्र है, सफाई रखो। उनके शपथ लेने के एक महीने तक यहां जयपुर में सफाई बन्द रखो अभियान चलता रहा। जयपुर शहर की हालत और जयपुर शहर की गलियों की हालत ऐसी थी कि यह एक तरह से नर्क बन गया। शहर में और गलियों में लोगों का रहना बड़ा मुश्किल था।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य; जरा सुनने का धैर्य रखो।

सभापति महोदय, नगरपालिका के कर्मचारी पिछड़ी जाति के लोग थे, हरिजन थे। खुद पहाड़िया जी ने हरिजन होते हुए भी उनको बुरी तरह से परेशान किया। पहाड़िया जी हरिजनों और आदिवासियों को सुविधायें देने की डींग मारते हैं और कहते हैं कि सरकार हरिजनों और आदिवासियों के लिये क्या क्या करने जा रही है। पूरे महीने भर सफाई कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से शहर में कचरा डालो अभियान शुरू हो गया। एक तरफ राज्यपाल महोदय अपना अभिभाषण विधान सभा में

(श्री मेघराज तावड़)

दे रहे थे दूसरी तरफ सफाई कर्मचारी कचरा डालो आन्दोलन चला रहे थे। बड़े शर्म की बात है इस सरकार के लिये।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया व्यवधान न डालें।

श्री मेघराज तावड़ : सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहा गया है कि जनता ने एक बार फिर लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद एवं गुटनिरपेक्षता में निष्ठा प्रगट की और साम्प्रदायिक, फासिस्ट, प्रतिक्रियावादी, सामन्ती एवं जातीय संगठनों को ठुकरा दिया। इसके अलावा उन्होंने जनता पार्टी के राज्य को दिशाहीन बताया। सभापति महोदय; जनता सरकार किसी भी हालत में दिशाहीन नहीं थी। मैं तो यह कहना चाहूंगा कि पिछली सरकार ने कांग्रेस की दिशाहीन सरकार को दिशा दिखाई। जनता सरकार को साम्प्रदायिक, प्रतिक्रियावादी कहना गलत है।

तीसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहूंगा वह यह है कि जब यहां पर बाला साहब देवरसजी आये तो राज्यपाल महोदय ने उनकी आवभगत के लिये लाखों रुपये खर्च किये। उन्हीं राज्यपाल ने जब सन्जय गांधी आये तब उनकी 'खिदमत करने के लिये सलाहकारों को अजमेर भेजा और उनकी वहां पर जो हजुरी की। तो, सभापति महोदय, हम पिछली सरकार को दिशाहीन नहीं कह सकते। इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि बाला साहब देवरस जब यहां पर आये तो उन्होंने यह कहा कि भाई भूल तो होती है उनको भूल जाओ। शायद इस तरह कह कर उन्होंने भूल जाने की दिशा दी। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं चुनावों में निष्पक्षता के बारे में। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि चुनावों में गांवों में कांग्रेस पक्ष के लोगों ने जब राज्य में जनता पार्टी की सरकार थी और सेन्टर में कांग्रेस थी उस समय लोगों को डराया धमकाया, और नौकरी से निकाल देने की बात कही और पैसा बांटा। यहां कहते हैं कि हम बहुमत में हैं। आप बहुमत में होंगे लेकिन आप अपने वोटों का पर्सेन्टेज तो देख लीजिए। मैं आपको कहना चाहता हूं कि हम लोगों को जनता ने चुन कर भेजा है, लोकदल के लोग और जनसंघ के लोग भी जीत कर आये हैं, हम लोगों को जनता ने अपनी सुरक्षा के लिए भेजा है, प्रजातंत्र और लोकतंत्र की रक्षा के लिए भेजा है। हम उनके अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे। हम उनके अधिकारों के बारे में ही अपनी आवाज बुलन्द करते रहेंगे और दब नहीं सकते।

सभापति महोदय, इसमें समाजवाद की बात कही गयी है और काला बाजारियों, प्रतिक्रियावादियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की बात कही गयी है।

(4.00 म० प०)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

मैं पूछना चाहता हूं सत्ता पक्ष से, जो हमारे सामने बैठा है, पहले जनता पार्टी की सरकार थी उसने किन लोगों को गिरफ्तार किया? केवल उन लोगों को गिरफ्तार किया जो कि उनके चहेते नहीं थे। उनके ऊपर कानून का प्रहार किया गया और असली डाकुओं

(श्री मेघराज तावड़)

को नहीं पकड़ा गया। मैं साफ कहना चाहता हूं कि यही का यही हमारी सत्ताधारी पार्टी कर रही है। आप बतायें कि आप ने कितने कालाबाजारियों और मुनाफाखोरों को पकड़ा है? अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान पत्रिका ने राज्यपाल महोदय के भाषण को खण्डित भाषण कहा है। मैं कहना चाहता हूं कि जिस समय जनता पार्टी का राज था तब जनता पार्टी के राज में राजस्थान पत्रिका चाहे विशेष अधिकार रखती हो या विशेष अधिकार वाला पत्र हो लेकिन एक लाख लोगों के हाथ में जाने वाली राजस्थान पत्रिका ने राज्यपाल के अभिभाषण को खण्डित कहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आज वही राज्यपाल हैं, जो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि लोकतन्त्र किसको कहते हैं? लोकतन्त्र यह नहीं है कि पंचायतों और जिला परिषदों के चुनाव करा दिये जायें। एक महीना हो गया, यहां पर चुनाव होने के बाद मन्त्रिमण्डल का गठन होने के बाद अभी भी सचिव आदेश देते हैं। यह लोकतन्त्र है? मैं कहना चाहता हूं कि शासन में आये जुम्मे-जुम्मे अभी एक महीना ही हुआ है यह पूंजीवादी तरीके के समाजवाद की बात करते है। यह पूंजीवादी रास्ता है और पूंजीवादी रास्ते से समाजवाद की बात करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं बीस सूत्री प्रोग्राम की बात इसमें लिखी है उसके बारे में कहना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष : शीघ्र समाप्त करें।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने दें, मैं मेरी पार्टी का अकेला ही सदस्य हूं।

बीस सूत्री प्रोग्राम का इतना बड़ा ढिंढोरा पीटा गया। इमर्जेन्सी के समय में यही सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उस समय के तत्कालीन मुख्य मन्त्री का फोटो एक तरफ और दूसरी तरफ इन्दिरा गांधी का फोटो होता था, बीस सूत्री प्रोग्राम गांव-गांव में लिये फिरते थे। जब बीस सूत्री प्रोग्राम के तहत गरीबों का कर्ज माफ करने की बात की थी और जमीन सूदखोरों के जिम्मे रखी थी उनको छांट कराने की जरूरत थी। यह यह काम कांग्रेस का था हमारा नहीं था लेकिन हम उस काम को कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे मीसा में रखा। आप बतायें कि कितने तस्कर और कालाबाजारियों को आपने जेल में रखा? हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। बीस सूत्री प्रोग्राम के नाम पर कांग्रेस सरकार जनता को धोखे में डालना चाहती है। मैं कहना चाहता हूं कि इस बीस सूत्री प्रोग्राम को कानूनी रूप दिया जाये तो वह पकड़ में आ सकते हैं लेकिन आज गरीबों को धोखे के सिवाय और कुछ मिलता नहीं है।

अब मैं आदिवासी और हरिजनों की बात करना चाहता हूं। जनता पार्टी के जाने के बाद और राष्ट्रपति के शासन में आप देख लीजिए कि कितनी हत्यायें और कितने गोली काण्ड हुए। बूंदी जिले में गोली काण्ड हुआ। उसके ऊपर स्थगन प्रस्ताव भी आया लेकिन उसका जवाब आज तक नहीं है। हरिजन और आदिवासियों की बात करने वाली सरकार और नकली आंसू

(श्री मेघराज तावड़)

बहाने वाली सरकार अब गरीब जनता को अधिक धोखे में नहीं रख सकती। अब समय आ रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार उनके लिए कानून बनाये और आदिवासी और हरिजनों की रक्षा के लिए काम करे। और ऐसा नहीं किया तो समय आपको बर्दाश्त नहीं करेगा व समय आपको भी माफ करने वाला नहीं है। उदयपुर में एक आदिवासी लड़की के साथ बलात्कार करके उसे मारकर फेंक दिया गया। मैं कहना चाहता हूँ कि अपराधियों को क्यों नहीं पकड़ा गया? आज तक पुलिस इस बात का पता नहीं लगा सकी। मैं एस० पी० के पास गया तो एस० पी० ने कहा कि यह फोटो है, आप ही पकड़ कर बता दें। यह काम मेरा नहीं है। यह काम आपके सी० आई० डी० का है। मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार इस ओर ध्यान नहीं देगी तो आदिवासी और हरिजनों का नाम लेना और रिजर्व सीट को बात करना बेकार की बात होगी।

कानून और व्यवस्था की स्थिति जो जयपुर में हो रही है वह आप देख रहे हैं, जो सारे राजस्थान में हो रही है वह भी आप देख रहे हैं और सारे हिन्दुस्तान की भी देख रहे हैं। दो लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ। उनके मां बाप की परेशानी थी कि केस दर्ज नहीं हुआ। एक लड़की का किसी तरह से केस दर्ज हो गया एक लड़की रह गई। गुण्डों को मालूम पड़ गया तो उस लड़की को कहा कि तुम्हारा भी हाल वही होगा जो कि इसका हुआ है। इस केस के मामले में जब हमारी पार्टी की श्रीमती प्रेमलता शाह डी० आई० जी० के पास गयीं और उनको इस मामले से वाकिफ कराया और कहा कि अपराधियों को गिरफ्तार करो तो डी० आई० जी० ने कहा कि यह काम तो हमारा है। आपको इससे क्या मतलब। मैं कहना चाहता हूं, श्रीमान, पुलिस का अधिकारी इस तरह की बात कहे तो अचम्भे की बात है। आज पुलिस रक्षक है न कि भक्षक है पुलिस इस का पता नहीं लगा सकती तो कौन लगायेगा ? इतनी बड़ी पुलिस इस बात को नजर अन्दाज कर जाये तो, श्रीमान, समाज में कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह जायगी।

श्रीमान, आगे भूमि सुधार की बात आई। भूमि सुधार की बात कहना चाहता हूं कांग्रेस की बहुत छोटी सी बात। मैं कहना चाहता हूं सीलिंग कानून कांग्रेस राज में बना था। कांग्रेस के जमाने में सीलिंग कानून बना लेकिन लागू नहीं कर सके। क्योंकि बड़े-बड़े सामन्तों के पास हजारों बीघा जमीन थी जो सीलिंग में लेनी पड़ती। श्रीमान, उस सीलिंग कानून को दबा दिया गया। बाद में भैरोंसिंह शेखावत सरकार ने री-ओपन किया था लेकिन फैसले अब भी पड़े हुए हैं। यह लालफीताशाही है। यही कांग्रेस सत्ता पक्ष के लोग कहते थे कि सामन्तों के पास जमीन है। सामन्तों से नफरत करते थे। मैं कहना चाहता हूं अभी जो लोक सभा का चुनाव हुआ तब वही सामन्त कहने वाले और सामन्तों को गाली देने वाले कांग्रेस के लोगों के लिये डूंगरपुर महारावल जिनको गाली देते रहे, सामन्त कहते रहे, जो गोद में जाकर बैठ गये वह सामन्त नहीं रहे। करौली के महाराज जब कांग्रेस में जाकर बैठे तो सामन्त नहीं रहे ? मैं कहना चाहता हूं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक समाजवाद की बात करते हैं दूसरा दूसरी तरफ की बात करता है....,

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री मेघराज तावड़ : मैं कहना चाहता हूं कि जब तक डेमोक्रेटिक फ्रंट तैयार नहीं होगा, प्रजातन्त्र जिन्दा नहीं रह सकता, समाजवाद नहीं आ सकता और ना ही देश में कानून और व्यवस्था कायम रह सकती है। श्रीमान्, मैं कहना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष : कृपया जल्दी समाप्त करें। आपने अपने दल का पूरा समय ले लिया है।

श्री मेघराज तावड़ : एक बात मैं कहना चाहता हूं महंगाई कितनी बढ़ी है। उधर के दल के सदस्य बोले कि महंगाई जनता शासन में बढ़ी है। श्री भैरोंसिंहजी आये उन्होंने कहा कि महंगाई कांग्रेस शासन के समय में बढ़ी है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, गंगानगर का शुगर का कारखाना किसका है? वह आपकी सरकार का है। वह कांग्रेस का कारखाना है। सबसे पहले आप अपनी फैक्ट्री से भाव कम करें। जो आपका कारखाना है पहले आप उसको कन्ट्रोल करिये। एक बात मैं कहना चाहता हूं। हमारे श्री शिवचरण जी माथुर ने कहा था कि यह सब विपक्ष के लोग एक हो गये। मैं कहना चाहता हूं श्री शिवचरण जी भूल गये कम्युनिस्ट पार्टी जनता पार्टी के साथ नहीं थी।

आज उदयपुर डिवीजन के हरिजनों और आदिवासियों की यह हालत है कि पीने के लिए पानी नहीं हैं। दो-दो मील तक कहीं पानी नहीं है। मवेशी पानी पी नहीं सकते। पानी के लिए कोई सुनने वाला नहीं है। हरिजन और आदिवासियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। कोई भी पक्ष सत्ता में आ जाये, उनकी समस्या ज्यों की त्यों पड़ी रहती है। पानी पीने को नहीं। सरकार ने आदेश निकाला कि सहकारी समितियों में घोटाले हैं जांच की जाये। लोगों से वसूलियां की जायें। कलेक्टर ने कहा लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं है। अगर वसूली करते हैं तो किसान खेती करने से महरूम रह जायेंगे। पीठ पर पत्थर रख कर वसूलियां की गई। हण्टर मार कर वसूलियां की गई। आज भी उन लोगों के साथ सख्ती की जा रही है। सरकार कहती है, कोई सख्ती नहीं की जा रही है। आप कहते हैं इमरजेन्सी में सारी जमीनें अलाट कर दी, हरिजन आदिवासियों को जमीनें अलाट कर दीं। अभी रेवेन्यू अभियान में जनता पार्टी ने कहा था हमने सारी जमीनें अलाट कर दीं। मैं कहना चाहता हूं अन्त्योदय योजना, भैरोंसिंह की सरकार ने शुरू की, जिसमें जमीनें अलाट की गई, लोगों के धोरे काट दिये। गरीब को गरीब से लड़ा दिया जब तहसीलदार आये तो उन्होंने कहा कि जमीनें अलाट होंगी, आप दस्तखत करिये। मैंने कहा; मैं सरपंच हूं, मुझे पहले जमीन बताओ। लेकिन जमीन नहीं बताई। उन्होंने कहा, हमें तो आंकड़े बताने हैं जमीन हो या न हो। जिन लोगों को जमीन दी गई, न जमीन है; न कब्जा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका कई दफा ध्यान आकर्षित किया है। जितना समय आपकी पार्टी के लिए था उसका सवाया समय आपने ले लिया है।

श्री मेघराज तावड़ : एक मिनट मैं बात कह कर बैठता हूं।

राज्यपाल के अभिभाषण में राजस्थान की जनता को गुमराह किया गया है, इसका विरोध करता हूं और इसे दिशाहीन मानता हूं।

Page No.108

श्री अध्यक्ष : श्री श्रीराम गोटेवाला ।

मुख्य मन्त्री जी अपना उत्तर पांच बजे देंगे ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय ने...

श्री अध्यक्ष : आपके दल की तरफ से बहुत बोलने वाले हैं, 10, 10 मिनट लें तो ज्यादा संख्या में बोल सकेंगे ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय ने दिनांक 8 जुलाई को इस सदन में जो अभिभाषण दिया उसका समर्थन करने के लिये मैं यहां खड़ा हुआ हूं । अभी थोड़ी देर पूर्व विरोधी पक्ष के नेता माननीय भैरोंसिह शेखावत ने अपने शासन काल में जो आंकड़े प्रस्तुत किये, मैंने उस समय भी पूछा था लेकिन उनका भाषण इस प्रकार का था जिससे मुझे लगता था कि उनके पास जवाब की गुंजाइश नहीं थी । एक ही बात कहना चाहता हूं उन्होने इस आंकड़ों के मायाजाल से जनता को भ्रमित रखा । परन्तु 28 महीने के पूर्व ही जनता ने उनके शासन को पूरी तरह उखाड़ फेंका । जनता ने इस बात को देखा कि ट्रायल में खरे उतरते हैं या नहीं उतरते हैं । इस आधार पर जनता आगे निर्णय करना चाहती थी । उस निर्णय के परिणामस्वरूप मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जनता ने उनके शासन को उखाड़ फेंका ।

उन्होंने कई बातों के बारे में कहा कि हमने यों तरक्की की, ये-ये काम किये और कई प्रकार के आंकड़े दिये । वे अपने खुद के आंकड़ों के आधार पर बताये कि उन्होंने क्या किया है ।

राजस्थान में एजूकेशन की बात कही गई । राजस्थान में एजूकेशन का प्रतिशत 19 पर्सेन्ट बताया। यह उस जमाने के एजूकेशन के आंकड़े हैं जो 77-78 के अन्दर हम लोग यहां पर छोड़ कर गये थे । इसके बाद आंकड़ों के अन्दर क्या परिवर्तन हुआ, यह बताने का कष्ट उन्होंने नहीं किया । राजस्थान में महिलाओं की शिक्षा का प्रतिशत 4 पर्सेन्ट है । मैं यह मानता हूं कि यह हमारे लिये शर्म की बात है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिये हमें राजस्थान के उन हालातों को भी देखना पड़ेगा । जिन हालातों के अन्दर राजस्थान बना था । 22 रजवाड़ों को और रियासतों को मिला कर जिस प्रकार का राजस्थान बना था और जिस प्रकार की सामन्ती और जागीरदारी व्यवस्था यहां पर थी उस सामन्ती और जागीरदारी व्यवस्था के अंतिम अवशेष के रूप में जिस प्रकार भैरोंसिह शेखावत यहां पर सारी बातों को दोहरा रहे थे यद्यपि राजस्थान की जनता ने उस सारी व्यवस्था को बुरी तरह से ठुकरा दिया किन्तु अंतिम सांस ले रहे थे इसलिये सारी बातों को दोहरा रहे थे । मैं पूछना चाहूंगा उनसे कि क्या प्रगति की उन्होंने इन सारी बातों के अन्दर? आपके आंकड़े इस बात के प्रतीक हैं कि 19 पर्सेन्ट जो एजूकेशन थी वह आज भी बढ़ी नहीं है । चार पर्सेन्ट महिलाओं की एजूकेशन भी बढ़ी नहीं है । गांव-गांव के अन्दर प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूलों की आप चर्चा करते हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे समय के अन्दर केन्द्रीय सरकार की मदद से यह सारे के सारे प्राइमरी और मिडिल स्कूल खोले गये थे । आपने उनको बढ़ाने के बारे में अपनी तरफ से कोई काम नहीं किया ।

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

उन्होंने सड़कों के बारे में आंकड़े दिये । उनके खुद के आंकड़े थे कि सड़कों के मामले में 36 किलोमीटर, सौ किलोमीटर बेस मान कर दूसरे प्रान्तों में हैं जब कि राजस्थान में 13 किलोमीटर का रेश्यो है । मैं बहुत विनम्रतापूर्वक उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने स्वयं ने कितनी सड़कें जोड़ीं ? उसके आंकड़े नहीं हैं उनके पास ।

मैं बहुत विनम्रतापूर्वक आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, चम्बल के कमाण्ड एरिया के अन्दर विकास के लिये वर्ल्ड बैंक का करोड़ों रुपया पड़ा रहा, उसका केवल मात्र खर्चा हुआ पांच पर्सेन्ट और बाकी रुपया लेप्स चला गया । आखिर किस तरह से वे राजस्थान की तरक्की करना चाहते थे ?

राजस्थान के अन्दर 1974-75 के आंकड़ों के अनुसार बिलो पावर्टी लाइन कहे जाते है, वे 55 पर्सेन्ट लोग बिलो पावर्टी लाइन में हैं और 55 पर्सेन्ट में भी जो थे, उनके लिए मैं बहुत विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि 74-75 के आंकड़ों के आधार पर 65 रुपया पर केपिटा जिसकी इन्कम हो वह आदमी बिलो पावर्टी लाइन माना जाता है । आज इस महंगाई के युग में जब कि भाव 74-75 से बहुत ऊंचे पहुंच गए हैं, मैं समझता हूं कि 55 से बढ़ कर साठ पर्सेन्ट तक यहां की बिलो पावर्टी लाइन में पहुँच गए होंगे ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत विनम्रतापूर्वक यह भी पूछना चाहता हूं माननीय विरोधी पक्ष के नेता महोदय से कि इन तीन सालों के अन्दर उन्होंने क्या किया ? जो ढांचा हमने तैयार किया था, तीन हजारकी विदेशी मुद्रा का भण्डार भारत का हमारी देश की नेता इन्दिरा गांधी छोड़ कर गई थी और आज जब वापस शासन सम्भाला तो वह जीरो के अन्दर उपलब्ध है । दो करोड़ टन खाद्य का भण्डार था, जिसकी 18 करोड़ बोरियां होती हैं, हम छोड़ कर गये थे, बड़े गर्व के साथ कह रहे थे कि सौ करोड़ रुपया अन्त्योदय कार्यक्रम और काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत राजस्थान में खर्च करवाया है । मैं बहुत विनम्रता के साथ पूछना चाहता हूं कि क्या हुआ उस अनाज के भण्डार का ? कहां है आज अनाज का भण्डार ? आज इमर्जेन्सी के बारे में और दूसरी बातों के बारे में बहुत बातें कर रहे थे । उन्होंने इस बात को भी कहा था कि उस समय हमको ढांचा खराब मिला । इस बात को उन्होंने कई जगह दोहराया है । मैं पूछना चाहता हूं कि आज उन्होने जो ढांचा दिया वह किस प्रकार का है ? उन्होंने यह नहीं कहा कि उन्होंने किस प्रकार की व्यवस्था जमायी । मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि उन्होंने क्या जमाया या नहीं जमाया, इसको छोड़िये । उन्होंने जो कुछ बिगाड़ा है उस सब की बात मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं । हिन्दुस्तान में जहां 18 रुपये में सीमेंट की बोरी मिलती थी वह सीमेन्ट की बोरी ही गायब हो गई सीमेन्ट की बोरी आज मिलती नहीं । लोहे के दामों के बारे में इतना ही कहना चाहता हूं कि आज देखें कि लोहे के दाम कहां पहुंच गये हैं । उन्होंने बताया कि हमने 12 हजार नए लघु उद्योगों की स्थापना कराई । मैं आपसे बड़ी विनम्रता के साथ पूछना चाहता हूं कि चले

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

कितने लघु उद्योग ? केवल कागजों के आधार पर आप कह रहे हैं कि आप सीमेंट के कारखानों के लिये सौ करोड़ की केपिटल लेकर आये । मैं आपसे पूछना चाहता कि कहां हैं वे सीमेन्ट के कारखाने ? राजस्थान में पांच सीमेंट के कारखाने जो कांग्रेस सरकार ने पिछले तीस वर्षों में बनाए थे उसके बाद एक भी सीमेंट के कारखाने की स्थापना हुई हो तो वह बता दें । केवल मात्र कागजी आंकड़ों के आधार पर इस प्रकार की सारी बातें कह कर सदन को भ्रम में डालने की कोशिश करके हम राजस्थान के विकास की ओर अपने कदम नहीं बढ़ा सकते । आज आवश्यकता इस बात की है कि हमारे यहां बिलो पावर्टी लाइन लोगों का विकास कैसे करें, उनके लिए किस प्रकार का ढांचा खड़ा करें । उस ढांचे में मैं यह मान कर चलता हूं कि जो भी सहयोग देना चाहें उनका सहयोग लिया जाना चाहिए ।

आज राजस्थान की स्थिति यह है कि राजस्थान के 82 पर्सेन्ट लोग आज खेती पर निर्भर करते हैं । खेती के लिए आवश्यकता है कि हम यहां पर बिजली का उत्पादन ठीक करें । खेती के लिए आवश्यकता है कि हम यहां पर बिजली के साथ-साथ इरिगेशन की सुविधा उपलब्ध करायें । उसके साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि यहां पर फर्टीलाइजर की व्यवस्था किसानों के लिए करें । आज राजस्थान का कृषि उत्पादन, हिन्दुस्तान भर के अन्दर ही नहीं बल्कि दुनियां भर के अन्दर पर एकड़ सबसे नीचे है । उसको ऊंचा करने के लिए क्या किया गया ? केवल गरीबों को गरीब बना करके और धनवानों को धनवान बना कर अन्त्योदय योजना के अन्दर ऐसे-ऐसे लोगों को, जो आर.एस.एस.के वर्कर थे, केवल मात्र सहायता देकर भले ही कोई ढिंढोरा पीट ले कि हमने 26 करोड़ रुपये के ऋण गांवों में बांट दिए, मैं इसके लिए पूछना चाहता हूं कि उन ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई थी? किसने की थी उनकी स्थापना? कौन थे उसके प्रवर्तक ? आप सारी की सारी बातों को भुलावे में डालना चाहते हैं । हम उम्मीद करके चलते थे, विपक्षी दल के नेता, जिन्हें लगातार तीन साल के शासन का तजुर्बा रहा है, इस प्रकार की बात करते, राजस्थान में जो 55 पर्सेन्ट लोग बिलो पावर्टी लाइन हैं उनके बारे में बात करते ।

आज सीमेंट के कारखाने चित्तौड़गढ़, उदयपुर और भीलवाड़ा में लगाने की बात थी, उसके बारे में क्या हुआ ? मैं बहुत विनम्रता के साथ आपके माध्यम से अपनी सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में राक फास्फेट के अपार भण्डार हैं । आप जानते हैं कि यहां पर बढ़िया पाईराइट मिलता है, उसके आधार पर राजस्थान में खाद का कारखाना लगाने की आवाज उठी थी सीकर के अन्दर । मैं कहना चाहूंगा कि भैरोंसिंहजी साहब उसी जिले से आते हैं, सौभाग्य से कहिये या दुर्भाग्य से कहिये वे उसी जिले के आदमी हैं जहां पर पाईराइट के भण्डार हैं । आज वे आलोचना करते हैं तीन वर्षों के बाद, मैं बहुत विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं और आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं उनसे कि जब उनको मौका मिला था तो क्या किया उसका उन्होंने ? कहां है वह पाईराइट का कारखाना? पाईराइट के माध्यम से इस राजस्थान की धरती के अन्दर 230 करोड़ रुपया खाद का कारखाना स्थापित

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

कराने में राजस्थान में खर्च होता उस इलाके में मरुस्थल है उस खाद कारखाने के सहारे नए कारखाने स्थापित होते, उससे बहुत बड़ा औद्योगीकरण राजस्थान में होता है और उससे छोटे-मोटे बहुत से कारखाने स्थापित होते। यद्यपि सीकर जिले की जनता को आपने यह कहा था कि खाद के कारखाने को लगवा कर ही मैं चैन लूंगा, क्या हुआ आपके वायदे का ? आज राक फास्फेट और पाईराइट को भारत सरकार की कम्पनी निकाल रही है। इस सब का आगे उपयोग होगा, इसके बारे में योजना बनी नहीं है। तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बहुत विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि हमको बैठ कर इस बात के बारे में सोचना चाहिए। आज जो हमारे 55 पर्सेन्ट लोग बिलो पावर्टी लाइन में खड़े हुए हैं उनको शिक्षा देने की व्यवस्था हो, उनको चिकित्सा की सुविधा मिले। उनके लिए हम क्या व्यवस्था कर सकते हैं। मैं बहुत विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि वह सरकार तो कागजी सरकारें थी, नाटक मंडलियों की सरकार थी जो सिर्फ नाटक करती रही। इसने राजस्थान कैनाल को पूरा करने की ओर ध्यान नहीं दिया। आज मैं आपसे कहता हूं कि परसों के दिन यहां पर भेड़ के बारे में चर्चा चल रही थी मुझे याद है उस जमाने में एक योजना बनाई गई थी कि एक लाख भेड़ों और 12 हजार गायों को रिजर्व चारागाह, जो राजस्थान कैनाल के क्षेत्र में बनाया जावे में रखा जावे भेड़ हमारा पशुधन है। हम यह मानते हैं कि राजस्थान के अन्दर 45 पर्सेन्ट ऊन सारे देश की अकेला राजस्थान देता है। राजस्थान में सारे देश की 45 पर्सेन्ट ऊन का उत्पादन होते हुए भी हमारे यहां पर इसके उद्योग धन्धे नहीं पनपे यह हमारे लिए बड़े शर्म की बात है, यह मैं मानता हूं। आज भेड़ को लेकर हमारे खुद के जिलों में झगड़े हैं, दूसरी स्टेट्स के साथ झगड़े हैं। कभी गुजरात से झगड़ा तो कभी महाराष्ट्र से झगड़ा। कभी उत्तर प्रदेश से इस बात को लेकर झगड़ा होता है। हमारे पास हजारों एकड़ जमीन खाली पड़ी हुई है जहां पानी पहुंचा कर उनके लिये व्यवस्था कर सकते हैं। मैं आज हमारी सरकार से इन सारी बातों के बारे में अनुरोध करूंगा कि हमें ढंग से राजस्थान केनाल को पूरा करके यह सब करना चाहिये।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि वह सरकार तो गई और वह सरकार कभी आने वाली भी नहीं है। क्योंकि वह सरकार तो केवल मात्र टेम्परेरी सरकार थी, जनता की नाराजगियों के कारण उनको मौका मिल गया था लेकिन उस मौके का लाभ उठाने में भी वह बूरी तरह से असफल रहे हैं। हमको लोगों ने वोट इसलिये दिया है कि हम राज्य को सही व्यवस्था करके चलायें। लोगों को हमारे से बहुत बड़ी आशाएं हैं उनको पूरा करने के लिये, मैं यह मान कर चलता हूं हम लक्ष्य तय करें चाहे आप कितने ही कुओं को खोदने की व्यवस्था करें, आपकी ज्योलिजिकल सर्वे आफ इंडिया की यह रिपोर्ट है यहां पानी है और एक रेड वाटर होता है जो काफी गहरे में होता है, 500 फीट नीचे निकलता है, उससे भी कोई गुंजाइश नहीं लगती है। उन सारे कामों के लिये बहुत जरूरी है, जो केनाल है, केनाल इरिगेशन है, लिफ्ट इरिगेशन है, इन सब की व्यवस्था की जाय। जब तक यह व्यवस्था नहीं की जाती है तब तक आप पूरे नहीं

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

पड़ेंगे। वे गर्व के साथ कह रहे थे कि इतने गांवों में बिजली पहुंचा दी. इतने कुओं के लिए बिजली दी, लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान के लिये 44 गांवों के अन्दर जयपुर, जोधपुर कोटा, बीकानेर, उदयपुर सबको सम्मिलित करके दी, केवल मात्र राजस्थान के 44 गांवों को बिजली दी। हम सत्ता छोड़ कर गये तब 8,500 गांवों के लिये बिजली की व्यवस्था कर दी गई थी। सारे बड़े-बड़े बिजली घर चाहे अणु विद्युत केन्द्र हो सारी की सारी योजनाएं बना कर उनको क्रियान्वित करके हम गये, आपने उसके बाद कहीं पर एक प्रतिशत भी बढ़ोतरी की बात नहीं की। अगर आपके जमाने में कोई चीज हुई तो घपले हुए, लोगों से पैसे खाये। एक तरफ बात करते हैं भ्रष्टाचार दूर करने की, दूसरी तरफ लोगों को लूटा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, परसों मेरा प्रश्न था, जे०पी० नगर कालोनी के बारे में। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि लाखों रुपये आर०एस०एस० के लोग मिल कर खा गये। आज ये कहते हैं कि विकास के बड़े-बड़े काम किये। इतनी बड़ी रूप रेखा बताते हैं, राजस्थान को दस साल रिप्रेजेन्ट किया है भैरोंसिंह जी ने, तीन साल रिप्रेजेन्ट किया भंवरलाल जी शर्मा ने, इनके खुद के सदस्य यू०आई०टी० के चेयरमैन रहे लेकिन एक भी गरीब को भूमि का आंवटन नहीं किया और आवंटन किया तो एक श्री दामोदर अग्रवाल हैं, उनको एक फार्म 106 गज का केवल मात्र 6 रुपये गज में देकर लाभ पहुंचाया। अध्यक्ष महोदय, मैं कल रसीदें पेश करूंगा। किस ढंग की परिस्थिति वहां है। अध्यक्ष महोदय, जनता को लूट रहे हैं।

मैं अनुरोध कर रहा था, हमारे प्रान्त के विकास का सवाल है। मुख्य मन्त्री जी और हमारे सरकार के साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में जो इन्फ्रास्ट्रक्चर कायम हो गये हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिये कार्यवाही करनी पड़ेगी। हमारी फसल को बढ़ाने के लिये बिजली बहुत जरूरी है। ठीक उसी प्रकार सिंचाई के साधन बढ़ाने जरूरी हैं। ठीक उसी प्रकार खाद्य की व्यवस्था करना भी जरूरी है। इसके साथ ही राजस्थान का 40 प्रतिशत एरिया है. मैं मानकर चलता हूं और इमर्जेंसी में प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी ने कहा था कि यह इलाका श्वेत क्रांति के लिये रिजर्व रहना चाहिये। डवलपमेंट डिपार्टमेंट के माध्यम से सारी व्यवस्था चल रही है, उन व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने का काम चलता रहना चाहिये।

ठीक उसी प्रकार बेरोजगारी को दूर करने के लिये मैं निवेदन करूं। 82 प्रतिशत लोग राजस्थान में गांवों में रहते हैं। 82 प्रतिशत लोगों की बेरोजगारी और गरीबी को किस प्रकार दूर कर सकें और हिन्दुस्तान के आम आदमी के मुकाबले में उनका स्तर किस प्रकार ऊंचा उठा सकें, इसके बारे मे हमें प्रयास करना चाहिये।

आज बिजली का राजस्थान में वेस्टेज है। यह इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का प्रतिवेदन है। इन्होंने खुद ने माना है कि:—

"The net loss of energy in transformation, transmission, distribution and unaccounted for losses

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

during the year under review were of the order of 942.772 M. Kwh, which amounted to 26.61 per cent of the availability of energy within the State."

मैं यह मानता हूं कि यह राजस्थान में नहीं, हिन्दुस्तान में नहीं बल्कि दुनियां में सबसे ज्यादा बिजली का वेस्टेज है। यहां पर इस प्रकार का वेस्टेज हो रहा है। मैं सरकार से और सरकार के बैठे हुए अधिकारियों से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस वेस्टेज को रोकने की बात सोचें। सारी जगह 19 प्रतिशत से ज्यादा वेस्टेज नहीं होता है। 60 प्रतिशत का वेस्टेज, जबकि आपको बिजली की परमावश्यकता है, मैं समझता हूं बहुत घातक है, इसको रोके जाने के लिये प्रयत्न करना चाहिये।

मैं राजस्थान केनाल एरिया के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। यहां की वाटर सप्लाई है, उस पानी के उपयोग के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। उसका हम शत-प्रतिशत उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, उसके उपयोग की व्यवस्था की जाये। पशुओं के लिये एक सुरक्षित स्थल बनाने की बात है, उस योजना को हाथ में लेकर हमको काम करना चाहिये ताकि हम सारी व्यवस्था को ठीक तरह से सम्पादित कर सकें।

गांवों में लघु उद्योगों का विकास करने के लिये राजस्थान में डवलपमेंट डिपार्टमेंट में अधिकारियों की नियुक्ति की। अधिकारी कायम हैं लेकिन क्या काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, अधिकारी केवल मात्र ठाले बैठे रहते हैं। कैसे उद्योग धन्धे लगाने चाहियें, इसके बारे में उनका कोई सुझाव या कार्यक्रम नहीं है।

राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से अन्त्योदय का काम चालू करवाने की बात कही है। मैं मुख्य मंत्री जी निवेदन करूंगा कि कम से कम इस बात की जांच करें, इसके रिजल्ट क्या हैं, आउट-पुट क्या है। मैं अनुरोध करना चाहूंगा....

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : बहुत जल्दी समाप्त कर रहा हूं।

एक बात मैं लॉ एण्ड आर्डर के बारे में कहूं : मेरे क्षेत्र के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। यहां पर बड़ी-बड़ी बातें कही गई हैं। यह भी प्रमाणित करने की कोशिश की गई है, जैसी तीन-चार महीनों में लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति बिगड़ी, मैं समझता हूं यह बहुत मूल-भूत प्रश्न है। चार महीने पहले जो गुण्डागर्दी और बलात्कार हुए उनका कोई समर्थन नहीं कर सकता। मैं एक बात कहूंगा, एक बात पर संतोष था, उनके काल में राजस्थान में 1100 पुलिस कर्मचारी उनके खिलाफ आंदोलन कर चुके हैं। उस जमाने में एक बात थी, हम सारी चीजें बर्दाश्त करने को तैयार हैं, जो दलगत राजनीति के आधार पर ट्रांसफर किये जा रहे हैं, उसके लिये तैयार नहीं हैं, एक थाने में ट्रांसफर हो रहे हैं, यह जनता पार्टी के शासन में हो सकता है, दूसरे में नहीं। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि राजस्थान में पुलिस कर्मचारी हैं, मेरे ख्याल से 1-3 हजार के आस-पास पुलिस कर्मचारी हैं। उसके अन्दर से 80 प्रतिशत के ट्रांसफर किये गये। मैं बहुत विनम्र शब्दों में, माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि एक तो हमको देखना चाहिये कि आज जो पुलिस कर्मचारी है वह किस परि-

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

स्थिति में रहता है, उसकी स्थिति हम किस प्रकार, कैसे ठीक कर सकते हैं। जिन थानों में नियुक्ति होती है, वहां एक थानेदार है, हैड कान्स्टेबल है, उसमें दस-बारह पुलिस के सिपाही होते हैं। आज एम. ए., बी. ए., तक पढ़े हुए पुलिस कांस्टेबल बनने के लिये तैयार रहते हैं। इसलिये एक तो मैं अनुरोध करूंगा कि उन्हें प्रमोशन के मेरिट के आधार पर अवसर देने चाहिये ताकि उनके दिल में भी यह बात रहे कि हमारे भी आगे बढ़ने के चांसेज हैं हम भी कभी डिप्टी एस. पी. बन सकते हैं, अपने काम के आधार पर, व योग्यता के आधार पर आगे बढ़ सकते हैं।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लॉ एण्ड आर्डर की जिम्मेदारी कलेक्टर पर रहती है एस. पी. तो उसे एसिस्ट करने के लिये है। कलेक्टर ही इसका जिम्मेदार होता है। इसलिये मेरा विनम्र सुझाव है, क्योंकि 4–5 दिन पहले मैंने अखबार में पढ़ा वेस्ट बंगाल में एक अखबार वाले ने पूछा कि आपकी ड्यूटीज क्या है तो उन्होंने कहा कि पुलिस के तमगों को चमकाते रहने की हमारी ड्यूटी है, इसके अलावा कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसलिये हम को आई. जी. से लेकर एस. पी. और उसके नीचे के जो पुलिस अधिकारी हैं उनको लॉ एण्ड आर्डर की जिम्मेदारी सौंपनी चाहिये आज आई. जी. का कन्ट्रोल नहीं है एस. पी. पर सारे आर्स जी. ए. डी. के मार्फत मिनिस्टर यार्ड चीफ मिनिस्टर करना चाहते हैं। मैं अनुरोध करना चाहता हूं आप एक बार परीक्षण करके देखें, सारी जिम्मेदारी इन पुलिस वालों पर छोड़ें। अगर सारी जिम्मेदारी उसको सौंप कर चलें तो मैं समझता हूं कि व्यवस्था को ठीक कर सकते हैं।

मैं यही बात कह कर जो मेरे जयपुर शहर का सवाल है उसके बारे में दो मिनट बात करके समाप्त करूंगा।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर पिछले तीन सालों के दौरान लगभग 6 हजार लोगों ने अनधिकृत रूप से कब्जे किये हैं। जगह-जगह कच्ची झोंपड़ियां बनाई हैं। कृषि भूमि पर हजारों लोगों ने मकान बनाये हैं। सरकार ने कहा कि इनको पानी, बिजली नहीं दी जायगी। जो होशियार लोग हैं उन्होंने बिजली और पानी के कनेक्शन ले लिये। जो सीधे-सादे लोग हैं उनको न बिजली मिली, न पानी, जो लोग नेता बन गये हैं वे दूसरे लोगों की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं उनको रुपये नहीं देते हैं तो सिर फोड़ते हैं। यह जयपुर शहर का रोज का वाकया है। हमने 21 अगस्त, 71 को जयपुर में आन्दोलन किया था उस जमाने में बरकतुल्लाजी मुख्य मंत्री थे। हमने आश्वासन लिया कि 21-8-71 को जो आदमी जहां पर बैठा है उसको रहने के लिए अधिकार दे रहे हैं। एक दिन के अन्दर सारा सर्वे करवा कर कंपलीट हुआ था। आज, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान ही नहीं हिन्दुस्तान का सबसे बढ़िया शहर, जहां लाखों लोग टूरिस्ट के रूप में आते हैं, मैं कच्ची बस्तियों के रूप में शहर का एक कोढ़ विद्यमान है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध कर रहा हूं कि उनको ठीक ढंग से बसायें, जो आदमी बैठे हैं उनको पानी, बिजली देकर ठीक ढंग से बसायें।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री श्रीराम गोटेवाला : उनको ठीक ढंग से बसाने की बात करें। हजारों लोग हैं। क्योंकि यहां पर 125 कृषि भूमि हाउसिंग सोसायटियां बनी हैं। होशियार लोगों ने लाखों रुपये का कबाड़ा किया है लेकिन आम आदमी आज भी वहां पर पानी के लिये तड़फ रहा है क्योंकि सरकार ने पी. एस. पी. खड़ी कर रखी है लेकिन उस पानी का सरकार को पैसा नहीं मिल रहा है। मैं मांग करता हूं कि उनके घरों में पानी के कनेक्शन दिये जांय। हमने इस तरह फैसला करवा कर दो हजार लोगों को पानी के कनेक्शन दिलवाये हैं। 12 हजार की सरकार को वाटर वर्क्स की आय हुई है। आज भी कनेक्शन दिये जांय तो मैं समझता हूं 10 हजार परिवार होंगे जो पानी के कनेक्शन लेंगे। इस घाटे को सरकार बरदाश्त कर रही है और कोई कारगर कदम नहीं उठाया जा रहा है। केवल मात्र बात कहते हैं।

माननीय भैरोंसिंह जी ने जो रिपोर्ट यहां पर पेश की, जितने बड़े-बड़े लेखकों के नाम यहां पर गिनाये-टू फेसेज आफ इंदिरा गांधी-उमा वासुदेव मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं जब इंदिरा जी का राज चला गया तो उनके दूसरे फेस की चर्चा कर दी। मथाई को आपने पढ़ा होगा। यह तो जिन-जिन लोगों का राज आता है उनकी प्रशंसा करने लगते हैं। उनकी प्रशंसा से प्रशंसित होकर भैरोंसिंह जी का राज डूब गया।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। आर्डर प्लीज, समाप्त करें।

श्री पृथ्वीसिंह !

एक माननीय सदस्य : समर्थन तो किया ही नहीं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं

श्री अध्यक्ष : श्री पृथ्वीसिंह ! कृपया शीघ्र समाप्त करें।

श्री पृथ्वीसिंह (खानपुर) : मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समर्थन में कुछ अर्ज करने जा रहा हूं। इसमें जनता पार्टी को दिशाहीनता की संज्ञा दी गई। मैं समझता हूं यह बिल्कुल सही है क्योंकि जनता पार्टी एक विकट परिस्थिति में जनता का समर्थन प्राप्त कर सत्ता में आई और जिस जगह उनको जाना चाहिये था, जिस दिशा में उनको पहुंचना चाहिये था उससे वे डांवाडोल हुए। केवल प्रधान मंत्री की कुर्सी ही इस देश की भाग्य विधाता नजर आई और आपस में ही खींचातानी करने लगे। उसे केवल मात्र भारत की जनता ही नहीं पूरी दुनिया ने ही देख कर सोचा कि ऐसे जिम्मेदार आदमी एक कुर्सी के पीछे जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं जो उनको नहीं करना चाहिये। उनके कर्तव्य कई हो सकते थे लेकिन आखिर इस खींचातानी में ही देश की स्थिति, जो काफी विकट थी, की व्यवस्था करनी चाहिये थी, और कार्य संचालन भी ठीक से होना चाहिये था उसको नहीं कर पाई। इसी के कारण सारे राज-कार्य में अव्यवस्था फैल गई। मैं निवेदन करूं कि जितने भी कार्य थे, विदेशी नीति या जो भी नीति थी, वे उसमें सफल नहीं हो पाये, कृषकों के कई तरह के मामले थे उनके सौदे नहीं हो पाये, भाव कम हो गये और काश्तकारों को भारी क्षति उठानी पड़ी। जहां तक महंगाई का सवाल है उसके लिये जनता पार्टी कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराती है। शक्कर के भाव 10 रु. हो गये। मैं निवेदन करना चाहूंगा, यू. पी. के अन्दर,

(श्री पृथ्वीसिंह)

फैक्ट्रियों के अन्दर गन्ने की मांग थी इन फैक्ट्रियों और काश्तकारों के बीच में यह जनता सरकार तालमेल नहीं बैठा सकी। और गन्ने को खेतों में काश्तकारों को जलाना पड़ा, इस कारण देश में ही शक्कर कम हो गई।

हम जानते हैं कि जो अव्यवस्था आज है उसका असर तो कल भी होगा ही। तो जितनी भी महंगाई और अव्यवस्था है यह सब जनता सरकार की देन है।

इसके साथ ही साथ लॉ एंड आर्डर की बार-बार चर्चा होती है चोरियां, डकैतियां और सब कुछ हो रहा है यह आज ही नहीं हो रहा है। जनता शासन में भी हड़तालें हुई, फैक्ट्रीज का प्रोडक्शन कम हुआ और सभी चीजें कम पैदा हुई। तो यह सब अव्यवस्था पहले भी थी और आज भी थोड़ी बहुत चली आ रही है क्योंकि व्यवस्था एकदम ठीक नहीं हो सकती। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि लॉ एंड आर्डर को सही करने के लिये जब तक पुलिस विभाग और न्यायपालिका का तालमेल नहीं होगा, मुकदमे चलेंगे, एक-एक मुकदमा 10-10 साल तक फैसला नहीं होगा और प्रोम्प्ट एक्शन नहीं होगा तब तक लॉ एंड आर्डर में एकदम सुधार करना संभव नहीं हो पायेगा।

इसके अलावा जो अकाल राजस्थान में हम तीस साल से देखते आ रहे हैं, अकाल की समस्या के हल के लिए हम राजस्थान में जब तक कारगर कदम नहीं उठाएंगे तब तक यह समस्या दूर नहीं होगी। जहां-जहां पर अन्डर ग्राउन्ड वाटर है उन सोर्सेज को उपयोग में लाना होगा और बहुत सी जगह पर नहरों के साधन जुटाने होंगे। हमारा श्रम, पैसा उपयुक्त जगह पर खर्च किया जाएगा तो बहुत से ऐसे इलाके राजस्थान में हैं जो कि गंगानगर बन सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं झालावाड़ जिले के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। हमारे जिले में कुछ एरिया ऐसा है जहां कि अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार 150 फ़ीट नीचे काफी पानी है। अगर उस एरिया में ट्यूबवैल्स की स्कीम्स बनायी जाए और बिजली का प्रसार किया जाए तो वह एरिया डवलप हो सकता है। इसी तरह से और भी कई एरिया है। कई जगह 10/15 फीट पानी जमीन के लेविल के बाहर बहता रहता है परन्तु बिजली अभाव के कारण हम उस पानी का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हर चप्पे-चप्पे में बिजली पहुंचा दें और बिजली पहुंचा कर नेचरल सोर्सेज का उपयोग करें तो मैं समझता हूं कि राजस्थान की अकाल की समस्या हल हो सकती है।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से कई जगह पर पीने के पानी की समस्या है लेकिन उनकी ओर हम पूरा ध्यान नहीं दे रहे हैं इसलिए वह समस्या बनी हुई है। जनता शासन के दौरान बोरिंग हुए थे लेकिन उन को चालू नहीं किया गया। आज वे पम्प वैसे ही पड़े हुए हैं और उनका पूरा उपयोग नहीं हो पाया है।

अनाज के बदले काम योजना का जनता पार्टी ढिंढोरा पीटती है। अनाज के बदले काम योजना में जो काम हुए उनसे लोगों को राहत दी इसका मकसद तो ठीक था। पंचायतों के इलेक्शन के बाद पूरी बाडी पंचायत समिति, जिला परिषद नहीं बनाई और सरपंचों के माध्यम से ही इस योजना को क्रियान्वित किया गया। इससे जो सरपंच

(श्री पृथ्वीसिंह)

समझते नहीं थे उनका इस योजना पर पूरा नियंत्रण नहीं रहा और नियन्त्रण नहीं रहने से जिस तरह से काम हुए, स्कीम जैसे बनी, उससे इसका जो दुरुपयोग हुआ, मैं समझता हूं कि 40 प्रतिशत इस योजना का दुरुपयोग हुआ। इस योजना से गांव का जो विकास होना चाहिए था वह नहीं हो पाया है।

इसी तरह से अन्त्योदय योजना के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत लोगों का चयन किया गया, उनको साधन दिए गए। किसी को बकरी दी गई, किसी को गाय दी गई, और किसी को दूसरे तरह के जानवर दिए गए। दुधारू मवेशी भी लोगों को दिए गए। लेकिन उनका भी पूरा उपयोग नहीं हुआ। ठेके द्वारा बकरियां खरीदी गई और गरीबों को दी गई। इनमें से 50 प्रतिशत बकरियां जो लोगों को दी गई थी, वे मर गई। इस प्रकार जो कर्जा था उसका उन पर बोझ हो गया है ......

सदन की कार्यवाही विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय मैं, प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज का कार्य समाप्त न हो तब तक के लिए बढ़ा दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि सदन का समय आज का कार्य समाप्त न हो तब तक के लिये बढ़ा दिया जाय ?

(स्वीकृत)

सदन का समय आज का कार्य समाप्त होने तक बढ़ाया गया।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री पृथ्वीसिंह : अध्यक्ष महोदय, जहां तक बिजली का सवाल है जो आंकड़े और प्रगति विवरण दिया गया है वह बिलकुल फर्जी है। मेरे खानपुर क्षेत्र में 55 गांवों का इलेक्ट्रिफाइड होना इसमें बताया गया है लेकिन इनमें से 8 गांव तक ही बिजली पहुंच पायी है बाकी गांवों के कुओं पर बिजली नहीं पहुंची है। यह इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं है। मेरा निवेदन करना यह है कि इन आंकड़ों में सत्यता नजर नहीं आ रही है।

इसके साथ ही राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया है उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री अहमद बख्श सिंधी !

श्री अहमद बख्स सिन्धी (जोधपुर): सदरे मौतरम, मैं गवर्नर साहब के एड्रेस के ऊपर जो धन्यवाद प्रस्ताव का प्रपोजल है उसकी हिमायत के लिए खड़ा हुआ हूं। मैंने यह एड्रेस गौर से पढ़ा। इसमें और बातें सब ठीक हैं लेकिन अकलियत के बारे में कुछ नहीं कहा। इसकी कसर है। अकलियतों के लिए तीन लाइनें दी गई है। अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा एवं उनके हितों के प्रति भी सरकार पूर्णतः जागरूक है और साम्प्रदायिक सद्भाव बनाने एवं असामाजिक तत्वों से सख्ती से निपटने हेतु कृत संकल्प है। यह सख्त हिन्दी है, पढ़ने के बावजूद भी, मैं पूरी तरह नहीं समझ सका हूं कि अल्प संख्यक समुदाय को जो तकलीफें हैं उनको कैसे हल किया जायगा? इसके बाबत यह एड्रेस खामोश है। इसमें विस्तार के साथ, तफसील के साथ इसका जिक्र होना चाहिए था। जैसे वक्फ बोर्ड की जायदादें हैं

(श्री अहमद बख्श सिंधी)

उनका किस तरह से इन्तजाम रहे, ढंग से कैसे इन्तजाम किया जायगा, इसका जिक्र नहीं है। हज कमेटी की दूसरी जरूरी बात है। राजस्थान से 500/600 यात्री हज करने जाते हैं मरकज की तरफ से हज कमेटी हर स्टेट में होना चाहिए, यह आदेश है। जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी उस वक्त भी सेन्टर ने बराबर लिखा और सम्पतराम जी होम मिनिस्टर थे, वे हज कमेटी के चैयरमेन थे, उस वक्त मैंने खुद जाकर के हज कमेटी के फार्मेशन के लिए कहा था परन्तु उन्होंने इस कमेटी का फार्मेशन नहीं किया। अब मैं नई सरकार की तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि इस गवर्नमेंट के द्वारा हज कमेटी का फार्मेशन फोरन कर दिया जाय ताकि हाजियों को सहूलियत मिल सके।

इसी तरह से उर्दू के मुतल्लिक, उर्दू की तरक्की, उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या इन्तजाम किया जायगा, इस बारे में भी एक लफ्ज इस एड्रेस में नहीं कहा गया है। यह गवर्नमेंट इस मुत्तलिक क्या करेगी, इसका जिक्र होना चाहिये था। उर्दू हमारे मुल्क की चौदहवीं जुबान है। इसकी तरक्की के लिए मरकज ने वायदा किया है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : यह भाषण कर रहे हैं या कथा कह रहे हैं।

(4.49 म.प.)

(श्री प्रद्युम्नसिंह, सभापति, पदासीन)

एक माननीय सदस्य : आपको क्यों तकलीफ हो रही है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपस में बात न करें।

श्री अहमद बख्श सिन्धी : अकलियतों की मुलाजिमत के बारे में, उच्च मुलाजिमात के बारे में, उनकी नुमाइन्दगी के बारे में कोई लफ्ज नहीं कहा गया। मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि बाड़मेर जिले में मुसलमान, शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स की आबादी काफी संख्या में है। वहां पर जनता गवर्नमेन्ट के टाइम में कानून के खिलाफ कार्यवाही हुई और अपनी जाति के लोगों को नाजायज फायदा पहुंचाने के लिए एक सक्यूंलर निकाला गया। जो लोग संवत् 2032 से वहां जमीनों पर काबिज है, जिनकी जमीन कानून के तहत रेगुलराइज करदी जानी चाहिए थी, उनके रेगुलराइजेशन बन्द कर दिये गये और नाजायज तौर पर आज भी उनकी बेदखलियां जारी हैं।

नाजायज तौर पर जो उनकी बेदखली हुई। जो नाजायज मनहूस काम उस वक्त किया गया, उसका असर अब भी बाकी है। मैं मंत्री महोदय से दरख्वास्त करूंगा कि वह बेदखलियों को फोरन बन्द करें। इन गरीब लोगों के कब्जे जो कानूनन रेगुलराइजेशन के मुस्तहक हैं और जो मुसलमान व शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं उनकी जमीनें छीनकर बेइंसाफी की है। इसलिये जनता पार्टी की बेइंसाफियों को ठीक करने के लिये यह गवर्नमेंट मुनासिब कदम उठाये।

अब मैं उन आंकड़ों के मुतल्लिक अर्ज करना चाहता हूं जो 'अपोजिशन के लीडर' ने यहां पेश किये हैं। मैंने बार-बार सवाल किया कि जनाब जो हवाला देते हैं जो किताब छपी हुयी है, या अखबार जो पढ़ते हैं उनकी तारीख बताइये, ताकि अन्दाजा लगायें कि यह कहां छपा है, किसने छापा है या

(श्री अहमद बख्श सिंधी)

किस समय की लिखी हुई है, लेकिन वे टाल गये। दरअसल उस वक्त उनकी सरकार थी एक दूसरे की तारीफ करते थे, "मन तुरा हाजी व गोयम तो मरा" मैं समझता हूं कि जी उन्होंने बताया कि इस प्रदेश की कितनी तरक्की हुयी, हमने इतने लोगों को राहत पहुंचायी, यह सच होती तो ये एक बेंच पर नहीं होते बल्कि 3-4 बेंचों पर होते....

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अब हो जायेंगे।

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया शान्त रहें। आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, कृपया आपस में बातचीत न करें।

श्री अहमद बख्श सिंधी : जो आंकड़े पेश किये हैं इस सदन में, इस मजलिश के अपोजिशन के लीडर ने पेश किये हैं वह बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है, उनको जनता ने गलत साबित कर दिया है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें।

श्री अहमद बख्स सिंधी : अभी ज्यादा दिन नहीं हुये हुकूमत बने यह पूछते हैं मौजूदा सरकार ने क्या किया। मैं पूछता हूं कि आपने ढाई साल में क्या तीर मारा है। कोई काम नहीं किया। एक दूसरे की टांग खींचते रहे और एक दूसरे के मुकाबले में स्पीच करते रहे, जनता की भलाई के लिये कोई काम आपने नहीं किया। इसलिये जनता ने आपको ठुकरा दिया। इसके मुतल्लिक आप हमको दोष नहीं दे सकते हैं।

एक तरफ आप महंगाई की बात करते हैं कि महंगाई बहुत है और दूसरी तरफ कहते हैं कि 'लॉ एण्ड आर्डर' की हालत बेहतर नहीं है। यह बात सही है। लेकिन मैं बताता हूं कि आपका मनहूस साया अब तक पड़ रहा है इसका यही कारण है....

एक माननीय सदस्य : अभी तक पड़ रहा है क्या ?

श्री सभापति : कृपया शान्त रहें। आर्डर प्लीज !

श्री अहमद बख्श सिंधी : ढाई साल में जो काम आपने किये पुलिस में जो एक ही जाति के लोगों को भर्ती किया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं मेरे पास आंकड़े भी हैं, आपने जिन कुत्सित लोगों को पुलिस में भर्ती किया वे ही ये कुकर्म करते हैं। अब इस बात की जिम्मेदारी हमारे ऊपर डालते हैं। इसके जिम्मेदार तो आप हैं। आपके जो काम हैं उनका असर पड़ रहा है। जो काम आपने किये उन पर हम झाड़ू मार देंगे, झाड़ू मार रहे हैं। उसके बाद जब ठीक हो जयेंगे तब जाकर के काम होगा।

15 दिन हुये हुकूमत बने, आप पूछने लगे कि क्या काम किया। वर्षा से भी ईर्ष्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वर्षा अच्छी रही है। वर्षा होती है उनके जमाने में जो अच्छे काम करते हैं। मनहूसों के जमाने में वर्षा नहीं होती हैं। अगर होती है तो बाढ़ आती है। हमारे जोधपुर में एक बिलाड़ा तहसील है, वहां बाढ़ आयी। वहां पर एक भी राहत का काम नहीं किया। जोधपुर के लोगों को धन्यवाद, जोधपुर को धन्यवाद उन्होंने खाने और पीने का इन्तजाम किया। लोगों की जान बचायी, जो दरखत पे थे उनको वहां से बचाया। आपके जमाने में 300-300 रुपया मकान बनाने के लिये दिया। 300-300 रुपये में मकान बनता है? एक आदमी को मकान

(श्री अहमद बख्श सिंधी)

बनाने के लिये 300-30 रुपये दिये 1300 रुपये में मकान तो क्या एक खिड़की भी नहीं बनती है। कहते हैं कि बड़ी राहत पहुंचायी। आप उस वक्त कहां थे जब लोग तड़फ रहे थे। उस वक्त लोगों ने कहा कि क्या सरकार ने भेजा है? अगर सरकार ने भेजा है तो हम लानत भेजते हैं, हमें नहीं चाहिये। उस समय आप दिल्ली में बैठे थे।

अभी-अभी एक मामला हुआ अलवर में बस दुर्घटना हुयी। हमारे सी० एम० साहब ने फौरन हमारे बद्रीप्रसाद जी को भेजा और तब से सारे काम को हाथ में....

श्री भगवान दास शास्त्री : और उस रात को आपने डिनर खाया। 103 आदमी थे। बस के ऊपर बैठ कर आपने डिनर खाया अलवर रो रहा था।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। इस तरह व्यवधान न डालें।

श्री भगवान दास शास्त्री : तुमने मुर्दों के सौदे किये हैं तुमको डूब मरना चाहिये।

श्री अहमद बख्श सिंधी : तुमको चूल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिये। गर्वनर साहब तो आपके आदमी थे, उनको तो आप लाये थे फिर शिकायत क्यों करते हो।

(व्यवधान)

श्री सभापति : मैं विरोधी दल के नेता से निवेदन करूंगा कि आप अपने साथियों को शान्त करें। आप तो सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं। इस तरह आपका भाषण के बीच में बोलना ठीक नहीं। आपके भाषण के बीच में कोई बोले तो आपको मालूम होगा।

श्री अहमद बख्श सिंधी : जो अपोजिशन के लीडर है वे कहते है कि आपको 22% वोट मिले है, मत मिले हैं। मैं कहता हूं कि जो वोट डाले गये उसके 42% वोट हमारी पार्टी के पक्ष में गये हैं। आप देख रहे हैं कि हमारी पार्टी की कितनी बैंचेज भरी हुई हैं। सभापति महोदय........

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, आपस में बातचीत न करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मिनिस्टर बना देंगे तो भाषण नहीं करेंगे।

श्री अहमद बख्श सिंधी : आपकी सिफारिश की जरूरत नहीं है, यह हमारी पार्टी का अन्दरुनी मामला है।

(5.10 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

यह जानते थे जब इन्होंने हुकूमत सम्भाली थी यह जानते थे कि यह ढाई दिन के झोंपड़े हैं। ढाई साल में ही खतम हो गये। इन्होंने माले मुफ्त दिले बेरहम वाला किस्सा किया। जो पैसा हमने जोड़ा था, जो सोना हमने छोड़ा था, वह सब साफ कर दिया बन्दर बांट कर लिया। सस्ता भाव इतना किया चाहे गवर्नमेंट का नुकसान हो जाय पांच रुपया किलो जो चीज मिली थी, उसको दो-ढाई रुपये में बेच दिया। आपने भण्डार खतम कर दिये और हम पर आरोप लगाते है। भ्रष्टाचार हुआ है, थोड़ा ठहर जाइये फिर भाव देखना। इन्दिरा गांधी हिन्दुस्तान की नेता है। हिन्दुस्तान की क्या सारी दुनिया की

(श्री अहमद बख्श सिन्धी)

नेता है। अगर मरकज में खुदा न खास्ता हमारी इन्दिराजी की सरकार न होती तो भाव आसमान को छूते। एक आपने अन्त्योदय चलाया।

कई माननीय सदस्य : अन्त्योदय।

श्री अहमद बख्श सिन्धी : वह अन्त्योदय का कार्यक्रम हमारे 20 नुकाती प्रोग्राम में शामिल था। आपने केवल नाम बदला है। जनता आपको अच्छी तरह से समझ गई है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं यह जो धन्यवाद का प्रस्ताव है, इसका समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मन्त्री जी !

श्री जगन्नाथ पहाड़िया (मुख्य मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं, जिन्होंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपने विचार व्यक्त किये हैं। कई माननीय सदस्यों ने आलोचना करना ही उचित समझा और, कई माननीय सदस्यों ने अपने अच्छे सुझाव भी दिये हैं। मैं शुरुआत में ही आपको यह विश्वास दिला दूं कि जो सुझाव सरकार के सामने आये हैं उन पर हम विचार करेंगे तकनीकी आदि दृष्टिकोण से ताकि हमारे समाज के ढांचे को ठीक करने के लिए उनको क्रियान्वित करें।

श्रीमन् मैं समझ नहीं पाता कि मैं अपने विचार कहाँ से शुरू करूं। विरोधी दल के नेता ने जो विचार व्यक्त किये हैं, उनसे शुरू करूं या उनके दल के अन्य वरिष्ठ साथी ने जो विचार व्यक्त किये हैं उनको लूं। दोनों में बहुत विरोधाभास है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जहां से चाहे वहीं से लें।

एक माननीय सदस्य : जहां से आप आये हो, वहीं से शुरू करो।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : श्रीमन्, मेरा दल हर अच्छी बात को स्वीकार कर लेता है। उसका पालन करता है। विरोधी दल के नेता महोदय चाहते हैं, हालांकि वह अगुआ नहीं हैं, भले ही वह अगुआ नहीं हैं, लेकिन विरोधी दल के नेता चाहते हैं तो मैं उनसे ही शुरुआत करता हूं। मुझे बहुत खुशी है कि इस बात को विरोधी दल के नेता ने पहचान लिया है कि उनके दल के अन्दर दूसरे साथी भी है। इसलिए मैं भी उन्हीं से शुरुआत करता हूं। श्रीमान् चतुर्वेदी जी हैं अपने टिपीकल स्टाइल, जिसे मैं वाजपेई स्टाइल कहता हूं, में उन्होंने इस बात की कोशिश की। सदन के माननीय सदस्यों को, सदन के बाहर, पब्लिक में बिजली, पानी, सड़क की बात कहते हैं, अन्यत्र भी कहते हैं, आंकड़ों के जाल में उलझा दें। मैं उनको आंकड़ों के जाल में उलझाना नहीं चाहता आंकड़े मेरे पास हैं लेकिन आंकड़ों के बारे में कहना नहीं चाहूंगा। चूंकि वह लेक्चरार रहे हैं इसलिये उन्होंने लेक्चर दिये हैं। मैं लेक्चर देने लगूंगा तो मामला बराबर हो जाएगा। मैं उनके विचारों पर केवल यह प्रतिक्रिया व्यक्त करूंगा। उन्होंने इस बात की चर्चा की कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो अचीवमेण्ट की चर्चा की है, वह उनकी है

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

जो उन्होंने किये हैं। उनका यह कहना है कि ये सब मेरे ही किये हुए हैं। यह बात सदन के विरोधी दल के नेता ने भी कही है। श्रीमन्, यह उनका किया हुआ है तो 1977 में जो राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ था, उसमें भी कुछ ऐसी चर्चा आई थी, वह मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। उसमें कुछ अचीवमेन्ट्स की चर्चा आई थी। क्या मैं जान सकता हूं कि ये किसके किये हुए हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप एडमिट करते हैं?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : माननीय विरोधी दल के नेता ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पढ़ कर इस बात की कोशिश की है तो क्या, श्रीमन्, मैं उन्हें पढ़ सकता हूं जिससे कि उनको जानकारी दे सकूं। उद्धरण उन्होंने भी दिये थे, अगर आपके पास नहीं हैं तो मैं पन्ने बोल सकता हूं आप देख लेना। पेज नं० 8-"कृषकों को बिचोलियों के शोषण से बचाने के लिए राज्य कृषि विपणन कार्यक्रम चल रहा है, जिसके अन्तर्गत राज्य में 102 कृषि उपज मण्डियां काम कर रही हैं।' श्रीमन्, क्या यह उपज मण्डियां इन्होंने कायम की थीं? पेज नं० 9-'इस समय 44 लघु सिंचाई योजनाएं विभिन्न पंचायत समितियों में चल रही हैं"। क्या ये पंचायत समितियां आपने कायम की थीं? पेज नं० 10-'राज्य में दुग्ध विकास की योजना सूखा क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत तथा विश्व बैंक से सहायता लेकर प्रारम्भ की गई हैं वर्तमान समय में लगभग 3 लाख लीटर दूध का संकलन प्रतिदिन किया जाता है। राजस्थान के 6 पूर्वी जिलों में राजस्थान राज्य दुग्ध विकास निगम यह कार्य देखता है।" क्या यह दुग्ध वितरण आपने कर दिया था? पेज नं० 12- "औद्योगिक दृष्टि से राजस्थान एक पिछड़ा प्रदेश है। राजस्थान के 26 जिलों में से 16 जिले भारत सरकार द्वारा औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े घोषित किये गये हैं" - क्या यह श्रीमन्, आपने किये थे? पेज नं० 19 "राज्य में अनाज का समुचित भण्डार है तथा अनाज की उपलब्धि भी सन्तोषजनक है"। क्या यह श्रीमन्, इन्होंने भर लिये थे? मैं इन बातों में नहीं जाना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : श्रीमन्, मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं, जब भी कभी कोई राज्यपाल या राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार होता है तो उसमें कुछ न कुछ लेखा जोखा पिछली सरकार का देना पड़ता है। इसी का अनुकरण हमने किया है। श्रीमन्, विरोधी दल के नेता महोदय ने हमारी सरकार को इस बात के लिये बहुत धन्यवाद दिया है मैं उनको धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद देने के लिये मैं उनको कहना चाहता हूं, अन्य कामों के साथ हमको भी धन्यवाद देते तो एक कमी थी वह पूरी हो जाती मैं आशा करके चलता हूं कि विरोधी दल के नेता महोदय अपने मित्रों को सिखा देंगे। ऐसी बातों का धन्यवाद एक औपचारिकता है यह तो पूरी कर देनी चाहिए थी।

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

श्रीमन्, दूसरी एक बात बहुत जोर शोर से कही गई है कि राज्यपाल महोदय के मुंह से ऐसी बात नहीं कहलानी चाहिए जो राजनैतिक हो। श्रीमन् क्या राज्यपाल महोदय के मुंह से धर्म निरपेक्षता और समाजवाद की बात कहलाना अनुचित है? मैं समझता हूं कि किसी को एतराज नहीं होना चाहिए था। लेकिन हमारे वरिष्ठतम नेता, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, करता था और करता रहूंगा, पार्टी करती रही है, भी नहीं चूके। उन्होंने भी कहा कि ऐसी बात नहीं कहलानी चाहिये थी। मैं समझता हूं कि वे खुद हामी हैं, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के। यह कहलवाना कोई बुरी बात तो नहीं है। मैं समझता हूं कि हम इन बातों की याद रख कर चलेंगे। ये हमारे मूलभूत सिद्धान्त हैं जिनके ऊपर हमारा देश टिका हुआ है इनको हम बराबर दोहराते रहेंगे? चाहे इसमें किसी को एतराज हो। क्या मैं वही भाषण उठा कर फिर पढ़ सकता हूं, और याद दिला सकता हूं, उस समय जब बाबू राजबहादुर विरोधी दल में नहीं थे, सिद्धान्तों को सर पर उठा कर चलते थे। विरोधी दल में वह आज हैं तो समर्थन कर रहे हैं। मैं उस दिन के इन्तजार में हूं जब शेखावत जी दावत देंगे। मैं आशा करके चलता हूं कि उनकी समझ में आ जायगा। आ जाय तो अच्छा है, नहीं आये तो अच्छा है। मुझे इसमें कोई गुरेज नहीं है, एक विचारधारा वाले लोग मिलकर एक साथ बैठ सकें। हमारे देश के अन्दर बहुदलीय प्रणाली को देख चुके हैं। विचारधारा के आधार पर, कार्यक्रमों के आधार पर बन जाय लेकिन, श्रीमन्, अगर राजनैतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो तो अच्छा रहेगा, बजाय कि इसके साम्प्रदायिक धर्म, जाति, बिरादरी के आधार पर बने। मैं आशा करके चलता हूं कि पूरी तरह से विचार करेंगे। लेकिन यह कहने के पहले आपने 1977 में अभिभाषण जो रखा था, पहले आप उसका यह पेज, फिर यह पेरेग्राफ पढ़े तो आपको मालूम पड़ जायेगा कि किस प्रकार दोष देने वाली बात है। मैं आशा करके चलता हूं कि आगे भी आपकी सरकार आने वाली नहीं, न आपकी आयेगी, न किसी की आयेगी। हमारी आयेगी। मेरा निवेदन है, अभिभाषण जो हो उसको गौर से पढ़ा करें।

श्रीमन्, हम सोच रहे हैं कि विरोधी दल के नेता सरकार को दिशाहीन कहते हैं। वह इस बात का अन्दाज लगायें, वह ऐसा क्यों कहते हैं। मैंने अभिभाषण 77 वाला, 78 वाला, 79 वाला भी पढ़ा, मुझे तो यह दिशाहीन नजर नहीं आया क्योंकि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में राजस्थान का विकास कैसे होगा, बिजली की योजना कैसे बने, सिंचाई की योजना कैसे बने, इस सब का जिक्र किया गया है। यह दिशाहीन नजर आने लायक भाषण नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपना नुक्ता नजरिया बदलें फिर जो कुछ आप चाहते हैं वह सब मिल जायेगा।

श्रीमन्, विरोधी दल के नेता को और कुछ सूझा नहीं। उन्हें सूझा क्या कि फाइलों के ढेर लगे हैं, फैसले नहीं किये जाते हैं, मंत्रिमण्डल का गठन नहीं हुआ, यह दिल्ली रहते हैं या गेस्ट हाउस में रहते हैं। कहने के लिए तो बहुत सारी बातें थीं। श्रीमन्, फाइलों के ढेर लगे हुए हैं तो क्या

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

चतुर्वेदी जी मेरा कार्यालय चलाते हैं ? मुझे ऐसा लगता है कि आज भी आपने बहुत सारे खुफिया छोड़ रखे हैं। श्रीमन्, इसलिए मैं जानबूझ कर, हर फैसले में देर लगा रहा हूं। मैं सोच लूं, मैं समझ लूं, विचार कर लूं कि उन्होंने कहां-कहां, किस-किस प्रकार के लोगों को छोड़ा हुआ है जानकारी देने के लिए उनका अन्दाजा लगा लूं। अगर जल्दी करने लग जाऊंगा तो हो सकता है कि गलती हो जाये। इसलिए मैं समय लगा रहा हूं। हो सकता है जिस रास्ते पर वह गये, उस रास्ते पर मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन आपकी सूचना के लिए कह रहा हूं, श्रीमन् न मेरे कार्यालय में फाइलों का ढेर लगा है और न किसी और मंत्री के कार्यालय में ढेर लगा है अगर वह देखना चाहें तो देख सकते हैं। मन्त्रिमण्डल के गठन की बहुत बातें कही गयी हैं। मन्त्रिमण्डल बनाना हमारी पार्टी का काम है। बन गया, आपके सामने है, जवाब दे रहे हैं। माननीय मंत्री जी उप-मंत्री जी विराजमान हैं आपके सामने। जैसा हमने कहा है, उसका विस्तार करते जायेंगे। मैं विरोधी दल के नेता की बात को फिर दोहराता हूं बार-बार याद दिलाता हूं, जी हां, परफोर्मेन्स देखकर करेंगे आपकी तरह से नहीं करेंगे कि भानुमति का कुनबा आपने इकट्ठा कर लिया था, क्या दशा आपकी हुई थी।

आप कहें या न कहें, लेकिन आपका दिल जानता है कि 3 महीने के अन्दर आपने महसूस करना शुरू कर दिया था, मैं कोई दूर अन्देशी नहीं हूं, अन्तर्यामी नहीं हूं, लेकिन मैं जानता हूं पहले 15 दिन के अन्दर आपने महसूस कर लिया था, जिन सदस्यों को आपने भर्ती किया, उनको लेकर आपने गलती की। इसलिए न केवल उनको निकाला बल्कि उनके बारे में अनेक प्रकार की बातें कही गयीं, आपके और आपके मन्त्रिमण्डल के सदस्यों के द्वारा, जिसको मैं दोहराना नहीं चाहता। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, यह ठीक है मेरे जीवन, राजनीतिक जीवन का इतिहास बहुत पुराना नहीं है जितना उन माननीय सदस्यों का है जो माननीय सदस्य का है, जो बुजुर्ग हैं, जिनका बहुत तजुर्बा है, उन्होंने भी जमाना देखा है, देख रहे हैं और आगे का भी देखेंगे।

हमारे सामने बहुत लम्बा दृश्य है भारत के निर्माण का, राजस्थान के निर्माण का, ऐसा राजस्थान, जिसकी कल्पना आप करते होंगे, हम करते हैं, जिसकी कल्पना हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गान्धी ने की थी, राष्ट्र नायक श्री जवाहर लाल नेहरू ने की थी, हम बना सके इसलिए जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहते।

श्रीमन्, और तो और मेरे रहने की चर्चा को। मैं दिल्ली में रहूं, जयपुर रहूं या गेस्ट हाउस में रहूं, यह तो आप देखते होंगे हाउस में। जितनी बार मैं दिल्ली गया हूं उससे ज्यादा और मुख्य मंत्री गये होंगे। सिवाय दो मौके को छोड़कर के, मुझे क्षमा करेंगे, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता मेरी अपनी भावनायें हैं, मेरे अपने सम्पर्क हैं। श्रीमन्, दो बार तो वैसे जाना पड़ा क्योंकि एक अनहोनी घटना घट गयी, जिसके लिए सदन को भी एक शोक प्रस्ताव पास करना पड़ा। मैं नहीं चाहता कि इस तरह की घटना और किसी के साथ घटे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि किसी के साथ ऐसा न करना, किसी पार्टी के साथ ऐसा मत करना। मैं आशा करके चलता हूं

Talk of going to Delhi is pejorative ...

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

कि माननीय सदस्य मेरी भावनाओं को वैसे ही लेंगे जैसे अपनी भावनाओं की कद्र करते होंगे हो सकता है उनके साथ, ऐसी बात उनके दल के साथ बीते तो क्या होगा ? मैं प्रार्थना करता हूं कि इस प्रकार व्यक्तिगत कीचड़ न उछालें तो ज्यादा अच्छा होगा। इसमें कुछ निकलने वाला नहीं है । इन्सान की जिन्दगी है, पीछे कुछ नहीं रखा है। श्रीमन्, मैं उन बातों को नहीं दोहराना चाहता। मैं प्रार्थना करता हूं कि दोबारा व्यक्तिगत और खास तोर से इस तरह की भावना को उछालने की कोशिश न करें।

श्रीमन्, यह बात बहुत देर से कही जा रही है कि राजस्थान को कहां ले जायेंगे। मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि हमारी पार्टी, हमारी सरकार इस राजस्थान को, सारे हिन्दुस्तान को आप लोगों की तरह से अमरीका नहीं ले जायेगी, चीन नहीं ले जायेगी, रूस नहीं ले जायेगी। यह सरकार राजस्थान को जो हिन्दुस्तान का हिस्सा है, हिन्दुस्तान में ही रखेगी। यह बहुत बड़ा अचीवमेन्ट किया है।

श्रीमन्, विरोधी दल के नेता ने मुझे बहुत उकसाने की कोशिश की है और बहुत बड़ा स्ट्रेस इस बात पर रख दिया है कि सवाई माधोपुर का उद्योग, जयपुर का उद्योग क्या करता है। श्रीमन्, जयपुर उद्योग राजस्थान का एक उद्योग है। बहुत से उद्योग यहां पर हैं। राजस्थान हिन्दुस्तान का एक हिस्सा है, राष्ट्र बहुत बड़ा है लेकिन राजस्थान हिन्दुस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, इसमें हम सब विकास में गति देना चाहते हैं। राजस्थान के अन्दर जयपुर उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग है। हमारी कोशिश होगी कि राजस्थान का विकास हो, जयपुर उद्योग का विकास हो। उन्होंने इस बात की चर्चा की इसकी ओर मेरा ध्यान पूरी तरह से है। मैं जानता हूं कि जिस प्रकार से कार्यवाही पहिले की गई, जिस प्रकार से भारत सरकार आज कर रही है, भारत सरकार की कार्यवाही का मैं समर्थन करता हूं। एक बिल संसद में पेश है। भारत सरकार उसे पास करेगी। लेकिन इसके पहले वह इसे पास करे मैं शीघ्र दिल्ली जाऊंगा, मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा, दिल्ली जाना ही पड़ता है। आप दिल्ली का मोह छोड़ दें। मैं आशा करके चलता हूं कि आप दिल्ली का मोह छोड़ देंगे। दिल्ली आपको मिलने वाली नहीं है। थोड़े दिन के लिए मुश्किल से मिल गई थी। इसीलिए आप चिन्ता न करें, दिल्ली तो हमें जाना ही पड़ेगा। लेकिन राजस्थान के विकास के लिए जाऊंगा जयपुर उद्योग की बात करने के लिए जाऊंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप दिल्ली जायें, इस बात की आपत्ति नहीं है। पांच दिन के बजाय 15 दिन के लिए जायें, लेकिन जयपुर उद्योग राजस्थान सरकार को मिल जाये, इस बात का प्रयास करें। आना जाना कोई खास बात नहीं!

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : श्रीमन्, सदन को इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि चाहे जयपुर उद्योग का मामला हो, चाहे खेती-बाड़ी का मामला हो, चाहे सिंचाई का मामला हो या बिजली का मामला हो, हम वही करेंगे जो राजस्थान के हित में होगा।

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

अब श्रीमन्, हमारे ऊपर रहम खायें तो खायें जो विरोधी दल के माननीय सदस्य का अहसास है कि वह रहम खा रहे हैं। राजस्थान की ढाई-तीन करोड़ की आबादी है उसके हम एक अंग हैं एक नागरिक हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि जितना हम कर सकें वह करें।

इसके अतिरिक्त, श्रीमन्, चतुर्वेदी जी कहते हैं कि बरसात आ गई वरना क्या होता ? श्रीमन् बरसात आती कैसे है ? श्रीमन्, बरसात कैसे होती है ? यहां कई लोग विराजमान है, कोई स्वतन्त्रता सेनानी है किसी ने समाज सेवा की है, यहां ऐसे लोग विराजमान हैं जिनको देश सेवा की लगन है तो भगवान तो खुश होगा ही ।

माननीय सदस्य को इस बात का दुःख हुआ कि हमने पानी सप्लाई करने के काम में सेना की सहायता ली और उसको धन्यवाद दिया। धन्यवाद देने की औपचारिकता पूरी होनी चाहिये । मैं फिर राजस्थान की सेना को धन्यवाद देता हूं उसने पीने का पानी पहुंचाने के काम में जो सहायता की उसके लिये वह धन्यवाद की पात्र है।

आप दोनों नेताओं को फैसला करना पड़ेगा, पहले वह बोले हैं, विरोधी दल के नेता बाद में बोले हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : चिन्ता मत कीजिये, दोनों यहां ही हैं ।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : उन्होंने कहा कि भूतपूर्व मुख्य मन्त्री केन्द्र से कंधे से कंधा मिला कर चलते थे और ज्यादा पैसा लाते थे। दूसरे नेता कह रहे हैं कि जयपुर उद्योग आपका टैस्ट है । कोशिश कर रहे हैं उकसाने की कि मैं केन्द्रीय सरकार से झगड़ा मोल लूं । दोनों तय करें कि कौनसी बात सही है, फैसला वह करें ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : चाहे इंदिराजी की कृपा से ले आयें किसी तरह से भी लायें लेकिन जयपुर उद्योग को लायें ।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : अगर आपका ऐसा विश्वास है कि केन्द्र से दिला सकते हैं तो जो भी मेरी क्षमता होगी और मेरे दल में क्षमता है, हम कोई कसर नहीं उठा रखेंगे, जिससे प्रांत का विकास हो सके ।

इससे पहले कि मैं माननीय सदस्यों की और बातों की चर्चा करूं, मैं एक बात की चर्चा करूंगा । विरोधी दल के नेता और हमारे बुजुर्ग, सबसे बुजुर्ग नेता ने....

श्री राज बहादुर : सबसे बुजुर्ग बद्री प्रसाद गुप्ता हैं।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : मुझे तो आप ही लगते है। विरोधी दल के नेता ने कहा कि राजस्थान में चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से नहीं हुए , चुनाव के दौरान 90 हत्यायें हुई । मैं निवेदन करूं कि हम चर्चा राजस्थान की कर रहे हैं, भारत के राष्ट्रपति के अभिभाषण की नहीं कर रहे हैं । जहां तक मेरी जानकारी है , सरकार की जानकारी है और उनकी जानकारी है, एक की हत्या राजस्थान में चुनाव के दौरान नहीं हुई ।

श्री दिनेश डांगी : छबड़ा में हुई होगी ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : देसूरी में हुई होगी।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : श्रीमान् ने जोर दिया है कि चुनावों मे हमें बहुत कम प्रतिशत वोट मिले हैं । अच्छा होता वह तुलना कर लेते अपने दलों से कि आपको कितना मिला है, हमको कितना मिला ।

श्री राज बहादुर : हम दावा थोड़े ही कर रहे हैं ?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : आंकड़े पेश कर रहा हूं शेखावत जी की जानकारी के लिये, उनके जरिये सब मालूम हो जायगा । उन्होंनें कहा कि हमें केवल 22।।, 22 प्रतिशत मत मिले । आंकड़ा अपनी पार्टी का बतायें 1977 में आपको कितने मिले थे ? आपको भी 26 पर्सेन्ट मिले थे ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ज्यादा मिले थे ।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : और, श्रीमन्, इस साल की भी चर्चा करें तो अच्छा होगा क्योंकि उसमें सभी दलों की स्थिति आ जायगी । यह माना कि हमें 22।। प्रतिशत मत मिले थे ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : श्री अहमद बख्श सिन्धी नहीं मान रहे थे ।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : भारतीय जनता पार्टी को 9.5 प्रतिशत, जनता पार्टी को 5, जनता पार्टी जेपी 3, एक पार्टी जो हमारा नाम लेकर चलती है जिनके नेता राज बहादुरजी हैं उसको मिले 2 प्रतिशत । दूसरे आंकड़े देना उचित नहीं है क्योंकि जितने सदस्य हैं आपके सामने हैं । इसलिये हमारा दोष निकालने से आपको संतोष होता हो तो बहुत अच्छी बात है । अपनी मर्जी से खुद फरमा दें तो कहने की आवश्यकता नहीं

बड़े जोर से उन्होंने एक बात कही कि अपने सचिवों को मंत्रियों के अधिकार दे दिए थे वह इस सदन से बहुत गैर हाजिर रहे हैं, 1967 में ऐसा हो चुका है, मध्य प्रदेश में हुआ था । इसलिए मैंने कोई नई बात नहीं की । महज इसलिए कि काम रुका न रहे सरकार चलती रहे, राजस्थान चलता रहे, विकास के काम होते रहें, केवल इस दृष्टिकोण से मैंने अधिकार दिये थे । एक तरफ चाहते हैं कि काम रुके रहते हैं, जब चलाते हैं तो दूसरे तरीके की कोशिश करते हैं । इसलिए एक घण्टे के लिए भी विकास के काम नहीं रुकने चाहिए इसलिए ऐसा किया था ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 4 दिन रुका 10 तारीख को आदेश जारी किया ।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : उन्होंने अपने और जनता पार्टी सरकार के अचीवमेंट्स का जिक्र किया है, जिसमें यह भी कहा है कि बहुत अच्छा है, अच्छी बात है । रेडियो-टेलीविजन का हवाला उन्होंने दिया है, मंत्रियों का हवाला दिया है । रेडियो व टेलीविजन अच्छा प्रचार का साधन है, प्रसार का साधन है अपनी बात पहुंचाने का । हम तो सभी अखबार वालों की कद्र करते हैं, लेकिन अखबार वालों को भी सोचना पड़ेगा कि किस मर्यादा में रहना चाहिए । उन्होंने प्राण सभरवाल की बात की । वह जानते हैं कि उन्होंने क्या लिखा, उसके बारे में बाद में बताऊंगा ।

महंगाई की चर्चा यहां हुई । यह अन्तर्राष्ट्रीय समस्या है । पिछले दिनों तेल उत्पादकों ने जिस प्रकार तेल के मूल्यों में वृद्धि की उसका असर हम पर पड़ना स्वाभाविक था । हमारे देश पर असर हुआ और राजस्थान देश का अंग है इसलिए राजस्थान पर हुआ । हम इस बात को मानते हैं कि तेल के मूल्य में वृद्धि के कारण अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड के कारण इस देश में असर पड़ा । हमारे

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

राज्य में सूखा पड़ने से भी उत्पादन में कमी हुई। इस वजह से कुछ महंगाई बढ़ी है।

कई माननीय सदस्य : कुछ।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : यह अंतर्राष्ट्रीय मसला है, हम कोशिश करेंगे, हमारी इस बात की कोशिश होगी कि जितना जल्दी हो सके, महंगाई पर काबू पा सकें। मैं सदन से और आपसे अपील करना चाहूंगा कि महंगाई पर काबू पाने में हर संभव सहयोग करें।

जैसा मैंने निवेदन किया मैं आंकड़ों के जाल में नहीं पड़ना चाहता। जब हमने देखा, हमने व्यापारियों को चेक किया; मुकदमें बने, गिरफ्तार भी किया। हो सकता है जितनी आपको आशा थी उतना नहीं किया लेकिन इतना कह सकता हूं कि जितना आपने किया उतना हमने भी किया। नाहक तंग करने की दृष्टि से नहीं किया जाय, हमारी कोशिश यह होगी। हम व्यापारियों से प्रार्थना करते हैं कि मेहरबानी करके समय को पहचानें। मैं जोर से कहता हूं, एक सदस्य ने कहा था कि धमकियों से सौदा कर रहे हैं, हम नहीं करते, धमकियों से सौदा आप कर रहे हैं, आए दिन सरकार को धमकियां अल्पमत वाले बहुमत को देते हैं, कई बार मैं हंस कर रह जाता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूं व्यापारी भाईयों से और उपभोक्ताओं से भी, उनको भी सख्ती से कदम उठाने पड़ेंगे, हमें उपभोक्ता समितियां बनानी पड़ेगी जिनके जरिए मूल्यों की रोकथाम हो सके। हमें कड़े कदम उठाने पड़ेंगे महज इसलिये कि इस देश में बढ़ती हुई महंगाई रोक सकें, जनता को राहत दे सकें, इस भावना से हमारी आगे काम करने की इच्छा है।

श्रीमन्, अन्त्योदय योजना के बारे में काफी कुछ यहां पर कहा गया है। उन्हें इस बात की बड़ी चिन्ता हो रही है कि कहीं यह अन्त्योदय योजना रुक नहीं जाय। इस बात के लिये मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि वह निश्चित रहें, हम इसे रोकेंगे नहीं इसे आगे बढ़ायेंगे। उन्हें इसके लिये अन्वेषण करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अध्यक्ष महोदय, मैं खुद इसी क्लास का हूं और मेरे मन्त्रिमण्डल में एक मेरे साथी और हैं श्री मांगीलाल आर्य उनको मन्त्रिमण्डल में लेकर जो काम कांग्रेस ने दिखाया है वह भैरोंसिंह जी की पार्टी नहीं कर सकती थी। वह तो कांग्रेस ही कर सकती है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अन्त्योदय ही क्यों कोई भी अच्छा काम होगा उसको हम करेंगे। अन्त्योदय के साथ हमारे देशके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सर्वोदय की बात कही थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने अन्त्योदय परिवार वाले को मन्त्री बनाया है उसके लिये तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : एक बात यहां पर मैं और निवेदन करना चाहता हूं हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गान्धी ने सर्वोदय की बात कही थी वह सर्वोदय तो पहला अंग है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम सर्वोदय करते-करते अन्त्योदय का ध्यान भी रखेंगे।

श्रीमन्, यहां पर लै-लेण्ड के कारखाने के बारे में बहुत सारा कहा गया। मैं विरोधी दल के नेता और सदन के सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि यह लै-लेण्ड का कारखाना आपकी सरकार में नहीं आया है। ले-

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

लेण्ड के कारखाने की मन्जूरी कांग्रेस मन्त्रि-मण्डल ने दी है और यह हमारे प्रधान मन्त्री की अध्यक्षता में ही हुआ है। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इसका शिलान्यास कौन करे, मैं करूं या कोई केन्द्रीय सरकार का मन्त्री करे पर इतना जरूर है कि जनता पार्टी नहीं कर पायेगी और न आप कर पायेंगे।

श्रीमन, यहां पर पीने के पानी के बारे में बहुत जोर से कहा गया है कि हमने पिछले तीन सालों में 60 करोड़ रुपये पीने के पानी के लिये खर्च किया जब कि कांग्रेस ने पिछले तीस सालों में 60 करोड़ रुपये खर्च किये थे।

(व्यवधान)

वह ही कह रहा हूं दोनों ही 60 करोड़ रुपये खर्च किये हैं। उन्होंने तो 60 करोड़ रुपये ही खर्च किये पर हम इस 60 करोड़ से कई गुना पैसे पीने के पानी के लिये खर्च करने वाले हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि राजस्थान के अन्दर एक भी गांव पानी के बिना नहीं रहे। इसलिये हम भारत सरकार को खास तौर से लिख रहे हैं। अब तक जिन मांगों को नहीं माना गया था उसमें हम अब यह कोशिश करेंगे कि पानी की समस्या से राजस्थान ग्रस्त है इस बात को वह कबूल कर लें। अभी दिल्ली में हमने यह चर्चा की थी। अब फिर नई दिल्ली की चर्चा आ गई श्रीमन्, फिर भारत सरकार को लिख रहे हैं और हमें इस बात की पूरी आशा है कि भारत सरकार यह मन्जूर कर लेगी कि राजस्थान के अन्दर जो भी गांव बचे हैं उनको भी पानी की पीड़ा से ग्रस्त मान ले और पानी की व्यवस्था होने में हमारी मदद करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी पुरानी कांग्रेस सरकार ने चार हजार गांव को पलड प्राब्लमेटिक डिक्लेअर किया था वही प्राब्लम आज तक चली आ रही है। वही प्राब्लम हमने फेस की और वही प्राब्लम पहाड़िया जी को फेस करनी पड़ रही है। आपने ही महाराज सारा मामला डुबोया था।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपने ही सारा मटिया मेट कर दिया। अब हम आये हैं तो सुकाल होगा।

श्री दिनेश डांगी : ठाकुर-ठाकुर कैसे आपस में लड़ रहे हैं।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : श्रीमन् ;हम तो अच्छे काम की तारीफ करेंगे और करना उचित समझते हैं, मैं बहुत आभारी होऊंगा विरोधी दल के नेता महोदय का कि वह अपने आदमियों में इसको मोटिवेट करें।

उन्होंने पढ़ा होगा कि पहले ही दिन मैंने अधिकारियों के सामने विचार व्यक्त किये थे। और शायद पढ़ा नहीं होगा तो सुन लिया होगा अब उन्हें कोई शिकायत नहीं होनी चाहिये। हमारी भावना यह है कि किसी भी अधिकारी को किसी भी पार्टी का नहीं माना जाय। हम किसी भी अधिकारी को अच्छा या बुरा मान कर नहीं चलते हैं। हम किसी भी अधिकारी को नाहक दोषी भी नहीं मानते हैं जब तक कि वह पकड़ा नहीं जाय। श्रीमन्, अगर किसी को हमने ठीक काम करते समझ लिया तो ठीक है पर अगर वह दोषी पाया गया है तो हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं होगा सिवाय इसके कि उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाय। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि उनके बहुत सारे सरकार के अन्दर अधिकारी और

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

कर्मचारी बैठे हैं। मैं यह आशा कर, मानकर चलता हूं कि इस बात की सीख वह उन्हें भी देते रहेंगे। हमारी कोशिश यह रहेगी कि जो कोई भी अच्छा काम करे उसका सहयोग लें, सहयोग दें। उसकी नियत पर शक नहीं करें। लेकिन कोई पकड़ा जाय तो उन्हें चाहिये कि वह बचाने की कोशिश न करें और उनको इस बात की सलाह देने की कोशिश करें जिस प्रकार से वह काम करे वह भी राजनीति से प्रेरित नहीं हो। अनूठे राजस्थान के विकास को ध्यान में रखें और हमें सहयोग करें।

श्रीमन्, पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बहुत कुछ यहां पर कहा गया है। पंचवर्षीय योजनाओं का कन्सेप्ट स्वर्गीय श्री जवाहर लाल जी नेहरू का है, महात्मा गांधी का है और श्रीमती इन्दिरा गांधी का है। उधर बैठने वाली किसी पार्टी का नहीं है। वह उसको क्लेम भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनका कोई कन्ट्रीब्यूशन पंचवर्षीय योजना में नहीं है। शेखावत जी ने कहा कि उनके ज़माने में काफी रुपया खर्च इन योजनाओं पर हुआ लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं कि यह क्रम है। जैसे-जैसे समय गुजरता जायेगा, आज हम कम खर्च करेंगे, हमारी आने वाली सरकार, जो कि कांग्रेस की होगी, ज्यादा खर्च करने वाली होगी। पहले की सरकारों ने खर्च किया वह भी क्रमशः इतना ही कम नहीं था। खर्च बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता ही रहेगा। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना हमने ही बनायी थी और हमने ही पूरी की थी। श्रीमन्, पहली पंचवर्षीय योजना 54.14 करोड़ रुपये की थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना 103.10 करोड़ रुपये की थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना 210.72 करोड़ रुपये की थी और चौथी पंचवर्षीय योजना कुल मिलाकर 308.13 करोड़ रुपये की थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना 611 करोड़ रुपये की थी। आपने कहा कि परियोजना पर आपने गहरा पैसा खर्च किया। इस बात के लिये मैं क्या, श्रीमन्, आपको याद दिला सकता हूं कि पांच साल के अन्दर जितना उन्होंने किया उससे तिगुना खर्च करके हम दिखा देंगे। श्रीमन् हमारी यह कोशिश होगी कि तिगुने पर ही हम नहीं टिके। राजस्थान के विकास के लिये और खर्च करना पड़े तो करेंगे पर साधनों को देखना पड़ेगा इसलिए हमारी कोशिश होगी कि हम ज्यादा से ज्यादा विकास करें। मैं इतना ही कह सकता हूं कि योजना का खर्च विकास के साथ बढ़ता ही रहेगा। तब तक हम योजना बनाते रहेंगे जब तक एक-एक राजस्थानी का विकास नहीं होगा।

श्रीमन्, लॉ एवं आर्डर के बारे में भी यहां पर बहुत चर्चा की गई। यह बात सही है कि कानून की व्यवस्था जैसी हम चाहते थे वैसी सन्तोषजनक नहीं है लेकिन सरकार यह हो चाहे पहले की हो यह एक ऐसा क्रम है जो चलता है। हमारी कोशिश यह होगी कि क्रम चले केवल क्रम चले अपराध नहीं चलें। लेकिन हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिये कि जो भी हमें मिला है वह आपसे विरासत में मिला है। यह कत्ल, बलात्कार, अपराध वगैरह आपकी ही विरासत है जिसे हमें भोगना पड़ रहा है। आपने निर्भय समाज बनाने की कोशिश की थी, सारे अपराधी निर्भय हो गये। कोई चोरी करे कोई डकैती करे, कोई कत्ल करे, कोई बलात्कार करे, कोई लेना देना नहीं था आपको तो। आप लोगों ने राजनैतिक संरक्षण दे

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

रखा था इसलिये अपराधी बढ़ते ही चले गये थे। कुछ तो समय हमें दीजिए। माननीय सदस्य यहां पर जब भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि पहाड़िया जी का शासन-काल बलात्कारियों का शासन काल इतिहास में कहा जायेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि पहाड़िया की सरकार को कितने दिन हो गये आये हुये, कितने दिन हो गये आप अन्दाज लगा लें। श्रीमन्, कोई बात आपने कही मैं कह चुका हूं मैं खुद कान्ट्रेडिक्ट नहीं करना चाहता, मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता, अभी काम हमने सम्हाला है। मेरी कमजोरी का इजहार आप मेरे शरीर से न करें वरना गलती हो जावेगी। मैं धमकी नहीं दे रहा हूं। यह सरकार तो चलती रहेगी मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं अपराध में कमी आने वाली बात। मैं जोर से बोलता हूं तो माननीय सदस्य मेरी बात को गलत समझते हैं और खड़े हो जाते हैं वाक आउट कर जाते हैं। मैं आशा करता हूं और मान कर के चलता हूं कि जब तक मैं अपनी बातें पूरी न कर लूं तब तक माननीय सदस्य यहां विराजे रहें, कलेजा थाम कर बैठे रहें। बहुत सारे आंकड़े मेरे पास हैं। अगर आप चाहें तो मैं आंकड़े पेश कर सकता हूं, कितनी डकैतियां हुई, कितनी चोरियां हुई, कितने बलात्कार हुए आपके शासन में।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आंकड़े बता दीजिए। इमर्जेन्सी लगी सन् 75 में उसके पहले जब सेन्सरशिप नहीं थी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज ! कृपया शान्त रहें।

एक माननीय सदस्य : आंकड़े किसके चाहते हैं ?

एक माननीय सदस्य : माननीय विरोधी दल के नेता आंकड़े चाहते हैं।

श्री दिनेश रांगी : आपने जागीरदारों ने जनता पार्टी के शासन में सैकड़ों शिड्यूल्ड कास्टस की औरतों के साथ बलात्कार किया है।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : श्रीमन्, जनता शासन के तीन वर्ष के शासन काल में 1 लाख 68 हजार 612 अपराध पंजीबद्ध हुए थे। इसके तुरन्त पूर्व में 32 माह के कांग्रेसी शासनकाल में राजस्थान में 137204 अपराध पंजीकृत हुए थे। इसका मतलब यह है कि 32,400 अपराध अधिक आपके समय में पंजीकृत हुए थे........

श्री भैरोंसिह शेखावत : इमर्जेन्सी के बताओ ना।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : चोरी के, बलात्कार के, हत्या के सारे आंकड़े हैं। जब मैंने इन सब को देखा तो इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कांग्रेस शासन काल से अधिक आंकड़े आपके समय के हैं ....

श्री भैरोंसिह शेखावत : इमर्जेन्सी में अपराध हुए हैं उनका कम्पेरीजन कर दो।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : मैं इतना ही कह सकता हूं कि लगभग एक महीने के समय में मुझे पता है........

(व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य : बैठिये-बैठिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्या कुछ कहना चाहती है ।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहूंगी कि किसी भी शासन काल में हो, कभी भी हुए हों, मैं मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहूंगी कि ऐसे काण्ड होना अच्छी बात नहीं है । हमारे काल में इतना हुआ, उनके काल में इतना हुआ, किसी भी शासन काल में हो यदि किसी मां, बहिन और बेटी की इज्जत को खराब करते हैं तो यह कोई शोभा की बात नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ! कृपया स्थान ग्रहण करें । मुख्य मंत्री जी !

श्री गोविन्दसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । अध्यक्ष महोदय, मैं देख रहा हूं यह कोई क्वेश्चन आन्सर का काल चल रहा है या मुख्य मंत्री जी धन्यवाद के प्रस्ताव पर हुई बहस का जवाब दे रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : जवाब दे रहे हैं।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज । बात नहीं करें । कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : माननीय सदस्या की बात को मान लेता हूं । मैं जानता हूं कि बहुत ही गम्भीर मसला है । जब मैं सदन में निवेदन कर रहा था उस समय वह यहां नहीं थीं और होतीं तो उनको मालूम होता कि मेरी क्या भावना है और हमारी सरकार की क्या भावना है । हम सब ने कहा कि बलात्कार का मामला ऐसा मामला है कि किसी का नाम आये तो उसकी चर्चा का विषय बन जाता है । तो उसमें जब तक हम जांच नहीं कर लें, बहिन भाई का बयान नहीं ले लें और जब तक किसी फैसले पर नहीं पहुंच जाय तब तक किसी बात को हमें नहीं उछालना चाहिए ।

श्रीमन, यहां पर पोंग डैम से मिलने वाली पानी के झगड़े की चर्चा की गयी। मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से तेजी से काम होना चाहिए राजस्थान की तरफ से वह पहले नहीं हुआ होगा । कलेजा थाम कर बैठें जरा । लेकिन जनता पार्टी की सरकार जब राजस्थान में थी उस समय जिस तेजी के साथ उसको काम करना चाहिए वह नहीं किया । हमको उपदेश देना बहुत आसान है कि हम केन्द्र सरकार की या किसी व्यक्ति विशेष की शाखा बन कर नहीं रह जायें लेकिन जो इस बात की चर्चा करते हैं तो जरा अपने मन को भी टटोलें कि जब वह सता में थे यदि इस मसले को हल उस समय कर लेते तो शायद यहां चर्चा की ही जरूरत नहीं होती । मैं आशा करके चलता हूं कि आगे आपका सहयोग रहेगा । मैं आपको बताऊं कि हिमाचल के मुख्य मंत्री मेरे पास आये थे, उनसे मेरी कुछ चर्चा हुई थी कि आप भारत सरकार में जब मीटिंग होती है तो आपका हिस्सा मानते हैं, पंजाब और हरियाणा को हिस्सा मिल जाता है और हमको हमारा हिस्सा नहीं मिलता है। तो मुझे उन्होंने विश्वास दिलाया है । मैंने उनसे यह भी कहा कि आपका जो विश्वास है इसकी मैं विधान सभा में घोषणा कर दूं तो उन्होंने कहा है कि उनका समर्थन हमको प्राप्त होगा । उनका समर्थन प्राप्त होने वाला है क्योंकि सारे के सारे प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में हैं । सम्भवत: जिस काम को आप नहीं कर पाये उसको हम कर पायेंगे ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

(व्यवधान)

कृपया बात नहीं करें।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : हमारे विरोधी नेता ने हमको बहुत सुझाव दिये उनकी मैं कद्र करता हूं। जिस बुजुर्गियत की हैसियत से उन्होंने आदेश दिये हैं यदि इन्हीं भावनाओं के साथ आदेश देते रहेंगे तो उनकी भावना की हम कद्र करेंगे. उनकी बात को मानेंगे लेकिन, श्रीमन्, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि राजनीति से प्रेरित यदि उनका वक्तव्य होगा तो मेरी मजबूरी होगी। हो सकता है वह बहुत बड़े नेता हों, हो सकता है वह हिन्दुस्तान के या संसार के बहुत बड़े नेता गिने जाते हों और हो सकता है कि मैं अपनी पार्टी का छोटा सा कार्यकर्त्ता होऊं लेकिन राजनीतिक भावना से कोई बात कही जायेगी तो मुझे भी फिर चर्चा करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार कहीं केन्द्र की शाखा बन कर नहीं रह जाये। मैं जानता हूं कि आज देश में अलगाव की बात हो रही है उस समय राजस्थान में ऐसी बात उठानी पड़े तो इससे ज्यादा और दुर्भाग्य की बात नहीं होगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, कृपया शांत रहें।

श्री राज बहादुर : श्रीमन्, अव्वल तो मुझे कहना यह है कि जब मैं बोला था तो मुख्य मन्त्री जी यहां नहीं थे और वह तब भी नहीं थे जब कि यहां पर कानून और व्यवस्था पर चर्चा हो रही थी। लेकिन फिर भी मैं कह देता हूं कि जो कुछ मैंने कहा है वह रचनात्मक भावना से कहा है और कोई पालीटिकल भावना से प्रेरित हो कर नहीं कहा है। और मैं यहां हूं तो किसी की दया पर नहीं हूं। मेरा एक सिद्धान्त है कि वाइस ग्राफ डिसेन्ट कभी सप्रेस नहीं होनी चाहिये। आवाज का गला नहीं घोंटा जाना चाहिये। वह चाहते हैं वह हर्गिज नहीं होगा। एक बात।

दूसरी बात जितनी एडवाइस की बात है, जो भी मुझे अवसर मिला है जो भी बुद्धि मिली है मैं राजस्थान में इसी वास्ते आया हूं, मैं कोई उपदेश देने नहीं आया हूं। मैंने कहा और मैं बार बार कहता रहा हूं, कि रचनात्मक तरीके से सोचना चाहिये बजाय इसके कि बात इस लेवल पर करें जो कि एक चीफ मिनिस्टर को नहीं करनी चाहिये। मैंने पूछा आपसे कि व्यापक दृष्टि से भविष्य के लिये क्या सोचा है? हर वर्ष आने वाले अकाल के लिये क्या सोचा है? राजस्थान नहर के लिये क्या सोचा है और गंगा जमुना के लिये क्या सोचा है? इसका जवाब दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री राज बहादुर : और आपको मुझ से सवाल करने हैं तो मैं जवाब देने के लिये तैयार हूं। कोई भी बात करनी है तो एक बार नहीं हजार बार कीजिये उसका जवाब बहुत सभ्यता पूर्ण मिलेगा। खाली शोर मचायेंगे तो हम यहां लंग्स की ताकत दिखाने नहीं आये हैं कि किसके फेफड़े में ताकत ज्यादा है। और ऐसा है तो मैं इस बात के लिये भी तैयार हूं। फिर कहता हूं कि किसी की दया पर नहीं हूं यहां। आपके बावजूद यहां हूं मैं।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : मैंने तो केवल मात्र चर्चा की है । इसके बावजूद इतना उत्तेजित नहीं होना चाहिये ।

श्री राज बहादुर : मैं शांति से कह रहा हूं । उत्तेजित कतई नहीं हूं । आपने कहा उसका जवाब मैंने दिया है ।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : हर अच्छी बात का मैं समर्थन करूंगा, मैंने कहा है कि बशर्ते कि राजनीति से प्रेरित नहीं हो ।

मुझे एक-दो बातें और इस सिलसिले में निवेदन करनी हैं । हम एक पार्टी के सदस्य हैं, मेरी व्यक्तिगत सरकार नहीं है । यह पार्टी की जिम्मेदारी है । इस पार्टी का नेता भी है और हर पार्टी का कोई न कोई नेता होता है । और किसी पार्टी का नेता ही नहीं हो तो हम क्या करें ।

श्री मालाराम : यह तो मतीरों का भारा है ।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : इसलिये मैंने आपसे निवेदन किया, श्रीमन्, हम तो पार्टी के सिद्धांत से बन्धे हैं । जब इस सदन में हमारी पार्टी के सिद्धांत की क्रियान्विति की बात हो जाती है तो पार्टी का सिद्धांत नहीं रहता वह इस हाउस का सिद्धांत हो जाता है । इसलिये मैं चर्चा करना चाहूंगा उन सूत्रों की जिनकी चर्चा बार-बार की, चाहे 20 सूत्री हो, चाहे पांच सूत्र हो, चाहे 12 सूत्र कार्यक्रम हो और चाहे कुल मिलाकर 37 सूत्र हों लेकिन ये सूत्र हैं हमारे आगे बढ़ने के । हमारा आधार होगा इन सूत्रों के द्वारा राजस्थान को आगे बढ़ाने का । यह कहा गया कि वे सूत्र छुप गये । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि न तो बीस सूत्र छिपेंगे, न 12 सूत्र छिपेंगे और न 5 सूत्र छिपेंगे । इन 37 सूत्रों के आधार पर राजस्थान का विकास करना चाहेंगे । मैंने निवेदन किया, आपका सहयोग चाहूंगा । मैं आशा करके चलता हूं आप अपना सहयोग हमको देंगे अगर आपके पास कोई सूत्र हो, एक सूत्र को छोड़कर....

श्री दिनेश जोशी : संजय गांधी के सूत्रों के खिलाफ बोले हैं....

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : श्रीमन्, इसलिये मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि कोई सूत्र हो, एक को छोड़ कर इस सूत्र को छोड़ दें कि किस तरह से हमारी पार्टी में फूट डाली जाय एक सूत्र को छोड़ दें कि किस तरह से हम को बदनाम किया जाये, एक सूत्र को छोड़ दें कि किस तरह से इस हाउस को चलने से रोका जाये । मैंने आपको निवेदन किया, आप कोई अभियान करते रहें लेकिन राजनैतिक भावना से प्रेरित कोई भी बात की जायेगी तो आप हमको पहचानते हैं, आपको हम पहचानते हैं । मुझे बड़ा खेद है । एक माननीय सदस्य, जो मेरे मित्र हैं, नाम तो उनका मोदी है; काम बहुत बड़ा है, ने भी हमको उपदेश दिया । उनकी आत्मा अन्दर-अन्दर उबल रही है । उन्होंने कहा, सच्चे कांग्रेसी छुपते जा रहे हैं । सच्चे कांग्रेसी कौन हैं ? जो नमूना उन्होंने पेश किया वह चुनाव में सामने आ गया । कितना अनुशासन मानते हैं । अगर कोई गलती होगी तो सुधार लेंगे । श्रीमन्, और भी कई बातें सामने आई । राजनैतिक भावना से प्रेरित हो कर मैं किसी पर छींटाकसी नहीं करना चाहूंगा जिस प्रकार माननीय सदस्यों ने की । मैं जानता हूं कहना बहुत आसान है और काम करना बहुत ही कठिन

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

है। राजस्थान के सामने कठिनाइयां हैं। हमारे सामने बहुत कठिनाइयां, हैं। आर्थिक कठिनाइयां, राजनैतिक कठिनाइयां, सामाजिक कठिनाइयां, कुल मिलाकर सीमा की कठिनाइयां हैं। पूरे देश की सीमा से बन्धे हुए हैं। मैं सही कहना चाहता हूं उन कठिनाइयों को पार करने के लिये जहां हम इस बात की कोशिश करेंगे कि उन बाधाओं को दूर करें वहां उसमें सभी सदस्यों से अपील करूंगा कि यदि उनकी सहायता मिली तो पूरे राजस्थान का विकास करेंगे, इसकी कल्पना मैंने, इन सदस्यों ने और आपने की है।

धन्यवाद प्रस्ताव का पारण

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रस्तुत संशोधन प्रस्तावों पर मतदान।

प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्ताव श्री भंवरलाल शर्मा, श्री गुलाब चन्द कटारिया, श्री नाथूसिंह, सदस्य विधान सभा ने प्रस्तुत किये हैं, उनको स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गये।

प्रश्न यह है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव....

श्री नाथूसिंह, अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। कोई माननीय सदस्य जब संशोधन प्रस्ताव रखता है, कायदा सदन में यह है कि प्रश्न रखते समय अध्यक्ष महोदय, उस प्रस्ताव को सदन में पढ़ कर सुनाते हैं और उस पर सदन की राय लेते हैं कि स्वीकार किया जाये या नहीं। यह प्रकिया आपने नहीं अपनाई। मेरा प्रक्रिया संबंधी व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : जो संशोधन प्रस्ताव आये हैं सक्यूंलेट हुए हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : सब ने पढ़ लिये हैं. अब तो गिर गये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सदन की सम्मति है, सदन को अवगत कराया जाये।

श्री भंरोंसिह शेखावत : माननीय खेतसिंह जी से मैं पूछना चाहता हूं कि वे प्रस्ताव क्या थे जिन पर उन्होंने हां, ना की है।

श्री अध्यक्ष : ध्वनि मत से गिर गये।

श्री नाथूसिंह : गिरने, नहीं गिरने का प्रश्न नहीं है ....

श्री अध्यक्ष : जिस समय मैंने प्रस्ताव प्रस्तुत किये, उस समय आप कहते। क्या सोच समझ कर हां फर्मा दिया। इसका मतलब है आपने यूं ही हां फर्मा दिया।

प्रश्न यह है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव को स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव ध्वनिमत द्वारा स्वीकार किया गया।

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 15 जुलाई, 1980 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 6.07 बजे मंगलवार दिनांक 15 जुलाई, 1980 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट—1

तारांकित प्रश्न सं. 89 का विवरण

Appendix 'A'

STATEMENT INDICATING PERCENTAGE CUT IMPOSED ON VARIOUS CATEGORIES OF CONSUMERS/VIDE DIFFERENT NOTIFICATIONS ISSUED BY GOVERNMENT & RSEB.

S. No.	Category of consumers.	Notification dated 30-1-80	Notification dated 29-2-80	Notification dated 11/14-3-80	Letter No.1170 dated 27-3-80	Notification dated 31-3-80	Letter No.1283 dated 7-4-80	Notification dated 15-4-80	Notification dated 17-4-80/ letter No. 1448 dt.18-4-80	Notification dated 5-5-80	Notification dated 16-5-80
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Large Industries	55% 25%demand cut (7AM to 10AM, 4 PM to 9PM)	Power supply for LT & Water only.	67% if Less than 2MVA & no power more than 2MVA	60% conti. 60% Demand cut (6Hrs. if 22 Hrs. 40% 22Hrs. to 6Hrs.) 50% non-cont. (No power 14Hrs. to 22 Hrs.)	Same as per Col.-6	Ban of releasing conn. All cate. lifted —	35% Cut 6AM to 10 PM & no cut 10 PM to 6 AM	25% but no cut in night Hrs.	20%	10%
2.	Med. Industries	40%	75%	60%	25% (No power 14 Hrs. 22 Hrs.)	-do-	—	No cut (no power bet. 14 Hrs. 22 Hrs.)	No cut. No power bet. 6PM to 10 PM	Same as per Col. No. 10.	Same as per Col. No. 10.
3.	Small Industries	35%	5 %	— 50%	No cut (No power 6 PM to 10 PM)	-do-	—	No Cut (No power 6 PM-10 PM)	-do-	-do-	-do-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	Maj. Mining Load i. e. HCL & HEL	40%	Nothing mentioned so as per Cat. of Industries.	Same as per Noti. 29-2-80	40% (No power 17 Hrs. to 22 Hrs.)	same as per col. 6	—	25%(No power 5PM-10 PM	As per Noti. 15-4-80	As per Noti. 15-4-80	As per Noti. 15-4-80
5.	Agriculture	No cut (No power 5 AM-8 AM)	No cut	No cut	No Cut (No Power 18 Hrs.-22 Hrs.-19.30 Hrs.)	Same as per Col. 6	—	No Cut & no power 5 AM-7 AM & 5 PM-8.30 PM	As per Noti. 15-4-80	As per Noti. 15-4-80	As per Noti. 15-4-80
6.	M/s Kota Instrumentation, Ltd.	Nothing mentioned so as per cat. of Ind.	35% (50% Demand cut 7 AM-10 AM & 4 PM-8 PM)	As per Noti. 29-2-80	35% (50% Demand cut 7-10 Hrs & 16. 20 Hrs.)	-do-	—	No cut (35% Demand cut 6-10 PM)	-do-	-do-	-do-
7.	Domestic consumers.	35%	No supply between 7-18. 30 Hrs.	No supply for 3 Hrs.	25%	-do-	—	15%	-do-	-do-	-do-
8.	Non-domestic	55%	25% cut except Cinemas etc.	Supply between 11 AM-3 PM 6 PM-7 AM & 50%red. in C/load.	30% & reduction of 40% C/Load.	-do-	—	30% but no red. of load	-do-	-do-	-do-

9.	Water Works & Drainages.	10%	10% (No power 6-9 PM)	10% (No power 6-9 PM)	10% No (Power 19 Hrs. 21 Hrs.)	same as per col. 6	—	No cut (no supply 7 PM-9PM	No cut (no power 7 PM-9PM)	As per Col. No. 10	As per Col. No. 10
10.	Roadways/Rlys. Loco. & Rg. sheds.	20%	25%	25%	25%	-do-	—	No cut	As per Noti. dt. 15-4-80	As per Noti. dt. 15-4-80	As per Noti. dt. 15-4-80
11.	Dairies & Milk Chilling Centre/ Ice Factory/Ice Candy.	20%	50% (supply 8 Hrs. P/day.)	50%	Nothing mentioned but as per 22-3-80 CM letter 25% cut	-do-	—	Nothing mentioned will conti. as 22-3-80 letter.	-do-	-do-	-do-
12.	Rock Phosphate Prod.	20%	25%	25%	25%	-do-	—	No cut	-do-	-do-	-do-
13.	Cold Storage	20%	Supply for 4 Hrs. if perishable articles stored but sub. avail.	Noti. dt. 29-2-80	Supply 12Hrs. P/day No cut.	—do—	—	12 Hrs. P/day No cut.	As per Noti. dt. 15-4-80	As per Noti. dt 15-4-80	As per Noti. dt. 15-4-80
14.	Cement Industries	30%	Nothing mentioned as per Cat. of Industries.	As per Col. No 3 & 4.	Nothing mentioned as per Cat. of Indust.	—do—	—	As per Col. No. 7	No Cut	No Cut, sub. to availability	As per Col. No. 11
15.	Veg. Oil Mfg. Mills	30%	60% if Power available	—do—	—do—	—do—	—	—do—	—do—	—do—	—do—
16.	Industrial Cases.	30%	Nothing mentioned	—do—	—do—	—do—		—do—	As per Noti. dt. 31-3-80	As per Noti. dt. 31-3-80	As per Noti. dt. 31-3-80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.	Fertiliser Units	30%	Nothing mentioned as per cate. of Indust.	as per col. No. 3&4	Nothing mentioned as per cate. of Indust.	same as per col. 6		As per col. No. 7	As per Noti. dt. 31-3-80	As per Noti. dt. 31-3 80	As per Noti. dt. 31-3-80
18.	Pharmas & Drug. Mfg.	30%	—do—	—do—	—do—	—do—	—	—do—	—do—	—do—	—do—
19.	Ball & Roller Brgs.	30%	—do—	—do—	—do—	—do—	—	—do—	—do—	—do—	—do—
20.	Glass Industries	40%	—do—	—do—	—do—	—do—	—	—do—	—do—	—do—	—do—
21.	Paper Industries	40%	—do—	—do—	—do—	—do—	—	—do—	—do—	—do—	—do—
22.	Textile Industries	40%	—do—	—do—	—do—	—do—	—	—do—	—do—	—do—	—do—
23.	Rly. Workshop	30%	—do—	—do—	—do—	—do—	—	No cut 50% Demand cut (6PM-10 PM)	As per Noti. dt. 15 4-80	As per Noti. dt. 15-4-80	As per Noti. dt. 15-4-80
24.	Cotton & Ginning Industries.	55%	55% (Supp-3 days a week)	55%	No cut (no supply 15 Hrs.-22 Hrs.)	—do—	—	No cut (No supply 2PM-10PM)	No cut (No supply 6PM-10PM)	No cut (No supply 6PM-10PM)	No cut (No supply 6PM-10PM)
25.	Mini-Steel Plants.	75%	Nothing Mentioned.	Nothing mentioned.	4 days per week (10PM–6AM)	—do—	—	8 Hrs. P/day 10PM-6AM	As per Col. 9	65% cut & Op. 10PM-6AM	As per Col. 11
26.	S. Lighting	35%	50% Cut (supply from 7PM-5.30AM)	As per Col. 4	50% (supply 7PM-5.30AM)	same as per Col. 6	—	As per Col. 7	No Cut	No Cut	No Cut
27	Cinemas	35%	20% (No supply 0.3PM)	No Cut (Supp. 3 PM-5.30 PM)	20%	—do—	—	Nothing mentioned	As per Col. 9	As per Col. 9	As per Col. 9

परिशिष्ट–2

समयाभाव के कारण सदन में नहीं किये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

पगारिया थानान्तर्गत महिला का अपहरण

96. श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या झालावाड़ जिले में पगारिया थाना के राम कल्याण मीना नामक हैड पगारिया ग्राम से एक महिला को भगा कर ले गया था ?

(2) यदि हां, तो थाना हैड के खिलाफ आज दिन तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या उस हैड को नौकरी से निलम्बित कर कड़ी सजा देने का सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) रिपोर्ट पर अपराध नं० 22/80 दिनांक 27-5-80 धारा 363, 366, 342, ता० हि० थाना पगारिया पर पंजीबद्ध किया गया । सहायक उप-निरीक्षक राम कल्याण को निलम्बित किया जा चुका है । तफतीश जारी है ।

नकली शराब बनाने में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही

97. श्री नाथूसिंह (दौसा) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) शराब बन्दी के पश्चात नकली शराब बनाने के आरोप में कितने लोगों को अब तक पकड़ा गया और उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

(2) अवैध रूप से शराब बेचते हुए कितने लोग पकड़े गये तथा अब तक उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(3) पकड़े लोगों में क्या कोई विशिष्ट व्यक्ति है ? यदि हां, तो कृपया उनके नाम बताएं ।

उत्तर

(1) दिनांक 1-4-80 से संपूर्ण नशाबन्दी होने के पश्चात् जून, 80 तक 105 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये । इनके विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश करने की कार्यवाही चालू है ।

(2) 2 व्यक्ति पकड़े गये जिनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किये गये । जांच जारी है ।

(3) जी नहीं ।

जयपुर नगरपालिका क्षेत्र में चुंगी की दर

98. श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर की नगरपालिका क्षेत्र में चुंगी वसूली की दर वजन पर है जबकि राज्य की अन्य नगरपालिकाओं में चुंगी अलग-अलग वस्तुओं पर 1 से 4 प्रतिशत तक है जो वजन के हिसाब से वसूल की जाने वाली दर से बहुत अधिक है ?

(2) चुंगी दर की इस भिन्नता के क्या कारण हैं ? क्या राज्य सरकार यह उचित मानती है कि राज्य में चुंगी दर की असमानता न हो ? अगर हां, तो इस भिन्नता को कब तक समाप्त कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) राज्य की हर नगरपालिका के क्षेत्र में कुछ वस्तुओं पर चुंगी वजन के आधार पर लगाई जाती है। तथा कुछ वस्तुओं पर चुंगी मूल्य के आधार पर लगाई जाती है। जयपुर में भी यही स्थिति है।

(2) अलग-अलग नगरपालिकाओं की वित्तीय आवश्यकताएं भिन्न हैं अतः उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए चुंगी की दर भी भिन्न होना स्वाभाविक है। कुछ वस्तुओं पर चुंगी की दरें सभी नगरपालिकाओं में एक सी करने का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है।

फिंगर प्रिन्ट ब्यूरो में प्रमोशन केडर कोर्स की हुई परीक्षा

99. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) फिंगर प्रिन्ट ब्यूरो में जून, 1972 में प्रमोशन केडर कोर्स की परीक्षा लिये जाने के समय इन्सपेक्टर के कितने पद रिक्त थे और कितने परीक्षार्थी उक्त परीक्षा में बैठे थे ?

(2) उक्त परीक्षा में बैठे सभी परीक्षार्थियों की अंक तालिका की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या इस परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित कर इंसपेक्टर पद पर लगाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या इस परीक्षा से संबंधित पूरे मामले की जांच करवाकर सरकार योग्य एवं अधिक अंक प्राप्तकर्त्ता को इसका लाभ दिलाने का विचार रखती है ?

(श्री भंवरलाल शर्मा)

(5) उक्त परीक्षा में कितने पद थे उतने परीक्षार्थी उत्तीर्ण होने के बाद भी अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की पुनः परीक्षा लेने के क्या आधार थे और क्या यह नियमानुसार था ?

उत्तर

(1) दो पद रिक्त थे और तीन परीक्षार्थी परीक्षा में बैठे थे।

(2) अंकतालिका गोपनीय पत्र है जिसे सदन की मेज पर रखने का प्रश्न नहीं उठता।

(3) नियमों में परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर पदोन्नति देने का कोई प्रावधान नहीं था। परीक्षा में सफल परीक्षार्थियों को वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति देने का नियम था।

(4) जी हां, इस परीक्षा सम्बन्धी मामले में पुनर्विचार कर समुचित कार्यवाही की जावेगी।

(5) तत्कालीन समय में नियम की जिस प्रकार व्याख्या की गई। इसके अनुसार कार्यवाही की गई थी। अब इस सारे मामले पर पुनर्विचार कर लिया जावेगा।

जैसलमेर में इन्स्टेन्ट मिल्क चिलर प्लान्ट की स्थापना

100. श्री चन्द्र वीर सिंह (जैसलमेर): क्या डेयरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या जैसलमेर में इंस्टेन्ट मिल्क चिलर प्लान्ट स्थापित किया जा रहा है ? यदि हां, तो उसकी क्या क्षमता होगी तथा यह कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

उत्तर

फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

उदयपुर में गरीब व अल्प आय के व्यक्तियों की आवासीय समस्या का समाधान

101. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) उदयपुर नगर विकास प्रन्यास ने गरीब व अल्प आय के लोगों की आवासीय समस्या हल करने हेतु पिछले तीन वर्षों में क्या-क्या प्रयत्न किये हैं ?

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

(2) क्या यह सत्य है कि 2,000 आवासीय भू-खण्ड वितरण करने की योजना नगर विकास न्यास ने राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भेज रखी है ? यदि हां, तो यह योजना राज्य सरकार को कब प्राप्त हुई और उसके पश्चात राज्य सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

(3) क्या यह सत्य है कि नगर विकास न्यास ने प्रश्न के भाग (2) में वर्णित भू-खण्डों के आवंटन करने के लिए प्रार्थना पत्र आमंत्रित किये थे ? यदि हां, तो कब तक प्रार्थना-पत्र प्राप्त कर लिये थे ?

(4) राज्य सरकार इसको प्राथमिकता देकर कब तक उक्त प्लाटों को लॉटरी पद्धति से आवंटित करा देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) नगर विकास न्यास, उदयपुर द्वारा मार्च 1978 में 1000 आवासीय भू-खण्ड गरीब एवं अल्प आय वर्ग के लोगों को लाटरी द्वारा आवंटित किये।

(2) नगर विकास न्यास, उदयपुर ने अल्प आय वर्ग के लिए योजना राज्य सरकार को भेजी थी, जो दिनांक 2-11-79 को प्राप्त हुई। इस योजना का राज्य सरकार द्वारा परीक्षण किया गया और यह पाया गया कि उक्त योजना राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 व उसके तहत बने राजस्थान भूमि निष्पादन नियम 1974 के प्रावधानों के अनुसार नहीं है। अतः राज्य सरकार ने दिनांक 26-2-80 को नगर विकास न्यास, उदयपुर को निर्देश दिये कि योजना उक्त अधिनियम व उक्त नियम के प्रावधान के अनुसार बनाई जावे और राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भेजी जावे। नगर विकास न्यास से संशोधित योजना अभी तक स्वीकृति हेतु वापस नहीं आई है।

(3) जी हां, । नगर विकास न्यास उदयपुर ने राज्य सरकार की स्वीकृति की आशा में भू-खण्ड आवंटन करने के लिए प्रार्थना-पत्र आमंत्रित किये थे। यह प्रार्थना-पत्र दिनांक 21-6-79 से 31-7-79 तक आमंत्रित किये गये थे।

(4) राजस्थान नगर विकास अधिनियम 1959 व उसके अधीन बने नियमों के अनुकूल योजना बनने पर विचार किया जावेगा।

कुम्हेर सब-तहसील के ग्रामों के लिये जल प्रदाय योजना

102. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कुम्हेर सब-तहसील में कितने गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु योजना क्रियान्वित हो चुकी है और शेष गांवों में सरकार कब तक पेयजल उपलब्ध कराने का विचार रखती है ?

(श्री हरिसिंह)

(2) क्या भरतपुर जिले में गत वर्ष पेयजल समस्या हेतु स्वीकृत धनराशि व्यय से वंचित रही है ? यदि हां, तो कितनी और क्यों ?

उत्तर

(1) कुम्हेर सब-तहसील में कुल 29 ग्रामों में पेयजल योजनाएं स्वीकृत हैं। इनमें से 15 ग्रामों को जल उपलब्ध हो रहा है व शेष 14 ग्रामों में कार्य प्रगति में है।

बाकी बचे हुए ग्रामों को विश्व स्वास्थ्य सगठन को प्रस्तावित 600 करोड़ रुपये की दस वर्षीय योजना में पेयजल उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है।

(2) जी नहीं।

गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों को सीनेट में प्रतिनिधित्व

103. श्री मानसिंह देवड़ा (सरदार पुरा), श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर विश्वविद्यालय सिन्डीकेट ने 2 अगस्त, 1974 को एक प्रस्ताव संख्या 115 द्वारा गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों को सीनेट में प्रतिनिधित्व देने की मांग की थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि विश्वविद्यालय सिन्डीकेट ने 29 मार्च, 1974 की बैठक में गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के एक प्रतिनिधि को सिन्डीकेट का सदस्य मनोनीत करने का प्रस्ताव पारित किया था और विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने इस बारे में प्रतिनिधित्व देने के लिए सरकार को पत्र भी लिखे हैं ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने जा रही है और कब तक, और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। यह प्रस्ताव 14-3-74 को बैठक में पारित हुआ तथा मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

राजस्थान नहर की बुर्जी को मरम्मत

104. श्री नाथूसिंह (दौसा) : क्या राजस्थान नहर मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार को विदित है कि राजस्थान नहर के 70 फीट 350 बुर्जी पर से टूटने की खबर है जैसा कि दिनांक 30 जून, 1980 को जयपुर से प्रकाशित

(श्री नाथूसिंह)

दैनिक राजस्थान पत्रिका के अंक में समाचार प्रकाशित हुआ है ? यदि हां, तो नहर टूटने का क्या कारण हैं ?

(2) क्या टूटी हुई नहर की गुपचुप मरम्मत की जा रही है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) राजस्थान पत्रिका में राजस्थान नहर के, 350 बुर्जी पर 70 फीट टूटने का प्रकाशित समाचार सही नहीं है । नहर में पानी लगातार चल रहा है।

(2) चूंकि नहर टूटी ही नहीं है, इसलिये टूटी नहर की गुपचुप मरम्मत का प्रश्न ही नहीं उठता ।

पंचायत समिति, इटावा में गन्ना कांड की जांच

105. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति इटावा में गन्ना काण्ड की जांच में दोषी पाये जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध में पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु सरकार के आदेश हो चुके हैं ? यदि हां, तो किस तारीख को आदेश हुए ?

(2) क्या यह रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है ? यदि हां, तो किस तारीख को तथा किन-किन व्यक्तियों के विरुद्ध ? उक्त जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या सरकार निर्दोष किसानों पर से लिखे ऋण से उनको मुक्त करने के आदेश प्रदान करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, दिनांक 9-1-80 को आदेश दिये जा चुके हैं ।

(2) जी हां, 18 व्यक्तियों के विरुद्ध दिनांक 8-7-80 को रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है जिसकी सूची संलग्न है। जांच रिपोर्ट की प्रति जनहित में सदन की मेज पर रखा जाना उचित प्रतीत नहीं होता है ।

(3) दिनांक 8-7-80 को दर्ज करायी गई रिपोर्ट पर निर्णय लिये जाने के बाद ही इस बिन्दु पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

तारांकित प्रश्न संख्या 60/मु. म. के भाग (2) से संबंधित सूचना

क्रम.सं.	नाम अधिकारी /कर्मचारी	पद
1.	श्री रामनारायण शर्मा	विकास अधिकारी
2.	,, राम स्नेही राठोड़	सहायक कृषि अधिकारी
3.	,, रामवातार	ग्राम सेवक जलोदाखातियान
4.	,, महावीर प्रसाद	,, ,, लुहावद
5.	,, रामेश्वर वर्मा	,, ,, लुहावद
6.	,, अब्दुल रजाक	,, ,, रनोदिया
7.	,, बृजलाल मेहता	,, ,, अयाना
8.	,, छीतरमल	,, ,, विनायका
9.	,, प्रहलादसिंह	,, ,, ब्यावदा
10.	,, बांकेलाल	,, ,, नवलपुरा
11.	,, भगवान प्रकाश	,, ,, मोहनपुरा
12.	,, केदार लाल	,, ,, सुमेरगंजमंडी
13.	,, रामकिशोर	,, ,, दौलतपुरा
14.	,, कजोड़मल	,, ,, बलवन
15.	,, पुरूषोत्तम	,, ,, करवाड़
16.	,, दुर्गासिंह	फिल्डमैन गणेशगंज
17.	,, दुर्गाशंकर	फिल्डमैन अयाना
18.	,, रामकरण	फिल्डमैन जलोदाखातियाम ।

मन्दिरों व धार्मिक स्थलों का संचालन

106. श्री भैरूलाल भारद्वाज (जमवारामगढ़): क्या देवस्थान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार द्वारा मन्दिरों की नियमित पूजा व भोग की व्यवस्था हेतु माफी में दी गई भूमियों को मन्दिरों के ही कब्जे में रखे जाने हेतु कोई प्रावधान है? यदि हां, तो उसका ब्योरा देने का कष्ट करें ।

(2) यदि ऐसा नहीं है, तो क्या इससे मन्दिरों व धार्मिक स्थलों की संचालन व्यवस्था पर विपरीत असर नहीं हुआ ? सरकार का ऐसे धार्मिक स्थलों की व्यवस्था के लिये क्या विचार है ?

उत्तर

(1) जी हां, राजस्थान जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत मन्दिरों की माफी व जागीर भूमि पुनर्ग्रहण की जा चुकी है परन्तु जो मन्दिरों की माफी व जागीर सेटलमेन्ट रिकार्ड में खुद काश्त अंकित थी अथवा पुजारियों द्वारा काश्त की जा रही थी वह खुद काश्त मन्दिर मानी गई उसको राजस्थान टेनेन्सी एक्ट, 1955 की धारा 13 के अन्तर्गत मन्दिर के खाते अंकित करने का प्रावधान है ?

इसके अलावा मन्दिरों को माफी व जागीर के पुनर्ग्रहण के एवज में राजस्थान जागीर अधिनियम के अन्तर्गत शाश्वत वार्षिकी निर्धारित कर दी है जिससे मन्दिरों की सेवा-पूजा भोगराज व्यवस्था नियमित रूप से चलती रहे।

(2) जब कानून के अन्तर्गत मन्दिरों की सेवा पूजा व्यवस्था हेतु उपयुक्त प्रावधान है तो मन्दिरों की सेवा पूजा व्यवस्था पर विपरीत असर पड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

ग्राम पंचायत डौलो का (सिकराय) द्वारा कराये गये काम के बदले अनाज योजना के कार्यों की जांच

107. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरपंच ग्राम पंचायत डौलीका, पंचायत समिति सिकराय के विरुद्ध जिला प्रशासन को गबन व काम के बदले अनाज योजना में घोटाले बाबत शिकायत प्राप्त हुई यदि हां, तो उनका क्या निस्तारण हुआ।

(2) क्या इन शिकायतों में वर्त्तमान सरपंच पर दो महिला सदस्यों के नाम से फर्जी भुगतान प्राप्त करने सम्बन्धी मामला भी शामिल है ? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या इस पंचायत द्वारा कराए गए काम के बदले अनाज योजना कार्यों की विस्तृत जांच की जा चुकी है ? यदि हां, तो क्या कोई गबन, अनियमितताओं के मामले प्रकाश में आये हैं ?

उत्तर

(1) जी हां। जिला प्रशासन को ग्राम पंचायत डौलीका के सरपंच के विरुद्ध काम के बदले अनाज योजना में गबन बाबत एक शिकायत अगस्त, 79 में प्राप्त हुई थी। जिलाधीश, जयपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार जांच की जा चुकी है परन्तु जांच रिपोर्ट राज्य सरकार के पास नहीं आई है।

(पंचायत मंत्री)

(2) जी नहीं, इस शिकायत में वर्तमान सरपंच पर दो महिला सदस्यों के नाम से फर्जी भुगतान प्राप्त करने सम्बन्धी कोई बिन्दु शामिल नहीं है।

(3) इस पंचायत द्वारा चलाई गई काम के बदले अनाज योजना के कार्यों की शिकायत प्राप्त होने पर उसकी जांच कराई गई है। शिकायत में उल्लेखित दो कार्यों का तकनीकी मूल्यांकन मस्टर रोल पर दिखाये व्यय से 328/ – रु० कम होना पाया गया था। इस राशि की वसूली हेतु सरपंच को नोटिस दिया गया है। वसूली की कार्यवाही चालू है।

राजगढ़ (अलवर) धमरेड़ सड़क पर निर्माणाधीन पुलिया

108. श्री जीतमल जैन (अलवर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजगढ़ (अलवर) से धमरेड़ सड़क पर किसी पुलिया का निर्माण कार्य चालू है ?

(2) अगर हां, तो उक्त निर्माण कार्य का अधिशासी अभियन्ता द्वारा किन-किन तारीखों को निरीक्षण किया गया ?

(3) क्या यह सही है कि जिस दिन पुलिया पर स्लेब डाले गये; उसी दिन पुलिया स्लेब के भार से ढह गई ?

उत्तर

(1) जी हां, इस सड़क पर 3 कि. मी. एवं 5 कि.मी. में पुलियों का काम चालू है।

(2) इस कार्य का निरीक्षण अधिशासी अभियन्ता, अलवर द्वारा 16–5–80 एवं 19–6–80 को किया गया।

(3) जी नहीं, जो पुलिया किलोमीटर 3 में बन रही थी उसके स्लेब की कान्क्रीटिंग 21–6–80 को प्रातः शुरू कर करीब मध्यान्ह 3 बजे समाप्त करी गई। सन्ध्या समय अचानक नाले में करीब 4½ फीट पानी के बहाव आ जाने से शटरिंग (Shuttering) की बल्लियां व तख्ते बह गए तथा स्लेब की कान्क्रीटिंग जो ताजा थी गिर गई, शेष पुलिया को कोई नुकसान नहीं हुआ है।

बलात्कार के मामले में मिश्रोला चौकी (झालावाड़) के प्रभारी के विरुद्ध कार्यवाही

109. श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) क्या यह सही है कि झालावाड़ जिले में मिश्रोली चौकी के हैड ने एक अनुसूचित जाति चर्मकार की औरत के साथ अनैतिक सम्बन्ध स्थापित किया ?

Page No.149

(श्री बालचन्द आर्यवीर)

(2) क्या इसकी अभी तक कोई जांच की गई और चौकी प्रभारी को कोई सजा दी गई ?

उत्तर

(1) श्रीमती नारायणी बाई बेवा मांगीलाल चमार निवासी मिश्रोली ने हैड कांस्टेबल चौकी मिश्रोली के विरुद्ध इस प्रकार की रिपोर्ट दी है।

(2) इस सम्बन्ध में हैड कांस्टेबल (प्रभारी) चौकी मिश्रोली व कांस्टेबल नन्द सिंह के विरुद्ध अभियोग नं० 24/80 अन्तर्गत धारा 376, 342 ता० हि० थाना पगारिया पर पंजीबद्ध होकर अभी अनुसंधान जारी है। अतः अभी सजा का प्रश्न पैदा नहीं होता।

उदयपुर नगर की कच्ची बस्तियों में सुविधाएं

110 श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) उदयपुर नगर विकास प्रन्यास के क्षेत्र में कुल कितनी कच्ची बस्तियां हैं ? सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें ?

(2) उन बस्तियों के सुधार हेतु पिछले तीन वर्षों में राज्य सरकार ने कितना धन व्यय किया ? बस्ती के अनुसार सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सत्य है कि कुछ बस्तियों में सुधार पर एक भी पैसा खर्च नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) जिन बस्तियों पर ध्यान नहीं दिया गया उन्हें कब तक आवश्यक सुविधाएं एवं मकान बनाने की इजाजत प्रदान कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) उदयपुर में 46 कच्ची बस्तियां हैं।

(2) पर्यावरण सुधार योजना के अन्तर्गत उदयपुर शहर को वर्ष 1978 में लिया गया और तब से नगर विकास न्यास, उदयपुर को 16,11,033/-रुपये की राशि दी जा चुकी है। इस राशि में से रूपये 7,80,031/- नगर विकास न्यास उदयपुर द्वारा 31-3-80 तक व्यय किया जा चुका है। सूची प्रत्येक बस्ती के अनुसार सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां

Page No.150

(नगर आयोजना मंत्री)

(4) सभी बड़े नगरों की कच्ची बस्तियों की आवश्यकताओं तथा धन राशि की उपलब्धता को मद्दे नजर रख कर कच्ची बस्तियों के विकास के लिए नगर विकास न्यासों द्वारा प्रस्तावित योजना पर विचार किया जाता है। इस वर्ष उदयपुर में कुछ अन्य कच्ची बस्तियों के लिए धन राशि उपलब्ध कराई जावेगी। जहां तक मकान बनाने की इजाजत का प्रश्न है, इसके लिये नियम हैं जिसके अनुसार कार्यवाही की जाती है।

उदयपुर नगर की कच्ची बस्तियों के सुधार हेतु विवरण पत्र

क्रमांक	कच्ची बस्ती का नाम	जनसंख्या	स्वीकृत राशि	न्यास द्वारा प्राप्त राशि	व्यय	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	नीमचमाता (देवाली)	1,110	1,56,550/-	दि० 4-8-78 को	1,0265.50	
2.	नीमचखेड़ा	492	73,800/-	3,50,000/-	11,790.00	
3.	माली कोलोनी	625	93,750/-		77,37[illegible].38	
4.	किशनपोल (दक्षिण)	710	74,133/-	दि० 23-3-79 को	10,140.93	
5.	किशनपोल (उत्तरी)	2,670	1,79,400/-	3,50,000/-	1,10,985.33	
6.	जेल के पास कच्ची बस्ती	108	16,200/-		12,949.61	
7.	अम्बामाता कच्ची बस्ती	521	78,150/-	दि० 27-3-80 को	39,190/-	
8.	कालबेलिया कोलोनी (ओ. टी. सी.)	425	63,750/-	411,033/-	63,645.02	
9.	अम्बामाता हरिजन बस्ती	469	70,350/-		71,134.16	
10.	गांधीनगर हरिजन बस्ती	211	31,650/-		— —	
11.	एकलव्य कोलोनी	580	87,000/-		60099.53	
12.	देत्य मगरी	82	12,300/-		11,744.66	
13.	भोपामगरी, नेहरू छात्रावास के पास	300	45,000/-		26,409.89	
14.	ढेबर कोलोनी हरिजन बस्ती	160	24,000/-		21,943.22	
15.	ठक्कर बापा कोलोनी (हरिजन बस्ती)	700	1,05,000/-		48,528.83	

16. सुन्दरवास	2200	1,68,600/–	दि० 14.9.79 को	19,598.08
17. भीलों की बस्ती (सुन्दरवास)	100	20,000/–	2,5,00	– –
18. गोवर्धनविलास (नई आबादी)	200	38,200/–		– –
19. सबिना	2500	1,63,000/–	दि० 20.3.80 को	28,345.07
20. खेमपुरा (शास्त्रीनगर)	3000	4,42,600/–	2,50,000/ –	– –
21. भोईवाड़ा (खेमपुरा)	150	21,400/–		– –
22. नोखा (गांव)	400	77,800/–		– –
23. पानेरियों की मादड़ी	1600	2,70,400/–		9,764.62
		12,02,000/–	5,00,000/–	57,707.77
15 कच्ची बस्तियों की राशि		11,11,033/–	11,11,033/–	722,324.00
कुल योग 23 कच्ची बस्तियों की राशि		23,13,033/–	16,11,033/–	7,80,031.77

फिंगर प्रिन्ट ब्यूरो की प्रमोशन केडर प्रशिक्षण परीक्षा

111. श्री भंवरलाल शर्मा (हवा महल) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि फिंगर प्रिन्ट ब्यूरो की प्रमोशन केडर कोर्स परीक्षा जून, 72 में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का परीक्षाफल घोषित नहीं कर एक अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी का ही परिणाम घोषित कर उसे एक माह बाद पुनः परीक्षा में बैठने का आदेश दिया गया था ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त परीक्षा के समय निरीक्षक के दो पद रिक्त थे और दो ही परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए थे ? यदि हां, तो उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का परिणाम घोषित न कर उन्हें पदोन्नति से क्यों वंचित रखा गया ? इसके लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं ?

(3) क्या सरकार इस क्षति की पूर्ति करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कब तक कार्यवाही करेगी ?

(4) क्या इस परीक्षा में दो विषयों में तथा एग्रीगेट अंकों में अनुत्तीर्ण होने के बाद किसी परीक्षार्थी को पूरी परीक्षा में पुनः बैठना पड़ता है ? यदि हां, तो श्री अजीत कृष्ण को नियमों के विरुद्ध परीक्षा पुनः दिलवा कर प्रमोशन क्यों दिया गया तथा साथ ही इनके प्रोबेशन पर रखने एवं स्थायीकरण के आदेश एक ही साथ जारी क्यों किये गये ?

उत्तर

(1) जी हां, ऐसा राजस्थान पुलिस सबोर्डिनेट सर्विस रूल्स, 1966 के नियमों की जिस प्रकार तत्कालीन समय में व्याख्या की गई थी, उसके अनुसार किया गया।

(2) जी हां, दो पद रिक्त थे, तत्कालीन समय में नियमों की, की गई व्याख्या के अनुसार तीसरे परीक्षार्थी को पुन: परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई, जिसमें वह सफल हुआ। इस सारे मामले पर पुनर्विचार कर लिया जावेगा। यदि कोई गलत निर्णय हो गया है तो उसे ठीक कर लिया जायगा। यह भी जांच करवाली जावेगी कि क्या इसमें किसी अधिकारी का दोष रहा।

(3) इस मामले में पुनर्विचार कर लिया जावेगा और यदि यह पाया गया कि किसी अधिकारी ने जानबूझ कर गलत कार्य किया तो उसके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जावेगी।

(4) इस सारे मामले पर पुनर्विचार कर नियमों के अनुसार जो उचित होगा, किया जावेगा।

बडोडा ग्राम (जेसलमेर) का ट्यूबवेल

112. श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) : क्या जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि बडोडा गांव जिला जेसलमेर आबादी के लिहाज से एक बड़ा गांव है ? क्या यह भी सही है कि इस गांव में ट्यूबवेल एवं होद आदि बने हुए हैं एवं पूर्व में इस गांव को जल वितरण की सुविधा बडोडा गांव ट्यूबवेल से होती थी मगर बाद में इस गांव के ट्यूबवेल को बन्द कर गांव को जल वितरण डूगरेचिया ट्यूबवेल से शुरू किया गया फलत: पाईप लाइन वगैरा टूट जाने से ग्रामवासियों को जल वितरण की सदैव कठिनाई होती है ?

(2) बडोडा गांव ट्यूबवेल को बन्द किये जाने के क्या कारण थे ? क्या राज्य सरकार ग्रामवासियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पुनः इस ट्यूब वेल को चालू करने का इरादा रखती है ? अगर हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) बडोडा ग्राम की आबादी सन् 1971 की जनगणनानुसार 1178 है। जी हां। पूर्व में केवल अकाल पड़ने पर भूजल विभाग द्वारा इस नल कूप से जल वितरण की व्यवस्था कुछ समय के लिये जिलाधीश द्वारा व्यय वहन करने पर की जाती थी। सन् 1977 में पेयजल योजना स्वीकृत होने पर इस ग्राम को भी भागू के ग्राम के नलकूप से नल द्वारा पेयजल वितरण किया जा रहा है। पाइप लाइन के टूटने पर लाईन को तुरन्त सुधारने की व्यवस्था है।

(2) यह नल कूप भूजल विभाग के आधीन वर्ष 1979 तक अकाल राहत कार्यों के लिये रहा। चूंकि बडोडा गांव में अब पाइप लाइन द्वारा ग्राम भागू के ट्यूब वेल में (Electrified) जल वितरण किया जाता है। संधारण के अधिक व्यय को देखते हुए गांव बडोडा में भी ट्यूब वेल चालू करने का औचित्य नहीं है।

चूरू जिले के राहत कार्य शिविर

113. श्री भालू खां (चूरू) : क्या अकाल राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: –

(1) चूरू जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा चलाये गये राहत कार्यों पर किस-किस शिविर पर मजदूरों को कम से कम कितनी मजदूरी दी गई ?

(2) क्या सरकार इस मजदूरी को पर्याप्त समझती है।

(श्री भालू खाँ)

(3) क्या यह सही है कि शिविरों में छाया, पानी, तगारी, फावड़े व औजार आदि की अत्यन्त कमी है ?

उत्तर

(1) चूरू जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से 22 सड़क निर्माण कार्य प्रारम्भ हैं। इन पर दी गई न्यूनतम मजदूरी संलग्न सूची के अनुसार दी गई है।

(2) मजदूरी द्वारा जितना कार्य प्रतिदिन किया है उसी के अनुसार मजदूरी का भुगतान किया गया है। राज्य सरकार द्वारा अकुशल मजदूरों की मजदूरी प्रतिदिन 5.73 पैसा 80 प्रतिशत टास्क पर निर्धारित थी (3 किलो गेहूं एवं 1.50 नकद) है जो पर्याप्त है। चूंकि राज्य में न्यूनतम मजदूरी की दर भी 7/- रु० है जो 100% उत्पादक कार्य के लिये देय है। अतः 80% कार्य के लिए जब 5.73 रुपये मिलते थे तो उसी दर पर 100% कार्य के लिये 7.16 मिलते हैं जबकि न्यूनतम वेतन केवल 7/- रु० ही है।

(3) जी नहीं, प्रत्येक शिविर पर छाया, पानी, तगारी व अन्य औजारों की उचित व्यवस्था है।

उन सड़कों की सूची जिन पर न्यूनतम मजदूरी का चुकारा किया गया

क्र सं.	नाम सड़क कार्य		मजदूरी का चुकारा
1	2		3
1.	छापर से राजलदेसर सड़क	–	1–07
2.	रतनगढ़ कुसुमदेसर	–	1–64
3.	सरदार शहर कालू सड़क	–	0–95
4.	सरदार शहर से रतनगढ़ सड़क	–	1–15
5.	सरदार शहर से पल्लू सड़क	–	1–32
6.	रतनगढ़ से चूरू सड़क	–	1–11
7.	तारानगर से चूरू सड़क	–	0–13
8.	तारानगर से साल्लू सड़क	–	0–10
9.	छड़सर से भोमासर सड़क	–	1–18
10.	भालेरी से सारबा सड़क	–	0–14
11.	बीदासर से गोपालपुरा सड़क	–	1–92
12.	चूरू से राजगढ़ सड़क	–	0–13
13.	राजगढ़ से बाय सड़क	–	0–09
14.	सुजानगढ़ से लालगढ़ भीली सड़क	–	1–41

Page No.156

1	2		3
15.	हरियासर से जौहर सड़क	–	शून्य
16.	रामपुरा से खाण्डया सड़क	–	0–17
17.	चूरू से सरदार शहर सड़क	–	0–19
18.	भानीपुरा सोमासर–मालकसर सड़क	–	0–14
19.	सम्पर्क सड़क श्यामपुरा	–	0–62
20.	आडसर से पुनरासर सड़क	–	0–03
21.	इन्यारा से डूंगरगढ़ सड़क	–	0–05

ग्राम सेवा सहकारी समिति
तलाव (कोटा)

114. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा):—क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ;—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति, तलाव जिला कोटा में जांच द्वारा गबन सिद्ध हो गया है ?

(2) यदि हां, तो उक्त जांच की वर्तमान में क्या स्थिति चल रही है ? विस्तृत सूचना सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या सरकार दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध शीघ्र कार्यवाही के आदेश प्रदान करेगी ?

उत्तर

(1) जांच अभी पूरी नहीं हुई है।

(2) मामला धारा 128 के अन्तर्गत रिविजन पिटीशन में सुनवाई हेतु अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर के पास विचाराधीन है। आगामी तारीख पेशी 17-7-80 निश्चित है।

(3) जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

मंगला माता रोड़ (ब्रह्मपुरी) से ग्राम कागदीवाड़ा छीपोवाड़ा की शेष सड़क का निर्माण

115. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि जयपुर शहर के आंचल में जयपुर से पूर्व की मंगला माता रोड (ब्रह्मपुरी) से ग्राम कागदीवाड़ा, छीपोवाड़ा तक की आधा किलो मीटर की

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

सड़क का निर्माण कार्य वहां के ग्राम निवासियों के बार-बार निवेदन करने पर भी-अभी तक नहीं करवाया गया है ? यह कार्य अब कब तक करवा दिया-जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां,

यह क्षेत्र नगर परिषद, जयपुर के अधीन होने के कारण सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित नहीं है।

ग्राम सेवा सहकारी समिति, रेलगांव

1116. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद):—क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति, रेलगांव, तहसील दीगोद, जिला कोटा के अध्यक्ष पर गबन का आरोप सिद्ध हो चुका है ? यदि हां, तो वसूली की क्या कार्यवाही चल रही है ? नहीं तो क्यों नहीं ?

(2) गबन के सारे मामले में कौन-कौन व्यक्ति दोषी पाये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां, वसूली हेतु राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 118 के अन्तर्गत कुर्की वारंट दिनांक 20-3-79 को जारी किया गया व उसके अन्तर्गत अध्यक्ष की चल व अचल सम्पत्ति कुर्क की गई थी। अचल सम्पत्ति अभी कुर्क है। सहायक रजिस्ट्रार कोटा को तत्काल वसूली करने के आदेश दे दिये गये हैं।

(2) उक्त गबन के मामले में दोषी पाये गए व्यक्तियों की सूची संलग्न है।

रेलगांव ग्राम सेवा सहकारी समिति लि०, तहसील दीगोद, जिला कोटा के गबन के मामले में दोषी पाये गये व्यक्तियों की सूची

क्र. सं.	नाम पदाधिकारी	पद	गबन की राशि
1.	श्री मोहनलाल	अध्यक्ष	95194.89
2.	श्री केसरीलाल	सदस्य	31541.33
3.	श्री तैय्यबअली	भू. पू. अध्यक्ष	20231.23
4.	श्री छीतरसिंह	व्यवस्थापक	109261.25
5.	श्री गोपीलाल	सदस्य	14499.00
6.	श्री रामनारायण	भू. पू. अध्यक्ष	14520.00
		योग....	255455.70

टोंक जिले में शंकर बाजरे की मांग की पूर्ति

117. श्री महावीर प्रसाद (टोंक):—क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) टोंक जिले में शंकर बाजरे की कितनी मांग है ?

(2) क्या मांग के आधार पर शंकर बाजरा उपलब्ध कराया जा रहा है ?

(3) यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) टोंक जिले में शंकर बाजरे की मांग निम्न प्रकार थी:—

बी० जे०–104	300 क्वि०
बी० के०–560	50 क्वि०

(2) मांग के विरुद्ध केवल शंकर बाजरा बीज बी० जे० 104, 194.00 क्वि० ही दिया जा सका। टोंक जिले में मांग के अनुसार बीज उपलब्ध नहीं कराया जा सका।

(3) राजस्थान राज्य बीज निगम/विभाग की आवश्यकता के अनुसार बीज नहीं दे सका क्योंकि राष्ट्रीय बीज निगम ने वांछित मात्रा में बीज उपलब्ध कराने से इन्कार कर दिया।

हरिजन बस्तियों में नल

118. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा):—क्या जन-स्वास्थ्य अभियान्त्रिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पीपल्दा क्षेत्र के मांगरोल एवं इन्द्रगढ़ कस्बों में हरिजन बस्तियों में नल लगाने हेतु बार-बार निवेदन किया जाता रहा है ?

(2) यदि हां, तो क्या इन बस्तियों में नल लगा दिये गये हैं ?

उत्तर

(1) संधारित जल प्रदाय योजनाओं में साधारणतया अनुसूचित जातियों, जनजातियों के मौहल्लों में नल बिछाने की मांग रहती है। इन कस्बों में भी इसी प्रकार की मांग है।

(2) वर्ष 79-80 हेतु इन्द्रगढ़ में हरिजन बस्तियों के लिए 7,000/-रुपये खर्च किये गये। जिनके द्वारा 220 मीटर पाईप लाईन डालकर 150 व्यक्तियों को पेयजल सुलभ कराया गया तथा मांगरोल में हरिजन बस्तियों के लिए 7932/- रुपये खर्च किये गये। जिनके द्वारा 268 मीटर पाईप लाईन डालकर 300 व्यक्तियों को पेयजल सुलभ कराया गया।

चूरू तहसील में नियम विरुद्ध पड़ता लगान में अभिवृद्धि

119. श्री भालू खां (चूरू):—क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि चूरू तहसील में गत पैमायश में करीब 60 गांवों में नियम विरुद्ध पड़ता लगान बढ़ाकर दुगने के करीब कर दिया गया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस पड़ता लगान को कम करने के लिये विधान सभा में तत्कालीन मुख्य मन्त्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया ने आश्वासन दिया था ?

(3) क्या इस पड़ता लगान के खिलाफ किसानों ने आन्दोलन किया था ? और उनको पड़ता लगान ठीक करने के लिये आश्वासन दिया गया था ?

(4) सरकार अब कब तक इस पड़ता लगान को ठीक करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि तहसील चूरू के गत बन्दोबस्त सन् 1951 कर निर्धारण के पश्चात् सन् 1954 में तहसील के 91 ग्रामों में से 46 ग्रामों के लगान पड़ता में संशोधन कर लगान की दरों में कमी की गई थी, जिसका नोट सम्बन्धित ग्रामों की मिसल बन्दोबस्त में अंकित है तथा तदनुसार हाल बन्दोबस्त होने से पूर्व वसूली की जाती रही थी, परन्तु वर्तमान बन्दोबस्त सं. 2028-2047 की अवधि में कर निर्धारण करते समय सन् 1954 की संशोधित दरों को ध्यान में न रख कर भूल से मूल कर निर्धारण सन् 1951 को ही आधार मान कर निर्धारण कर दिया गया जिससे मौजूदा बन्दोबस्त में कर निर्धारण में वृद्धि हुई।

(2) जी हां, दिनांक 25-3-70 को तत्कालीन मुख्य मन्त्री श्री मोहन लाल सुखाड़िया जी ने जनरल घोषणा की थी।

(3) जी नहीं, स्थानीय तहसील के किसानों द्वारा किसी प्रकार का जन आन्दोलन नहीं किया गया, अलबत्ता तहसील जन प्रतिनिधियों द्वारा राज्य सरकार से पड़ता लगान दुरुस्ती का प्रयत्न अपने स्तर पर किया गया था।

(4) इस पड़ता लगान को ठीक करने सम्बन्धी मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है, जिस पर शीघ्र ही निर्णय ले लिया जावेगा।

———

परिशिष्ट—3

अतारांकित प्रश्न संख्या 63 की सूची

वर्ष 1972 से 1979 तक व 1 जनवरी 80 से 30 जून 80 तक अपराध संख्या जिला बाड़मेर, राजस्थान

नाम थाना	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980
शिव	66	38	35	26	38	24	60	44	15
चौहटन	85	60	63	48	44	52	67	63	32
रामसर	31	43	26	36	35	37	49	37	13
बिजराल	—	—	—	—	—	23	34	26	12
गडरारोड	—	—	—	—	—	9	33	16	19
सेहवा	31	37	32	17	22	22	28	33.	18
गिराव	37	62	27	34	17	11	27	28	12
बालासर	18	32	21	16	14	15	28	29	13

वर्ष 1972 से सन् 1979 तक व 1 जनवरी 80 से 30 जून 80 तक अपराध संख्या जो भारतीय व पाकिस्तान शरणार्थियों के विरुद्ध दर्ज हुए

नाम थाना	1972		1973		1974		1975		1976		1977		1978		1979		1980	
	मु.भा.	मु.श.	मु.भा.	मु.श.	मु.भा.	मु.श.	मु.भा.	मु.श.	मु.भा.	मु.श.	मु.भा.	मु.श.	मु.भा.	मु.श.	मु.भा.	मु.श.	मु.भा.	मु.श.
शिव	101	–	51	–	63	1	29	–	71	–	65	–	146	1	105	1	15	–
चोहटन	36	1	32	2	29	5	25	2	32	3	35	1	26	1	53	1	20	–
रामगढ	9	1	18	–	11	2	15	–	18	–	24	–	27	1	27	–	5	–
विजयरोड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	20	3	40	8	41	18	11	4
गडरारोड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	1	20	–	12	–	13	–
सेडवा	30	1	35	2	29	3	17	–	20	2	19	3	25	3	26	7	16	2
गिराव	11	2	23	3	11	2	12	–	7	3	6	1	12	4	16	1	7	1
बाखलर	14	4	31	2	21	–	13	3	14	–	15	–	28	–	29	–	13	–

नोट:—मु. भा.=मुलजिम भारतीय।

मु. श.=मुलजिम शरणार्थी (पाकिस्तानी)

परिशिष्ट 4

अतारांकित प्रश्न संख्या 64 का विवरण

अन्त्योदय योजनान्तर्गत निम्न अन्य सुविधाएं प्रदान की गई हैं:—

(क) शिक्षा सम्बन्धी सुविधा

(1) इन अन्त्योदयी परिवारों के स्कूल जाने वाले बच्चों को 11 वीं कक्षा तक स्कूल फीस और स्कूल फण्ड के संदाय से मुक्त कर दिया गया है।

(2) छात्रवृत्ति देने के मामले में इन परिवारों के बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है।

(3) इन बच्चों के लिए स्कूली पोशाक की भी निःशुल्क व्यवस्था की गई है, जिसके लिए 4.66 लाख रुपया स्वीकार किया गया है।

(4) अन्त्योदयी छात्रों को स्कूल की पुस्तकें मुफ्त दी जायेंगी।

(5) समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाये जा रहे छात्रावासों में अन्त्योदयी छात्रों के लिए 10 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे गये हैं। इस सुविधा का लाभ करीब 1600 बच्चों को मिल रहा है।

अब तक अन्त्योदयी परिवारों के करीब 34,382 छात्र-बालकों को निःशुल्क पुस्तकें और स्कूली पोशाकें दी जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त पर्याप्त संख्या में ऐसे छात्रों को फीसों के संदाय से भी छूट दी गई है और उन्हें छात्रवृत्तियां दी गई हैं।

(ख) चिकित्सा सुविधाएं

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक ने समस्त क्षेत्रीय औषधालयों और अस्पतालों के नाम यह अनुदेश जारी किये हैं कि वे अन्त्योदयी परिवारों के स्वास्थ्य की जांच करने के लिए कार्यक्रम प्रारम्भ करें। इस प्रयोजनार्थ एक स्वास्थ्य कार्ड तैयार कर प्रत्येक अन्त्योदयी परिवार को दिया गया है। इस कार्ड में, किये गये निरीक्षण और अपनाये गये निवारक एवं रोग निरोधक उपाय आदि का लेखा जोखा रहेगा। जनवरी, 1979 तक करीब 40,000 अन्त्योदयी परिवारों के स्वास्थ्य की विस्तृत जांच की जा चुकी है।

(ग) पशु चिकित्सा सुविधाएं

समस्त पशु चिकित्सा अस्पतालों डिस्पेन्सरियों के नाम यह आदेश जारी किये गये हैं कि अन्त्योदयी परिवारों के समस्त जानवरों की चिकित्सा देखभाल को प्राथमिकता दी जाय। यह विहित कर दिया गया है कि पशु चिकित्सा अधिकारी गांवों के दौरे करें और अन्त्योदयी परिवारों के जानवरों के टीके लगायें और उनका उपचार करें।

भेड़ और ऊन विभाग के निदेशक ने 15 दिन की अवधि विहित की है जिसके दौरान अन्त्योदयी परिवारों द्वारा खरीदी गई समस्त भेड़ों और बकरियों को टीके लगाये जाने हैं। अन्त्योदयी परिवारों में समस्त भेड़ों के लिए स्वास्थ्य कार्ड दिये जा रहे हैं, जिनमें भेड़ों और बकरियों के चिकित्सा सम्बन्धी जांच का विवरण अभिलिखित किया जायगा।

यह भी अनुदेश जारी किये गये हैं कि अन्त्योदयी परिवारों द्वारा खरीदे गये समस्त ढोरों और दूसरे जानवरों के लिये निःशुल्क स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र जारी किये जायें। ये शक्तियां पशु चिकित्सा सहायकों को भी दे दी गई हैं जिससे ऐसे मामलों को शीघ्रता से निपटाया जा सके।

(घ) ढोर बीमा

सार्वजनिक क्षेत्रों की तीन बीमा कम्पनियों—नेशनल इन्श्योरेंस कं., ओरिएण्टल फायर जनरल इन्श्योरेन्स कं., और युनाईटेड इण्डिया फायर एण्ड जनरल इन्श्योरेंस कं. के साथ यह विशेष व्यवस्था की गई है कि वे अन्त्योदयी परिवारों द्वारा खरीदे गये जानवरों का बीमा, लगाई गई पूंजी के 2 प्रतिशत के आधार पर करें। ढोरों का बीमा इकाई की लागत के 2.25 प्रतिशत के हिसाब से किया जायगा। प्रीमियम का बंटवारा निम्नानुसार होगा—

	दुधारु ढोर	अन्य जानवर
सहकारी सहायता जो प्रथम 3 वर्ष तक दी जायेगी	1.25 प्र. श.	1 प्र. श.
लाभ पाने वाले का अंशदान	1.00 प्र. श.	1 प्र. श.
योग	2.25 प्र. श.	2 प्र. श.

लाभ पाने वाले अपने हिस्से के प्रीमियम का संदाय कर सकें इसके लिए उन्हें बैंक से ऋण दिया जायगा।

साख संस्थाओं की मार्फत जानवरों का बीमा करने के साधारण तरीके को बीमा कम्पनियों ने स्वीकार कर लिया है। बीमा कम्पनियां दावा प्रस्तुत होने से 21 दिन के भीतर ही उसे तय कर देंगी।

(ङ) आवासन

अन्त्योदयी परिवारों को मकानों की सुविधा देने के दृष्टिकोण के सम्बन्ध में हमें इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि इन परिवारों में से बहुत से परिवारों को उत्पादक प्रयोजनों के लिए ऋण दिये जा चुके हैं और उन्हें चुकाने का उत्तरदायित्व भी उन्हें सौंपा

गया है। यद्यपि, यह सत्य है कि आवास की समुचित व्यवस्था किसी परिवार की तीन आधारभूत व्यवस्थाओं में से एक है तथापि यह बात ध्यान में रखनी ही होगी कि कहीं आवास की व्यवस्था के कारण इन गरीब परिवारों पर ऋण का इतना अधिक अतिरिक्त भार न पड़ जाय कि दोनों ऋण अर्थात् गृह निर्माण और उत्पादक प्रयोजनों के लिए गये ऋणों को चुकाना उनके लिए अत्यन्त कठिन हो जाय। इस सन्दर्भ में राज्य सरकार ने यह योजना बनाई है कि अन्त्योदयी परिवारों के लिए गृह निर्माण के सम्बन्ध में व्यापारियों और उद्योग-पतियों से सहायता ली जाय। यह प्रस्ताव है कि इस कार्य को आय कर के नियम 35 सी सी के अधीन ले आया जाय जिसके अन्तर्गत ग्रामीण विकास के सम्बन्ध में ऐसे व्यय, कर में रियायत के लिए मान्य हैं। एक नियमित योजना तैयार करली गई है और औद्योगिक घरानों में उसका वितरण भी कर दिया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि अन्त्योदयी परिवारों की, यदि वे गांव की सीमा में ही स्थित हों, आवास व्यवस्था में सुधार किया जाय।

इसके साथ ही इस बात के भी प्रयत्न किये जा रहे हैं कि इन अन्त्योदयी परिवारों को चालू स्कीमों के अन्तर्गत ही आवास सुविधा के लिए भी ऋण इस प्रकार दिया जाय कि ऋण आदि के चुकाने का भार उन पर उतना ही पड़े जो उनकी ऋण चुकाने की क्षमता के भीतर हो।

(च) निःशुल्क कानूनी सहायता

निःशुल्क कानूनी सहायता सम्बन्धी योजना के उप-बन्धों को अन्त्योदयी परिवारों पर भी लागू कर दिया गया है।

(छ) नियोजन

(i) चुने हुए परिवारों के सदस्यों के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे सरकारी/अर्द्ध सरकारी उपक्रमों के अधीन नियोजन के लिए रोजगार कार्यालय में अपने नाम दर्ज करायें। कार्य प्राप्त करने के लिए इन परिवारों को दिये गये अन्त्योदय पहचान-पत्र ही पर्याप्त हैं तथा उनके नाम रोजगार कार्यालयों द्वारा भिजवाया जाना आवश्यक नहीं है।

(ii) चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा, जहां तक इन अन्त्योदयी परिवारों के सदस्यों का सवाल है 45 वर्ष कर दी गई है।

(iii) अन्त्योदयी परिवारों के सदस्यों की नियुक्ति करते समय सामान्य प्रशासन/जिलाधीश से अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र लेना आवश्यक नहीं है।

(ज) भूमि आवंटन

कृषि के प्रयोजनार्थ भूमि के आवंटन के लिए अन्त्योदयी परिवारों को प्राथमिकता दी गई है तथा भूमि आवंटन से संबंधित विभिन्न राजस्व विधियों में समुचित संशोधन भी कर दिये गये हैं। सीलिंग भूमियों और सिंचय क्षेत्र में आवंटित भूमि की कीमत के संदाय की शर्तों में भी समुचित छूट दी गई है। इन मामलों में भुगतान के प्रारम्भिक अधिस्थगन और ऋण चुकाने की कालावधि में वृद्धि की गई है।

(झ) अन्त्योदय निधि

अन्त्योदयी परिवारों की विशेष आवश्यकताओं पर ध्यान देने के लिए एक "अन्त्योदय निधि" की स्थापना करने का प्रस्ताव है। इस निधि में केन्द्रीय/राज्य सरकार के अनुदानों और दोनों औद्योगिक घरानों, व्यापारियों तथा अन्य साधनों से ग्रामीण विकास के लिए प्राप्त आर्थिक सहायता के रूप में धन प्राप्त होगा। इस निधि से खास तौर से अन्त्योदयी परिवारों की उन जरूरतों को पूरा करने का प्रयत्न किया जायेगा जिनके लिए बैंकों से ऋण नहीं मिलते या जिनके लिए चालू स्कीमों में कोई उपलब्ध नहीं है। दृष्टि स्वरूप विशेष परिस्थितियों में उपभोक्ता आवश्यकतायें प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित व्यक्तियों को अर्थ सहायता आवासन स्थिति में सुधार जिनके लिए चालू स्कीमों आदि में कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती।

(ट) दिये गये अन्य लाभ

(i) अन्त्योदयी परिवारों द्वारा वाणिज्यिक या सहकारी बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिए जो दस्तावेज निष्पादित किये जायेंगे उन्हें स्टाम्प शुल्क से छूट दी गई है। इसी तरह इन परिवारों द्वारा खादी बोर्ड/खादी आयोग/खादी संस्थाओं से ऋण सहायता प्राप्त करने के लिए उनके पक्ष में जो दस्तावेज निष्पादित किये जाते हैं उन्हें भी ऐसी छूट दी गई है।

(ii) सहकारी ऋणों पर ब्याज की दर में कमी:-अन्त्योदयी परिवारों को वाणिज्यिक बैंकों से ऋण डी. आर. आई. स्कीम के अन्तर्गत 4 प्रतिशत ब्याज की दर पर उपलब्ध है। तथापि, भारत के रिजर्व बैंक और ए. आर. डी. सी. के निर्देशों के अनुसार सहकारी ऋण 10.5 प्रतिशत ब्याज की दर पर उपलब्ध है। राज्य सरकार ने केन्द्रीय सहकारी बैंक को विशेष आर्थिक सहायता दी है ताकि वह इन अन्त्योदयी परिवारों से वसूली की जाने वाली ब्याज की दर को घटा कर 6.5 प्रतिशत कर दें।

(iii) अतिशोध्य राशियों की समस्या:-प्रथम चक्र के करीब 8 हजार अन्त्योदयी परिवारों को अब तक ऋण सहायता नहीं दी जा सकी क्योंकि उनमें वाणिज्यिक/सहकारी साख संस्थाओं का रुपया बहुत अधिक समय से अतिशोध्य था। उन वास्तविक मामलों में जिनमें व्यतिक्रम जान-बूझ कर नहीं किया गया है, राहत देने के लिए निम्नलिखित निर्णय लिया गया है:—

(i) 500) रु. तक के समस्त सरकारी ऋण जो 10 वर्ष या उससे अधिक समय से अतिशोध्य है, उन पर देय ब्याज के साथ अपलिखित कर दिये जायेंगे।

(ii) पंचायत समितियों द्वारा दिये गये ऋण पर भी यह निर्णय लागू होगा।

(iii) सहकारी ऋण जो अशोध्य है उनकी किश्तें फिर से बांधी जायेंगी और जहां ये किश्तें बांधना सम्भव न हो वहां ऋण को उक्त (1) के उप-बन्धों के अनुसार अपलिखित कर दिया जायगा।

परिशिष्ट-5

अतारांकित प्रश्न संख्या 71 की सूची

शरणार्थियों की संख्या का मानचित्र बाड़मेर जिले के विभिन्न शिविरों में रहने वाले, पक्ष-31-3-73

क्रम सं०	नाम शिविर	परिवार
1.	बाड़मेर	278
2.	माहुबार	206
3.	बिशाला	251
4.	निम्बला	239
5.	साजोतड़ा	118
6.	बरीमाड़ा	37
7.	राजडाल	69
8.	पुषड़ा	37
9.	हुरसाणी	231
10.	गिराब	457
11.	बालेवा	306
12.	तुडबी	705
13.	गडरारोड	874
14.	चौहटन	254
15.	कापराऊ	220
16.	आलमसर	226
17.	धनाऊ	400
18.	अति धनाऊ	722
19.	मिठराऊ	714
20.	मिटे कातला	502
21.	बीन्जासर	863
22.	बीजराड	794
23.	केलनोर	986
24.	बाखासर-I	884
25.	बाखासर-II	726
	योग:—	11099

परिशिष्ट–क

परिशिष्ट–6

अतारांकित प्रश्न संख्या 72 की सूची

काम के बदले अनाज योजना में अब तक के कार्यों का विवरण

जिला : सवाईमाधोपुर

क्र. सं.	नाम पंचायत समिति	शाला भवन	औषधालय भवन	पंचायत घर	पेयजल कूप	सिंचाई तालाब अन्य तालाब	गावांई सड़कें	सड़कों की बनवाई कि. मी. में	अन्य कार्य	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	सवाई माधोपुर	50	3	13	73	92	8	5	199	438
2.	खण्डार	25	75	10	68	83	8	2	211	410
3.	धोली	46	6	14	91	85	5	2	160	407
4.	गंगापुर	62	10	16	59	45	16	8	104	312
5.	बापनवास	49	4	17	98	177	20	25	205	570
6.	नादोती	17	3	3	31	12	11	23	30	107
7.	हिण्डोन	79	3	14	213	29	13	24	248	599
8.	टोडा भीम	36	2	14	101	35	6	26	567	361
9.	महुआ	44	8	14	89	69	60	24	408	692
10.	करौली	43	4	13	71	85	74	48	228	518
11.	सपोटरा	18	5	6	78	65	74	28	134	380
	योगः—	468	53	134	972	777	295	185	2095	4793

परिशिष्ट–7

(अतारांकित प्र० सं० 74 की सूची)

शिक्षा के विभिन्न चरणों पर छात्र, अध्यापक एवं व्यय की जा रही राशि

स्तर	कुल छात्र	कुल अध्यापक	(राशि लाखों में) व्यय की जा रही राशि
(अ) महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्तर			
1. राजकीय महाविद्यालय	67374	2578	344.16
2. अराजकीय महाविद्यालय एवं शिक्षण संस्था	38370	926	181.72
3. राजस्थान विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालय	14414	708	225.78
4. जोधपुर विश्वविद्यालय	10230	521	209.77
5. उदयपुर विश्वविद्यालय	3642	226	57.70
(ब) विद्यालय स्तर			
1. प्राथमिक	1808290	44939	7245.31
2. उच्च प्राथमिक	1199579	44363	
3. माध्यमिक	451180	22016	3973.07
4. उच्च माध्यमिक	346625	15204	
(स) तकनीकी शिक्षा			
1. तकनीकी शिक्षा (पोलीटेक्निक)	2166	352	132.62
2. दस्तकार प्रशिक्षण योजना	4020	407	153.51
(द) संस्कृत शिक्षा			
1. उच्च प्राथमिक	27131	788	
2. माध्यमिक	2004	390	34.82
3. उच्च माध्यमिक	637	56	
4. स्नातक	499	120	27.90
5. अधिस्नातक	67	13	

Page No.169

शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर छात्र-अध्यापक अनुपात एवं प्रत्येक छात्र पर व्यय की गई राशि

स्तर		प्रति अध्यापक-छात्र अनुपात लगभग	प्रत्येक छात्र पर व्यय की गई राशि लगभग
1.	महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय	27	756.74
2.	विद्यालय शिक्षा		
	1. प्राथमिक	40	241.00
	2. उच्च प्राथमिक	27	
	3. माध्यमिक	20	500.00
	4. उच्च माध्यमिक	23	
3.	तकनीकी शिक्षा		
	1. तकनीकी शिक्षा (पोलीटेक्निक)	7	6123.00
	2. दस्तकार प्रशिक्षण योजना (आई. टी. आई.)	9	3916.00
4.	संस्कृत शिक्षा		
	1. उच्च प्राथमिक	34	148.13
	2. माध्यमिक	6	999.92
	3. उच्च माध्यमिक	11	685.71
	4. स्नातक	4	1991.20
	5. अधिस्नातक	4	2804.78

———

परिशिष्ट–8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 75 की सूची)

डेगाना तहसील में कुल निम्नलिखित चार सड़क कार्य व 5 सिंचाई विभाग के निम्नलिखित कार्य स्वीकृत किये गये थे

क्र. सं.	कार्य का विवरण	स्वीकृति दिनांक
1.	निम्बड़ी से भेरुन्दा सड़क (बी. टी.)	7–2–80
2.	डेगाना भेरुन्दा सड़क (बी. टी.)	12–3–80
3.	घाटू माझी सड़क	12–3–80
4.	बाल्या चई चुबा उबासी की ढाणी	17–4–80
	सिंचाई विभाग के माध्यम से कार्य	
1.	वानड़ा बांध	30–4–80
2	सनेड़िया बांध	30–4–80
3.	आलनियां बास बांध	21–5–80
4.	घाटा रपट	17–12–79
5.	लैगां की बनी रपट	17–12–79

———

परिशिष्ट 9

(अतारांकित प्रश्न सं० 76 का प्रतिवेदन)

सर्वेक्षण प्रतिवेदन

दिनांक 23-3-79

(1) निगम वाहनें बड़ोड़ा गांव तक संचालित नहीं की जाती हैं। उक्त गांव राष्ट्रीयकरण मार्ग से 8 कि० मी० दूर (अन्दर की तरफ) है तथा वहां एक निजी वाहन संचालित की जाती है। यह गांव पोकरण-जैसलमेर राष्ट्रीयकृत मार्ग के स्टेण्ड मांगू का गांव से 5 कि० मी० दूर है। मुख्य सड़क (एन० एच० 15) से 7 कि० मी० तक पक्का मार्ग (डामर रोड़) व शेष 1 या डेढ़ कि० मी० तक गूंड़िया सड़क (कच्चा मार्ग) है। बडोडा गांव से आगे पूर्णतया कच्चा मार्ग है।

(2) पोकरण-जैसलमेर मार्ग पर अन्य गांव राष्ट्रीयकृत मार्ग के आस-पास ही हैं। तथा उन गांवों से बडोडा गांव आबादी से बड़ा है तथा गांव में सैकण्डरी स्कूल है जो सन् 1978 से कार्यरत हैं।

(3) गांव के प्रमुख व्यक्तियों से (जो सरकारी सेवा में हैं) पूछने पर बताया गया कि उन लोगों द्वारा ऐसी कोई प्रार्थना उन द्वारा नहीं की गई हैं।

इस गांव में करीब 300 घर हैं, बाकी आबादी बिखरी हुई है जिनकी जनसंख्या करीब 3-4 हजार के आस पास है। इस गांव में अधिकतर राजपूत (भाटी) जाति रहती है, जिसमें से करीब 200 व्यक्ति सेना में तथा 250 व्यक्ति पुलिस विभाग में कार्यरत हैं। उक्त गांव तक निजी वाहनें संचालित की जाती है, यदि उक्त गांव तक निगम की वाहन संचालित की जाती है, तो पोकरण से जैसलमेर आने जाने वाले यात्री पर 0.90 पैसे का आर्थिक भार वहन करना पड़ेगा।

जैसलमेर से निजी वाहन बडोडा गांव होती हुई निहाड़ा तथा निमला गांव तक जाती है। ये वाहनें फोर व्हीलर है तथा बडोडा गांव से आगे का मार्ग बिल्कुल ही कच्चा है। निजी वाहनें एकान्तर से निहाड़ा तथा निमला गांव जाती हैं। जिसका समय निम्नानुसार है:—

जैसलमेर	बडोडा	बडोडा	जैसलमेर
11-00 प्रस्थान	12-15 पहुँच	15-45 प्रस्थान	17-00 जैसलमेर पहुँच

यह सेवा मंगलवार को जैसलमेर से तथा बडोडा गांव से जैसलमेर तक बुधवार को निरस्त रहती है अन्य दिवस यह सेवा सामान्यतया संचालित की जाती है।

बडोडा गांव तक यदि निगम वाहन संचालित की जाये तो उससे आगे के यात्रियों को परेशानियां बढ़ जायेंगी।

मानचित्र संलग्न है।

परिशिष्ट 10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 82 की सूची)

कोटा जिले में हुई हत्याएं

क्र०सं०	अभियोग संख्या, धारा व तारीख एवं थाना	घटना स्थल	नतीजा			पेण्डिंग पुलिस
			चालान	एफ. आर. अदम वक	एफ.आर. अदम पता	
1	2	3	4	5	6	7
1.	35 धारा 302,307 ता० हि० तारीख 5-3-80 थाना सांगोद	ग्राम कुडनी	14-5-80	—	—	—
2.	87 धारा 147, 148, 149, 336, 302, 307 ता० हि० ता० 9-3-80, थाना गुमानपुरा	तलवन्डी, कोटा	30-4-80			
3.	55 धारा 302, 34 ता० हि० ता० 22-3-80 थाना उद्योग-नगर, कोटा	कन्सुवा, कोटा	28-4-80			
4.	67 धारा 302, 34 ता० हि० ता० 22-3-80 थाना भीमगंजमण्डी	ठेका शराब के पास	28-4-80			
5.	18 धारा 302, 324, 326, 323 ता० हि० ता० 27-3-80 थाना मोठपुर	भोजखेड़ी	2-5-80			
6.	30 धारा 302 ता० हि० ता० 5-1-80 थाना सुल्तानपुर	सारोला	20-5-80			
7.	55 धारा 302 ता० हि० ता० 8-4-80 थाना कुन्हाडी	कोटा बेराज चम्बल के किनारे	—			

1	2	3	4	5	6	7
8.	33 धारा 147,148,149,302 ता० हि० ता० 8-4-80 थाना इटावा	ग्राम अपानी	9-5-80	—	—	—
9.	25 धारा 302 ता० हि० तारीख 12-4-80 थाना सीमवाली	ब्रहचारी की खाल	—			
10.	27 धारा 302 ता० हि० तारीख 23-4-80 थाना बापचा	इब्राहिमपुरा	15-6-80			
11.	50 धारा 307, 302 ता० हि० ता० 25-4-80 थाना छिपाबड़ोद	छिपाबड़ोद	—			अन्वेषण जारी है
12.	28 धारा 307, 302 ता० हि० ता० 30-4-80 थाना बापचा	सेमली	25-4-80			
13.	144 धारा 307, 302 ता० हि० ता० 3-5-80 थाना गुमानपुरा, कोटा	एरोड्रम व आनन्दपुरा के बीच	16-6-80			
14.	92 धारा 302 ता० हि० ता० 23-5-80 थाना उद्योगनगर, कोटा	बोरखेड़ा	13-6-80			
15.	38 धारा 302 ता० हि० ता० 26-5-80 थाना खातोली	अंचलगढ़	—			अन्वेषण जारी है
16.	58 धारा 302 ता० हि० ता० 1-6-80 थाना छबड़ा	घाटाखेड़ी	—			
17.	36 धारा 147, 148, 149,302 ता० हि० ता० 6-6-80 थाना बुढ़ादीत	फुमलाखाल	—			
18.	70 धारा 302, 34 त० हि० ता० 7-6-80 थाना अन्ता	पचेलकलां	—			—
19.	46 धारा 307, 302, 323 379, 34 ता० हि० ता० 20-6-80 थाना मण्डाना	पदमपुरा	—			
कुल जरायम कत्ल 19			11	—	—	8

परिशिष्ट 11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 85 की सूचना)

तहसील सिकराय पंचायत समिति सिकराय के अधीनस्थ प्राथमिक शालाओं की सूची।

क्र. सं.	प्राथमिक शाला का नाम	प्रारम्भ होने का वर्ष
1	2	3
1.	प्राथमिक शाला, रेटा	59–60
2.	,, ,, दुब्बी	59–60
3.	,, ,, कलाई	59–60
4.	,, ,, भोजपुरा	59–60
5.	,, ,, सिकन्दरा	59–60
6.	,, ,, बाबनपाड़ा	59–60
7.	,, ,, छोकली	78–79
8.	,, ,, पीपलकी	78–79
9.	,, ,, भानपुर	59–60
10.	,, ,, निकटपुरी	78–79
11.	,, ,, चादेरा	59–60
12.	,, ,, ब्रह्मवाद	77–78
13.	,, ,, मोना सोमला	59–60
14.	,, ,, उदयपुरा	59–60
15.	,, ,, मालपुर	60–61
16.	,, ,, नांदरी	59–60
17.	,, ,, चान्दला	59–60
18.	,, ,, होंगा	59–60
19.	,, ,, बोलाड़ी	59–60
20.	,, ,, खोड़ला	—
21.	,, ,, पीचाली	59–60
22.	,, ,, मुरलीपुर	—
23.	,, ,, घलकोट	—
24.	,, ,, सीकरी	73–74
25.	,, ,, सवाल	69–70
26.	,, ,, रामपुरा	70–71
27.	,, ,, बोदरवाड़ा	59–60
28.	,, ,, ब्रा. बेराडा	59–60
29.	,, ,, बाछड़ा	61–62

1	2	3
30.	प्राथमिक शाला, गिरधरपुरा	59–60
31.	,, ,, कालेड़ा	77–78
32.	,, ,, छोकरवाड़ा	59–60
33.	,, ,, निहालपुरा	59–60
34.	,, ,, बीलवा कलां	58–60
35.	,, ,, गजरबैराड़ा	59–60
36.	,, ,, देबरी	59–60
37.	,, ,, मोचिंगपुरा	60–61
38.	,, ,, मारोली	59–60
39.	,, ,, गड़	60–61
40.	,, ,, कोरंडा कलां	72–73
41.	,, ,, गुजरवाड़ा	72–73
42.	,, ,, राजबाग	60–61
43.	,, ,, भेरना	78–79
44.	,, ,, बडली	61–62
45.	,, ,, रामगढ़	59–60
46.	,, ,, पाडली	59–60
47.	,, ,, कलाई	70–71
48.	,, ,, दे० सिकराय	59–60
49.	,, ,, हु० सिकराय	60–61
50.	,, ,, रानीपुर	59–60
51.	,, ,, रामेड़ा	60–61
52.	,, ,, कन्हेरांगगर	59–60
53.	,, ,, सिकराय डगेर	59–60
54.	,, ,, नामनेर	59–60
55.	,, ,, दे० भोजगढ़	59–60
56.	,, ,, भभिन	78–79
57.	,, ,, हनु० भोजगढ़	59–60
58.	,, ,, बावली	59–60
59.	,, ,, जहूरगिरिया	—
60.	,, ,, मागदेवाली	—
61.	,, ,, अम्राबली	77–78
62.	,, ,, लांका	59–60
63.	,, ,, दबाकर	77–78

1	2	3
64.	प्राथमिक शाला, जोटवा	60–61
65.	,, ,, फराशपुरा	59–60
66.	,, ,, पाटन	59–60
67.	,, ,, जयसिंहपुरा	—
68.	,, ,, गढी	60–61
69.	,, ,, नहारखोहरा	59–60
79.	,, ,, गदकाकुआ	59–60
71.	,, ,, अ० मानपुरा	59–60
72.	,, ,, ठोकरिया	78–79
73.	,, ,, गुमानपुरा	78–79
74.	,, ,, बरावबन्डा	78–79
75.	,, ,, गुजरतीमला	78–79
76.	,, ,, ओषाडा	78–79
77.	,, ,, गुण्डियाखोडा	79–80
78.	,, ,, बेजेट	79–80
79.	,, ,, भील	79–80
80.	,, ,, डोलोका	79–80
81.	,, ,, मालावास	79–80

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र संस्थाएं) जयपुर-प्रथम

क्र० सं०	विद्यालय का नाम	उ० मा०/मा०/प्रा० वि० में प्रारम्भ होने का सत्र
1	2	3
1.	राजकीय उच्च माध्यमिक वि०, सिकराय	1957-58
2.	रा. मा. वि., गीजगढ़ (सिकराय)	1953-54
3.	रा. मा. वि., सिकन्दरा (सिकराय)	1961-62
4.	रा. मा. वि., मानपुर	1968-69
5.	रा. मा. वि., कुब्बी	1971-72
6.	रा. मा. वि., बहरावण्डा	1977-78
7.	रा. मा. वि., डिगारिया	1977-78
8.	रा. मा. वि., गुमानपुरा	1977-78

1	2	3
9.	रा. मा. वि., गण्डरावर	1979-80
10.	रा. उ. मा. वि. पाडली	1973-74
11.	,, ,, मोरेड	1973-74
12.	,, ,, टोरडा	1973-74
13.	,, ,, ईटका	1975-76
14.	,, ,, शेखपुरा	1975-76
15.	,, ,, डेण्डा बसेड़ी	1975-76
16.	,, ,, गेरोटा	1976-77
17.	,, ,, करोडी	1977-78
18.	,, ,, गढ़ोरा	1977-78
19.	,, ,, कालाखां अम्बाडी	1977-78
20.	,, ,, हिंगवा	1978-79
21.	,, ,, डोली का बास	1978-79
22.	,, ,, मरियाडा	1979-80
23.	,, ,, झापडावास	1979-80
24.	,, ,, महन्दीपुर बालाजी	1969-70
25.	,, ,, राणोली	—
26.	,, ,, भण्डारी	—
27.	,, ,, अचलपुरा	—
28.	,, ,, धुमना	—
29.	,, ,, कालवान	—

नोट: —क्रम संख्या 25 से 29 तक के विद्यालय सत्र 1973-74 से पूर्व ही उच्च प्राथमिक विद्यालय के स्तर पर चलते आ रहे हैं ।

———

सिकराय तहसील में छात्रा संस्थाएं की मिडिल स्कूल की सूची

क्र. सं.	नाम विद्यालय	प्रारम्भ वर्ष
1	2	3
1.	राजकीय बालिका उच्च प्रा. विद्यालय, सिकराय	73-74
2.	राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, सिकन्दरा	72-73
3.	राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, भोजगढ़	72-73

Page No.178

सिकराय तहसील के विद्यालयों की सूची जहां अध्यापकों की कमी है :—

क्र.सं.	शाला का नाम	अध्यापकों की कमी संख्या
1.	प्राथमिक शाला, कोलोड़ा	1
2.	प्राथमिक शाला, ब. मानपुर	1
3.	प्राथमिक शाला, नान्दरी	1
4.	प्राथमिक शाला, ग्रहवाद	1
5.	प्राथमिक शाला, उदयपुरा	1
6.	प्राथमिक शाला, छाकेरवाड़ा	1
7.	प्राथमिक शाला गांगरवाड़ा	1
8.	प्राथमिक शाला, ब्रा. बराडा	1
9.	रा. उ. प्रा. विद्यालय, कालवान	2
10.	रा. उ प्रा. विद्यालय, डेण्डाबसेड़ी	2
11.	रा. उ. प्रा. विद्यालय, मरिआड़ा	4
12.	रा. उ. प्रा. विद्यालय, झामजवास	4
13.	रा. उ. प्रा. विद्यालय, सिकराय	3
14.	रा. उ. प्रा. विद्यालय, गीजगढ़	2

———

परिशिष्ट—12

(अतारांकित प्रश्न संख्या 87 की सूची)

पिछले पांच वर्षों में खोले गये महाविद्यालयों की सूची

जिले का नाम	महाविद्यालय खोलने का स्थान	प्रारम्भ होने का वर्ष
1	2	3
	राजकीय महाविद्यालय	
अजमेर	1. राजकीय महाविद्यालय, केकड़ी	1977-78
अलवर	2. राजकीय महाविद्यालय, बहरोड़	,, ,,
भरतपुर	3. राजकीय महाविद्यालय, डीग	,, ,,
चित्तौड़गढ़	4. राजकीय महाविद्यालय, निम्बाहेड़ा	,, ,,
श्रीगंगानगर	5. राजकीय महाविद्यालय, सूरतगढ़	,, ,,
जयपुर	6. राजकीय महाविद्यालय, चिमनपुरा	,, ,,
	7. राजकीय महाविद्यालय, बांदीकुई	,, ,,
सवाईमाधोपुर	8. राजकीय महाविद्यालय, गंगापुर सिटी	,, ,,
	9. राजकीय महाविद्यालय, हिण्डौन सिटी	,, ,,
सिरोही	10. राजकीय महाविद्यालय, आबू रोड	,, ,,
टोंक	11. राजकीय महाविद्यालय, देवली	,, ,,

निम्न महाविद्यालयों को स्नातक से स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत किया गया:—

जिले का नाम	नाम महाविद्यालय	क्रमोन्नत करने का वर्ष
1	2	2
बांसवाड़ा	1. राजकीय महाविद्यालय, बांसवाड़ा	1977–78
नागौर	2. राजकीय महाविद्यालय, नागौर	,, ,,
सिरोही	3. राजकीय महाविद्यालय, सिरोही	,, ,,
डूंगरपुर	4. राजकीय महाविद्यालय, डूंगरपुर	,, ,,
चित्तौड़गढ़	5. राजकीय महाविद्यालय, चित्तौड़गढ़	,, ,,
टोंक	6. राजकीय महाविद्यालय, टोंक	,, ,,
बून्दी	7. राजकीय महाविद्यालय, बून्दी	,, ,,